अष्टम माला, खंड 1, अंक 1

बुधवार 30 जनवरी 1985

10 माघ 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(आठवीं लोक सभा)

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 1, पहला सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 11, बुधवार, 30 जनवरी, 1985/10 माघ, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
शहीदों की स्मृति में मौन धारण		1
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		2–18
नियम 377 के अधीन मामले :		19–29
(एक)	उत्तर-प्रदेश के पिथौरागढ़ तथा चमोली जिलों के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता। श्री हरीश रावत	19
(दो)	20–सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	20
(तीन)	पी० जे० टैक्सटाइल मिल्स तथा यमुना मिल्स को सरकारी अभिकरणों के माध्यम से नियमित रूप से धन देने की आवश्यकता। श्री रणजीत सिंह गायकवाड़	20
(चार)	बालासोर में एक अल्प शक्ति टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। श्री चिन्तामणि जेना	21
(पांच)	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की आवश्यकता। श्री एस० एम० भट्टम	21
(छः)	भुवनेश्वर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। श्रीमती जयन्ती पटनायक	22
(सात)	नागरकोइल में एक अल्पशक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता। श्री एन० डेनिस	22

पृष्ट

(आठ) बंगलादेशियों द्वारा डकैती तथा पशु उठाये जाने की घटनाओं को रोकने के लिये पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिनाजपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारत-बंगला देश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता। . . . 23

डा० गोलप बाजदानी

(नौ) रांची क्षेत्र में कार्यरत कोयला मजदूरों को सैन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तालचेर यूनिट में स्थानान्तरण को रोकने की आवश्यकता। 23

श्री बल्लभ पाणिग्रही

(दस) आलू का निर्यात करने तथा पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों को समर्थन मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता। . 23

श्री अनिल बसु

(ग्यारह) लोरिया (पश्चिम चम्पारन बिहार) में एस० के० जे० चीनी मिल को पुनः चालू करने तथा उसके कर्मचारियों एवं गन्ना उत्पादकों को बकाया राशियों का भुगतान करने की आश्यकता। 24

श्री भोला राउत

(बारह) पूर्णिया (बिहार) में एक पुलिस उप-महानिरीक्षक का पद सृजन करने की आवश्यकता। 24

श्रीमती माधुरी सिंह

(तेरह) पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्विति में अनियमितताएं। 25

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(चौदह) माल-भाड़ा समकरण योजना की समीक्षा करने की आवश्यकता। 25

श्री बसुदेव आचार्य

(पंद्रह) केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की समस्याओं को हल करने के लिये अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के साथ बातचीत करने की आवश्यकता। 26

श्री सी० माधव रेड्डी

(सोलह) मारुति कारों की कालाबाजारी के समाचार की जांच करने की आवश्यकता। 26

श्री सनत कुमार मंडल

(सत्रह) जीवन बीमा निगम का एक प्रभागीय कार्यालय श्रीनगर में स्थापित करने की आवश्यकता। . . . 26

प्रो० सैफुद्दीन सोज

(अट्ठारह) बोकारो से बेतार सिगनल बुक की चोरी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता। . . . 27

श्री सी० पी० ठाकुर

(उन्नीस) राजस्थान के गंगानगर जिले में रेल लाइन पर फाटक बनाने की आवश्यकता। 27

श्री बीरबल

(बीस) त्रिपुरा में कागज के एक कारखाने की स्थापना करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था करने की आवश्यकता । 27

श्री अजय विश्वास

(इक्कीस) जम्मू और कश्मीर में बिजली की कमी . . . 28

श्री अब्दुल रशीद काबुली

(बाईस) बिहार में नवादा में एक टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना करने की आवश्यकता । 28

श्री कुंवर राम

(तेईस) मुरादाबाद-चंदौसी रेल लाइन पर मुरादाबाद के निकट एक उपरि-पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता । . . 29

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक

संविधान (52वां संशोधन) विधेयक . . 29–131

विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव . 132–174

श्री अशोक सेन 29–33

श्री एस० एम० भट्टम 34–37

श्री शरद दिघे 37–40

श्री भागवत झा आजाद . 40–42

प्रो० मधु दंडवते . 42–46

श्री जैनुल बशर . . . 47–48

श्री अमल दत्त 49–51

श्री विजय एन० पाटिल . . . 51–52

श्री गिरिधर गोमांगो . 52–53

श्री के० आर० नटराजन . . 54

श्री भेरावदन के० गधावी . 54–57

श्री जी० जी० स्वैल . . . 57–58

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन . . . 58–61

श्री विष्णु कुमार मोदी 62

श्रीमती गीता मुखर्जी 63–64

श्री चिन्तामणि जेना 65–66

श्री राजेश पाइलट . . . 66- 67

श्री अब्दुल रशीद काबुली 67–74

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी 74–76

श्री मूल चन्द डागा . . . 76–78

श्री पीयूष तिरकी 78–79

श्री बालकवि बैरागी 79–80

श्री सी० माधव रेड्डी 81–82

पृष्ठ

श्री शांताराम नायक 82–82
श्री ललित माकन 84–85
श्रीमती वैजयन्ती माला बाली 85–86
श्री अमर राय प्रधान 87
श्री कमल नाथ 88–90
श्री जगन्नाथ कौशल 91–96
श्री पी० कुलनदईवेलु 97
प्रो० सैफुद्दीन सोज़ 98–99
श्री गिरधारी लाल डोगरा 99–101
श्री सुरेश कुरुप 101–103
श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम 103
श्री भरत सिंह 104
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही . . . 105–106
श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी 106–108
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह . . 109
श्री योगेश्वर प्रसाद . . 109–110
श्री डी० नारायण स्वामी . . . 110–111
श्री बृजमोहन महन्ती . . 111–112
श्री किशोर चन्द्र एस० देव . . . 112–113
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी . . . 113–114
श्री राम प्यारे पनिका . . . 114–115
श्री पी० अप्पालानरसिंहम् 115–116
प्रो० कामसन मिजिनलंग 116–119
श्री एच० एम० पटेल . . . 119–120
श्री राजीव गांधी 120–122

खंड 2 से 6 तथा 1 133–174

यथा संशोधित पारित किये जाने के लिये प्रस्ताव

श्री अशोक सेन 143–147
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 163–164
श्री श्रीहरि राव 165
श्री उत्तम राठौड़ 166
श्री पी० के० थुंगन 166–167

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण 132
(श्री के० एन० प्रधान) 132

राज्य सभा से संदेश 175

सभा-पटल पर रखे गये राज्य सभा द्वारा सिफारिशों सहित लौटाये गये विधेयक . 132व176

विनियोग (रेल) विधेयक, 1985 . . . . . 132 व 176–177

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव 176
श्री बंसी लाल

स्वीकार किये जाने के लिये प्रस्ताव . . . 176–177
श्री बंसी लाल

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1985 . . . . 133 व 177

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव । 177
श्री बंसी लाल

स्वीकार किये जाने के लिये प्रस्ताव । 177
श्री बंसी लाल

विनियोग विधेयक, 1985 178

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव । 178
श्री जनार्दन पुजारी

स्वीकार किये जाने के लिये प्रस्ताव . . . 178
श्री जनार्दन पुजारी

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985 178

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव । 178
श्री जनार्दन पुजारी

स्वीकार किये जाने के लिये प्रस्ताव . . 179
श्री जनार्दन पुजारी

पंजाब विनियोग विधेयक, 1985 179

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव 179
श्री जनार्दन पुजारी

स्वीकार किये जाने के लिये प्रस्ताव 180
श्री जनार्दन पुजारी

आणविक निरस्त्रीकरण के संबंध में "छः" राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव 180

समापन टिप्पणियां 181

लोक सभा

बुधवार, 30 जनवरी, 1985/10 माघ, 1906 (शक)

लोक सभा 10.58 म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू०

[अनुवाद] शहीदों की स्मृति में मौन धारण

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र आज उन लोगों की याद में दो मिनट का मौन धारण कर रहा है जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए थे । अब हम दो मिनट का मौन धारण करेंगे । सदस्यगण अब आप कृपया अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हो जाएं और तोप की दोबारा आवाज आने तक मौन खड़े रहें ।

[तत्पश्चात् सदस्य दो मिनट तक मौन खड़े रहे]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्री नरसिंह राव ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, इससे पहले कि आप मंत्री महोदय को बुलाएं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में कहना चाहता हूं, जिस पर सरकारी पक्ष तथा सभा को ध्यान देना चाहिए..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : हिंसात्मक घटनाएं..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा । कोई भी व्यक्ति अपना निष्कर्ष निकाल सकता है । वे आप पर आरोप लगा सकते हैं और आप उन पर आरोप लगा सकते हैं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई । कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें । यह एकदम असंगत है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति समिति नियुक्त कर सकता है और रिपोर्ट दे सकता है । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दे रहा हूं । यह संबद्ध नहीं है । इसकी अनुमति नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह असंगत है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह एकदम असंबद्ध है । कोई भी व्यक्ति अपनी समिति नियुक्त कर सकता है । वे किसी भी दल पर आरोप लगा सकते हैं । मैं इसकी अनुमति देने नहीं जा रहा हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं अपनी अन्तरात्मा से काम कर रहा हूं । मैं किसी एक दल पर आरोप लगाने की आज्ञा नहीं दूंगा । यह असंबद्ध है । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

11.04 म० पू०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : राष्ट्रीय केडेट कोर (छात्र सेना) अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय केडेट कोर (छात्र सेना) संशोधन नियम, 1985, जो 19 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 2 में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय केडेट कोर (छात्र सेना) (बालिका डिविजन) संशोधन नियम, 1985, जो 19 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 3 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 348/85]

विधि आयोग का 106 वां प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं किसी मोटरयान के हस्तान्तरण से बीमे पर प्रभाव के बारे में मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 103क के संबंध में विधि आयोग के 106वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 349/85]

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1983-84 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 350/85]

(ख) (एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 351/85]

(ग) (एक) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम मर्यादित, शिलांग के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम मर्यादित, शिलांग का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 352/85]

(घ) (एक) राष्ट्रीय तापीय शक्ति निगम मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय तापीय शक्ति निगम मर्यादित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 353/85]

(ङ) (एक) जल एवं विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (भारत) मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जल एवं विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (भारत) मर्यादित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 354/85]

(च) (एक) राष्ट्रीय जलविद्युत निगम मर्यादित, के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जलविद्युत निगम मर्यादित का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 355/85]

(3) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 356/85]

(4) (एक) राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 357/85]

(5) (एक) श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत संबंधी 23 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 358/85]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा तथा समीक्षा

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (बूटा सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 359/85]

यूनानी चिकित्सा केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) यूनानी चिकित्सा केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनानी चिकित्सा केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 360/85]

(2) (एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 361/85]

(3) केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983–84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 362/85)

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, गुडगांव; मद्रास उर्वरक लि०, मद्रास की वर्ष 1983–84 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स (प्रतिजैविक) मर्यादित, पिम्परी के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स (प्रतिजैविक) मर्यादित, पिम्परी का वर्ष 1983–84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 363/85]

(ङ) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मर्यादित, गुड़गांव के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मर्यादित, गुड़गांव का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 364/85]

(ग) (एक) मद्रास उर्वरक मर्यादित, मद्रास के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास उर्वरक मर्यादित, मद्रास का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 365/85]

(घ) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवलेपमेंट इण्डिया मर्यादित, सिन्दरी का वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवलेपमेंट इण्डिया मर्यादित, सिन्दरी का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 366/85]

(ङ) (एक) फार्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्ज, त्रावनकोर मर्यादित के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर मर्यादित का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 367/85]

(च) (एक) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स मर्यादित के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्ज एण्ड फर्टिलाइजर्स मर्यादित का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 368/85]

(छ) (एक) फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया मर्यादित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 369/85]

(ज) (एक) स्मिथ स्टानिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स मर्यादित, कलकत्ता के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्मिथ स्टानिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्ज मर्यादित, कलकत्ता का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 370/85]

(झ) (एक) पारादीप फास्फेट्स मर्यादित, भुवनेश्वर के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पारादीप फास्फेट्स मर्यादित, भुवनेश्वर का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 371/85]

(ञ) (एक) भारत ओफथाल्मिक ग्लास मर्यादित, दुर्गापुर के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत ओफथाल्मिक ग्लास मर्यादित, दुर्गापुर का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 372/85]

मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1983–84 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड, कोचीन का वर्ष 1983–84 का प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) मुगल लाइन मर्यादित, बम्बई के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन मर्यादित, बम्बई का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[सभा पटल पर रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 373/85]

(2) कोचिन गोदी श्रमिक बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 374/85]

कम्पनी अधिनियम, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अधि-सूचनाएं, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमंड की वर्ष 1983-84 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)) :—

(एक) सा०का०नि० 1152, जो 17 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 767, जो 21 जुलाई, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(दो) सा०का०नि० 1205, जो 8 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिन में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 688, 7 जुलाई, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(तीन) लागत लेखा अभिलेख (सूती वस्त्र) संशोधन नियम, 1984 जो 8 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1206 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गया गए। देखिए संख्या एल० टी० 375/85]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 38(अ), जो मैसर्स ब्रिटानिया इंजिनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता (टीटागढ़ एकक) के प्रबन्ध के बारे में है और 21 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का०आ० 39(अ), जो मैसर्स प्रियलक्ष्मी मिल्ज, बड़ौदा (गुजरात) के प्रबन्ध के बारे में हैं और 21 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 376/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी मर्यादित, ऊटाकमंड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी मर्यादित, ऊटाकमंड का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 377/85]

(ख) (एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स मर्यादित के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स मर्यादित का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 378/85]

(ग) (एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया मर्यादित के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया मर्यादित का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 379/85]

(घ) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी मर्यादित के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी मर्यादित के वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 380/85]

(ङ) (एक) जैसप एण्ड कम्पनी मर्यादित कलकत्ता के वर्ष 1983–84 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जैसप एण्ड कम्पनी मर्यादित, कलकत्ता के वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 381/85]

(च) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मर्यादित के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मर्यादित का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 382/85]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स मर्यादित के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स मर्यादित का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 383/85]

(ज) (एक) माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन मर्यादित, दुर्गापुर के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन मर्यादित, दुर्गापुर का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 384/85]

(झ) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन मर्यादित और उसकी सहायक कम्पनियों, अर्थात् हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट मर्यादित तथा नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी मर्यादित के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन मर्यादित तथा उसकी सहायक कम्पनियों, अर्थात् हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट मर्यादित और नागालैंड पल्प एण्ड पेपर मर्यादित का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 385/85]

(ञ) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंटस मर्यादित, कलकत्ता के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स मर्यादित, कलकत्ता का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 386/85]

(ट) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन मर्यादित, के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन मर्यादित का वर्ष 1983–84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 387/85]

(ठ) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, नई दिल्ली का वर्ष 1979–80 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, नई दिल्ली का वर्ष 1978–79 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) की मद (ठ) और (ड) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 388/85]

(5) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीच्यूट, देहरादून के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीच्यूट, देहरादून के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 389/85]

(व्यवधान)††

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल भी नहीं।

(व्यवधान)††

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब, अगर आप इसी प्रकार बोलते रहे तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया बैठ जाइए। अपनी सीट पर बैठिए। मैं इस बारे में बिल्कुल दृढ़ हूं। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य देने का प्रश्न ही नहीं है। मैं किसी को इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न ही नहीं उठता। यह कोई सार्वजनिक सभा नहीं है, जहां इस प्रकार आरोप लगाए जाएँ। (व्यवधान)††

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, आप काफी सख्ती बरत रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सख्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष और सही प्रकार से कार्य कर रहा हूं। अगर कोई यह आरोप लगाएगा तो मैं यही रवैया अपनाऊंगा और वही कार्यवाही आपके विरुद्ध और वही उनके विरुद्ध भी करूंगा।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्रीमन् मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में कोई निवेदन नहीं किया जाएगा। अगर आप इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : जी हां, श्रीमन्, मुझे कुछ और कहना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमन, कार्य मंत्रणा समिति ने फैसला किया था कि सत्र के अंतिम दिन गृह मंत्री जी एक वक्तव्य जारी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्हे कुछ और कहना होगा तो वह कह देंगे। यही कहा गया था।

---

††कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जो नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हमने सभी बातों पर चर्चा कर ली है। अगर कुछ और कहना होगा तो उसके लिए फैसला किया गया था कि वह सभा को सूचित करेंगे। बस यही बात हुई थी।

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि० भोपाल की वर्ष 1978–79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन ; अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास लि० पोर्टब्लेयर की वर्ष 1983–84 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, मर्यादित, भोपाल के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित, भोपाल का वर्ष 1978–79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 390/85]

(ख) (एक) अदंमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम मर्यादित, पोर्टब्लेयर के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम मर्यादित, पोर्टब्लेयर के वर्ष 1983–84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 391/85]

(ग) (एक) पश्चिमी बंगाल वन विकास निगम मर्यादित, कलकत्ता के वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिमी बंगाल वन विकास निगम मर्यादित, कलकत्ता के वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन* (हिन्दी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 392/85)

*अंग्रेजी संस्करण 8–5–1978 को सभा पटल पर रखा गया था।

सार्वजनिक ऋण जारी करने के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सार्वजनिक ऋण जारी करने के बारे में 28 जनवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(5)-डब्ल्यू एंड एम/84 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 393/85]

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली; गांधी दर्शन समिति नई दिल्ली, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के प्रतिवेदन तथा समीक्षाएं आदि

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 394/85]

(2) एक) गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 395/85]

(3) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 396/85]

(4) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 397/85]

(5) खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 28 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी (प्रशासन) विनियम, 1984, जो 22 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या II-के० बी० एल० रजि० (एडम०)/84 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 1984, जो 22 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या II-के० बी० एल० रजि० (बोर्ड मीटिंग)/84 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 398/85]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०, हैदराबाद ; विशाखापटनम इस्पात परियोजना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०, विशाखापटनम की वर्ष 1983-84 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मर्यादित, हैदराबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मर्यादित, हैदराबाद का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 399/85]

(ख) एक) विशाखापटनम इस्पात परियोजना राष्ट्रीय इस्पात निगम मर्यादित, विशाखापत्तनम के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना राष्ट्रीय इस्पात निगम मर्यादित, विशाखापत्तनम का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 400/85]

(ग) (एक) भारत रेफ्रेक्ट्रोज (उच्च तापसह भट्टी) मर्यादित, धनबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रैफ्रेक्ट्रोज (उच्च तापसह भट्टी) मर्यादित, धनबाद का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 401/85]

(घ) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण मर्यादित, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 402/85]

नार्थ ईस्टर्न हैण्डी क्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड शिलांग की वर्ष 1982-83 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन; सिल्क और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्, बम्बई का वर्ष 1983-84 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 403/85]

(3) (एक) सिल्क और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क और रेयन निर्यात कपड़ा संवर्द्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 404/85]

(4) (एक) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 405/95]

(5) (एक) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उपनियम (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसियां, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसियां, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 406/85]

(6) (एक) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद्, एर्णाकुलम, कोचीन के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, एर्णाकुलम कोचीन के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 407/85]

(8) (एक) भारतीय मध्यस्थम परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मध्यस्थम परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 408/85]

(9) एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 409/85]

भारत में भाषायी अल्प संख्यकों के उपायुक्त के जुलाई, 1981, से जून, 1982 तक की अवधि से सम्बंधित प्रतिवेदन तथा रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पूनालूर का वर्ष 1982-83 का प्रतिवेदन और विवरण

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारत में भाषायी अल्प संख्यकों के उपायुक्त के जुलाई, 1981 से जून, 1982 तक की अवधि से संबंधित 22वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रतिवेदन से संबंधित एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 410/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन्स मर्यादित, पुनालूर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) रिहैबिलिटेशन्स प्लांटेशन्स मर्यादित, पुनालूर का वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 411/85]

भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का प्रतिवेदन और समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) भारतीय फार्मेसी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 412/85]

[अनुवाद]

प्रो० सफुद्दीन सोज (बारामुला) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मुझे कुछ और कहना है। मेरा एक व्यवस्य का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन जब आप पीठासीन नहीं थे तो सभा के एक सदस्य ने आरोप लगाया था ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी मुझे जानकारी है । मैंने पहले ही इसे निपटा दिया है ।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : नहीं, श्रीमन्। मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता जबकि मैंने पहले ही कह दिया है कि इसे पहले ही निपटा दिया गया है।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : श्रीमन्, यह नहीं, मैं चाहता हूं कि इसे सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देखेंगे।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : श्रीमन्, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : श्रीमन् कृपया मुझे अपनी बात कहने तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब कहने को क्या बकाया है ?

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : श्रीमन् आपने मेरी बात सुनी ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सुन ली है।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : मेरी बात सुने बिना ही आप अपना निर्णय कैसे दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है ? आपने सभा में आरोप लगाने के बारे में जिक्र किया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, कम से कम हमें यह तो पता लगना चाहिए कि आपने किस विषय पर निर्णय दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है। वह उसे समझ गये हैं। उन्होंने कहा है कि सभा में एक माननीय सदस्य ने किसी पर आरोप लगाये हैं और मैंने कहा है कि मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : श्रीमन् वह नहीं। आपने मेरी बात सुनी ही नहीं है। कुछ दिन पहले जब आप पीठासीन नहीं थे तो सभा में सत्तर पक्ष के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था कि सातवीं लोकसभा में एक दिन चर्चा के दौरान विपक्ष ने आनन्दपुर साहिब संकल्प का समर्थन किया था।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई कार्यवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह एक महत्वपूर्ण बात है। श्री गिरधारी लाल व्यास ने ऐसा कहा था।

प्रो० मधु दण्डवते : यह विषय आपके पास भी भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा और विचार करूंगा।

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या माननीय गृह मंत्री जासूसी कांड के बारे में वक्तव्य देंगे ? हर रोज किसी न किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। अगर उन्होंने कुछ और जानकारी देनी होगी तो वह वक्तव्य देंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक सूचना दी है। मैं नहीं जानता कि क्या इसे स्वीकार किया गया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। श्री हरीश रावत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कह दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा। कृपया बैठ जाइये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यवाही वृत्तांत देखना होगा। अब आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है। मैंने पहले ही इसे नोट कर लिया है, मैंने पहले ही इसे कर दिया है। बैठ जाइए। अब आप अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइए, हां, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमने जासूसी कांड के बारे में मामला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही कर दिया है। अगर कुछ और जानकारी देनी होगी तो दे दी जायेगी। मैं देश की रक्षा को अहित पहुंचाने वाली किसी भी बात की अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस बारे में सचेष्ट हूं। हम जो कुछ भी सम्भव है कर रहे हैं और जब भी उन्हें कुछ और कहना होगा, वे वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आप सभा के संरक्षक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, हूं। मैं अपना कर्त्तव्य निभा रहा हूं। अब आप बैठ जाइये। अपनी सीट लीजिए।

(व्यवधान)

श्री० मधु दण्डवते : श्रीमन् आज आप पिछली बातों पर गुस्सा दिखा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्रीमन्। आपकी दृष्टि काफी पैनी है। आप हर बात को पकड़ लेते हैं।

11.11 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ तथा चमोली जिलों के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी एवं धारचूला तथा चमोली में जोशीमठ तथा जोनसार क्षेत्र के कुछ भागों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने भी इस आशय की मांग कई बार उठाई है। इन दोनों में समान आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं परिवेश वाली कुछ जातियों को जनजाति घोषित किया गया है।

कुछ जातियों जैसे जनवाल, कुथलिया, वोरा, गन्धर्व आदि को जनजाति नहीं माना गया है। प्रदेश सरकार इस आशय की संस्तुति केन्द्र को भेज चुकी है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जनजाति क्षेत्र घोषित होने के लिए वर्तमान मानकों को शिथिल किया जाये तथा इन क्षेत्रों में रहने वाली कुछ जातियों को शीघ्र जनजाति घोषित किया जाए।

(दो) 20 सूत्री कार्य-क्रम के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में नये आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बीस-सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भूतपूर्व स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में प्रखण्ड स्तर से लेकर बैंक स्तर तक इतना भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैल गया है कि जिनके लिये यह कार्यक्रम बनाया गया था, उन लोगों को उसका आंशिक लाभ हुआ। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात कागज में ही रह गई। इस कार्यक्रम में सरकार ने केवल आंशिक सफलता प्राप्त की है। पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के नौजवान प्रधान मंत्री को कारगर कदम उठाना चाहिये। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर, से जिला स्तर तक उन व्यक्तियों की कमेटियां बनायी जायें जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले हैं।

[अनुवाद]

(तीन) पी० जे० टैक्सटाइल मिल्स तथा यमुना मिल्स को सरकारी अभिकरणों के माध्यम से नियमित रूप से धन देने की आवश्यकता

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : श्रीमन् सरकारी एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से धनराशि न दिये जाने के कारण पं० जे० टेक्सटाइल और यमुना कपड़ा मिलें कठिनाई का सामना कर रही हैं।

यमुना मिल की तरफ 188, 149.00 रु० भविष्य निधि के बकाया हैं। अगर बैंक गारंटी हटा दी जाए तो मिल किस्तों में इसको चुकाने में तैयार है।

दोनों मिलों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, कि वे भविष्य निधि की इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। यही हाल कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के बारे में है, दोनों मिलें पिछले दो-तीन वर्षों से इसका भुगतान करने में असमर्थ रही हैं। बन्द होने से पहले यमुना मिल को 20,000 रु० दिया गया था।

मिलों को सूत और कपड़े पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। कम से कम दो वर्षों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उगाही बन्द कर देनी चाहिए।

पी० जे० कपड़ा मिल से पिछले वर्ष जो जनता कपड़ा खरीदा गया था उसके लिए भी मिल को भुगतान नहीं किया गया है। मजदूर आधे वेतन पर काम कर रहे हैं और बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जब से सूत तैयार करने वाली इकाई बन्द हुई है, उनके बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मिल मजदूरों के हित में तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए ताकि उन्हें व उनके परिवारों को भुखमरी से बचाया जा सके।

(चार) बालासौर में एक अल्प शक्ति टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासौर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा राज्य के बालासौर जिले को प्राय: प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है । इस जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 35 प्रतिशत से अधिक है । भारत सरकार ने इसे उद्योग रहित जिला घोषित किया है । कई एक बड़े, मध्यम और छोटे लघु क्षेत्र के उद्योग यहां स्थापित हैं और कई उद्योग स्थापित हो रहे हैं । रक्षा मंत्रालय 300 करोड़ रु० की लागत से इस जिले में एक राष्ट्रीय टेस्ट रैंज स्थापित करने जा रही है । विश्व में यह दूसरी सबसे बड़ी इकाई होगी । यही नहीं, अंग्रेजों के जमाने से एशिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रूफ और प्रायोगिक संगठन जो कि इस जिले में कार्य रहा है, उसका काफी विस्तार किया गया है । लेकिन यह हैरानी और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सभी वर्गों द्वारा कई बार यह मांग करने के बावजूद कि जिला मुख्यालय, बालासौर में एक कम शक्ति वाला दूरदर्शन पारेषण केन्द्र स्थापित किया जाए, सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है । मंत्रालय का तर्क यह है कि कटक में प्रस्तावित उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन पारेषण केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत बालासोर के भी कुछ भाग आ जाएंगे । लेकिन इस प्रस्ताव पर भी अभी कार्यवाही नहीं की गई है । मगर कटक में 10 किलोवाट वाला दूरदर्शन पारेषण केन्द्र स्थापित भी हो जायेगा तब भी बालासोर जिले की प्रतिशत आबादी को भी लाभ नहीं मिल सकेगा । इससे बालासौर जिले के भद्रक और निलिगिरी उप-मण्डलीय मुख्यालयों और बालासोर जिला मुख्यालय को इसका लाभ-मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता । बालासौर नगर में एक सूक्ष्म तरंग टावर है एक अलग टावर स्थापित करने तक इसका प्रयोग बालासौर में कम शक्ति वाले दूरदर्शन पारेषण केन्द्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है ।

इसलिए, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही बालासौर में 2 किलोवाट का दूरदर्शन पारेषण केन्द्र स्थापित किया जाये । इससे कई लाख लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग पूरी होगी ।

(पांच) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की आवश्यकता

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : श्रीमन् विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना प्राधिकारियों को इस्पात संयंत्र से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 25,780 एकड़ भूमि चाहिए थी । 20,000 एकड़ भूमि अर्जित कर उन्हें हस्तांरित करदी गई है । इसके फलस्वरूप परियोजना के प्रथम और दूसरे चरण में करीब 12,000 परिवार विस्थापित हो गये हैं ।

इस तथ्य के बावजूद कि सरकार की नीति यह है कि विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाये, अब तक इन 12,000 परिवारों में से केवल 1,276 परिवारों को ही रोजगार दिया जा सका है । जबकि कई वर्ष पहले वे अपने घरों और भूमि से हाथ धो बैठे हैं । इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों ने 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । भारत सरकार के स्पष्ट आश्वासन के बावजूद बाकी बचे 7,000 लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है । इन विस्थापित लोगों को निकट भविष्य में रोजगार दिलाने की कोई योजना भी नहीं है । चर्चा के दौरान इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों ने इस बारे में मैं कुछ भी आश्वासन देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है कि इन 5,000 लोगों को इस्पात संयंत्र में कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

इन परिस्थितियों में विस्थापित लोग काफी उत्तेजित हैं । मैं अनुरोध करता हूं कि इससे पहले कि स्थिति गम्भीर हो, लोग दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठायें इस समस्या को संतोषजनक तरीके से सुलझाया जाये ।

(छः) भुवनेश्वर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : पूर्वी भारत खासकर उड़ीसा में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग का अभाव है । भारत सरकार ने देश में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग की स्थापना के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने का निश्चय किया था । इस दिशा में भुवनेश्वर में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन कारखाने की स्थापना करने से क्षेत्रीय असंतुलन को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा।

इस टेलीफोन उद्योग के लिए भुवनेश्वर एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है । यहां न केवल आधारभूत ढांचा ही उपलब्ध है बल्कि यहां की जलवायु भी किसी प्रकार के इलैक्ट्रोनिकी उद्योग को स्थापित करने के लिए अनुकूल है । क्योंकि राज्य इलैक्ट्रोनिकी उद्योग में पिछड़ा हुआ है । इसलिए भुवनेश्वर में इसे स्थापित करने से, इसके आसपास कई एक सहायक इलैक्ट्रोनिक उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी और इस तरह चंडाका क्षेत्र में नामिक उद्योगीकरण करने में मदद मिलेगी ।

उड़ीसा राज्य सरकार काफी समय से राज्य में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने की मांग करती रही है । इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे शीघ्र निर्णय लें और भुवनेश्वर में तुरन्त ही एक इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करे।

(सात) नागरकोइल में एक अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : कन्याकुमारी जिले तथा निकटवर्ती क्षेत्रों को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। कन्याकुमारी जिले में बड़ी संख्या में टेलीविजन लगे हुए हैं। त्रिवेन्द्रम से या कोडाई कनाल से जो प्रसारण होता है, रास्ते में विशेष प्रकार की पहाड़ियां आदि होने के कारण कन्याकुमारी जिले को उस से पूरी तरह लाभ नहीं मिलता। अतएव इस क्षेत्र के दर्शकों के पास श्रीलंका के प्रसारण देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन श्रीलंका के हाल ही के प्रसारणों के प्रतिकूल प्रभाव तथा देश को होने वाली क्षति से बाध्य होकर दर्शकों ने उस देश के प्रसारण देखने बन्द कर दिए हैं । सरकार त्रिवेन्द्रम में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने का विचार रखती है, जिससे इस समय वहां पर लगा कम शक्ति का ट्रांसमीटर बेकार हो जाएगा । इसलिए दर्शकों की मौजूदा कठिन अनुभव तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उचित ही है कि कम शक्ति के ट्रांसमीटर को नगरकोइल में लगा दिया जाए। देश के दक्षिणी भाग के अन्तिम कोने में स्थित नागरकोइल में उपरोक्त ट्रांसमीटर के लग जाने से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी तथा साथ ही कन्याकुमारी आने वाले अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लाभ मिलेगा।

इसलिए, नागरकोइल में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने के लिए सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिएं ।

(आठ) बंगलादेशियों द्वारा डकैती तथा पशु उठाये जाने की घटनाओं को रोकने के लिये पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिनाजपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारत-बंगला देश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

डा० गुलाम यजदानी (रायगंज) : बंगला देश की सीमा के निकट स्थित पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले के चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपुकार, रायगंज और कलियागंज थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अरक्षित स्थलों से रात के समय बंगला देश के लोग घुस आते हैं और वहां पर समाज विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, भारतीय ग्रामीणों के घरों में डकैती डालते हैं और उनके माल और पशुओं को उठाकर ले जाते हैं । बंगला-देशियों के गिरोहों द्वारा पशुओं को उठाकर ले जाने की घटनाएं प्राय होती रहती हैं । सीमा सुरक्षा बल की चौकियां काफी दूर पर स्थित हैं और रात के समय उनकी गश्त इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए । इस प्रकार बंगलादेशी बिना किसी रोक के सीमा के इस पार आ सकते हैं तथा लूटी हुई सम्पत्ति को लेकर सुरक्षित वापस भी जा सकते हैं । सीमा पर कुछ स्थानों से बंगला देश के तस्करों के आने पर कोई रोक नहीं है । बंगलादेश के ये गिरोह भारतीय सीमा में 3-4 किलोमीटर तक घुस आते हैं और पशुओं व अन्य सम्पत्ति को लूटकर ले जाते हैं । भारत की सीमा के आस-पास रहने वाले लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित व असहाय महसूस करते हैं । क्योंकि पुलिस उनकी जान-माल व पशुओं की सुरक्षा नहीं कर सकती । बंगलादेशियों द्वारा इन समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त चौकियां स्थापित की जानी चाहिएं या दूसरा विकल्प यह है कि सीमा सुरक्षा बल की दो चौकियों के बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कैम्प स्थापित किए जाने चाहिएं । सीमा सुरक्षा बल की चौकियों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए तथा समूची सीमा पर रात के समय निरंतर गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान जनता की इस विकट समस्या की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कदम उठाएं ।

(नौ) रांची जिले में कार्यरत कोयला मजदूरों के सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की तलचेर यूनिट में स्थानान्तरण को रोकने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (बिगढ़) : श्रीमन कुछ दिन पहले जब मैं तलचर में था तो मुझे बताया गया कि बिहार के रांची क्षेत्र में कार्यरत लगभग 1200 कोयला मजदूरों को स्थायी तौर पर सैन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के तलचर एकक में भेजा जा रहा है । इससे वहां के स्थानीय कोयला मजदूरों के बेरोजगार बच्चों तथा स्थानीय बेरोजगार युवकों के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा कोयला मजदूरों में आक्रोश बढ़ रहा है । इस क्षेत्र में कोयला खानों का विस्तार करने के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले में अपर्याप्त मुआवजा दिए जाने के कारण तथा विस्थापित लोगों को नौकरियां दिए जाने के आश्वासन को पूरा न करने के कारण पहले ही असंतोष व्याप्त है । इसके अतिरिक्त आई बी घाटी तथा तलचर क्षेत्र की विशाल कोल-फील्ड को मिलाकर उड़ीसा में एक पृथक प्रभाग की स्थापना करने की बजाए इस एकक को सी० सी० एल०, जिसका मुख्यालय रांची में है के अधीन रखने पर भी काफी असंतोष है । इस पृष्ठ भूमि में लगभग 1200 मजदूरों को रांची से तलचर भेजने का निर्णय जले पर नमक छिड़कने के बराबर होगा ।

अतएव, मैं माननीय इस्पात खान और कोयला मंत्री का ध्यान उपरोक्त शिकायतों की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाया जाएं ।

(दस) आलू का निर्यात करने तथा पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों को समर्थन मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : देश के कुछ अन्य भागों की तरह पश्चिम बंगाल में भी आलू का उत्पादन पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़कर सर्वाधिक होने की आशा है ।

तथापि, बहुत सीमित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण तथा इस कारण से कि इस विशाल उत्पादन के केवल एक छोटे से भाग का ही आंतरिक उपयोग किया जा सकता है, आलू उत्पादकों की अपने भविष्य की गम्भीर चिन्ता है । यद्यपि अभी आलू मंडी में पहुंचना आरम्भ नहीं हुआ है, इसके मूल्य अभी से ही काफी गिर गए हैं । आलू का मौजूदा मूल्य एकदम गिरकर 45 रुपए प्रति क्विंटल के चिन्ताजनक निम्न स्तर पर पहुंच गया है।

इन परिस्थितियों में आलू उत्पादकों को संरक्षण देने का केवल एक ही तरीका रह गया है कि आलू के निर्यात के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों से पता चला है कि जापान जैसे देश 4.5 करोड़ टन या इससे भी अधिक आलू खरीदने के इच्छुक हैं ।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के आलू उत्पादक किसानों को बचाने के लिए तुरन्त निम्नलिखित कदम उठाए जाएं:—

(क) राज्य सरकारों को आवश्यक धनराशि देकर उनके माध्यम से आलू उत्पादकों को समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने की तुरंत व्यवस्था की जाए ।

(ख) आलू का निर्यात करने की तुरन्त व्यवस्था की जाए ।

(ग्यारह) लोरिया (पश्चिम चम्पारन, बिहार) में एस०के०जे० चीनी मिल को पुनः चालू करने तथा उसके कर्मचारियों एवं गन्ना उत्पादकों की बकाया राशियों का भुगतान करने की आवश्यकता

श्री भोला राउत (बगहा): पश्चिम चम्पारन (बिहार) जिले के लोरिया में एस० के० जे० सूगर नामक एक चीनी मिल है, जिसमें लगभग 3,000 लोग काम कर रहे हैं। यह चीनी मिल पिछले छः महीने से बन्द पड़ी है और इसके कर्मचारी बेकार हो गए हैं । मिल की ओर उनका पांच मास का वेतन बकाया है । जिन गन्ना उत्पादकों ने इस कारखाने को गन्ना सप्लाई किया है, उनका मिल की ओर पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्ष से लगभग $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया बकाया है ।

पांच मास से कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण उनकी दशा दयनीय हो गई है और कुछ ऐसी ही दशा उन गन्ना उत्पादकों की है जिनका पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्ष से बकाया देय है ।

सरकार को चाहिए कि इस चीनी मिल के कार्य-कलापों पर गम्भीरता से विचार करे तथा मालिकों से कर्मचारियों व गन्ना उत्पादकों के बकाया का भुगतान करवाए । कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा ।

[हिन्दी]

(बारह) पूर्णिया (बिहार) में एक पुलिस उप-महानिरीक्षक का पद सृजन करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मुझे गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, से कहना है कि पूर्णिया-जिला नेपाल, पाकिस्तान एवं बंगला देश वगैरह कई राष्ट्रों की सीमाओं पर स्थित है । यहां इन देशों के असामाजिक तत्वों एवं विदेशियों की घुसपैठ बराबर बनी रहती है ।

बगल में नेपाल होने के कारण स्मगलर्स का भी अड्डा-सा बन गया है। बंगला देश से वहां के लोग मवेशियों की चोरी यहां आ कर करते हैं।

पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्य बगल में हैं जिस से वहां के लोग यहां आराम से डकैती, खून, वगैरह जैसा क्राइम करते रहते हैं एवं तरह-तरह के हथियार वगैरह भी यहां लाकर बेचते हैं।

अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णिया में डी० आइ० जी० पुलिस के पद की स्थापना अत्यन्त अनिवार्य है।

गृह राज्य मंत्री से मैं निवेदन करती हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जल्द से जल्द दें जिससे कि पूर्णिया की जनता को कुछ राहत पहुंचे।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

(तेरह) पश्चिम बंगाल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की क्रियान्विति में अनियमितताएं

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : पश्चिम बंगाल में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गम्भीर अनियमितताओं के फलस्वरूप गरीबों के लिए समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को चाहिए कि तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की जाए और इस विषय में उपयुक्त कार्यवाही की जाए। गरीबों की सहायता के वितरण में राजनीतिक भेद-भाव दूर होना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्हें यहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मामला यहां उठाने की अनुमति क्यों दी गई है?

(चौदह) माल-भाड़ा समकरण योजना की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय भाड़ा एक समान बनाने के प्रश्न पर और उद्योगों की स्थापना तथा क्षेत्रीय विकास के प्रश्न पर उसके प्रभाव पर मराठे समिति ने विचार किया था। इसके बाद श्री बी० डी० पांडे की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भी भाड़ा एक समान करने तथा इसे आम उपभोग की वस्तुओं पर भी लाग् करने की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार किया था।

ऐसी सूचना मिली थी कि औद्योगिक वस्तुओं के सम्बन्ध में भाड़ा एक समान करने की योजना को चरणों में समाप्त करने की पांडे समिति की सिफारिश को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया था परन्तु उसे अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है।

यदि भाड़ा एक समान करने की योजना का लोहा, इस्पात, सीमेंट, पैट्रोलियम उत्पाद और कोयले के सम्बन्ध में अनुसरण किया गया और कुछ मदों के सम्बन्ध में अलग-अलग भाड़ा जारी रहा तो इससे पूर्वी राज्यों सहित पश्चिम बंगाल को घाटा होता रहेगा।

चुनींदा कच्चे माल पर भाड़ा समान करने की योजना समाप्त की जानी चाहिए, जैसा कि पांडे समिति का सुझाव था या गई, औद्योगिक अल्कोहल जैसे राष्ट्रीय महत्व के कच्चे माल राज्यों को नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध किए जाने चाहिएं। समिति कोई की सिफारिश के अनुसार आम उपयोग की वस्तुएं सारे देश में एक समान मूल्य पर सप्लाई की जानी चाहिएं।

(पन्द्रह) केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की समस्याओं को हल करने के लिये अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के साथ बातचीत करने की आवश्यकता

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष, महोदय, ऐसा समाचार है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संगठन अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल और अन्य प्रकार के आन्दोलन करने जा रहा है । यदि उन्होंने ऐसा आन्दोलन छेड़ दिया तो बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर होने के कारण पूरे देश में 500 केन्द्रीय विद्यालयों के तीन लाख छात्रों की शिक्षा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा ।

उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर केन्द्र सरकार और अध्यापक संगठन के बीच शीघ्र बातचीत होनी चाहिए शिक्षा मंत्री को इस विषय में पहल करके उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि इन उदाहरण प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई खराब न होने पाए ।

(सोलह) मारुति कारों की काला बाजारी के समाचार की जांच करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर) : चिर-प्रतीक्षित मारुति कार बाजार में आ गई है लेकिन इससे काले धन को बढ़ावा मिला है । ऐसा मालूम हुआ है कि इस कार को 30 से 40 हजार रुपये के लाभ (प्रीमियम) पर बेचा जा रहा है और इससे करोड़ों रुपये के मूल्य का काला धन बढ़ता जा रहा है । असामाजिक तत्व काले धन से धनी होते जा रहे हैं। विद्यमान नियमों के अंतर्गत सरकार असहाय होकर स्थिति को देख रही है, इन कारों की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं है । कई मामलों में, इच्छुक पार्टियां आवंटन पत्रों के आधार पर सीधे ही डिलीवरी ले लेती हैं। यदि सरकार आवंटन पर उसके द्वारा कार खरीदे जाने के दो-तीन वर्षों के भीतर इसकी पुनःबिक्री पर रोक लगाने में असमर्थ है तो उन्हें कम से कम आय कर विभाग को यह कहना चाहिए कि वह इस बात की जांच करें कि मूल आवंटी और खरीददार व्यक्ति दोनों की आय के स्रोत क्या हैं तथा बेनामी बिक्री में भी ये क्रेता और विक्रेता कौन हैं और वे ऐसे घोटाले कैसे कर रहे हैं। सरकार को शीघ्र इस सारे काले धन का पता लगाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मारुति गाड़ियों के मामले में, मूल आवंटी उस पर 50 हजार से 60 हजार तक लाभ ले रहे हैं । आरम्भ के दो वर्षों में इन कारों का स्थानान्तरण रोकने संबंधी कोई विनियम बनाया जाना चाहिए । यहां तक कि बेनामी सौदों पर भी आय कर विभाग की स्वीकृति ली जानी चाहिए । अब उपयुक्त समय है जब कि इस तरीके से पैदा हो रहे काले धन के प्रश्न पर विचार किया जाये तथा दोषी एवं असामाजिक तत्वों को दंड दिया जाए ।

(सत्रह) जीवन बीमा निगम का एक प्रभागीय कार्यालय श्रीनगर में स्थापित करने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : एक समस्या ऐसी है जिसका समाधान वित्त मंत्री आसानी से कर सकते हैं। वित्त मंत्री को यह पता होना चाहिए कि भारत के प्रत्येक बड़े शहर में जीवन बीमा निगम के कई मंडल कार्यालय हैं और इन कार्यालयों में बहुत बड़ा कारोबार होता है जिसमें पालिसी धारियों को ऋण देना भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 10 कार्यालय हैं और इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी हैं। भारत में शायद केवल जम्मू और कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहां जीवन बीमा निगम का विभागीय कार्यालय नहीं है। काश्मीर के पालिसी धारकों को, जिनके मामलों की शिफारिश जीवन बीमा निगम की श्रीनगर

शाखा कार्यालय करता है, श्रीनगर से जालंधर आकर अपने मामले को तय कराना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दशा और भी शोचनीय है। मुझे बताया गया है कि दूरी के कारण कई भावी ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को जीवन बीमा निगम के ऋणों पर लाभ नहीं मिलता जो कि आसान शर्तों पर उपलब्ध होता है। इसका परिणाम यह होता है कि इसका लाभ केवल व्यापारी समुदाय के एक वर्ग को होता है जिन्होंने इस रियायत पर एकाधिकार कर लिया है। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस असंगति की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इसकी ओर ध्यान देंगे तथा जीवन बीमा निगम को श्रीनगर (काश्मीर) में एक मंडल कार्यालय खोलने के लिए कहेंगे।

(अठारह) बोकारो से वायरलैस सिगनल बुक की चोरी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : बोकारो से एक वायरलैस सिगनल पुस्तिका की चोरी हो जाना एक गंभीर मामला है। इस पुस्तिका में रक्षा संबंधी मामलों, सेना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं। ऐसी ही चोरियां पहले भी तीन बार हो चुकी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसी चोरियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

[हिन्दी]

(उन्नीस) राजस्थान के गंगानगर जिले में रेल लाइन पर फाटक बनाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांवों के रास्तों पर रेलवे क्रासिंग नहीं हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ग्रामीणों को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे नवां गांव, त० हनुमानगढ़ की आबादी से हनुमानगढ़ संगरिया रोड़ के नवां बस स्टैंड पर आवागमन हेतु हनुमानगढ़ भटिण्डा रेलवे लाइन पर तथा हनुमानगढ़ सालपुर रेलवे लाइन पर हनुमानगढ़ से टी0बी रोड़ से गांव नन्दराम की ढाणी एवं गांव झाम्बर के लिए और इसी प्रकार से पूरे जिले में गांवों के रास्तों पर रेलवे क्रासिंग बनाये जाने की अविलम्ब व्यवस्था करें ताकि रेलवे दुर्घटनाओं को रोका जा सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(बीस) त्रिपुरा में कागज के एक कारखाने की स्थापना करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा में बांस और इमारती लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। त्रिपुरा सरकार ने वहां बांस के प्राकृतिक जंगलों की अधिकता, मान नदी से पर्याप्त पानी की उपलब्धता और नदी के रास्ते कच्चे माल भेजने के लिये परिवहन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फातिकरे में कागज मिल की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त रेल लाइन को कुमारघाट तक बढ़ाने का काम जारी है और वह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। अतः परियोजना के लिए भूमि, कच्चा माल और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। परियोजना के प्रतिवेदन में भी त्रिपुरा में कागज मिल की स्थापना के लिए कहा गया है। इसके लिए आवश्यक पत्र भी जारी किया गया लेकिन बाद में यह रद्द कर

दिया गया । चूंकि त्रिपुरा एक पिछड़ा और अविकसित क्षेत्र है, इसलिए यहां कागज मिल की स्थापना की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता । त्रिपुरा में बेरोजगारी की समस्या बड़े पैमाने पर व्याप्त है और पहले ही 90 हजार शिक्षित युवा रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करा चुके हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिसमें कछार क्षेत्र भी शामिल है, चार कागज मिलों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की है । आशंका यह है कि त्रिपुरा में उपलब्ध प्राकृतिक वन संसाधनों का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य स्थानों पर लगाई गई कागज मिलों में किया जाएगा और इस प्रकार से त्रिपुरा में कागज मिल लगाए जाने का आधार ही समाप्त हो जाएगा । मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में एक कागज मिल लगायी जाए तथा त्रिपुरा जैसे छोटे और पिछड़े राज्य के लोगों की चिंता दूर करें ।

(इक्कीस) जम्मू और काश्मीर में बिजली की कमी

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : इस शरद ऋतु में जम्मू और कश्मीर में बिजली का बहुत अभाव रहा है, वहां लगातार बिजली नहीं रहती । हस्तशिल्प उद्योग के अलावा कश्मीर घाटी के औद्योगिक इकाइयों का काम बंद हो गया है जिससे न केवल सामान्य जीवन और छात्रों की परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी हो रही है अपितु राज्य की समूची अर्थ व्यवस्था बिगड़ रही है । इससे कारीगर और छोटे उद्योगपति बेरोजगार हो गए हैं । इस वर्ष जम्मू और कश्मीर में बिजली सप्लाई में अत्याधिक कमी आई हैं ; वहां पर कुल जरूरत की केवल 18 प्रतिशत बिजली ही मिल रही है जिससे उत्तरी ग्रिड से मिल रही विद्युत भी शामिल है । बिजली के वर्तमान संकट के कारण पर्यटन का धंधा बिलकुल चौपट हो गया है ।

केन्द्र को अवसर के अनुकुल कार्यवाही करनी चाहिए, और उत्तरी ग्रिड से विद्युत सप्लाई में वृद्धि करके राज्य को वर्तमान विद्युत संकट में सहायता देनी चाहिए ताकि उनकी कठिनाइयां कम हो सकें । साथ ही केन्द्र को उड़ी, डूलहस्ती और राज्य में अन्य बिजली परियोजनाओं के लिए धन देकर उन पर निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए ।

राज्य की बिजली क्षमता अच्छी है । यदि इसकी नदियों के स्रोतों का उचित प्रयोग किया जाए तो इससे राज्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के अतिरिक्त देश में अन्य जगह पर भी प्रचुर मात्रा में बिजली प्रदान की जा सकती है ।

[हिन्दी]

(बाईस) बिहार में नवादा में एक टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री कुंवर राम (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, (नवादा बिहार) जिला की आबादी करीब 14 लाख है । वहां की जनता दूरदर्शन से लाभान्वित अभी तक नहीं हो पाई है । अतः अनुरोध है कि विशेष दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत नवादा में एक टेलीविजन ट्रान्समीशन टावर इस वर्ष 1985 में दिया जाए । इस संबंध में सरकार की नीति भी है कि भारत वर्ष के अधिक से अधिक लोग दूरदर्शन से लाभान्वित हो सकें ।

(तेईस) मुरादाबाद चंदौसी रेल लाइन पर मुरादाबाद के निकट एक उपरिपुल के निर्माण को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद रेल मंडल के अन्तर्गत मुरादाबाद से चन्दौसी सहारनपुर-रामपुर आदि जाने के लिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे पुल बनाया जाना था, जो गत

पांच वर्षों से अधिक समय से प्रस्तावित होकर लम्बित है। इस रेल पुल के अभाव में जन-साधारण को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह तो वे लोग जानते हैं। घन्टों रेल फटक बन्द रहने से जनसाधारण का काम रुक जाता है, समय की क्षति अलग होती है। इसलिए जनसाधारण की इस उचित मांग को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब इस रेल ऊपरी पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ कर असुविधा को दूर करने की सरकार कोशिश करे।

11.44 म० पू०.

संविधान (52वां संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ए० के० सेन बोलेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक से हमारी चिर प्रतीक्षित आकांक्षाएं, जो कि चौथी लोक सभा के निर्वाचन के समय से की गयी थी, पूरी होती है। सदन को याद होगा कि 1967 में चौथे आम चुनावों के बाद दल-बदल की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया था, जिस संबंध में मेरे पास आंकड़े हैं, और आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा 1967 तक केवल लगभग 400 लोगों ने दल-बदल किया था जबकि 1967 के चुनावों के पश्चात् 1 ही वर्ष में, 500 लोगों ने दल-बदल किया, जिनमें से 118 व्यक्ति ऐसे थे जो केन्द्रीय मंत्री अथवा राज्य मंत्री बन गए। लोकतंत्र की परंपराओं को बनाए रखने तथा राजनीतिक व्यवहार के कुछ मानदंड निश्चित करने की दृष्टि से यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि सदन को याद होगा कि स्वर्गीय श्री वाई० वी० चव्हाण की अध्यक्षता में 1967 में एक दल-बदल समिति गठित की गई थी जिसमें श्री दफ्तरी, श्री सिरवई जैसे विख्यात न्यायविद तथा संसद के कुछ निर्दलीय एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की और जब संविधान (संशोधन) विधेयक, 1973 में पहली बार पुरःस्थापित किया गया तो उन सिफारिशों पर विचार किया गया तथा पहली बार उस विधेयक में ऐसे दृष्टिकोण पर विचार किया गया जिसे "आयाराम गयाराम" की संज्ञा दे दी गई। लोग किसी उचित सिद्धान्त के कारण दल नहीं बदलते अपितु मुख्यतया अवसरवादिता से प्रेरित होकर, या राजनीतिक लाभ अथवा निजी लाभ के लिए दल बदल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में इस घटना पर पहली बार 1967 में ध्यान दिया गया और दल बदलने की समस्या कुछ राज्यों में कांग्रेस दल की पराजय के पश्चात ही आरंभ हुई। छोटे-छोटे दल बनने, जो कि केवल सरकार बनाने के उद्देश्य से एक हो गए थे और जिनका विलय होने का कोई राजनैतिक सिद्धान्त नहीं था, के संबंध में यही कहा जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को यह श्रेय दिया जाना चाहिए। 1967 तक जब तक राज्यों में जिनमें पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल है, कांग्रेस दल सत्ता में रहा तब तक "आयाराम गयाराम" की प्रायः कोई समस्या नहीं थी। हमने देखा 1968 के पश्चात पश्चिम बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों में दल बदलने की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया। जैसा कि हमने कहा : "चोला बदलने की कला शुरू हो गई है।"

तब तक चोला बदलने का नाटक शुरू हो चुका था तथा सभा के सभी पक्ष तथा सभी वर्गों के लोग इस पर सर्वसम्मत थे कि जब तक हमारी राजनीति से यह समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती, इससे न केवल हमारे लोकतंत्र को बदनामी मिलेगी बल्कि

संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त यह हमारी परिपक्व और स्वस्थ्य राजनैतिक परंपराओं के भावी विकास को जो हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाए हुए हैं, नष्ट कर देगी। क्या कारण है कि संसदीय लोकतंत्र पूरे विश्व में, समूचे औपनिवेशिक विश्व में, अफ्रीका में, सुदूर पूर्व के देशों में— म दलों के नाम बताना नहीं चाहता—हमारे निकट के देश पाकिस्तान तथा बंगलादेश में असफल क्यों हुआ है? क्या कारण है कि इस तथ्य के बावजूद कि 1967 तक सत्तारूढ़ दल को न केवल केन्द्र में बल्कि राज्यों में भी व्यापक बहुमत प्राप्त था, पूरे विश्व में, समूचे पुराने औपनिवेशिक विश्व में, केवल यहीं देश लोकतंत्र की स्वस्थ्य परम्पराओं को बनाए रखने में सफल हुआ है? इसका केवल एक ही कारण है। मुझे आज भी याद है कि किस तरह पंडित नेहरू पहले विपक्ष की राय लेते थे फिर अध्यक्ष के पास जाते थे। लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करने तथा उनकी प्रतिकूल राय को सहन करने की शिक्षा उस महान नेता ने ही दी थी। और मैंने केवल यहां ही ऐसा नहीं कहा है अपितु हर जगह यही कहा है कि महान नेता के बिना लोकतंत्र कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता। अमरीकी लोकतंत्र की नींव रखने वाले यह जार्ज वाशिंगटन ही थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार प्रत्याशी बनने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने राजतंत्र से संघर्ष नए विश्व में एक अन्य राजतंत्र स्थापित करने के लिए नहीं किया था। यह पंडितजी ही थे जो इतने अधिक अधिकारों को संभाल सके। लोग उनका कहना मानते थे, उन पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास था कि पंडित जी को चाहे जितने अधिक अधिकार दे दिये जाए वे उनका दुरूपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने इनका उपयोग न तो कभी एक राजनीतिक दल के लिए किया और न ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जब उनका निधन हुआ तो लाखों लोगों ने उन्हें राजघाट के समीप श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा विश्व में भी हमारे लोकतंत्र के जनक को श्रद्धांजलि दी गई। मुझे महान विपक्षी नेता, महान सांसद प्रो० हीरेन मुखर्जी, जो भारतीय साम्यवादी दल के नेता थे, के शब्द याद आ रहे हैं—प्रो० रंगा को भी वे शब्द याद होंगे जो उन्होंने अत्यन्त गम्भीरता से उस ओर से कहे थे—यहां एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने विश्व को एक महापुरुष की भांति प्रभावित किया परन्तु अकलीज के विपरीत उन्हें एड़ी पर भी खतरा नहीं था अर्थात वे अजात शत्रु थे। उनके पास इतने अधिक अधिकार थे जितने कभी किसी के पास नहीं रहे फिर भी जब कभी विपक्ष से परामर्श की आवश्यकता थी, उन्होंने विपक्ष से परामर्श किया। यहां एक ऐसा व्यक्ति हुआ,—जिसने अधिकारों का उपयोग अपने लिए नहीं अपितु देश के लिए हमारे लोकतंत्र के लिए किया। अब इन सिद्धान्तों की रक्षा के लिए सभी दलों ने 1967 से 'आयाराम गयाराम' के इस घृणित कार्य को अवैध घोषित करने की शपथ ले ली। यह सच है कि हमने इस मामले में कार्यवाही करने में कुछ देरी की है। मैं दल-बदल संबंधी समिति की कई सिफारिशों से सहमत नहीं हूं। इन सिफारिशों में मैंने देखा कि इन से संभवतः समस्या हल न हो सके। राजनीतिक दल की परिभाषा पुरानी पड़ गई है। समिति ने स्वयं को केवल उन दलों तक सीमित रखा जिन्हें चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं। परन्तु ऐसे कई दल हैं जैसा कि तेलुगु देशम जिन्हें चुनाव से पूर्व चुनाव चिन्ह नहीं मिल सका और फिर भी वे एक दल बन गए। और उनके टिकट पर सदस्य चुने गए।

1973 में इस विधेयक को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तथा बाद में इसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। इस समिति में 60 सदस्य थे। यह विधेयक कभी भी पारित नहीं हो सका। 1977 में लोक सभा की अवधि समाप्त हो गई। 1977 के बाद जनता सरकार सत्ता में आई। वे भी इस विषय पर प्रयोग करते रहे और एक विधेयक लाए जो पुरःस्थापित भी नहीं किया जा सका।

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित मंत्रीमंडल उप समिति ने अपनी सिफारिशों को कभी अन्तिम रूप नहीं दिया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। यह वास्तव में एक ऐसी समस्या है जिसकी व्यापक जटिलताएं हैं। फिर भी यह समस्या बनी रही। इस समस्या को तीव्र गति से हल किया जाना चाहिए था क्योंकि हमारे यहां हर दो या तीन वर्षों के बाद चुनाव हो रहे थे। जब जनता सरकार

अपनी अवधि के बीच में ही टूट गई तो हमें फिर तीन वर्षों के बाद चुनावों का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश मैं सत्तारूढ़ दल का कोई अनुचित लाभ उठाए बिना यह कहना आवश्यक समझता हूं कि.....

श्रीमती गांधी के सत्ता में आने के बाद हमने दल-बदल को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बीच में मत बोलिए। जब वक्त आएगा तब बोल देना।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए। अनुमति नहीं दी जाती है। स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं।

श्री अशोक सेन: मैं दो नए माननीय सदस्यों द्वारा, जो अत्यधिक उत्साहित हैं, डाले जा रहे व्यवधान को महसूस नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं प्रो० सोज़ द्वारा डाले जा रहे व्यवधान को अवश्य ही महसूस करूंगा क्योंकि वह एक अनुभवी सांसद हैं..... (व्यवधान) उन्हें पता होना चाहिए कि व्यवधान भाषण समाप्त होने के बाद डाला जाता है और हम इस संसदीय परम्परा को बढ़ा रहे हैं..... (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला): महोदय, मैं प्रतीक्षा करूंगा।

श्री अशोक सेन: बहुत अच्छी बात है। मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं।

अध्यक्ष महोदय: नियम वह लागू नहीं करते हैं। नियम लागू करने का काम मेरा अर्थात अध्यक्ष का है। यह मंत्री का काम नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़: महोदय, मैं आप के माध्यम से उनके पास पहुंचता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, अब कुछ बात हुई।

श्री अशोक सेन: मैंने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी दल-बदल का शिकार कभी नहीं हुई। दल-बदल का शिकार वे लोग हुए हैं जो आज घायल हैं। हम उनके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि वे दल-बदल करते हैं अथवा वे विघटित होते हैं तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। परन्तु तथ्य यह है .....(व्यवधान) श्री चौबे जी आप पुनः नियम भंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि हमें व्यापक बहुमत मिला है और फिर भी हम दल-बदल निवारण विधेयक लाएं है और हम इसे इसी सत्र में पारित करना चाहते हैं ..... (व्यवधान) यह निराशा की अभिव्यक्ति है जिसके लिए केवल वे लोग ही जिम्मेवार हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): हम इस विधेयक का समर्थन करत हैं।

श्री अशोक सेन: यदि आप समर्थन करते हैं तब आप शान्त रहिए और हमारी बात सुनिए।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुबिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : कल ही दो विधायक नागालैंड पार्टी से टूट कर कांग्रेस (इ) में सम्मिलित हुए हैं..... **(व्यवधान)**

श्री अशोक सेन : हम अपना ध्यान रख सकते हैं आप अपना ध्यान रखिए। महोदय, अब श्री नारायण चौबे जब यह कहते हैं "हम आप की बात सुनेंगे जब आप ठीक बात करेंगे तो वे 'विजर्ड आफ ओज' का अनुसरण कर रहे हैं। 'विजर्ड आफ ओज' से जब 'एलिस इन वन्डरलैंड' द्वारा यह पूछा गया कि ऐसा क्यों होना चाहिए। आप यह क्यों कहते हैं कि यह ठीक है।" उसने कहा, "मैंने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है और यह ठीक है क्योंकि मैंने ऐसा कहा।" अतः जब श्री चौबे यह सोचते हैं कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण है तो यह बुद्धिमत्तापूर्ण है और जब श्री चौबे यह सोचते हैं कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है तो यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। यही तर्क है जिससे हम सहमत नहीं हो सकते **(व्यवधान)** यदि वह बंगला में बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। वह हिन्दी और बंगला दोनों अच्छी तरह बोलते हैं और मुझे उनसे ईर्ष्या है क्योंकि मैं हिन्दी बंगाली की तरह अच्छी प्रकार से नहीं बोल सकता। महोदय, यह स्थिति है और मेरे विचार में यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे दल ने इतना अधिक बहुमत मिलने के बावजूद इसे संसद के पहले सत्र में सबसे पहले इसे अर्थात् दल-बदल निवारण विधेयक को, लाना उचित समझा। जिसका उद्देश्य दल बदल को रोकना है जिसने हम से अधिक हमारी राजनीति को प्रभावित किया है।

इस विधेयक की बुनियादी विशेषता को कुछ शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। हमारा यह विधेयक सभी राजनीतिक दलों पर लागू होगा। हमने इस विधेयक को केवल उन दलों तक सीमित नहीं रखा है जिन्हें निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह और मान्यता मिली हुई है। यदि कोई दल किसी उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करता है और वह उम्मीदवार उस दल के टिकट पर चुना जाता है तो यह उस व्यक्ति को यह अनुमति नहीं होगी कि वह उस दल से त्यागपत्र देकर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए अथवा उस दल के आदेश का सभा में उल्लंघन करे। मुझे यहां यह भी तत्काल स्पष्ट करना है कि पिछले दिनों पैरा 6 के उप पैरा (1) के खण्ड (1) के बारे में कुछ विवाद उठाया गया था। इस में उन व्यक्तियों को आयोग्य करार देने की बात कही गयी है जिन्हें उनका दल सभा से बाहर उनके आचरण के कारण उन्हें दल से निष्कासित कर देता है। मैं माननीय सदस्यों को अभी बताना चाहता हूं कि आम सहमति का सम्मान करते हुए, सरकार न केवल अपने दल में, हुई आम सहमति श्री नारायण चौबे के दल सी०पी एम० सहित अन्य अपितु बहुत से विपक्षी दलों के विचारों को सम्मिलित करने के लिए हम इस उपबन्ध को समाप्त करने हेतु उपयुक्त समय पर एक संशोधन लाने के लिए सहमत हो गये हैं। परन्तु आपके कुछ मित्र इसका स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वे हमसे अधिक दल-बदल से डरे हुए हैं.... **(व्यवधान)**

12.00 मध्याह्न

पैरा 2, उप पैरा (1) (ख) में एक छोटा सा संशोधन किया जाएगा। हम ऐसे व्यक्तियों को आयोग्य करार देना चाहते हैं जो दल के आदेश का, दल के आदेश के विरुद्ध मतदान करके अथवा आदेश के विरुद्ध मतदान में हिस्सा न लेकर, उल्लंघन करते हैं। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें व्यक्ति बीमार हो, गाड़ी देर से आए और वह न पहुंच सके तथा मतदान न कर सके तथा आदेश का पालन न कर सके। ऐसे मामले में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मतदान के समय अनुपस्थित रहा। अतः हम "पूर्व अनुमति के बिना अथवा मतदान अथवा अनुपस्थिति से एक महीने के भीतर राजनीतिक दल अथवा प्राधिकारी द्वारा बाद में माफी दिए बिना" शब्द और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनैच्छिक अनुपस्थिति का, जिसमें व्यक्ति अपने निमंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण सभा में समय पर आकर अपने दल के आदेशानुसार मतदान में भाग नहीं ले सकता, ध्यान रखा जाएगा।

इसका लोप करने के बाद मेरे विचार में इस विधेयक के बारे में और कोई कटु विवाद नहीं रह जाएगा। चूंकि यह विधेयक इस प्रकार का है, और सभी द्वारा स्वीकृत

सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए मुझे आशा है कि इसे सभा में सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। इसका सभा के बाहर लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिससे न केवल भारत के लोग अपितु विश्व के लोग यह जान जाएंगे कि हमारे लोकतन्त्र के वे कौन से ठोस आधार हैं और वे कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें इस देश के लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं। यदि इस विधेयक को सभा में सर्वसम्मति से पारित किया जाता है तो यह विधेयक के लिए सबसे अच्छा प्रमाण-पत्र होगा जो इसमें दिया जा सकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूं इस संबंध में यह स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं कि इस संबंध में विवाद हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति वास्तव में उस दल के टिकट से चुन कर आया था, अथवा क्या उसने वास्तव में आदेश के विरुद्ध मतदान किया अथवा क्या आदेश उसे मतदान से पूर्व प्राप्त हो चुका था । इन सब का निर्णय अदालत पर अथवा निर्वाचन आयोग पर, अथवा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति पर नहीं अपितु संबंधित सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति पर छोड़ा जाता है। ताकि इसका अर्थ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करुंगा ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम नहीं चाहते कि आप कुछ कहें।

श्री अशोक सेन: एक बार निर्णय सभा के नियन्त्रण में न रहा तो अदालत को इस पर फैसला करने में वर्षों लगेंगे क्योंकि उस पर अपील पर अपील होगी और अतीत के दल-बदल निवारण विधेयक की तरह यह मामला किसी को याद नहीं रहेगा । अतः यदि हम वास्तव में काम करना चाहते हैं तो हमें इस गंभीर मामले को निपटाने का अधिकार संबंधित सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति पर छोड़ना होगा जो कि संबंधित सभा के बहुमत से चुना जाता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले इस विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का समय दूंगा ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको इजाजत देंगे, तब बोलना ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अभी बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी पार्टी की तरफ से बोलेंगे ।

प्रो० सफुद्दीन सोज : बोलना दूसरी बात है क्लेरीफिकेशन चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: क्लैरिफिकेशन नहीं होता है । आप उस समय क्लैरीफिकेशन मांग लेना ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री के०पी० उन्नीकृष्णन और सी० माधव रेड्डी ने सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव में संशोधनों की सूचना दी है । मैं देखता हूं कि वे उपस्थित नहीं हैं । अतः मैं श्री भट्टम, श्री रामामूर्ति को बोलने के लिए बुलाता हूं ।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं सभा के समक्ष विचारार्थ इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं ।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मतदान कब होगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अभी सारा दिन बैठिये । हम पुल तभी पार करेंगे जब उसके पास पहुंचेंगे ।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : इस विधेयक पर विचार करने में कितना समय लगेगा ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अभी सारा दिन बैठिए ।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम : जिस भावना से प्रेरित होकर यह विधेयक लाया गया है उससे हम सहमत हैं तथा हमारे संसदीय दल के नेता ने सभी राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री की अनौपचारिक बातचीत के दौरान आपने दल का पक्ष विस्तार से स्पष्ट कर दिया था ।

अब मैं विधेयक के सम्बन्ध में कतिपय बातें कहना चहता हूं । यह कोई सामान्य विधान नहीं है, बल्कि दल बदल पर रोक लगाने के लिये संविधान में संशोधन करने वाला विधान है । इस प्रकार राजनीतिक दलों को समय-समय पर एकत्रित होकर इस विषय पर परस्पर विचार-विमर्श कर किसी प्रकार की सहमति एवं आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि वे अपने दलों के लिये स्वस्थ मानक व सिद्धात स्थापित कर सकें। उन्हें समय-समय पर न केवल स्थिति का मल्यांकन करने तथा परस्पर विचार-विमर्ष करने के लिये एकत्रित होना चाहिए अपितु मतभेद अथवा विभाजनों की स्थिति में शिकायतें प्राप्त करने तथा जब लोग इन प्रतिबन्धों एवं नियन्त्रणों के विरुद्ध हों अथवा जब स्वेच्छा से स्वीकार की गई आचार संहिता के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाए, आपस में मिल कर विचार-विमर्श करना चाहिए । उदाहरण के तौर पर दल-बदल की स्थिति में एक दल दूसरे दल के सदस्य को अपने दल में मिला सकता है । यदि ऐसा किया जाता है तो चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दल की मान्यता अनिवार्य रुप से वापस ले लेनी चाहिए । इस प्रकार के दंड की व्यवस्था तो की जानी चाहिए। अतः इस सभा के समक्ष जो यह विधेयक है उसके क्षेत्राधिकार में यह व्यवस्था होते हुए भी मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि विभिन्न राजनीतिक दलों में इस प्रकार की पारस्परिक सहमति होनी चाहिए ।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष का उल्लेख करना चाहूंगा जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । यदि चुनाव के बाद कोई सदस्य दल बदल कर ता है तो उस आधार पर अयोग्य माना जाता है । पर जब व्यक्तियों का एक समूह दल बदल करता है तो इसे संगठित समूह का षडयन्त्र माना जाएगा । इसे और अधिक खतरनाक माना जाना चाहिए । ऐसे मामलों में उन लोगों को स्वतः अयोग्य माना जाना चाहिए । ऐसे व्यक्तियों को दल बदल के कारण अनर्हता से सम्बद्ध धारा के क्षेत्राधिकार से छूट नहीं दी जानी चाहिए । महोदय, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर पुनः विचार

करें । दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटनाएं देश के अनेक हिस्सों में, विशेष रूप से उन हिस्सों में हो रही हैं जिन राज्यों में कांग्रेस दल की सरकारें नहीं हैं । अभी हाल में आन्ध्र प्रदेश में उपर से किये गये विभाजन के कारण तत्कालीन सतारूढ़ दल का पतन हो गया और उसे सत्ता से बाहर कर दिया गया । उसे सरकार से बाहर आना पड़ा । राज्यपाल के पद का इस्तेमाल कर यह सब किया गया था । अतः मैं यह बात सच्चे हृदय से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की जाए कि राजनैतिक दलों में ऐसा विभाजन न हो जो लोकतन्त्र के हित के विरुद्ध हो । राजनीतिक दल का विभाजन अथवा विघटन अथवा ये ह्रास रोका जाना चाहए । इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हमें आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी । किन्तु ऐसा करने की बजाय हम अप्रत्यक्ष रूप से दल-दल को प्रोत्साहन एवं संरक्षण दे रहे हैं और इसी प्रकार की स्थिति में अनर्ह होने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं । महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है.....**हम दल बदल को संरक्षण दे रहे हैं । ऐसा किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी का नाम न लें ।

श्री एस० एम० बट्टम : अतः पंजाब में तथा कुछ दिन पहले आन्ध्र प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन्हें रोका जाना चाहिए । किन्तु सतारूढ़ दल ऐसी घटनाओं की आवर्ती चाहता है । मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं पुनः नहीं होनी चाहिएं । महोदय, इस उपबन्ध को इस विधेयक में जानबूझ कर रखा जा रहा है ताकि जब भी विपक्ष के किसी राजनीतिक दल की सरकार हो उसे तोड़ा जा सके ।

हम एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं । जब कभी किसी राज्य का मुख्य मन्त्री इस प्रकार के व्यवस्थित विभाजनों से अपना बहुमत खो देता है, उस मामले में मुख्य मन्त्री को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह सभा भंग करवाने तथा नया जनादेश प्राप्त कर सके तथा संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को अपने सद्विवेक के अधिकार का प्रयोग करने तथा मुख्य मन्त्री के साथ असहमत होने का अधिकार नहीं है । किन्तु कतिपय निहित स्वार्थ जो उपर से दल बदल का षड्यन्त्र करवाते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं । मैंने जिस संशोधन की सूचना दी थी उसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि यह उन पक्षों के बारे में है जिनका विचाराधीन विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह राज्यपाल की शक्तियों के बारे में है । अतः उसे स्वीकार नहीं किया गया है । मैं इसका कारण भली भांति समझ सकता हूं । किन्तु फिर भी मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में हम जो प्रश्न उठाना चाहते थे, वे उसकी भावना को समझने का प्रयास करें । अतः राजनीतिक दल में विभाजन को सहन नहीं किया जा सकता और जो व्यक्ति राजनीतिक दलों का विभाजन, विघटन अथवा उन्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता और इसलिए सभा के किसी व्यक्तिगत सदस्य को इस प्रकार स्वतः अनर्ह हो जाना चाहिए । उन्हें संविधान के उपबन्धों इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में हमारा यही अनुरोध है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं । महोदय, वे विभाजन के प्रेरकों को संरक्षण प्रदान करते हैं । मैं तो यह कहूंगा कि यह विधेयक राजनीतिक दलों के विघटन को सतत बनाने के लिए लाया गया है । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है ।

महोदय, अब मैं अध्यक्ष के अधिकारों पर आता हूं । आपके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अध्यक्ष को कतिपय आधारों पर किसी सदस्य को अर्ह करने की आसाधारण एवं अति शक्तियां प्रदान करना इस सभा के हित एवं उच्च परम्पराओं के अनुरूप नहीं है । अतः अनर्हता की शक्तियों का अध्यक्ष द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । अनर्ह घोषित करने का कार्य अध्यक्ष को नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 103 का उल्लेख करना चाहूंगा ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

"(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

अतः इस मामले को राष्ट्रपति को प्रेषित करना होता है। मूल संविधान में यह उपबन्ध है। यहां पर भी राष्ट्रपति किसी विनिश्चय देने के पहले ही कार्यवाही करता है। अनुच्छेद 103 (2) इस प्रकार है

"ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अन्तिम विनिश्चय लेने से पहले ऐसे मामलों में चुनाव आयोग से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाएगा।

अब, राष्ट्रपति के स्थान पर अध्यक्ष को इस विधेयक के अन्तर्गत मामले निपटाने के विशेष अधिकार, असाधारण अधिकार दिये जा रहे हैं। अध्यक्ष सभा के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में सदस्यों के मामले निपटाने के लिए अध्यक्ष की स्थिति मात्र अधिशासी कार्य करने वाले का नहीं बना दी जानी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष को इस प्रकार की उलझन से बचाया जाना चाहिए। अतः मैं इस उपबन्ध विशेष को निकाले जाने तथा सभा द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने का सुझाव देता हूं।

जहां तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष के समक्ष एक विकल्प है अर्थात् वे स्वेच्छा से दल से त्याग पत्र दे सकता है अथवा उसमें बना रह सकता है। किन्तु मेरा विचार यह है कि अध्यक्ष के गरिमामय पद पर जिस व्यक्ति का चुनाव होता है उसे उस राजनीतिक दल से अपनी सदस्यता अनिवार्य रूप से समाप्त कर देनी चाहिए जिसका वह अध्यक्ष चुने जाने से पहले सदस्य था। यह एक ऐसी स्वस्थ परम्परा है जिसको अन्य राज्य विधान मंडलों को अपना लेना चाहिए। मैं पिछले 20 वर्षों से दूसरे सदन का सदस्य हूं। जहां तक मैं जानता हूं, कतिपय अध्यक्ष इस गरिमाशाली पद पर निर्वाचित होने के बाद भी राजनीतिक दलों के सदस्य बने हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात विपक्ष तथा सत्तारूढ दल, दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। इस सम्बन्ध में सभा को निर्णय करना है। वरन् अध्यक्ष स्वयं विपत्ति में फंस जायेगा।

श्री एस० एम० बट्टम : मैंने सुझाव दिया है आप इस पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर तो सभा ही विचार करेगी। इसका अनेक बार सुझाव दिया गया है।

श्री एस० एम० बट्टम : एक स्वस्थ परम्परा बननी चाहिए। यह अध्यक्ष के हाथ में है, सभा के हाथ में नहीं। आप जो भी करेंगे एक परम्परा होगी और अन्य आप का अनुकरण करेंगे। स्वस्थ परिपाटियां एवं परम्परायें ही देश में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा लोकतन्त्र की प्रगति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी।

इस सम्बन्ध में भी एक उपबन्ध है कि अध्यक्ष, अपनी अध्यक्षता समाप्त होने के पश्चात् उसी अथवा अन्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। अन्य सदस्यों के

मामले में भी कोई भी सदस्य सभा का सदस्यता समाप्त होते ही किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है । किन्तु अध्यक्ष के मामले में उसकी अध्यक्षता समाप्त होने पर भी वह अपने पूर्व दल अथवा अन्य दल में शामिल हो सकता है। अध्यक्ष को इस प्रकार के व्यापक विकल्प नहीं दिये जाने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपके दल ने बहस में भाग लेने के लिए अन्य सदस्यों के नाम भी दिये हैं । आप तदनुसार ही अपना समय लें । आप अपने दल के अन्य सदस्यों के लिये भी कुछ समय रहने दें ।

श्री एस० एम० बट्टम : मैं आपको तंग करने की बजाय अपना स्थान ग्रहण करना पसन्द करूंगा, किन्तु उससे पहले ...

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है, मैं इसका बुरा नहीं मानता । मैं इसकी वकालत करवा रहा हूं । इस सभा में इस विषय पर अनेक लोग बोल चुके हैं । किन्तु उन्होंने उसका पालन नहीं किया है । कथनी और करनी में अन्तर होता रहा है । उस भेद को मिटाना होगा । बस मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री एस० एम० बट्टम : अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं आपका ध्यान एक अन्य धारा की ओर दिलाना चाहता हूं और वह है संसद एवं उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं प्रसुविधाओं के बारे में।

अनुच्छेद 105 (3) इस प्रकार है :—

> अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी संसद् समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती तब तक वे ही होंगी जो इस सदन तथा उसके सदस्यों और समितियों की संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से तत्काल पहले थीं ।

अतः हमें इस देश में संविधान लागू होने से पहले हाऊस आफ कामन्स को मिलने वाली शक्तियां ही मिली हुई थी । जब तक इस उपबन्ध में विशेष रूप से संशोधन नहीं किया जाता हमें उसकी अतिरिक्त शक्तियां नहीं मिल सकती यदि हम हाऊस आफ कामन्स को प्राप्त शक्तियों से अधिक शक्तियां लेना चाहते हैं तो आपको इस उपबन्ध विशेष में संशोधन करना होगा, वरन् इस संविधान के अन्तर्गत हम इसके पात्र नहीं होंगे। अतः मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस धारा विशेष की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विधि मन्त्री इस बात को नोट कर लेंगे । श्री दिघे

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इस विधान का स्वागत भी करता हूं । इस देश में राजनीतिक व्यवस्था में शालीनता एवं नैतिकता की भावना लाने के लिए यह एक साहसिक कदम है । यह वास्तव में हमारे प्रधान मंत्री द्वारा स्वच्छ प्रशासन तथा स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिये दिये गये आश्वासन के अनुरूप है । इस दृष्टिकोण से मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही इस बात का उल्लेख किया गया था कि एक दल-बदल निवारण विधेयक इसी सत्र में पेश एवं पारित किया जाएगा । इस देश में दल बदल

की घटनाओं पर व्यापक चिन्ता थी और मेरे विचार से जनता यह निरन्तर मांग करती रही है कि जो दल बदल करते हैं उन्हें किसी प्रकार की सजा दी जानी चाहिए । अब हम यह विधेयक ला कर उस मांग को सम्मान दे रहे हैं तथा अपना वचन पूरा कर रहे हैं ।

12.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से दल बदल एक पुराना रोग है । यद्यपि विधि मंत्री महोदय ने 1967 से कुछ हाल के उदाहरण दिये हैं किन्तु अभिलेख देखने से पता चलता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भी एक अथवा दो अवसरों पर दल बदल हुआ था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सबसे पहले तमिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं केरल जैसे राज्य भारत में दल बदल राजनीति के शिकार हुए । 1967 के पश्चात् समूचा दक्षिणी भाग अथवा वास्तव में भारत का कोई भी भाग दल बदल से अछूता नहीं रहा ।

मैंने अपने महासचिव डा० सुभाष सी० काश्यप द्वारा लिखी बहुत ही अच्छी पुस्तक "पालिटिक्स आफ पावर" पढ़ी है । इसमें से मैं केवल चार या पांच पंक्तियां पढ़ूंगा जो इस दल बदल की पूर्ण तस्वीर देती हैं; वे कहते हैं :

> "1971 में चौथे आम चुनावों से, लोक सभा और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के लगभग 4000 सदस्यों में से 1969 सदस्यों ने दल बदले । इस प्रकार मार्च, 1971 के अंत तक लगभग 50 प्रतिशत विधायकों ने दल-बदल किया । बहुत से विधायकों ने एक बार से भी अधिक बार दल बदला । राज्य विधान सभाओं के मामले में कुल 52.5 प्रतिशत सदस्यों ने दल बदल किया दूसरे शब्दों में आधे से भी ज्यादा विधायकों ने कम से कम एक बार दल बदला ।"

इसलिये जैसा कि मैंने कहा है कि यह विधान बहुत समय पहले बन जाना चाहिए था । जनता की यह मांग थी कि इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाना चाहिए ।

ऐसा विधेयक पेश करने की दो कोशिशें की गई थीं । इससे पहले स्वर्गीय श्री यशवंत राव चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी थी और इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं । अंततः संविधान (बत्तीसवां) संशोधन विधेयक, 1973 इस सभा में पेश किया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से यह अंततः पारित नहीं हो सका । जैसाकि विधि मंत्री द्वारा बताया गया है, दूसरा प्रयास जनता पार्टी के शासन काल में किया गया । 1978 के संविधान (अड़तालीसवां) संशोधन विधेयक द्वारा पारित किया गया । उसी पार्टी के कड़े विरोध के कारण अंततः उस विधेयक को वापस लेना पड़ा था । राज्यों में भी एक प्रयास किया गया है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 1979 पारित किया । इस प्रकार दल बदल को रोकने के लिये वहां भी एक प्रयास किया गया ।

जहां तक कानूनी उपबंधों का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि ऐसा कानून पारित करने में कोई बुराई नहीं है । इससे संविधान के किसी उपबंध का भी उल्लंघन नहीं होता । जम्मू तथा कश्मीर अधिनियम को उसी राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इसकी पूरी तरह से जांच की गई और यह निर्णय दिया गया कि इस कानून से संविधान के अनुच्छेद 19(I) क तथा 19 (I) (ग) या 14 का उल्लंघन नहीं होता । अतः जहां तक संवैधानिक उपबंधों का संबंध है, इस बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

इस विधेयक में बहुत से खण्ड हैं और मुझे प्रसन्नता है कि विधि मंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि दो खण्डों में संशोधन किया जाना है। जहां तक पैरा ग खण्ड 2 उप-खण्ड (I) का संबन्ध है उसका लोप किया जाना है और पैरा (ख) में भी उपयुक्त संशोधन किया जाना है। पैरा (ग) का लोप किया जाना बहुत जरूरी था क्योंकि सदन के बाहर की गई किसी कार्यवाही के लिए यदि किसी सदस्य को प्रक्रिया के अनुसार दल से निकाला जाता तो इससे बहुत समस्याएं पैदा हो जाती। इससे विशेषकर छोटे-छोटे दलों के नेताओं को हथियार मिल जाते और इस पैरा से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जातीं। अतः इस निर्हरता का मुख्य सिद्धांत किसी ऐसी कार्यवाही के लिये है जो सदस्य इस सभा में करता है, इस सभा के समक्ष करता है, पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में अपने दल के निदेश के विरूद्ध मतदान करता है अथवा पार्टी के निदेश की अवहेलना करके मतदान में भाग नहीं लेता। अब यह कुछ ऐसी बात है जिसे सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिये किसी अन्य समिति अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जांच करवाना जरूरी नहीं है। अतः यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में किसी सदस्य द्वारा किया गया ऐसा कार्य, अर्थात् वोट देना अथवा मतदान में भाग न लेना वह उसे अनर्ह बना देना। इस प्रकार इसमें अन्याय करने की कोई गुंजाइस नहीं है तथा न ही इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश है कि उसने वह कार्य किया है या नहीं। इसलिए उस दृष्टिकोण से, सदन के बाहर किये गये कार्यों का लोप कर दिया गया है अथवा अब उनका लोप किये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इन कार्यों को सिद्ध करने का प्रश्न पैदा होता। इसमें कुछ संदेह तो हो सकता है और तब उस सदस्य की सुनवाई का भी प्रश्न पैदा होगा और उस बारे में स्वाभाविक न्याय के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा।

दूसरी बात मेरा मत यह है कि सदस्य द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिससे सरकार की बदनामी होती है उसके लिये दण्डित किया जाना चाहिए। क्योंकि उसने अपने मतदाताओं को पहले ही वचन दिया है कि वह उसी दल में रहेगा, वह उनके घोषणा पत्र तथा उस दल के अनुशासन का पालन करेगा। इसीलिए दल की इच्छा के विरूद्ध मतदान करने या मतदान में भाग न लेने की अनुमति नहीं दी गई।

इन सब बातों से सत्ताधारी दल में संकट पैदा होगा और इसी बात को सामने रखते हुए इसका सीमित क्षेत्र रखा गया है और ऐसा करना बहुत अनिवार्य है।

यदि खण्ड 2(I)(ग) को भी रखा जाता तो इससे बहुत सी अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो जातीं और इससे कभी-कभी उस सदस्य को भी अन्याय का सामना करना पड़ता।

इसके बाद, दलों के विलय तथा विघटनों को भी ध्यान में रखा गया है। किसी पार्टी के विघटन के मामले में उस दल के एक तिहाई सदस्यों को यह घोषणा करनी होगी कि यह विघटन है और दूसरी पार्टी के साथ विलय के मामले में, विलय के लिये दो-तिहाई सदस्यों का होना अपेक्षित है।

पहली बार, निर्दलीय उम्मीदवारों तथा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को भी शामिल किया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ी गई है। इस विधेयक में सभी त्रुटियां समाप्त कर दी गई हैं।

अंत में यह विधेयक अध्यक्ष महोदय या पीठासीन अधिकारी को निर्णय करने का अधिकार या शक्ति देता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस शक्ति को भी पर्याप्त

रूप से सीमित किया गया है क्योंकि जैसाकि खण्ड 8 में उपबंध किया गया है । नियम अभी बनाये जाने हैं और न केवल वे बनाये जाते हैं बल्कि उन्हें सभा के समक्ष भी रखा जाना है और निष्कासन इत्यादि के लिये कार्यवाही संबंधी उन नियमों का अभी सदन ने अनुमोदन करना है । अतः, यह आलोचना कि अध्यक्ष महोदय के हाथ में बहुत शक्तियां आ जाएंगी और यह कि इसके लिये कोई अन्य अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है क्योंकि अंततः यह शक्ति सभा के हाथ में रहती है कि वह नियम बनाये और उन नियमों का पालन किया जाये। यदि यह निर्णय न्यायाधीशों तथा न्यायालयों पर छोड़ दिया जाता है और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त पर छोड़ भी दी जाती है तो इसमें काफी समय लगेगा जैसाकि हमारा अनुभव है और इस विधेयक का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि यह शक्ति अध्यक्ष महोदय को दी जाये और नियम बनाये जायें । सभा के समक्ष रखे जायें तथा सभा द्वारा उनका अनुमोदन किया जाये ।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं तथा इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये विधि मंत्री को बधाई देता हूं । यह विधेयक इसी सत्र में और आज ही पारित किया जायेगा इसके लिये मैं सदन के नेता को विशेष रूप से बधाई देता हूं ।

संसदीय (कार्य) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक पर अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज हम मध्याह्न भोजन काल में भी बैठे रहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा कि यह राय है कि हम बिना मध्याह्न भोजन किये लगातार बैठे रहें ?

अनेक माननीय सदस्य : हां, जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित नहीं करेंगे और कार्यवाही जारी रहेगी । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बहुत संक्षेप में बोलें जिससे उन सभी सदस्यों को बोलने का समय मिल सके जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं । आशा करता हूं कि हर सदस्य पांच से आठ मिनट लेगा ।

श्री अशोक सेन : क्या आप बता सकेंगे कि मतदान कब शुरू होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों पर निर्भर है । मतदान का समय अस्थाई तौर पर 4 बजे के लगभग होगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ोदरा) : आप समय की घोषणा मत कीजिये । इसे छह बजे के बाद रखिये । इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अस्थायी रूप से चार बजे की घोषणा की है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का तहेदिल से स्वागत करता हूं । मैं 1952 से अब तक देख रहा हूं पिछले डेढ़ साल को छोड़कर कि इस देश के विधान मण्डलों में दल-बदल कैसे होते रहे हैं और भारतीय शब्द कोश में यह नया शब्द अर्थात् 'आया राम गया राम' जोड़ा गया है । उन सदस्यों का धन्यवाद है जिन्होंने कम से कम यह नया शब्द तो दिया है । इस देश की स्वच्छ राजनीति में उनका केवल यही योगदान है ।

महोदय, शुरू-शुरू में जब यह बीमारी फैली थी तो हमने इसके लिये उपयुक्त कदम उठाने का प्रयास किया था लेकिन हम सफल नहीं हो पाये। यहां तक कि जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनायी थी। हमने भी अपने शासनकाल में कई बार समितियां नियुक्त की थीं। एक समिति का नेतृत्व दरबारा सिंह ने किया था जिसकी घंटों बैठक हुई लेकिन कठिनाई यह आई थी कि हम इससे सहमत नहीं हो पाये क्योंकि ऐसे कार्य का तरीका निर्धारित करने का कोई निर्धारित पूर्वनिर्णय नहीं था। अतः महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह अपने कार्यकाल में इसी सत्र में यह विधेयक इतनी जल्दी लाए हैं। यह उनके कार्यकाल का प्रथम कदम है। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन खण्ड 2(ग) के बारे में मुझे शुरु से ही आशंका रही है। मैं केवल यह कहने तथा प्रधान मंत्री जी को आगाह करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन वे यह मान लें कि खण्ड 2 (ग) निकाल दिया जायेगा।

महोदय मुझे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत से उदाहरण याद हैं। उनकी अपनी दृढ़ विचारधारा के बावजूद, वे सदस्यों तथा दल की राय मानते थे। ऐसा एक उदाहरण हिंदू कोड बिल के बारे में था। हम कार्यकारी समिति में बैठे हुये थे। पंडित जी कहते थे कि पिता की सम्पत्ति में लड़की तथा लड़के का बराबर का हिस्सा होना चाहिये। यदि किसी के दो लड़के तथा एक लड़की है तो तीनों में सम्पत्ति का बराबर बटवारा होना चाहिये अर्थात् प्रत्येक को एक-तिहाई मिलना चाहिए। लेकिन उस समय स्वर्गीय श्री काटजू तथा डी० एन० तिवारी जैसे व्यक्ति थे जिनका विचार इसके विपरीत था। उस समय केवल दो सदस्य थे एक मैं और एक अन्य सदस्य जो पंडित जी के विचारों से सहमत थे। लेकिन अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि लड़की को केवल 1/9 हिस्सा दिया जाना चाहिये। पंडित जी का विचार था कि यह गलत था और वे चाहते थे कि पार्टी की एक बैठक बुलाई जाये। उन्होंने कार्यकारी समिति के खिलाफ पार्टी से अपील की। हम पार्टी की बैठक में गये। पार्टी की बैठक में भी ऐसे सदस्य थे जिनका पुराने विचारों तथा परम्पराओं में विश्वास था। उनके लिये लड़का तथा लड़की दोनों अलग-अलग थे। वहां भी हमारी बात नहीं मानी गई। पंडित जी ने कहा कि यद्यपि यह बेतुका है, वो बहुमत की बात मानेंगे और उसके बाद ही हिन्दु कोड बिल आया।

श्री० मधु दण्डवते (राजापुर) : वहां भी लड़की को निराशा हाथ लगी।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे ऐसे बहुत से अन्य उदाहरण याद हैं एक बार 12.30 बजे लगभग मध्याह्न भोजन का समय था। एक विशेष फर्म चाहती थी कि ऋण को शेयरों में बदल दिया जाये। वित्त मंत्री जी ने विधेयक पेश किया। मैंने पार्टी के नेता को पार्टी की बैठक बुलाने के लिये 15 सदस्यों का मांगपत्र भेजा। मुझे कहा गया कि यह बिल पहले ही आ चुका है। हमने कहा कि हमारा इस मामले में दृढ़ मत है। पंडित नेहरू ने एक बजे अर्थात् मध्याह्न भोजन के समय कमरा नं० 63 में बैठक बुलाई और हम इस निर्णय के साथ सभा में आये कि विधेयक में संशोधन किया जाये और उस खण्ड में संशोधन किया गया और ऋण को शेयरों में बदल दिया गया।

मैं अपनी स्मरण शक्ति से अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जहां नेहरू जी ने अपने व्यक्तिगत मत के बावजूद अपनी पार्टी के बहुमत को स्वीकार किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर पहले चर्चा पार्टी स्तर पर हुई थी। इस पर विपक्ष से चर्चा हुई थी युवा प्रधान मंत्री ने विपक्ष के सदस्यों के साथ चर्चा की। उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। हमारी राय मांगी। हमने अपनी राय दी तथा एक घण्टे के भीतर उन्होंने खड़े होकर बताया कि

पार्टी का बहुमत चाहता है कि इस खण्ड को हटा दिया जाये। मेरा कहना है कि यह नेहरु जी की परम्परा के अनुकूल है। मैंने उनसे यह भी कहा तथा उन्हें बधाई दी। यह नेहरू का लोकतन्त्र बोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी वह उसी परम्परा का पालन करेंगे।

दल-बदल संबंधी इस विधेयक से किसी पार्टी के टिकट पर आये सदस्यों पर दल-बदल करने पर रोक लगेगी। यदि वे उसकी अवहेलना करते हैं तो उन्हें अवश्य त्याग-पत्र देना होगा। यदि वे पार्टी के सचेतक निर्देश का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें त्याग-पत्र देना होगा। सीट खाली करनी होगी।

परन्तु मैं एक बात और कहना चाहता हूं: कि यह बात मैं पार्टी की बैठक में नहीं कह सका। मैं चाहता हूं कि श्री अशोक सेन कृपया इस पर विचार करें। वह जानते हैं कि मैं इस सभा का पुराना सांसद हूं। एक दो बार ऐसे अवसर आये हैं कि जब आत्मा की आवाज पर मत देने का अधिकार दिया गया था।

श्री गोविन्द दास तथा श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन भी वहां विराजमान थे। कुछ अन्य सदस्य भी थे, जिन्होंने जवाहर लाल नेहरु से कहा कि उन्हे किसी विधेयक विशेष पर आपत्ति है। उन्हें अपनी आत्मा की आवाज के अनुरूप करने कार्य करने दिया जाये। मेरा कहना है कि यदि किसी सदस्य की किसी बारे में कोई दृढ़ भावना है तो यदि पार्टी अनुमति दे, तो किसी विधेयक के विरुद्ध मत देने का अधिकार दिया जाये। परन्तु यह भी परम्परा होनी चाहिये कि यदि कोई सदस्य किसी विधेयक पर, आत्मा की आवाज के नाम पर, विरोध में मत देना चाहता है, तो उसे सचेतक के बावजूद विरुद्ध मत देने का अवसर दिया जाये। श्री सेन इस पर विचार करें। ऐसा कभी-कभी ही होगा, परन्तु यह नियम नहीं होगा। यह एक अपवाद होगा। इसलिये मेरा कहना है कि इस पर विचार किया जाये। इस परम्परा को बढ़ावा देना चाहिये।

जैसा कि मैंने कहा, मेरी छोटे दलों में रुचि नहीं रही। मैं 1952 से इस सभा में कांग्रेसी हूं। मेरा कहना है कि लोकतन्त्र लौट आया है, मेरी पार्टी ने इसकी रक्षा की है। मैं यह नहीं कहता कि दूसरों ने ऐसा नहीं किया। परन्तु मेरा कहना है कि 1952 में मैं कांग्रेस के भीतर ही विपक्ष का था। जब कांग्रेस का भारी बहुमत था। हमने अपनी भूमिका निभाई। वर्तमान उप राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन तथा स्वर्गीय श्री के० पी० त्रिपाठी इस सभा में थे और उन्होंने यह भूमिका निभाई है। हमने अपनी भूमिका अदा की है और आगे भी करेंगे। हमारे नेता तथा हमारे मंत्री महोदय ने हमारे निवेदन पर इसे हटाना स्वीकार कर लिया है। अतः मेरा कथन है: मैं जानता हूं कि विपक्ष में एक पार्टी ने अपने सदस्यों को बुलाया और पूछा कि "आप यह संशोधन क्यों चाहते हैं। आप हमारे टिकट पर आए हैं। अतः ऐसा करो।" उनकी तुलना कांग्रेस पार्टी के काम करने की लोकतांत्रिक विधि को देखें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। हमारे कानून के इतिहास में यह एक महान बात होगी। युवा प्रधान मंत्री का यह पहला कदम है। मुझे उम्मीद है कि खण्ड 8 के अन्तर्गत अध्यक्ष अथवा सभापति का प्रदत्त शक्तियों का समुचित रूप उपयोग किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा खण्ड (2) (ग) जोकि अत्यन्त विनाशक खण्ड है, के हटाने के लिये धन्यवाद देता हूं।

(राजपुर)

प्रो० मधु दण्डवते: आज प्रातः 11 बजे हम सभी देश के महानतम शहीद अर्थात् राष्ट्रपिता की याद में 2 मिनट के लिये मौन खड़े रहे। वह एक औपचारिक सम्मान था। वास्तविक सम्मान तब होगा, जब हम दल-बदल विधेयक को इस सभा

में पास करके स्वच्छ राजनीति के युग का श्री गणेश करेंगे। अतः मैं पूरे मन से दलबदल निवारण के इस महत्वपूर्ण विधेयक के विचार के लिये रखे जाने का स्वागत करता हूं।

मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली लोक सभा में मैंने सभा में दो बार नियम 193 के अधीन दल-बदल विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने की मांग की थी। मैं सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1980 में सत्र के पहले सप्ताह में ही मैंने दल-बदल विधेयक पुरः स्थापित किये तथा उसे विचार के लिये रखा। मैं वर्तमान विधि मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन विधि मंत्री ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि प्रो० मधु दण्डवते का दल-बदल विधेयक सराहनीय है, परन्तु उस समय विधेयक को पारित करने का उपयुक्त समय नहीं था। सम्भवतः यह समझा गया कि दल-बदल का ऐतिहासिक दायित्व अभी समाप्त नहीं हुआ था।

सौभाग्य से आज सभा में सन्तुलन है; जैसा कि मेरे मित्र श्री आजाद ने कहा कि कई बार लघु भी सुन्दर होता है। अतः सभा में अनावश्यक असन्तुलन नहीं है, तथा मुझे प्रसन्नता है कि दल-बदल विधेयक पर सभा में एकमत लाया जा सका है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसकी कुछ पृष्ठभूमि है। दल-बदल ने राजनीतिक वातावरण को बहुत समय तक दूषित किया तथा इसने संसदीय लोकतन्त्र की मूलभूत संरचना को भी जोखिम में डाल दिया था। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि 1967-68 के दौरान क्या हुआ था। सभा में कुछ अनुभवी सांसद मौजूद हैं तथा उन्हें याद होगा कि 1967-68 में इस देश में राजनीतिक दल-बदल का युग रहा था और आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि उन 10 महीनों के दौरान 438 राजनीतिक दल-बदल हुए थे। उस दल-बदल का प्रयोजन क्या था, वही हमें दल-बदल निवारक विधेयक के आधार को समझने का अवसर देता है। 1967-68 के दौरान हुए 438 दल-बदल का परिणाम क्या हुआ? आपको यह जानकर आश्चर्य तथा दुख होगा कि 438 दल-बदलुओं में से 210 विभिन्न राज्यों की मंत्री परिषदों में शामिल हुए। इससे प्रकट होता है कि राजनीतिक दल बदल का प्रयोजन क्या है? हमने आन्ध्र में, काश्मीर में, कर्नाटक में तथा हरियाणा में और सिक्किम में भारी मात्रा में दल बदल देखा है।

जहां तक दल-बदल और धन की शक्ति का संबंध है, इस बारे में छोटे स्तर पर तथा बड़े स्तर पर भी लेन देन होता है। राजनीति में छोटे स्तर पर लेन-देन से कोई अस्थिरता नहीं आती, परन्तु बड़ी मात्रा में दल-बदल से मूलभूत संरचना प्रभावित होती है। तथा विधान सभा के गठन एवं मंत्रिमंडल के स्रोत प्रभावित होते हैं। अब ऐसे दल-बदल हो रहे हैं। सभी राजनीतिक निष्ठाओं को छोड़कर सभी सदस्यों ने इस मामले पर सहमति व्यक्त की है तथा मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर हम स्वच्छ राजनीति के युग का शुभारम्भ कर रहे हैं और यह कार्य सत्ताधारी दल तथा विपक्ष के सहयोग से हो रहा है। गांधी जी की पुण्य स्मृति में इससे पावन श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती तथा उसे अर्थ-पूर्ण तथा पूर्ण बनाने के लिये विधेयक के कुछ पहलूओं पर समुचित विचार किया जाना चाहिये।

मैं सभा को बताना चाहूंगा कि 8 दिसम्बर 1967 को इस सभा में अमल किया गया था। पुराने सांसदों को याद होगा कि श्री पी० वेंकटसुब्बैया ने एक संकल्प रखा था कि श्री यशवन्तराव चाव्हाण के सभापतित्व में दल-बदल पर एक समिति गठित की जाये। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों तथा संविधान विशेषज्ञों के सहयोग से एक समिति गठित हुई। उस समिति की शक्ति क्या थी, उस समिति में श्री जय प्रकाश नारायण, श्री एच० एन० कुंजरू, श्री दफ्तरी जैसी महान विभूतियां तथा राजनीतिक पार्टियों के महान नेता भी थे। उस समय पहला प्रयत्न तो राजनीतिक दल-बदल की परिभाषा देने का किया गया। मुझे खुशी है कि जो युग श्री जय प्रकाश नारायण ने शुरू किया था,

उसे आज अपनाया गया है। अतः मैं समझता हूं कि यह न केवल महात्मा गांधी के प्रति अपितु लोक नायक जय प्रकाश नारायण के प्रति भी श्रद्धांजलि होगी, जिनके साथ आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परन्तु इससे इस सभा में किसी का भी अलग मत नहीं है कि वह इस देश में स्वच्छ राजनीति एवं समाज कल्याण के प्रवक्ता थे। मुझे खुशी है कि उनकी परिभाषा को आज पूरा देश स्वीकार कर रहा है। उस अवसर पर समिति को दल-बदल की परिभाषा तैयार करने में लोक नायक जय प्रकाश ने सहायता दी। दल-बदल पर श्री जय प्रकाश ने बताया :—

> "किसी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जिसे किसी राजनीतिक पार्टी का आवंटित चिन्ह दिया गया हो, यदि वह संसद के किसी सदन में अथवा किसी राज्य विधान सभा अथवा विधान परिषद् में ऐसे निर्वाचन के बाद दल-बदल करता है अथवा स्वैच्छा से ऐसी राजनीतिक पार्टी के प्रति निष्ठा समाप्त करता हैं अथवा ऐसी पार्टी के साथ संबंध समाप्त करता है बशर्ते कि उसका निर्णय संबद्ध पार्टी के निर्णय के अनुसार नहीं है, तो ऐसा माना जायेगा कि उसने दल-बदल किया है।"

निःसन्देह दल-बदल रोक विधेयक को दृढ़ बनाने के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं। परन्तु मूल रूप में श्री जय प्रकाश जी द्वारा तैयार की गई परिभाषा तथा उनके दिये गये विशेष अर्थ को स्वीकार किया गया है। मुझे इस पर प्रसन्नता है क्योंकि हमारे राजनीतिक संकटों का यही मूल था।

हम इस विधेयक को पारित कर रहे हैं। जब अधिनियम बनेगा तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। दल-बदल एवं विमति की परिभाषाओं को अस्पष्ट नहीं होने देना चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरे मित्र एवं साथी श्री आजाद ने इस महान सदन के समक्ष दल-बदल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखी है तथा बताया है कि कैसे दल बदल एवं समिति को अलग-अलग रखा गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स में युद्ध के समय जब श्री हरबर्ट मोरीसन ने इंगलैंड की श्री चैंबरलेन सरकार की कमजोर युद्ध तथा रक्षा नीति के विरुद्ध अप्रसन्नता प्रकट करने हेतु एक स्थगन प्रस्ताव रखा था तो उनकी पार्टी के कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के विपक्ष में मत दिया था तथा श्री चैम्बरलेन ने उदारतापूर्वक घोषणा की कि चूंकि उनकी पार्टी के कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है, जिसका अभिप्राय सरकार की भर्त्सना है। अतः वह जनता एवं संसद की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए कि युद्ध तथा रक्षा नीति सुदृढ़ होनी चाहिए त्यागपत्र देंगे। तब श्री विंसटन चर्चिल की राष्ट्रीय सरकार बनी। विश्व में संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के ये कुछ गौरव-पूर्ण उदाहरण हैं। हम उन्हें भुला नहीं सकते। अतः राजनीतिक दल-बदल के पूरी तरह उन्मूलन के लिए तथा उसके राजनीति पर दूषित प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने की अपनी उत्सुकता में हमें विमति एवं दल-बदल के भेद को पूरी तरह समाप्त नहीं होने देना चाहिए। उस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। तो भी कई क्षेत्रों में अन्वेषण नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह मात्र कार्य की शुरुआत है। प्रधान मंत्री की विपक्ष के साथ हुई एक बैठक में मैंने कहा था ; यह अच्छी बात है, कि हम विधेयक के लिये कार्य करें। कुछ परिवर्तन स्वीकार कर लिए गये हैं। हमें देखना है कि अधिनियम कैसे कार्य करता है और यदि अपने अनुभव के आधार पर हम पाते हैं कि इस कानून के और दृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है और यदि कुछ उपबन्धों को छोड़ने की आवश्यकता है तो अपने संसदीय लोकतंत्र कार्यकरण के हित में हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए तथा आने वाले समय में परिवर्तन के लिए भी तयार रहना चाहिए। इस पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

इस कानून का उपयोग पार्टी के सदस्यों को उचित विमति के कारण पार्टी से निष्कासित करने के लिए उपयोग में नहीं लाने दिया जाना चाहिए । हमारे संवैधानिक विधेयक अवश्य ही ब्रिटिश न्याय-शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है ।

कई बार यदि कोई दोषी व्यक्ति दण्ड से छूट जाता है तो कोई बात नहीं किन्तु किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए । मेरे विचार में इसी भावना से गांधी जी के भारत ने समस्या को समझा है । मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं । इसी लिए मुझे अत्यंत खुशी हुई । हो सकता है संशोधन सत्तारूढ़ दल की ओर से ही आये किन्तु विपक्षी नेताओं के साथ हुई बैठक में संविधान (संशोधन) विधेयक की दसवीं अनुसूची के खण्ड 2(ग) पर, जिसमें विधानमण्डल के बाहर घटित होने वाले दल-बदल को भी शामिल किये जाने की बात है, एक राय हुई थी । उदाहरण के लिए यदि किसी सदस्य को सदन से बाहर दल से निकाला गया है तो इस पर भी वह संसद या राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में अलर्ट होगा । हमारा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसका विभिन्न दलों में बने प्रभावशाली गुटों द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता है । दुर्भाग्यवश हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि अभी हमें देश में राजनीतिक दलों के प्रजातांत्रिक और स्वस्थ ढांचे की स्थापना करनी है । हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं (व्यवधान)

डॉ० कृपा सिंधु भोई (सम्भलपुर) : डाक्टर पहले अपना इलाज कीजिए ।

श्री० मधु दण्डवते : यदि मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं उसका इलाज करुंगा । डाक्टर, मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं । और यदि मैं रोगी हुआ तो आपके पास इलाज के लिए आउंगा ।

डॉ० कृपा सिंधु भोई : नहीं महोदय मैंने अत्यंत नम्रता से यह कहा है । आप मुझे गलत न समझिये ।

श्री० मधु दण्डवते : महोदय यदि यह कहते हैं कि "डाक्टर, अपना इलाज कीजिए" तो मैं इनका इलाज करने को तैयार हूं लेकिन यदि मैं रोगी होता हूं तो मैं इनके पास जाउंगा क्यों की वह एक डाक्टर हैं किंतु इन्हें जानवरों के डाक्टरों की तरह काम नहीं करना चाहिए, आदमियों के डाक्टर की तरह काम करना चाहिए ।

महोदय किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता किन्तु हमारे देश के राजनीतिक जीवन में अनेक उदाहरण हैं जहां किसी नेता द्वारा मात्र राजनीतिक विमति व्यक्त करने पर उन्हें दल से निकाल दिया गया है । कुछ दलों के कुछ नेता तो इतने मांसाहारी हैं कि जब तक वे प्रति सप्ताह एक नेता को निगल नहीं जाते उनकी तसल्ली नहीं होती है । उस दल से अनेक व्यक्तियों को निकाला गया है । मैं नहीं चाहता कि ऐसे सदस्य मुश्किल में पड़ें । वे संसद के और राज्य विधान मण्डलों के सदस्य हैं । अतः मुझे बहुत खुशी है कि इस बात पर आम सहमति हो गई है कि खण्ड 2(ग), जो सदस्यों के संसद या विधानमण्डल से बाहर के आचरण के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है और जिसके लिए उन्हें दल से निष्कासित किया गया है को वापस लिया जा रहा है । आशा है औपचारिक संशोधन लाया जाएगा और मैं इसका स्वागत करता हूं ।

इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को विवादों से बिल्कुल अलग रखा जाए । पहले ही कुछ परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है । उदाहरण के लिए यदि आप खण्ड 6(2) को देखें तो उसमें कहा गया है कि की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अध्यक्ष जो भी करेंगे उसे सदन की कार्यवाही समझा जायेगा ।

यदि उसे सदन की कार्यवाही माना जाता है जिसमें सदन के सदस्य सदन में बोल नहीं पाएंगे तो मेरे विचार से हम अनावश्यक रूप से अध्यक्ष महोदय को अनेक विवादों से सम्बद्ध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय को इन से परे रखा जाना चाहिए। इसीलिए कुछ सदस्यों ने यह संशोधन रखा है कि अध्यक्ष महोदय को उस स्थिति में रखने की बजाय सदन की कोई समिति या संयुक्त समिति बनायी जाए जो उस प्रश्न पर विचार कर। बशक यह एक विकल्प दिया गया है।

जहां तक सचेतक के आदेशों के उल्लंघन का संबंध है, यह सुझाव दिया गया है कि सचेतक के आदेश के प्रत्येक उल्लंघन को संबंधित सदस्य की अनर्हता न माना जाये, सचेतक के आदेश के उसी उल्लंघन को, जिसके परिणामस्वरूप दल सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करता है, अनर्हता माना जाए। मुझे खुशी है कि इसमें भी आम सहमति के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं कि यदि, उदाहरणार्थ, सदस्य दल द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार से कार्य करने और मतदान करने संबंधी सचेतक के आदेश के विपरीत मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है और यदि उसकी इस कार्यवाही को दल द्वारा माफ कर दिया जाता है तो उसे सदस्यता के लिए निरर्ह नहीं माना जाना चाहिए। मैं इस प्रकार के परिवर्तन का स्वागत करता हूं। विधेयक इस प्रकार से कड़ाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि उससे सदस्य की संवैधानिक कानूनी या विधायी शक्ति को चुनौती मिले। मुझे आशा और विश्वास है कि एक बार पुनः प्रारूप की समुचित जांच की जायेगी और यदि कुछ सदस्यों की विधायी या संवैधानिक शक्तियों के विरुद्ध है तो उस पहलू को पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

1.00 म० प०

इन शंकाओं के साथ मैं विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। ये शंकाएं नहीं हैं बल्कि ये सुझाव हैं जिससे कि विधेयक को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। मैंने जानबूझकर कोई संशोधन नहीं दिया क्योंकि पिछले 13 वर्षों के अपने अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संसद में किसी संशोधन की परिभाषा संबंधी संशोधन हमेशा अस्वीकार हो जाता है। यही परिभाषा मैंने पायी है। इसलिए मैं सत्तारुढ़ दल के अपने मित्रों से सदन के बाहर वार्तालाप के दौरान अनुरोध करता हूं ताकि उनसे अनुरोध करके उनके द्वारा हम अपने संशोधन पेश करें जिससे कि संशोधन स्वीकार होने की अधिक गुंजाइश रहे। मेरे विचार से मेरी नीति सफल रही है। यदि मैं इन संशोधनों को पेश करता तो आप कहते "मधु दण्डवते बहादुरी से लड़े और बहादुरी से मरे।" उसके अलावा कुछ नहीं होता। मुझे खुशी है इस प्रकार के वार्तालाप से हम सत्तारुढ़ दल और विपक्ष के बीच कुछ साझा आधार बना सके हैं। अब भी कुछ मुद्दों पर विचार करना है किन्तु क्योंकि हमारे पास भविष्य में संसद में करने को कुछ काम होना चाहिए हम दोनों आधारों पर सुझाव देते रहेंगे। कुछ पारिणामिक परिवर्तन अन्य विधेयकों में करने होंगे। प्रारूप नियम बनाने होंगे। केन्द्रीय विधि मंत्री अभी हमें बता रहे थे कि इस विधेयक के बाद क्रियान्वयन हेतु कुछ नियम बनाने होंगें। उन्हे बनाया जायेगा। जब ये नियम बनाये जा रहे होंगे तो मुझे आशा है कि इसी प्रकार का परामर्श किया जायेगा ताकि हम समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके।

मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर हम गांधीजी को स्वच्छ राजनीति की वास्तविक श्रद्धांजली प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि गांधीजी की आत्मा को इस बात से शांति मिल रही होगी कि यह वह सदन है जो लगभग एकमत होकर दल-बदल विधेयक को स्वीकार कर रहा है, इससे राजनीति में जो गंदगी है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी।

[हिन्दी]

श्री अंजुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छ, साफ और सुथरे सार्वजनिक जीवन के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जब से हमारे देश में जनतांत्रिक परम्परा कायम हुई तब से दल-बदल का रोग सारे राजनीतिक वातावरण को दूषित किए हुए था। इस रोग से कैसे मुक्ति पायी जाय, इसके बारे में बहुत सोच विचार किए गए। लेकिन मुक्ति पाने का कोई तरीका नजर नहीं आया। कई कमेटियां बनीं। 1977 के बाद जनता पार्टि की सरकार ने दल-बदल पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की। कुछ कार्यवाही भी की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दल-बदल के लिए सभी राजनैनिक दल जिम्मेदार हैं चाहे वह शासक दल हो चाहे विरोधी दल हो। दल-बदल को रोकने के लिए, दल-बदल से लाभ न उठाने के लिए किसी ने भी कोई प्रयत्न नहीं किया। हमारे शासक दल ने भी दल-बदल से लाभ उठाने की चेष्टा की, विरोधी दलों ने भी दल बदल से लाभ उठाने की चेष्टा की। मैंने तो यह भी देखा है कि विरोधी दल के नेताओं ने जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन को हटाने के लिए आन्दोलन किए उन नेताओं, उन मुख्य मंत्रियों को जब कांग्रेस से हटाया गया तो उन्हीं विरोधी दलों के लोगों ने उन के ऊपर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लिया और उनको अपने दल में शामिल किया। इसी सदन में मैंने यहीं बैठे-बठे विरोधी दलों के सदस्यों को देखा है जिन्होंने पांच साल में कम से कम पांच पार्टियां बदली हैं कभी इधर से उधर और कभी उधर से इधर। मैंने होलेसेल डिफेक्शन को भी देखा है जब कि मुख्यमंत्री अपने पूरे राजनैनिक दल के साथ एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले गए और मुख्य मंत्री और नेता बने रहे। यह गन्दगी सबके साथ है। यह गन्दगी जो हमारे राजनीतिक जीवन में छाई हुई थी उसको साफ करने का श्रेय हमारे नौजवान प्रधानमंत्री को जाता है। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि हम स्वच्छ और साफ सार्वजनिक जीवन देंगे और इस आठवीं लोकसभा के पहले सत्र में ही उन्होंने साफ और स्वच्छ राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन देने की शुरूआत कर दी है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष जी, यह जनतन्त्र है, यह कोई अलग-अलग खिलाड़ियों का खेल नहीं है। यह जनतन्त्र दो टीमों का खेल है। इसमें टीमें खेलती हैं, कोई व्यक्ति नहीं खेलता है। अगर कोई खिलाड़ी टीम के साथ तालमेल करके नहीं खेल सकता तो उसे टीम में रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पार्टी के साथ तालमेल करके नहीं कर सकता तो उसे पार्टी में रहने का या पार्टी का सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव व्यक्तिगत रूप से नहीं जीते जाते हैं, बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं कि आजाद उम्मीदवार चुनाव जीतकर आ जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में पार्टियों के उम्मीदवार जीत कर आते हैं। पार्टियां जीतती हैं, व्यक्ति नहीं जीतता। इसी चुनाव में अगर हम देखें तो बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता बहुत मामूली लोगों के मुकाबले में हार गए। श्री चन्द्रशेखर जो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बगल के क्षेत्र बलिया में हार गए। श्री अटल बिहारी बाजपेयी जो राष्ट्रीय नेता थे और पार्टी के अध्यक्ष थे, हार गए। बहुगुणा जी हार गए। उनके स्टेचर के मुकाबले में हमारी पार्टी के उम्मीदवार का स्टेचर बहुत कम था। इस तरह हमारी पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीते, हमारी पार्टी के सिद्धांत जीते, हमारी पार्टी का चुनाव-चिन्ह जीता और हमारी पार्टी का निशान जीता.....(**व्यवधान**).....मैं यह कह रहा हूं कि आपके ही नेता, जो बड़े-बड़े नेता थे, वे हम से हार गए। हम उनके बराबर के स्टेचर के नहीं थे। लेकिन हम नहीं जीते, हमारे उम्मीदवार नहीं जीते, व्यक्ति नहीं जीते, हमारी पार्टी जीती, हमारी पार्टी के सिद्धान्त जीते, चुनाव घोषणा पत्र जीता और हमारी पार्टी का निशान जीता। जब हम अपनी पार्टी के ऊपर जीत कर आते हैं और फिर दल-बदल करते हैं, तो इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? हम धोखा अपने को नहीं देते हम धोखा सरकार को नहीं देते, हम धोखा पार्टी को नहीं देते, हम धोखा उन लोगों को देते हैं, जिन्होंने हमको चुन कर भेजा है। हम उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, जिन लोगों ने

सिद्धांत के ऊपर, चुनाव घोषणा-पत्र के ऊपर निशान के ऊपर किसी सदस्य को चुनकर भेजा है और अगर वह पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वह उन वोटरों की पीठ में छुरा घोंपता है । उन वोटरों से गद्दारी करता है, उन वोटरों के साथ धोखाधड़ी करता है । ऐसी हालत में यह बिल बहुत ही आवश्यक था और अब यह बिल लाया भी गया है ।

सबसे बड़ी तारीफ यह है कि हम सलाम करना चाहते हैं अपने प्रधान मंत्री को कि उन्होंने जनतांत्रिक तरीका इस बिल को लाने के लिए अपनाया है । विरोधी दलों से उन्होंने बातचीत की । विरोधी दल की बातचीत में सैक्शन-2सी शेड्यूल-10 में गतिरोध उठा कि इसको रखा जाए या नहीं रखा जाए । हमारे विरोधी दल के बहुत से नेता चाहते थे कि इसको रखा जाए और बहुत से विरोधी दल के नेता चाहते थे, इसको हटा दिया जाए । आखिर में प्रधान मंत्री जी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने पार्टी के सदस्यों से राय मांगी कि आप लोग इस क्लाज के बारे में अपनी राय दीजिए । वहां कनसैन्स उठा कि इसको हटा दिया जाए और प्रधान मंत्री ने एक महान जनतांत्रिक व्यक्ति की हैसियत से वही घोषणा की कि यहां पर यह कन्सैन्स बन रहा है कि इस क्लाज को हटा दिया जाए और यह क्लाज हटा दी जाएगी । इसके लिए जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, वह कम है ।

हम समझते हैं, उपाध्यक्ष जी, कि इस बिल के द्वारा स्वच्छ, साफ राजनीतिक जीवन की शुरूआत की गई है और उसके दूरगामी असर होंगे ।

मेरे जैसे लोग तो बहुत खुश होते, अगर इस प्रकार की परम्परा पहले से शुरू कर दी गई होती । अगर इस प्रकार की परम्परा होती कि अगर कोई मेम्बर अपनी पार्टी छोड़ता है तो चाहे वह जिस सदन में मेम्बर हो, चाहे पार्लियामेंट में हो या राज्य विधान सभा में हो, वह उस से इस्तीफा दे दे, तो इस कानून को लाने की जरूरत नहीं थी । लेकिन हमारे सारे राजनीतिक इतिहास में, हमारे इस जनतांत्रिक देश में ऐसी मिसालें बहुत थोड़ी मिलेंगी, जब किसी सदस्य ने पार्टी से इस्तीफा दिया हो तो साथ ही विधान सभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया हो । अधिकतर मामलों में ऐसा हुआ है कि वह पार्टी से हट गया, लेकिन विधान सभा का सदस्य बना रहा । इसलिए इस वक्त सिवाय इस तरह का कानून लाने के कोई दूसरा चारा नहीं था ।

मधु दण्डवतेजी ने भी अपने भाषण में बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । यह बिल जो आज पास होने जा रहा है, उस के बाद कैसी परम्परा बनती है—इसकी जिम्मेदारी सदस्यों के ऊपर है । अगर हम नेकनीयती के साथ अच्छी परम्परा कायम करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत से कानूनी सुधारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । हमने अभी तक ऐसी परम्परा नहीं बनाई कि पार्टी छोड़ने के बाद विधान मंडल भी छोड़ दें, इस लिए इस कानून के बनाने की जरूरत पड़ी है । किसी भी विश्व के जनतान्त्रिक देश में, जहां संसदीय प्रणाली है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमने पहली बार इस कानून को ला कर एक नई परम्परा कायम की है और इस के द्वारा हम एक स्वच्छ राजनीतिक जीवन की शुरूआत करने जा रहे हैं । मैं यह आशा रखता हूं कि इससे हमारे आने वाले दिनों में, जो हमारा जनतन्त्र फल-फूल रहा है, उस में और ज्यादा सुधार होगा और जैसा प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया है कि चुनावों में भी सुधारों के लिए अगले पांच सालों में प्रयत्न करेंगे, कानूनों में आवश्यक सुधार करेंगे, अगर ये सारे सुधार हो जायेंगे तो थोड़ी-बहुत जो खामियां हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में रह गई है, वह भी दूर होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

धन्यवाद ।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, इस देश के राजनीतिक जीवन को स्वच्छ करने की दिशा में एक पहले कदम के रूप में इस विधेयक का स्वागत है। दल बदल सदन के अंदर और बाहर होते रहे हैं। दल बदलुओं ने सरकारें बनायी हैं और उन्हें सरकार गिराने की धमकियां भी मिली हैं। वास्तव में सरकारें गिरायी भी गई हैं। हम काफी लम्बे समय से दल-बदल विरोधी विधेयक पारित करने पर चर्चा करते रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि पहली बार 1967 में ऐसा विधेयक लाया गया था। पहले इस संसद् में चर्चा हुई थी और उसके बाद कई विधेयक पुरःस्थापित करने की अनेक चेष्टायें की गई; विधेयकों को प्रवर समिति को भेजा गया और वे वापस नहीं आये; विधेयक पुरःस्थापित होते रहे हैं किन्तु उन पर जोर नहीं दिया गया लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि हम सदन में दल-बदल को रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन करने जा रहे हैं कम से कम दल-बदल को इस प्रकार से रोक लिया जाएगा जिससे कुछ सीमा तक इस बुराई से छुटकारा मिल सकेगा। मैं "कुछ सीमा तक" शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सम्भवतया यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। तथा वर्तमान स्थिति में यह पूरी तरह दूर हो भी नहीं सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कुछ सदस्य दल के सचेतक के आदेश की अवहेलना करते हैं और यदि उनकी संख्या दल के कुछ विधायकों की संख्या का एक तिहाई या उससे अधिक है और साथ ही यदि सदन के बाहर उनका दल विभाजन भी होता है, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या राष्ट्र स्तर पर, तो विभाजन करने वाले व्यक्ति सदस्य बने रहेंगे और वे निरर्ह नहीं होंगे। यदि वे सचेतक के आदेश की अवहेलना करते हैं और जिस दल के टिकट पर वे निर्वाचित हुए उसके विरुद्ध हो जाते हैं लेकिन यदि उनकी संख्या कम है तो निरर्ह हो जायेंगे। इसके साथ ही यदि उनकी संख्या अधिक है तो वे ऐसा स्वच्छन्दता से कर सकते हैं। निस्संदेह इस में यह शर्त तो है कि सदन के बाहर दल विभाजन हो जाने पर दल से अलग होने वाले सदस्यों की संख्या एक तिहाई होनी चाहिए। यदि सदन में किसी दल के एक तिहाही सदस्य सिद्धांतों के बजाय अर्थात् किसी निहित स्वार्थ के उद्देश्य से यह निश्चय करते हैं कि दल का विभाजन होना चाहिए तो वे बिना निरर्ह हुए ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि वे सदन से बाहर भी दल का विभाजन कराने में सफल हो जाते हैं। मैं इस से अधिक कुछ न कर पाने पर सरकार को दोष नहीं देता किन्तु इस से हमारे देश में राजनीतिक जीवन की झांकी मिलती है। पिछले 37 वर्षों में जिस प्रकार से इस मानसिकता का विकास हुआ है अब यह जरूरी हो गया है कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाए और इतना होने पर भी हम विधान मंडल के भीतर या बाहर राजनीतिक नैतिकता के संवर्द्धन के लिए या राजनैतिक अनैतिकता को रोकने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यह देश में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की एक दुःखद तस्वीर है।

37 वर्षों में हमें कुछ स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्परायें स्थापित करनी चाहिए थीं। संसदीय प्रणाली का अनुसरण करने वाले देशों में जहां नियमों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध नहीं किया गया है, सदस्यों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इसकी प्रायः अलिखित परम्परायें होती हैं और ये अलिखित परम्पराएं प्रायः लिखित बातों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इंगलैंड में जिसकी संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली को हमने अपनाया है, लिखित संविधान तक नहीं है। इसके बावजूद वे अपना काम चला रहे हैं। अलिखित परम्पराओं पर निर्भर करते हुए वे अपना कार्य कर रहे हैं। वहां दल बदल के कारण या भौतिक लाभों को ध्यान में रखकर निष्ठा बदलने के कारण सरकारें नहीं गिरतीं। वहां ऐसा नहीं होता है।

वस्तुतः आज हम बुराई में लिप्त हो चुके हैं और सरकार इस विधेयक को जल्दी से पारित करना चाहती है। शायद यह एक अच्छी बात है किन्तु सरकार अपना हित देखकर उसे जल्दी से पारित करना चाहती है क्योंकि मार्च में होने वाले विधान सभा चुनावों से पहले वह लोगों के सामने अपनी स्वच्छ छवि रख पायेंगे। यही कारण है कि वे जल्दी से इसे पारित करना चाहते हैं लेकिन मुख्य बात यह है कि सरकार ने वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने वास्तव में 1984 में जम्मू व काश्मीर और आन्ध्र प्रदेश सरकारों को गिराने का काम कर के

बदनामी ली है और अब वे यह विधेयक लाकर अपनी बदनामी को धोना चाहते हैं ।इससे कुछ सीमा तक उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है किन्तु पूर्णतया नहीं।

दल बदल की बुराइयां केवल इसी कारण नहीं आयी कि कुछ लोगों ने भौतिक लाभ के लिए निष्ठा बदली बल्कि उसका कारण यह भी था कि सरकार ने मनमानी की। हमारे संविधान में राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है। उन्हें अपरिभाषित शक्तियां दी गई हैं जिसका अर्थ यह है कि मंत्रि परिषद् को राज्यपाल की इच्छा से कार्य करना होता है। अतः राज्यपाल किसी भी कारण से मंत्रिपरिषद को हटा सकता है और किसी भी व्यक्ति को चाहे उसके साथ बहुमत हो या नहीं, मुख्य मंत्री बना सकता है। जब तक यह शक्ति राज्यपाल के पास रहेगी उसके लिए इस संविधान संशोधन के पारित होने के बाद भी दल बदल करवाना कठिन नहीं होगा।

इस मामले में राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी दल को छोड़कर जाने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम एक तिहाई हो। एक तिहाई सदस्य अब भी दल-बदल कर सकते हैं और उनके षडयंत्र में शामिल किसी राज्यपाल की सहायता से, वे लोग किसी मंत्रिपरिषद को गिरा सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति को तभी दूर किया जा सकता है जब संविधान का और संशोधन करके राज्यपालों की शक्तियों को निर्दिष्ट किया जाए, उन्हें सीमित किया जाए और वह इस स्थिति में न रहे कि किसी भी व्यक्ति को मुख्य मंत्री चुन ले। दल-बदल के बाद राजनीतिक दलों का शक्ति परीक्षण केवल सदन में होना चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर ही दल-बदल के कारण आई बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अन्यथा यह सम्भव नहीं है। इस से तो यही अर्थ निकलेगा कि 10 व्यक्तियों के स्थान पर या पांचवें या चौथाई हिस्से के स्थान निष्ठा बदलने वालों की संख्या एक तिहाई होनी चाहिए।

वास्तव में इसमें कहा गया है कि विभाजन बाहर होना चाहिए । इसका उपाय निकाला जा सकता है । इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है । सैद्धांतिक कारण हमेशा दिये जा सकते हैं ।

अन्य मुद्दा अथवा विचार इस देश के राजनीतिक जीवन को स्वच्छ बनाना है। यह बहुत अच्छी बात है । इस देश के राजनैतिक जीवन में एक बुराई दल-बदल है । लेकिन क्या मात्र राजनीतिक बुराई ही है । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान मैंने उल्लेख किया था कि इस संसद् में 50 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 80 प्रतिशत सदस्य हैं । एक लोकप्रिय सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सदन में सतारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या मतदाताओं की आकांक्षाओं को अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करे और सरकार लोगों की जरूरतों को पूरा करे । ये दो मानदंड, जो किसी लोकतंत्रीय सरकार का मूल है, हमारे देश में विद्यमान स्थितियों को पूरा कर सकती हैं । इसमें व्यापक विविधता, सांस्कृतिक, आर्थिक जातीय तथा सभी प्रकार की बात हैं । यह केवल तभी संभव है जब हम मौजूदा प्रक्रिया से अलग चुनाव पद्धति अपनाये। हमारी साधारण बहुमत पद्धति है जो इंग्लैंड तथा अन्य राष्ट्रमंडल के देशों में प्रचलित है जहां जनसंख्या के भीतर एकरूपता है और जहां हमारी तरह इतनी अधिक विविधता नहीं है । हमारे यहां विविधता को देखते हुए हमारी पार्टी ने हमेशा सिफारिश की है । कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए । हमारे समक्ष विभिन्न आदर्श हैं और हम इन तत्वों को ले सकते हैं । इन्हें मिला कर एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ नई पद्धति बनायें जो हमारे देश की विभिन्न जरूरतों के उपयुक्त होगा । यदि वह किया जाता है तो अन्य कुरीतियां जो इस समय देश के राजनीतिक जीवन को दूषित कर रहीं है, जैसे धन शक्ति और दादागिरी नहीं रहेगी तथा इनका इसके बाद कोई उपयोग नहीं रहेगा । अतः मैं सुझाव देता हूं कि सर्वप्रथम यह कार्यवाही की जाये । यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन इस देश के राजनीतिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिये कुछ आगे नये परिवर्तनकारी उपायों के प्रति पहले कदम के रूप में यह स्वागत योग्य है । राज्यपाल की शक्तियों पर रोक लगाना और इन्हें निर्दिष्ट करना है ।

ताकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करने से रोका जा सके जो बहुत होने का दावा करता है—जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ था और वही पार्टी फिर से सत्ता में आ गई और इसके कारण राजनीतिक दल उस समय के सतारूढ़ दल की बदनामी हुई थी और शायद संविधान में इस विशेष संशोधन लाने का एक कारण यह भी है। लेकिन इससे यह समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक मेरे द्वारा सुझाये गये और संशोधन नहीं लाये जाते तथा चुनाव प्रक्रिया में ही परिवर्तन नहीं किया जाता। अब तक सम्पन्न हुए आम चुनावों से पहली बार अभूतपूर्व रूप से अत्यन्त स्पष्ट हुआ है कि धन शक्ति तथा बाहुबल शक्ति की भूमिका क्या है और उस माध्यम की शक्ति क्या है जो पुनः धन की शक्ति द्वारा नियंत्रित है। यदि हम उचित लोकतंत्र चाहते हैं तो राजनीतिक जीवन में से इन बुराइयों को निकालना होगा।

अतः इस विधेयक का स्वागत करते हुए—इस समय मैं इसके विभिन्न खंडों पर विचार नहीं करूंगा—मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल पहले कदम के रूप में स्वागत योग्य है और अन्तिम कदम के रूप में नहीं। सतारूढ़ दल के कुछ माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है क्योंकि इससे राजनीतिक जीवन की सभी बुराइयों दूर हो जायेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि यह एक अच्छी शुरूआत है। लेकिन बात में अन्य कदम भी उठाये जाने चाहियें।

श्री विजय एन० पाटिल (इन्दोल): महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं जैसा कि विपक्ष में विराजमान मेरे मित्र श्री मधु दंडवते द्वारा किया गया है। हमारे युवा प्रधान मंत्री द्वारा उठाया गया यह एक नया कदम है और जब यह विधेयक पारित किया जा रहा है तो मैं स्वयं को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं इस सभा में मौजूद हूं क्योंकि मैंने देखा है कि 1978–79 में दल-बदल को रोकने के इस विधान को पारित करने के लिये पूरे दिल से प्रयास नहीं किये गये थे।

लोकतंत्र में जहां तक मतदाताओं का संबंध है वे काफी समझदार हो गये हैं किन्तु राजनीतिक दलों में थोड़ी परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। अन्यथा इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी। लोकतंत्र में चूंकि दलों के कार्यक्रम प्रकाशित किये जाते हैं इसलिए जो उम्मीदवार दल के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। मैंने स्वयं उम्मीदवारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होते देखा है और दल के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाता है किन्तु उन्हीं व्यक्तियों को 6 महीने के भीतर ही दल में वापिस ले लिया जाता है। इसीलिए जैसा कि मेरे मित्र श्री दत्त ने अभी कहा कि दल-बदल को रोकने अथवा राष्ट्र की राजनीति के क्षेत्र में स्वच्छता लाने के लिए यह पूर्णोपाय नहीं। कुछ और उपाय भी करने होंगे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अनेक दलों का जन्म होते और उन्हें गायब होते हुए देखा है। राज्यों से अधिक दलों की संख्या है और बड़े आश्चर्य की बात हैं कि कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर अन्य दलों के नेता पुराने कांग्रेसी ही थे।

विधेयक में कहा गया है कि यदि किसी दल के एक तिहाई से अधिक सदस्य दल बदलते हैं तो उसे दल-बदल न कहकर विभाजन कहा जाएगा। लेकिन उन दलों की क्या स्थिति होगी जिनकी संख्या इस सभा में बहुत कम है। उन दलों की स्थिति क्या होगी जो लोकसभा अथवा विधान सभाओं में नाम मात्र के लिए हैं। मान लीजिए किसी दल में 4 सदस्य हैं और 2 दल-बदल लेते हैं अथवा एक बदल लेता है तो आप एक तिहाई का हिसाब कैसे लगाएंगे। मैं समझता हूं कि यदि कोई दल सभा के 5 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे 5 प्रतिशत रखा जाना चाहिए .....

श्री अमलदत्त: उससे सरकार नहीं पलटेगी। उससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री विजय एन० पाटिल : यह सरकार के पलटने का प्रश्न नहीं है । यह दलों को अनुशासित करने का प्रश्न है लोकतंत्र में यदि 4 अथवा 5 मुख्य दल हैं तो मतदान अपनी अच्छी पसन्द का परिचय दे सकता है । दुर्भाग्यवश दलों में विभाजन हो रहा है चाहे वे सत्ता में हैं अथवा नहीं हैं । यदि दल सत्ता में हो और उसका विभाजन हो तो यह बात समझ में आती है पर यहां तो विपक्ष में भी विभाजन हो रहा है ।

श्री० मधु दण्डवते : गुण और मात्रा विभाजन है ।

श्री विजय एन० पाटिल : फिर भी उनमें विभाजन होता है । हमने 1980–84 में जनता दल की हालत देखी है । विपक्ष में रहते हुए भी उनका विभाजन कई बार हुआ इसीलिए मैं यहां उसका उल्लेख कर रहा हूं ।

इस ओर के मेरे माननीय मित्रों ने कहा है कि संसद के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधि का कुछ दलीय आधार होना चाहिए । कई बार निर्दलीय सदस्यों का चुनाव होता है। संसद में तथा विधान सभाओं में निर्दलीय सदस्य आते हैं। अत : मतदाताओं की अवज्ञा करके यदि वह सदस्य दूसरे दल में मिल जाता है तो उसे विश्वासघात माना जाना चाहिए और उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया जाए । यह स्वागतयोग्य विधेयक है लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दल-बदल मुख्यत: दो मौकों पर होता है । जैसा कि दण्डवते जी ने कहा कि दलबदल होता है और थोक पैमाने पर होता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां दलबदलू हैं वे दल-बदलने की कला में पूर्णतया कुशल हैं और दलबदलू निष्णात भी कहे जा सकते हैं ; । संसद के इतिहास में थोक पैमाने पर बदल हुआ है और जिसे दण्डवते जी ने जी देखा है । . . .

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: खुदरा पैमाने पर भी हुआ है ।

श्री विजय एन० पाटिल : जब श्री दण्डवते सभा के इस ओर बैठते थे मैं और श्री उन्नीकृष्णन दूसरी ओर थे तब हमें याद है कि किस तरह एक मंत्री ने दिन में एक बजे सरकार के समर्थन में बोला और उसी दिन शाम को 8 बजे त्यागपत्र दे दिया । ऐसा तब हुआ जब ऐसा उपाय अस्तित्व में नहीं था ।

इस दृष्टि से यह एक स्वागत योग्य विधेयक है । यदि इसमें एक चीज और जोड़ दी जाती तो यह और भी अच्छा होता । दल-बदल मुख्यत: दो मौकों पर होत. है, एक सरकार के पलटने के समय, दूसरे निर्वाचन के समय । निर्वाचन से एक दो महीने पहले लोग हवा का रुख देख लेते हैं और यह देखते हैं कि किस दल को बहुमत प्राप्त होने की आशा है और वे अपनी पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में मिल जाते हैं। इस लिए यदि हम ऐसे मामलों में दल-बदल को रोकना चाहते हैं और पार्टी की सदस्य संख्या को बनाए रखना चाहते हैं प्रत्येक दल की सैद्धांतिक शक्ति बनाये रखना चाहते हैं तो एक अतिरिक्त उपबंध किया जाना चाहिए कि ऐसे समय पर जो दल बदले, उसे एक वर्ष के लिए उस दल केटिकट पर चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाये । तभी इस प्रकार के दलबदल का कुछ निवारण हो सकेगा ।

इन कुछ सुझावों के साथ मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं तथा इसका पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री गिरिधारी गोमांगो (कोरापुट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान में संशोधन करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं । निश्चित रूप से यह विधेयक उन राजनीतिज्ञों पर एक कुठाराघात है, जो अब तक दल-बदल रहे थे, रंग बदल रहे थे कुर्सी झपटने अवसरवाद

व दल विभाजन की राजनीति का सहारा ले रहे थे । राजनीति में चार समूह हैं अर्थात् दर्शक समूह, घटक समूह, दल-बदलू समूह और वह समूह जो अन्य की तुलना में अधिक खतरनाक हैं। यह विधेयक निश्चित रूप से इन सब तरह के राजनीतिक समूहों को रोक सकेगा।

हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो जाएगी; सत्ता में बने रहने, खास तौर पर भ्रांति पैदा करने की राजनीति, पथभ्रष्टता व संक्रमण की राजनीति भी रुक जाएगी । लोकतंत्रात्मक प्रणाली में हम स्वतंत्र व खुले दिल से विचार विमर्श कर सकते हैं, वाद-विवाद में हिस्सा ले सकते हैं, हम विसहमति एवं मतभेदों के साथ रह सकते हैं लेकिन हम दल-बदल को सहन नहीं कर सकते ।

यह विधेयक लोगों के लिए नहीं है बल्कि स्वयं विधायकों के लिए है । कुछ ऐतिहासिक कारणों एवं निहित स्वार्थों के कारण राजनीतिज्ञों ने स्वच्छता, ईमानदारी व सिद्धांतों को छोड़ दिया है । अतः महोदय स्वयं को अनुशासित बनाने के लिए हम अपने लिए यह कानून बना रहे हैं। महोदय, चार कारणों से कोई व्यक्ति एक दल में से दूसरे दल में जाता है । पहला कारण तुलना करना है । दूसरा प्रतिस्पर्धा होना है । स्पर्धा के लिए प्रेरणा होगी । और आखिरी कारण है महत्वाकांक्षा । महत्वाकांक्षा क्या है, यह दल-बदलू जानता है ।

महोदय, लोकतंत्र में हमें लोगों के हित के लिए लड़ना होता है क्योंकि हमें लोगों ने चुनकर भेजा है । हमें लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम तो लोगों के लिए ही हैं । इसके बाद प्रश्न आता है कि किससे, किसके लिए व किस प्रकार हमें लोकतंत्र में लड़ना है । हमें लड़ना है, बन्दूक से नहीं बल्कि कलम द्वारा, गोला-बारुद से नही बल्कि वाद-विवाद द्वारा, हथियारों से नही बल्कि शब्दों द्वारा । मैंने 'शब्द' के महत्व पर जोर दिया है ।

कोई सदस्य शब्द जो बोलता है, कोई वायदा करता है, उन सबके लिये वह लोगों के प्रति व अपने प्रति भी उत्तरदायी होता है।

अब यहां पर जो राजनीतिज्ञ हैं उन में से कुछ पुरानी पीढ़ी से हैं व कुछ युवा पीढ़ी से हैं। युवा व पुरानी पीढ़ी में क्या भेद है। पुरानी पीढ़ी के पास अतीत है जबकि युवा पीढ़ी के पास भविष्य। पुराने लोग भूतकाल को आधार बनाकर वर्तमान में काम करते हैं जब कि युवा पीढ़ी वर्तमान में भविष्य के लिए काम करते हैं। पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव है। हमारे पास कोई भी अनुभव नहीं है। लेकिन हम प्रयोग कर सकते हैं । हमारे पास भविष्य जिसे देखा नहीं जा सकता। अतीत भी देखा नहीं जा सकता लेकिन पुराना अनुभव तभी संगत होता है अगर वह वर्तमान व भविष्य से संगत हो। भविष्य है चाहे यह संगत या असंगत, बाद में सामने आयेगा । अतः महोदय जब हमें राजनीति में काम करना हैं, विशेषतः युवा पीढ़ी को तो हमें यह देखना होगा कि लोकतंत्र विधायिका अथवा लोकतंत्रात्मक प्रणाली अतीत क्या था, वर्तमान क्या है भविष्य क्या होगा।

माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिए हैं । मैं कोई सुझाव नहीं जोड़ रहा हू । यह ऐसा विधेयक है जिस में केवल दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी काम लेना होगा। हमारी युवा पीढ़ी को युवा राजनीतिज्ञों को, जो राजनीति में आगे जाना चाहते हैं, उनको जो राष्ट्र व राजनीति में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं यह बात ध्यान में रखनी होगी जब लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि फर्ज, जिम्मेदारी व सत्ता को सौंपते हैं तो क्या उसे इस फर्ज व जिम्मेदारी को सदन में लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान खींच कर के या दूसरे माध्यमों द्वार निभाना होगा। उस में यह दिमागी संतुलन होन जरुरी है क्योंकि कभी-कभी किसी प्रेरणा के कारण दिमागी संतुलन नहीं रहता है । लेकिन युवा पीढ़ी को यह ध्यान में रखना परम आवश्यक है कि प्रशासन व राजनीति में संतुलन रखने क लिए हमें दिमागी व लोकतांत्रिक संतुलन बनाये रखना होगा ।

भारत की लोकतंत्र विकसित है न कि विकासशील। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमने राष्ट्र को एक नई चीज दी जो इसके भविष्य के लिए अच्छा होगा हम अतीत के आगे नतमस्तक होते हैं व भविष्य के लिए आशा के साथ आगे बढ़ेंगे।

श्री के० आर० नटराजन् (डिन्डिगुल) : मैं अपने तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक दल की तरफ से संविधान (52वां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को लाने के लिए युवा स्फूर्तिशील व गतिशील प्रधान मंत्री तारीफ तथा बधाई के पात्र हैं, यद्यपि यह तथ्य है कि साधारण तौर पर इस भव्य सदन में किसी कांग्रेसी सदस्य के दल छोड़ने का ही प्रश्न नहीं उठता है। ऐसी संभावना है। और जैसा कि पहले होता था, विरोधी दलों के सदस्य दल बदल कर के सत्ताधारी दल में आयेंगे।

जैसा मैंने समझा है कि माननीय प्रधान मंत्री विमान चालक के रूप में भी एक अनुशासित व्यक्ति रहे हैं। अतः स्वभाविक है कि वे हर क्षेत्र में अनुशासन लाना चाहते हैं। उन्होंने अपने को स्वामी विवेकानन्द के शिष्य के रूप में पेश किया है। जैसा हमारे महान प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि स्वामी जी स्वयं उनके लिए व राष्ट्र के अन्य नेताओं के लिए एक महान शक्ति तथा प्रेरणा के स्रोत थे। स्वामी जी वाणी, विचार व कर्म से शुद्ध थे। अतः मैं यह आशा करता हूं कि हमारे युवा प्रधान मंत्री भी वाणी, विचार व कार्य से शुद्ध रहना चाहते हैं। इसलिए स्वभाविक रुप में वह राजनीतिक दल-बदल को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। इसी कारण इस विधेयक को यहां लाया गया है। अतः कोई व्यक्ति जो जीवन में अनुशासन चाहता है स्वभाविक रुप से विधेयक का स्वागत करेगा। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

तमिलनाडु के स्वर्गीय मुख्य मंत्री पेरियार अन्ना, द्रमुक की साधारण परिषद के प्रत्येक सदस्य को किसी संकल्प पर या किसी व्यक्ति के किसी विषय पर मतों व विचारों पर विचार करते समय पक्ष या विपक्ष में बोलने की अनुमति देते थे। (उन्होंने कभी भी दल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं की जबकि कुछ सदस्य दल विरोधी गतिविधियों में कार्यरत थे ऐसी परिस्थितियों में भी वह उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियां न करने का आग्रह करते रहे। मेरे नेता पुरात्ची थालोईवर एम० जी० आर० ने भी यही प्राली अपनाई है। और उन्होंने कभी किसी को दल विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित नहीं किया। निस्संदेह कुछ व्यक्तियों को उस समय दल से निकाल दिया गया। जब यह देखा गया कि वे दल को ही खतम करने वाले काम कर रहे हैं।

हमारे नेता अत्यन्त उदार, हमदर्द और लोकतान्त्रिक नेता हैं। हमें अपने नेता में पूर्ण आस्था और विश्वास है। सदस्यों के साथ उनका व्यवहार कभी भी प्रतिशोधात्मक अथवा तानाशाहीपूर्ण नहीं रहा है।

मैं एक बार पुनः युवा प्रधान मंत्री को जो प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन लाना और राजनीतिक दल-बदलुओं को समाप्त करना चाहते हैं, बधाई देता हूं। मुझे इस सभा के नेता के रूप में तथा कांग्रेस (ई) के नेता के रूप में प्रधान मंत्री में, माननीय अध्यक्ष महोदय में, पुरात्ची थालेइवर एम० जी० आर० में तथा विपक्षी नेताओं में पूर्ण आस्था और विश्वास है कि वे इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के बाद सदस्यों से अच्छा व्यवहार करेंगे।

अतः राजनीतिक दल-बदल की बुराई की जो लोकतंत्र के आधार को ही कमजोर करने वाली है, समाप्त करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वेराबदन के० गधावी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैं इसे भारत में राजनीतिक नैतिकता के पुनर्जागरण के रूप में देखता हूं। हम जब अपने अन्दर झांक कर देखते हैं और अपने देश

के इतिहास पर, विशेषरूप से स्वतंत्रता पूर्व के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें एक चिन्ता होती है। स्वतंत्रता से पूर्व भी विधायक होते थे और यदि हम इतिहास पढ़ें तो हम निस्संदेह देखेंगे कि ऐसा समय भी आया.....जब राजनीतिक दलों ने विधान सभाओं में अपने सदस्यों को त्याग पत्र देने का आदेश दिया और उन्होंने विधान सभाओं से अपने त्याग-पत्र दिए। जब राजनीतिक दलों ने अपने सदस्यों को चुनाव लड़ने का अथवा चुनाव न लड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने अनुशासित ढंग से अपने दलों के आदेश का पालन किया।

वास्तव में यह विडम्बना है कि स्वतन्त्रता के 36 वर्षों बाद भी इस विधेयक को लाने की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम महात्मा गांधी तथा अन्य कई ऐसे महान लोगों की विरासत जिन्होंने न केवल इस देश में लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी अपितु देश का लोकतंत्र किस दिशा में जाना चाहिए इस संबंध में विश्व का मार्ग-निर्देशन किया, विरासत की दुहाई देते रहते हैं। माननीय विधि मंत्री ने ठीक कहा है कि 1967 से ही, जब कांग्रेस को लगभग सात राज्यों में सत्ता से निकाल फेंका गया था और संयुक्त विधायक दल बने थे विधायकों द्वारा दलबदल होती रही है यहां तक कि संसद सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया हैं।

जनता के विश्वास के परिक्षक होने के बावजूद भी लोगों के विश्वास को अत्यन्त घटिया और नीचतापूर्ण ढंग से बेच रहे हैं। इससे निस्सन्देह जनता का अपमान हुआ है और राजनीतिक जीवन को धब्बा लगा है। परन्तु अब मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि इस विधेयक का उद्देश्य इस राजनीतिक धब्बे को मिटाना हैं जो हम सब पर लगा हुआ है, और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

यह अच्छी बात है कि स्वयं विधि मंत्री ने कुछ संशोधन रखे हैं। खण्ड 1(ग) के कारण किसी भी व्यक्ति को, सभा के बाहर अपने आचरण के कारण अथवा दल से निकाल दिए जाने के कारण अपने स्थान से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि यद्यपि एक व्यक्ति के साथ अपने दल का अथवा संसद सदस्यों का अथवा विधायकों का बहुमत तथा लोगों का समर्थन होता है फिर भी कुछ लोगों का एक गिरोह ऐसे व्यक्तियों को दल से निष्कासित कराने में सफल हो जाता है। इतिहास में श्रीमती गांधी का सुस्पष्ट उदाहरण है। उन दिनों में उस सिंडीकेट ने, जिसको संसद में बहुमत प्राप्त नहीं था, दल में बहुमत प्राप्त नहीं था, जिसको लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं था श्रीमती इन्दिरा गांधी को दल से निकालने का साहस किया, ढिठाई की। अतः मैं कहूंगा कि यह संशोधन स्वागत योग्य है तथा यह दस्तावेज कोई अस्थायी उपाय नहीं है। हम इस उपाय को बुनियादी दस्तावेज में अर्थात् इस देश के संविधान में, जो सभी कानूनों का स्रोत है, का सम्मिलित करने जा रहे हैं। अतः मैंने विधि मंत्री जी को प्रातः जिन संशोधनों का आश्वासन दिया था उन्हें रखने के लिए बधाई देता हूं।

जहां तक विघटन का संबंध हे इस पर विधेयक में विचार किया गया है अर्थात यदि दल के एक तिहाई सदस्य विघटन के नाम पर दल छोड़ना चाहते हैं तो वे अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकेंगे। मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि यदि एक सदस्य चोरी करता है तो यह अपराध है और यदि बहुत से सदस्य मिलकर चोरी करते हैं तो वह अपराध नहीं है। यदि एक तिहाई सदस्य विघटन करते हैं तो हम निश्चय ही उनको अनुमति देंगे क्योंकि एक नए दल में विचारों और सिद्धान्तों के विकास की गुंजाइश होनी चाहिए। यदि सिद्धान्तों के आधार पर मतभेद है तो निश्चय ही उस विघटन को सहन किया जा सकता है। और लाभ के लिए ही इस विघटन की अनुमति नहीं

की जानी चाहिए । यदि हम कांग्रेस दल के पिछले इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि दल में कई दल थे जैसे मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज दल। समाजवादी ग्रुप जैसे कुछ ग्रुप पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों द्वारा भी कांग्रेस दल में बनाए गए थे । परन्तु उनमें एक बात समान थी । वे सभी ग्रुप अथवा व्यक्ति जो पार्टी के किसी एक सिद्धान्त का समर्थन करते थे वे पार्टी में रह कर ही करते थे और उनकी विचार-धारा सिद्धान्तों पर आधारित होती थी । अतः मैं यह कहता हूं कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि विघटन को सहन किया जा सकता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि वह विघटन सिद्धान्तों पर आधारित हो न कि यह कि पार्टी के एक तिहाई लोग दल छोड़ कर जायें। यह एक ऐसा अधिनियम है जो केवल पांच या दस वर्षों तक नहीं अपितु सदा के लिये बना रहेगा ।

यह कहा गया है कि लोगों द्वारा चुने गये निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते । इसके पीछे क्या तर्क है मुझे समझ नहीं आया है । यदि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता तो किसी भी राज्य में पांच या छः निर्दलीय सदस्य इस पक्ष में या उस पक्ष में स्थिति पलट सकते हैं और इससे आयाराम और गयाराम का खतरा पुनः पैदा हो जायेगा । यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुन कर आया है तो इसका अर्थ है कि वह अपने बलबूते पर चुना गया है । यदि कई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के अस्पष्ट अथवा सक्रिय समर्थन से चुना गया है तो यह उचित होगा कि उसे किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने की अनुमति न दी जाए। परन्तु यदि कोई व्यक्ति निर्दलिय चुना जाता है तो निर्दलीय के रूप में कार्य करने का अधिकार उसके पास रहता है । मेरे विचार में निर्दलीय सदस्य के अधिकार में कमी करने अथवा उसके पैरों में बेड़ियां डालना उचित नहीं होगा । मेरा माननीय विधि मंत्री से यह अनुरोध है कि निर्दलीय सदस्यों द्वारा किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने के मामले में हमें उनके पैरों में बेड़ियां नहीं डालनी चाहिए ।

इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है और यह निश्चय दल बदल रोकने में सहायक होगा । परन्तु इस विधेयक का बुनियादी उद्देश्य और सिद्धान्त यह है कि देश में स्वच्छ लोकतन्त्र के विकास के लिए निर्दलीय गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, छोटे-छोटे प्रान्तीय और श्रेत्रीय दल होना उत्साहवर्धक नहीं है । अतः हमारा उद्देश्य लोकतन्त्र को बनाए रखना और उसका विकास करना है । समान क्षमता या शक्ति वाले दलों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है । दुर्भाग्यवश यह नहीं हो रहा है । इसके लिए अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है । चूंकि स्वच्छ राष्ट्र के लिए लोकतन्त्र होना एक अनिवार्य शर्त है इसलिए सम्पूर्ण देश में एक समान शक्ति वाले राष्ट्रीय दल होने चाहिए । जब तक उनका विकास नहीं होता सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र का विकास नहीं होगा। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि निर्दलियों को हतोत्साहित करने के दृष्टिकोण से कुछ छोटे-छोटे-क्षेत्रीय अथवा प्रान्तीय ग्रुपों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के दृष्टिकोण से और इस देश के लोकतान्त्रिक मंच पर आगे आने से रोकने के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए । यदि निर्दलीय सदस्य होंगे तो कुछ लोग दल बदल कराने का प्रयास करेंगे और दल-बदल का हथियार बनेंगे क्योंकि वे कभी इस ओर तो कभी उस ओर मतदान करते रहेंगे । जब नाजुक क्षण आएंगे जब सभा में परस्पर विरोधी दलों में बहुत कम अन्तर होगा तो केवल निर्दलीय ही भूमिका अदा करने वाले होंगे और दल-बदल को जिसको समाप्त करने के लिए हम यह विधेयक लाए हैं समाप्त नहीं किया जा सकेगा । हमें गर्व है कि इस देश के लोगों द्वारा जिस विधेयक का लम्बे समय से समर्थन दिया जा रहा था, हमारे देश के संभ्रान्त लोगों द्वारा समर्थन किया जा रहा था, हमारे देश के बुद्धिजीवियों द्वारा समर्थन किया जा रहा था, वह विधेयक अन्ततः लाया गया है । हम उनकी आकांक्षाएं/इच्छाएं पूरी करने में सफल हुए हैं और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को जाता है क्योंकि एक लम्बे समय से इसकी मांग की जा रही थी । इस पर पहले

भी विचार होता रहा है परन्तु किसी न किसी कारण इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जनता पार्टी ने प्रयास किया परन्तु उन्होंने स्वयं इसको नष्ट किया और "आपसे तो अच्छे हैं" का उनका भ्रम लोगों के समक्ष टूट गया ।

मैं एक अन्य सुझाव देना चाहता हूं। जब कोई सदस्य दल-सचेतक की अवज्ञा करता है अथवा दल के विरुद्ध मतदान करता है तो उस संबंध में एक यह उपबन्ध करना होगा कि वह सदस्य छः महीनों के लिए अथवा सभा के नये कार्यकाल के चुनाव नहीं लड़ सकेगा क्योंकि मान लीजिए साढ़े चार वर्ष वह दल बदलता है और एक अन्य दल में शामिल हो जाता है तो वह दुबारा चुनाव लड़ेगा । अतः उसे दुबारा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई उपबन्ध करना होगा । मेरा यह अनुरोध है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें । मेरे विचार में अत्यधिक बुराई का मुकाबला करने के लिए अत्यधिक तैयारी की आवश्यकता होती है ।

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यवाही वृतान्त में केवल यह सम्मिलित कराना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल उचित समय पर लाया गया है । पिछले बीस वर्षों के दौरान मैं इस सभा का सदस्य हूं। इस प्रश्न की चर्चा थी कि दल-बदल की बुराई ने इस देश के राजनीतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया है । एक से अधिक बार इस दिशा में प्रयास किया गया परन्तु बाद में उसे वापस लेना पड़ा । अतः मैं इसके लिए अपने युवा प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना भारी जोखिम उठाया है और चुनौती को साहसपूर्वक स्वीकार किया है और इस विधेयक को तैयार करा कर सभा में प्रस्तुत किया है ।

2.00 म० प०

जब मेरे परम मित्र श्री भागवत झा आजाद बोले थे तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सदन को यह बताया था कि कांग्रेस संसदीय दल तथा प्रधान मंत्री विधेयक के उस विवादास्पद उपबन्ध को निकाल देने पर सहमत हो गए हैं जिसके अंतर्गत यदि किसी सदस्य को उसके दल से निष्कासित किया जाता है तो वह अपनी सदस्यता खो देगा । मैं इस अवसर पर दोबारा प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस उपबन्ध पर हुई आलोचना का आदर किया है । मैं कांग्रेस दल को भी इसके प्रभावकारी आंतरिक लोकतंत्र कार्यकरण के लिए बधाई देता हूं । दल की बैठक में बहुत से सदस्यों के विचारों की अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप ही प्रधान मंत्री ने दल के बहु संख्यक सदस्यों की इच्छा को स्वीकार किया ।

श्रीमन्, मैं आपको तथा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय को भी बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपका काम अब बहुत आसान हो गया है। अब आपको यह फैसला करने के लिए किसी सदस्य को नियमों और विनियमों के अनुसार निष्कासित किया गया है या नहीं, नियम बनाने, दलों तथा उनके संविधानों का पंजीकरण करने तथा उनके कार्यकरण को शासित करने सम्बन्धी नियम तथा विनियम बनाने की समस्या नहीं होगी । इस कार्य से आपको बचा लिया गया है ।

तथापि, मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि इस सभा के सदस्य का निर्वाचन लाखों मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ऐसा उपबंध बहुत खतरनाक होगा जिसके अंतर्गत यह सम्भावना हो सकती है कि एक गुट बैठक में बैठे पांच व्यक्ति, जिनका राज्य में दल के तंत्र पर नियंत्रण है, किसी न किसी कारण से एक सदस्य को निष्कासित करने का फैसला करें, और वे उस विशेष सदस्य को चुनने वाले लाखों मतदाताओं की लोकतांत्रिक इच्छा को रद्द करने का निर्णय करें । इसलिये, मैं समझता हूं कि इस उपबंध को निकाल देने संबंधी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।

इस निर्णय के फलस्वरूप, यह विधेयक अधिक स्वच्छ व सुदृढ़ तथा विवादरहित हो जाएगा। इसलिए मैं विपक्ष के अपने मित्रों से अपील करूंगा कि वे बेकार में सदन का समय न लें, कुछेक मामूली संशोधनों यदि आवश्यक हो के पश्चात् इसे पारित करने पर हमें सहमत हो जाना चाहिए।

फिर भी, मैं विधि मंत्री से कई प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस विधेयक में एक दल के अन्य दल के साथ विलय का प्रावधान है। मैं समझता हूं आपने यह कहा है कि यदि किसी विधायक दल के दो तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में निर्णय लेते हैं तो यह विलंब मान्य होगा और सदस्य अनर्हता के अरिष्ट के अन्तर्गत नहीं आएगा।

लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश में बहुत से छोटे-छोटे दल हैं, उनमें से कई क्षेत्रीय दल हैं जिनके विधान सभा में 5 या 6 से अधिक तथा संसद् में एक या दो से अधिक सदस्य नहीं हैं। मान लीजिए इस सदन के किसी विशेष दल के दो सदस्य विलय का निर्णय करते हैं। यह विलय मान्य तथा बिलकुल वैध होगा। लेकिन दल का संगठन तंत्र विलय नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या होगा ? और यह दल चुनाव में मिले मतों की संख्या के आधार पर एक मान्यता प्राप्त दल है, उसका अपना चुनाव चिन्ह है जो चुनाव आयोग ने दिया है। यहां एक ऐसा मामला है जिसमें दल के निर्वाचित सदस्य दल छोड़ कर किसी दूसरे दल के साथ विलय कर चुके हैं, लेकिन दल का संगठन बना हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या चुनाव आयोग द्वारा दल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी? हम चाहते हैं कि विधि मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करें।

मैं केवल यही मुद्दा रखना चाहता हूं, अन्यथा मुझे इस विधेयक पर और कोई आपत्ति नहीं है।

मैं विपक्षी सदस्यों से दोबारा अनुरोध करता हूं कि वे आज इस विधेयक को पारित करने में सहयोग दें। देश में अनुशासन की आवश्यकता है। हमें आगे आने की आवश्यकता है और प्रत्येक सदस्य के स्वंय पर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि जिन लोगों ने उसे चुना है उनकी इच्छा का आदर करने के लिये यह न्यूनतम आधारभूत कार्य है। वास्तव में यह बड़े अफसोस की बात है कि इसका प्रावधान हमें इस प्रकार कानून बना कर करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि यदि इस देश में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का व्यवहार सही होता, वे कुछ मानक बनाए रखते तो इस प्रकार का कदम उठाने की आवश्यकता ही न पड़ती लेकिन, आज भारत में जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि यह कदम ठीक समय पर उठाया गया है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा के सामने जो संविधान संशोधन आज आया है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। तथा इसके दूरगामी परिणाम होंगे। दल-बदल के इस खतरे का सत्ताधारी दल को जो देरी से बोध हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जब से राजनीति में 'आया राम' 'गया राम' का पदार्पण हुआ, दल-बदल हमारे राज्यतंत्र के प्राणाधार को ही खाए जा रहा था।

अपनी घोषित इच्छा में नए प्रधान मंत्री ने राजनीतिक जीवन को स्वच्छ बनाने की जो पहल की है तथा उन्होंने इस विधेयक पर विपक्ष के साथ चर्चा कर के जो दृष्टिकोण अपनाया है, मैं उसका विशेषरुप से स्वागत करता हूं।

मुझे यह भी मालूम है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक हमारे विधि मंत्री एक विख्यात सांविधिक विधिवेत्ता हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक वह मंत्री हैं हमारे मौलिक आधारभूत अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे।

यह आरोप लगाने का अवसर नहीं है और यहां सदन में प्रतिनिधित्व करने वाली अधिकांश पार्टियां दोशी हैं दल-बदल को प्रोत्साहन देने का शर्मनाक प्रदर्शन भारत में 1967 से आरम्भ हुआ है लेकिन पिछले दो वर्षों में तो इसने घोर रूप धारण कर लिया है, जैसा कि सिक्किम तथा पांडिचेरी और जम्मू एवं कश्मीर तथा आन्ध्र प्रदेश के मामले में हुआ है। यह विश्वास करना कठिन है – चाहे आप इस विधेयक का कितना भी स्वागत करें – कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में ** मंडली को तथा आन्ध्र-प्रदेश के कुख्यात ** को प्रोत्साहन दिया.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नाम न लें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी नहीं, नामों का उल्लेख करने की अनुमति है। इसका पहले ही उल्लेख हो चुका है और इस पर चर्चा भी हो चुकी है।

श्री राम प्यारे पनिका : 'कुख्यात' जैसे शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ठीक है, उसे देखेंगे।

श्री सुद्दिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यह असंसदीय नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ठीक है, व्यवधान न डालें। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, तत्पश्चात् आप उसका खंडन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह एक गौरवमय रिकार्ड है।

तत्कालीन गृहमंत्री जो अब भी सरकारी पक्ष की सीटों को सुशोभित कर रहे हैं और जिन्होंने श्री एन० टी० रामाराव की निर्वाचित सरकार को हटाने के षड्यंत्र की वीरतापूर्वक वकालत की थी इसी सदन में मौजूद हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : श्रीमान्, इन नामों से सभी परिचित हैं, इन नामों का उल्लेख करने का कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें यही तो कहा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ऐतिहासिक बहुमत के बावजूद राजनीतिक चोरी जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बेकार में नामों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह आवश्यक है या अनावश्यक, यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या संसदीय है और क्या असंसदीय, यह निर्णय करना आपका काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या संसदीय है और क्या असंसदीय, यह उन पर छोड़ देते हैं।

इन सभी बातों के बावजूद अभी भी प्रयास चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ दिन पहले बिहार में राजनीतिक चोरी का एक मामला हुआ, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चे के एक सदस्य को अपना दल छोड़कर सत्ताधारी दल में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। इसलिए, यदि लोग इस विधेयक के कुछ कठोर उपबन्धों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, जिसमें भारी आशंकाओं के साथ संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, तो उन्हें क्षमा

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि यह सरकार अपनी ही प्रतिछाया तथा बहुमत से भयभीत है और इससे इसके नेताओं को चिंताकुल क्षण बिताने पड़ रहे हैं? तथापि, हम दल-बदल की समस्या से निपटने के दृढ़ विश्वास और इस संबंध में चिन्ता के कुछ भावावेगों का स्वागत करते हैं। यह पहला अवसर नहीं है कि इस सभा का या सत्ताधारी दल का ध्यान दलबदल की समस्या की ओर गया है। श्रीमन् मुझे याद है सातवें दशक के आरम्भ में इसी सदन में, यहां तक कि कांग्रेस संसदीय दल में, वाद-विवाद हुए थे और श्री एच०आर० गोखले, को संयोजक बना कर, श्री मोहन कुमारमंगलम तथा अन्य व्यक्तियों को इसमें शामिल करके एक दल का गठन किया गया था। संयोगवश, मैं भी उसका सदस्य था और हमारी सिफारिशों के अनुसरण में 1973 में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, जो दुर्भाग्य से व्यपगत हो गया और जनता के दौर में एक और विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो जनता पार्टी के ऐतिहासिक विघटन से उठे तूफान में निर्जीव हो गया।

श्रीमन्, इसलिए, दल-बदल को समाप्त करना अनिवार्य रूप से अत्यावश्यक चुनाव सुधारों का एक अंग है और मैं नहीं समझता कि इसे राजनीतिक आकस्मिकताओं के सिवाए अलग किया जा सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार का भी यही विचार था। और इस सदन में पूछे गए अनेक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने 1983 तथा 1984 में भी बार-बार यही कहा था कि दलबदल की समस्या चुनाव सुधारों के बड़े प्रश्न का एक अंग है और इसे इससे पृथक करके नही देखा जा सकता। श्रीमन्, इसलिए मेरा विचार था कि मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री त्रिवेदी का राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव ही इसके दल की गारन्टी हो सकता था। लेकिन अब वे संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा करना चाहते हैं। श्रीमन् अनुच्छेद 102 (ङ) तथा 191 (ङ) में यह बहुत स्पष्ट है कि संसद चाहे तो ऐसे आवश्यक संशोधन कर सकती है। लेकिन, अब जो किया जा रहा है, वह दल-बदल को रोकने का एक साधारण विधेयक नहीं है बल्कि इससे बढ़ कर कुछ और है। विशेषकर खंड 6(2) के मामले में यह हमारे संविधान के मूलभूत ढ़ांचे तथा अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत विशेषाधिकारों के बुनियादी ढ़ांचे को ही प्रभावित करता है जिससे कि हमारी व्यवस्था की मूल प्रकृति ही विकृत होती है। महोदय, इस विधेयक के आने से एक नये तत्व का समावेश हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इससे दल-बदल तथा इसके हाकिम की तानाशाही को वैधता नहीं मिलेगी तथा यह असहमति को दबाने का हथियार साबित नहीं होगा। यदि यह विधेयक 1969 में लागू होता तो क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी रहतीं? श्रीमन्, मेरा यह विचार है कि भारत में दलों पर केवल संसदीय नेताओं या जन आन्दोलनों का ही प्रभुत्व हो सकता है, जिनकी वैकल्पिक नीतियों पर विचार होता है तथा उन पर चर्चा की जाती है, क्योंकि भारत के संदर्भ में, दलों में जटिल बहुदलीय संघ अनिवार्य रूप से बने रहेंगे? हमारी नीति के निर्णायक स्वरूप की ओर आते हुए, परिवर्तन या सुधार की धुन को समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है:

> "कांग्रेस के भीतर ही बहुत से समूह हैं जिनके विचारों व सिद्धांतों में व्यापक भिन्नता है। यदि कांग्रेस को राष्ट्र का दर्पण बनाना है तो यह स्वाभाविक तथा अपरिहार्य है।"

यदि कांग्रेस में यह बात नहीं होगी तो कांग्रेस कांग्रेस नहीं रहेगी। श्रीमन्, यही नहीं, भारतीय संविधान के एक अन्य अनुभूतिक्षम प्रयवेक्षक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय संविधान सार्वजनेन इच्छाओं की हैं अभिव्यक्ति करता है न कि कुछ गिने चुने लोगों की आवश्यकताओं की, और यह कांग्रेस के भीतर असहमति को स्वीकार किए जाने के कारण ही सम्भव हुआ है।

श्रीमन् दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या संसदीय लोकतंत्र या वेस्टमिन्स्टर प्रणाली में आप एक राजनीतिक स्थिति को स्थायी रुप से बनाए रख सकते। सभा में बहुमत प्राप्त करना केवल आधी उपलब्धि हैं। बहुमत के बावजूद सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और इससे भी अधिक उसे बदलते हुए जनमत के मिजाज के प्रति

K.P.U.

निरन्तर अनुकूल होना होता है । श्रीमन् इसमें, विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी दल के पिछली सीटों पर बैठने वाले सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । उदाहरण के लिए 1970–74 में यू०के० में एडवर्ड हीथ की सरकार की नियति को लीजिए, जो इन वर्षों के दौरान छह बार पराजित हुई थी। लेकिन इसे सत्तामुक्त नहीं होना पड़ा । इसे जनमत का आदर करने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा पिछली सीटों पर बैठने वाले सांसदों के विद्रोह ने उन्हें कुछ अलोकप्रिय कदमों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। कोई कानून जो विरोध पर काबू करना चाहता है वह जवाबदेही और प्रत्युत्तरदायिता के मूल सिद्धान्तों पर एक प्रहार कर रहा है। अतः दूसरे शब्दों में, यह प्रणाली के सिद्धान्तों पर प्रहार करता है । अतः इस प्रश्न पर भी चर्चा होनी चाहिए कि संसद के सदस्य वास्तव में किस के प्रति जवाबदेह हैं, अपने मतदाताओं के प्रति या दल के नेताओं के प्रति । यह एक ऐसा विवाद है जिस पर कभी निर्णय नहीं लिया गया है । क्या वह सदन में प्रतिनिधि के रूप में है या सदन में किसी का स्वतंत्र एजेन्ट ? यह विषय हमें विशेषाधिकारों की गारंटी के ढांचे की समस्या पर ले आता है जो संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय इतिहास के काफी वर्षों के बाद बने हैं ।

यह मान्यता देता है कि सदस्य स्वतंत्र एजेन्ट हैं और सदन की अपनी प्रौढ़ता है । इसका मतलब यह नहीं है कि स्वस्थ पार्टी ढांचे को बनाने के लिए कोई मापदंड नहीं होना चाहिए बल्कि यह सुझाव करता है कि एक साधारण विधेयक इस संविधान संशोधन विधेयक की बजाय दल-बदल को रोकने के लिए समय की जरूरतों के लिए काफी था ।

महोदय, मैं आपका व सदन का आपके द्वारा एक जरूरी विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। संसदीय लोकतंत्र व उन राष्ट्रों में जिनमें नाम मात्र लोकतंत्र है, वास्तव में उनका मूल तानाशाही है, में महत्वपूर्ण अन्तर है । ऐसा ही आइवर जैनिंगस ने कहा है :

> "ब्रिटेन व तानाशाह राष्ट्रों में वास्तविक अन्तर यह है कि हमारे यहां एक गुट नहीं है जो अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए समझाने बुझाने, धोखा-धड़ी, या ताकत का सहारा लेता है बल्कि कम से कम दो गुट हैं जो सत्ता को पाने व बनाये रखने की कोशिश करते हैं। ये गुट राष्ट्रीय हित के भिन्न-भिन्न मतों को आधार बनाकर जनमत को उसी की नीति का अनुकरण करने का आग्रह करता है।"

एक बार आप इस मूल बात को मान लेते हैं तो आवश्यक बदलाव लाना मुमकिन होगा । कानून द्वारा भारत जैसे बड़े राष्ट्र में लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं बनायी जा सकतीं। ये केवल कुछ आधारों, जैसे विचारधारा, सिद्धान्तों व प्रोग्रामों और इससे अधिक विरोध को सहन करने पर बनाई जा सकती हैं । आंतरिक लोकतंत्र विशेषतया सत्ताधारी दल या प्रबल दल में आवश्यक है क्योंकि जैसा कि इतिहास बताता है अगर प्रबल दल में विरोध को दबाया जाए तो यह सारी व्यवस्था पर छा जाता है । अतः सहनशक्ति और संयमन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए परम आवश्यक हैं ।

मैं, एक न्यायाधीश के निर्णय, लरनैड हैंड, जिससे विधि मंत्री वाकिफ हैं, का उल्लेख करके अपना भाषण समाप्त करूंगा :

> "उस विदीर्ण समाज को जिसमें संयमन की भावना समाप्त हो चुकी हो, कोई न्यायालय नहीं बचा सकता; जिस समाज में संयमन की भावना फलती-फूलती रहती है उसे बचाने के लिए किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं ; जो समाज इस भावना को बनाये रखने की जिम्मेदारी न्यायालयों पर थोपता है तो वह भावना अन्त में लुप्त हो जाएगी । संयमन की भावना क्या है ? यह वह स्वभाव है जो स्वयं की लाभ स्थिति को बुरे प्रयोग के लिए बाध्य नहीं करता और जो दूसरे पक्ष को समझकर सम्मान देगा।"

यह भावना हमारे राष्ट्र में भी आजकल दिखाई नहीं देती । इसकी कमी न सिर्फ राजनीतिक स्वच्छता के स्तर पर प्रभाव डाल रही है बल्कि उस पार्टी तंत्र पर भी इसका प्रभाव हो रहा है जिस पर हमारा संविधानिक ढांचा स्थिर है ।

मैं अपने मतभेदों के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री विष्णु कुमार मोदी (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की भावना से अपने को संबद्ध करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में अपने ही पक्ष को, अपने ही दल को कमजोर करने के लिए काम करने की परंपरा रही है । नादिर शाह के जमाने से यह चला आ रहा है । जब वह हिन्दुस्तान में आया और एक किले के बाहर उसकी सेना भूख से मरने लगी और वह वापिस जाने के लिए तैयार हो गया, उसी समय एक रात को किलेदार उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि यदि आप मुझे 10 हजार दीनार देंगे तो मैं रात को किले का दर्वाजा खोल दूंगा । नादिर शाह ने उसको 10 हजार दीनारें दे दीं और 10 हजार दीनारें उसे बाद में देने के लिए कहा । ठीक समय पर उस किलेदार ने किले का दरवाजा खोल दिया और नादिरशाह उस किले पर कब्जा करने में सफल हो गया । उसका नतीजा हिन्दुस्तान को क्या भुगतना पड़ा, यह सब लोग जानते हैं । नादिरशाह ने एक जगह लिखा है कि हिन्दुस्तान के किलों पर कब्जा करने के लिए सेना की जरूरत नहीं है । इसके लिए खच्चरों पर सोने की दीनारें ले जाइये और आप का हिन्दुस्तान के किलों पर कब्जा हो जाएगा और दीनारें भी वापिस आ जाएंगी । उसके बाद आगे चलें तो हिन्दुस्तान के एक हिन्दु बादशाह थे, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने विदेशियों के साथ भी लड़ाई लड़ी । इस देश में जयचंद ने जो किया, वह सबको विदित है । पलासी के मैदान में मीर जाफर ने जो भूमिका निभाई वह भी सबको मालूम है । इस देश में जयचन्द और मीर जाफर जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने देश को काफी नीचे धकेला है । इस तरह से जब देश को आजादी मिली तो इस देश के लोगों ने जाना देश को धिक्कार कर दल-बदल किया और अपने ही पक्ष को तथा देश को कमजोर करने की कोशिश की । दल-बदल विधेयक को यहां पर लाने की कई बार कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देवकी के आठवें पुत्र भगवान कृष्ण ने तो इस देश में क्रांति ला दी थी । उसी तरह से यह आठवीं लोक सभा है और इस संसद् का नेता भारत माता का सपूत है । उन्होंने यह कहा है कि मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हू कि इस देश के अन्दर स्वच्छ सरकार हो । उन्होंने कथनी और करनी के अन्तर को मिटाया है और इस विधेयक को पास कराने की कसौटी कसी है । ऐसा लगता था कि इस देश में मूलभूत समस्यायें कैसे हल होंगी । भ्रष्टाचार और दल-बदल को रोकने की जो बात थी, उससे यह समझ में आता था कि इस देश में क्या होगा । हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में इस बात को साबित करके दिखा दिया है कि जो वह कहते हैं उसको पूरा करेंगे । जनता जो जनमत देती है और जिन नीति और सिद्धांतों के ऊपर लोग वोट लेकर यहां पर आते हैं उसके बाद थोड़े से निहित स्वार्थों की वजह से दल-बदल कर देते हैं और अपने ही पक्ष को तथा सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं । इसके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी था । क्योंकि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है । 1967 के बाद दल-बदल की बाढ़ आई थी और लोगों ने अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश की थी । यह अच्छी बात है कि माननीय विपक्ष के सदस्यों ने भी इस बिल का स्वागत किया है । ये लोग भले ही विपक्ष में कम आये हों लेकिन इनकी संख्या उतनी ही बनी रहनी चाहिये । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष से राय लेकर ही देश को आगे ले जाया जायेगा । वे इक्कीसवीं शताब्दी की कल्पना करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि यह देश विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा हो सके । मैं समझता हूं यह पहला विधेयक है जो इस सत्र के अन्दर पारित कराया जा रहा है । इससे बड़ी और कोई शुरूआत नहीं हो सकती थी । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : दूसरे विरोधी सदस्यों की तरह मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का आमतौर से स्वागत करती हूं। देश के राजनीतिक जीवन को स्वच्छ बनाने की कोशिश की प्रशंसा की जा रही है। मैं उन भावनाओं की सराहना करती हूं और इसलिये मैं कह रही हूं कि यह वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है। इस विधेयक का प्रस्ताव रखा गया है व आज जल्दी में इसको पारित करवाया जा रहा है इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इसको समझ नहीं पा रही हूं। यह विधेयक पारित होने के बाद प्रभाव में आ जाएगा। परन्तु इस बीच पिछले आम चुनावों के बाद मैंने देखा कि मेघालय में कुछ निर्दलीय सदस्यों को सत्तारूढ़ दल में चुपचाप आने की इजाजत दी गई है और इस तरह सत्तारूढ़ दल की सरकार वहां बनाई गई हैं। उसके बाद दोबारा आज मैंने सुना है—मैं अब तक इसका पूरी तरह सत्यापन नहीं कर पाई हूं— कि नागालैंड में भी.....

श्री जी० जी० स्वैल : मैं माननीय सदस्य के कथन को ठीक करना चाहता हूं। यह सच है कि मेघालय कांग्रेस विधायक दल में सदस्यता दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उस विलय की वजह से बनी है। सरकार वहां पर पूर्ण बहुमत से थी। केवल कुछ और सदस्य प्रवेश चाहते थे। सरकार इन दो नये सदस्यों के आने से नहीं बनी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे माननीय सहयोगी श्री जी०जी० स्वैल कहते हैं कि सरकार पहले से ही वहां पर थी। लेकिन सत्य यह है कि ये दो व्यक्ति इस विधेयक के उपबन्धों के विपरीत सत्तारूढ़ दल में शामिल किये गये थे। मैं नहीं जानती कि इन दो व्यक्तियों को भविष्य में सरकार का स्थिर रखने के लिये प्रवेश दिया गया है। सतारूढ़ दल में निर्दलीय सदस्यों का शामिल होना तथ्य है। यहां पर इस बात पर भी विचार किया गया है कि कोई निर्दलीय भी दलों में शामिल नहीं होगा और वह भी दल-बदल है। यह और भी अच्छा होता अगर यह कहा गया होता कि ये उपबंध कम से कम 1985 के चुनावों से प्रभाव में आये। यह स्वच्छ प्रशासन के लिये स्वच्छ कोशिश करने में सहायक होगा अगर ये प्रशंसायें नहीं हो रही होती तो मैं यह भी नहीं कहती फिर भी जैसा मैंने पहले आपको बताया मैं आमतौर से इस विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करती हूं और इस कोशिश का स्वागत है हालांकि यह सत्य है कि एक बार में भविष्य में आने वाली सारी समस्याओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस बात को ध्यान में रख कर मैं सिर्फ कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगी।

यह अच्छी बात हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रातःकाल की सभा में हमारे एक सुझाव को मान लिया हैं। वह उपधारा (ग) को उठाकर दूसरी जगह दूसरी स्थिति पर रखने के संबंध में है। वह हमें स्वाभाविक लगा। मुझे उसमें नहीं जाना.....(**व्यवधान**) क्या मुसीबत है ? मैंने नहीं माना है।

2.27 मं०प०

[**श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए**]

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें।.....कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उनकी बैठक में जो हुआ वो वह जाने ! मैं केवल उस पर बोल रही हूं जो प्रधानमंत्री ने हमारी सुबह की सभा में कहा।

श्री जी०जी० स्वैल : हम आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। हम केवल कुछ बातों को बता रहे हैं। प्रधान मंत्री ने आपके साथ बैठक में नहीं माना है। उन्होंने दल के सदस्यों की दलीलों को माना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उसके लिये आप इतना अधिक समय ले रहे हैं। आपको वह बात कहने से किसने रोका ? वह आप पर निर्भर था।

जैसे भी हो, मैं विषय पर वापिस आती हूं। मैं इस भद्र वातावरण को अच्छी प्रकार से समझती हूं।..... (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती । किन्तु उससे पहले मुझे यह आशा है कि स्थिति पूरी तरह से बदलेगी नहीं।

किन्तु हम इस बात के बारे में बहुत महसूस करते हैं कि यद्यपि हम सब दल-बदल के बहुत विरुद्ध हैं, हम यह भी चाहते हैं कि हमारे इस प्रकार के लोकतन्त्र में असहमति के अधिकार पर गम्भीर रूप से विचार किया जाये। इसलिये ही हम उपखण्ड (ग) का विरोध कर रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि उस पर विभाजन के भाग के अन्तर्गत विचार किया जायेगा। मैं विशेष रूप से प्रधान मन्त्री से इस संबंध में जानना चाहती हूं कि यदि एक दल-बदल को दल-बदल न कह कर विभाजन कहा जायेगा, तो इस प्रकार दल-बदल निवारण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं तथा कब करना चाहते हैं; सरकारी दल के बहुमत की पुष्टि कैसे एवं किसके द्वारा की जायेगी? मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहती हूं कि यह कार्य राज्यपाल की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। अतः विभाजन, होने की स्थिति में सरकार के बहुमत की पुष्टि के एक लिये एक त्वरित एवं स्पष्ट उपबन्ध की आवश्यकता है, जिससे यह पता चले कि विधान-मण्डल को सम्बद्ध सरकार के बहुमत अथवा अल्पमत में होने संबंधी निर्णय कितने समय में देना होगा? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्र श्री अमल दत्त ने इस बारे में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया है, मैं भी यही चाहती हूं कि इस संबंध में राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिये। मैं चाहती हूं कि इस विधेयक में एक उपबन्ध किया जाये जिसमें यह स्पष्ट कहा जाये कि इस प्रकार की घटना के दो अथवा तीन दिन के अन्दर सम्बद्ध विधानमण्डल की बैठक बुलाई जायेगी और बहुमत का पता लगाया जायेगा। व्यापक स्तर पर दल-बदल अथवा धन अथवा पद का लोभ रोकना बहुत आवश्यक है। मेरे विचार में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन जानता है कि विधान-सभा चुनावों से क्या स्थिति सामने आने वाली है? अतः मैं चाहती हूं कि सभी भावी सरकारों के लिये इस प्रश्न का समाधान इसी समय में हो जाना चाहिये। यदि बहुमत का सभा में यथाशीघ्र समय में पता लगाने के प्रश्न का समाधान कर लिया जाये तो यह उनके तथा सत्तारूढ़ दल के तथा विपक्ष के हित में होगा।

सभापति महोदय, मैं मन्त्रालय के आकार के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहती हूं। मुझे बताया गया है कि यद्यपि यह प्रश्न इस संविधान संशोधन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, किन्तु मैं यह अनुभव करती हूं कि सब स्थानों पर बड़े आकार के मन्त्रि-मण्डल ही बनाये जाते हैं। इससे अन्य लोगों को दल-बदल का प्रलोभन मिलता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : (हावड़ा) : इसमें पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार भी शामिल है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं माननीय सदस्य की, हमारी सरकार के प्रति चिन्ता को समझती हूं, किन्तु मैं उन्हें आश्वासन देना चाहती हूं कि इसका दल-बदल से पतन कभी नहीं होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं सरकार के पतन की बात नहीं कर रहा, मैं तो आकार की बात कह रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्रिमण्डल का आकार सभा के सदस्यों की संख्या के दसवें भाग तक सीमित होना चाहिए। 1967 में समिति ने भी यही सिफारिश की थी । यदि वास्तव में इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन की स्थापना करना है, इसके लिये अनेक मोर्चों

पर कठिनाइयां का समाधान करना होगा । में एक क्षेत्र का उल्लेख कर रही हूं। मन्त्रालय का आकार क्या होगा, इसके बारे में विधेयक में तो उपबन्ध नहीं किया जा सकता, किन्तु नियम तथा निर्देशों आदि के माध्यम से इसके बारे में उपबन्ध किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हम इस विधेयक को लागू कर इसकी उपयुक्तता परख सकते हैं। मेरा यह विश्वास है कि व्यवहार रूप से होने वाले अनुभवों से इसके अन्य अनेक पक्ष उद्घटित होंगे और हमें अपने अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए इसकी समीक्षा करनी पड़ सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसरवादिता के कारण कोई दल-बदल न हो तथा उचित लोकतान्त्रिक व्यवस्था के हित में प्रत्येक दल में असहमति की अनुमति भी हो।

श्री बिनायक जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं संविधान में संशोधन करने वा विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

सबसे पहले तो मैं अपने गतिशील युवा प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र का भार अपने कंधों पर लते ही हमारे दल के घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को एक एक कर निष्ठा के साथ क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस ने सरकार तथा सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार दूर करने तथा सार्वजनिक जीवन में अनुशासन की भावना लाने की घोषणा की थी। भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा साहसिक कदम उठाया गया है। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटा कर उसमें अनुशासन लाने की दृष्टि से संविधान में गतिशील संशोधन करने का इससे पहले कोई साहस नहीं कर सका।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय विधि मन्त्री महोदय का ध्यान एक विशेष खंड अर्थात् खंड 6 की ओर दिलाना चाहता हूं जो दल-बदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्नों के सम्बन्ध में हैं। इस विधेयक में यह सही कहा गया है :

> "जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे सदन के, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

यह सही है किन्तु हमें इस मामले के दूसरे पहलू के बारे में भी सोचना होगा। यदि अध्यक्ष अथवा सभापति, जो इस प्रकार निर्वाचित हुआ है, उस दल को छोड़ देता है जिसकी टिकट पर वह सभा में निर्वाचित हो कर आया है, तो उस स्थिति में क्या होगा। दूसरी ओर, मुझे एक ओर बात की आशंका हो रही है । अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति अथवा अध्यक्ष को सभा में आने के लिए चुनाव लड़ने के लिये अपने भूतपूर्व दल अथवा अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना पड़ता है। इसके लिये उसका किसी दल विशेष के प्रति कुछ झुकाव हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय विधि मंत्री महोदय से एक सुझाव का निवेदन करता हूं कि वे एक ऐसा संशोधन लाएं कि जो व्यक्ति एक बार अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, सभापति अथवा उप सभापति निर्वाचित होता है तो उसे सभा के लिये बिना विरोध चना जाना चाहिए। उसे किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने की आवश्यक्ता नहीं होनी चाहिए । हमारे कानून में ऐसा उपबन्ध होना चाहिये ताकि हमारे सभापति, अध्यक्ष, उप-सभापति अथवा उपाध्यक्ष के निर्णय नितान्त निष्पक्ष हों तथा हम सभी उसे स्वीकार करें।

मैं विधि मन्त्री महोदय को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इन मामलों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है। यह स्वागत योग्य विधान है और मुझे आशा है कि समूची सभा इसे स्वीकार करेगी। मैं दूसरी ओर के सदस्यों का भी आभारी हूं कि उन्होंने विधि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया खंड 2

(1) (ग) के लिए संशोधन को स्वीकार कर लिया है। किन्तु इसके साथ ही मैं यह कहाना चाहता हूं कि 1967 के पश्चात् अनेक क्षेत्रीय दलों के विकास के कारण ही दल बदल का चलन आरम्भ हुआ। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि धर्म, भाषा,एवं क्षेत्र के नाम पर इस प्रकार के अनेक क्षेत्रीय दलों के विकास पर प्रतिबंध लगना चाहिये ताकि हमारे देश में भविष्य में एक स्वस्थ लोकतन्त्र विकसित हो सके। निसन्देह, मैं जानता हूं कि हमारा लोकतन्त्र अनेक राजनीतिक दलों के लिये है। किन्तु हमें ऐसे अनेक क्षेत्रीय दलों के विकास को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये जो हमारी अखण्डता और स्वतन्त्रता के लिए खतरा हो महोदय, मैं तेलगु देशम अथवा अन्य किसी दल का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य कांग्रेस दल की आलोचना कर रहे हैं कि वह अतीत में इस विधेयक को नहीं लाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रिय प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोकतन्त्र के विकास में आने वाले खतरों से भली भांति परिचित होते हुए इस विधेयक को प्रस्तुत किया था किन्तु उसे इस सभा में पारित नहीं किया जा सका। उसी प्रकार मैं विपक्षी सदस्यों को भी दोष देना चाहता हूं उन्होंने अपने शासनकाल में यह विधेयक पेश किया था किन्तु इसे पारित नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी इसमें रुचि नहीं थी अथवा उन्हें यह आशंका थी कि यदि सभा में विधेयक पारित हो गया तो शायद वे भविष्य में देश में शासन न कर पाये। इसलिए इसे पारित नहीं किया जा सका था। अतः उन्हें हमें दोष नहीं देना चाहिए। अब हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव और उनकी सरकार का इस सदन में दो-तिहाई बहुमत है।

सभापति महोदय : आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चिन्तामणि जेना : इसके बावजूद, विपक्ष से कुछ सदस्य हम में शामिल होना चाहते हैं। इस बात को पूरी तरह जानते हुए भी हम इस विधेयक को यहां लाए हैं। इस सभा के सभी वर्ग तथा सभी दल इस विधेयक को लाने के लिये विधि मंत्री महोदय को बधाई देने में मेरा साथ दें धन्यवाद

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, प्रो० मधु दण्डवते एवं श्री भागवत झा आजाद जैसे वरिष्ठ सहयोगियों के विचार सुनने तथा सरकार की ओर से अभी अभी पैरा 2(ग) पंक्ति पैंतीस से छत्तीस में संशोधन प्राप्त होने के बाद और आगे कहने को कुछ शेष नहीं रहता है।

महोदय, मैं सरकार को इस देश के राजनीतिक स्वरूप में सुधार के लिये उठाये गये प्रमुख कदम के लिए बधाई देता हूं। मुझे याद है कि 1980 में दूसरे सत्र में लोक सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मैं जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा।

"राजनीति में प्रवेश करने पर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं;" मैंने उन्हें उत्तर दिया; समूचे देश के भ्रमण के बाद कुछ अनुभव प्राप्त करने से मैं यह निजी तौर पर अनुभव करता हूं कि शीघ्र ही दो कदम उठाने की आवश्यकता है।" "मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि दल बदल एक समस्या है और दूसरी समस्या विधायकों से उनकी सम्पत्तियों के बारे में घोषणा करवाना है। उन्होंने मुझे कुछ कदम उठाने के लिए कहा। मैंने यहां वहां कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श किया और मैंने 1980

में गैर-सरकारी सदस्यों के दो विधेयक पेश किये । पहला दल-बदल के बारे में था और दूसरा विधायकों द्वारा सम्पत्तियों की घोषणा के बारे में था । पहला तो बैलट में नहीं आ सका । दूसरे पर छः से आठ घन्टे तक बहस हुई किन्तु उसका भी वही हुआ जो होना था ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने राजनीतिक वातावरण में सुधार करने के लिए यह कदम उठाया है। मेरे विचार से इस विधेयक पर बहस दलों की विचारधारा के अनुसार नहीं होनी चाहिए । विषय में अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी । क्योंकि बहस में तो अनुभव का ही महत्व होता है किन्तु आज अनुभवी व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देते और यह बहस अनभवहीन अथवा कम अनुभव वाले व्ययितयों तक ही सीमित रह गई है। जिन व्यक्तियों को काफी अनुभव था वे तो आज ससद में ही नहीं आ पाये हैं ।

मैं इस विषय के बारे में अधिक जानने के लिये सन्दर्भ ग्रन्थालय गया । मैंने यह जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन किया कि वास्तव में दल बदल आरम्भ कैसे हुआ, इसे सबसे पहले आरम्भ किसने किया और किस दल ने इस सम्बन्ध में सिद्धान्त का सबसे पहले उल्लघन किया । मैं यह सूचना एकत्रित कर सका कि 1960 के आरम्भ में एक विधायक ने कुछ अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस दल छोड़ा था और उसने कांग्रेस क्रान्ति दल का गठन किया था ।

यह काम एक विधायक ने किया था । इसके बाद उसने नाम भारतीय क्रांति दल कर दिया । तत्पश्चात यह लोक दल हो गया । फिर यह जनता पार्टी बना । अब शायद इसे दलित मजदूर किसान पार्टी या कुछ और कहा जाता है । इसके बाद यह खेल हमारे देश में विशेषकर राजनीतिक क्षेत्रों में इतना लोकप्रिय हो गया है कि यदि आप यह पता लगाना चाहें कि इसके लिए कौन दोषी है तो पता लगाना कठिन हो जायेगा इसके लिए प्रत्येक दोषी है । आज ऐसी स्थिति हो गई है कि इसके लिए सरकार को विधेयक लाना पड़ा है ।

कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय नेता नहीं बन सका वह किसी क्षेत्र में चला गया और वहां क्षेत्रीय दल बना लिया । आज क्षेत्रीयता बढ़ रही है हमें इसे समाप्त करना होगा। मेरे विचार से इस विधेयक से इसमें कुछ कमी आयेगी ।

खंड 2 (ग) का समुचित संशोधन कर दिया गया है । मुझे खुशी है । मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं । हां, विधि मंत्री महोदय को इतना कहना चाहता हूं कि यह विधेयक तभी उपयोगी तथा सहायक होगा जब यह संसद और विधान मण्डलों दोनों के सदस्यों द्वारा अपनी आस्तियां घोषित करने संबंधी एक और विधेयक लायेंगे । तब हम आशा कर सकते हैं कि देश में राजनीतिक वातावरण में सुधार होगा । इस समय तो यह दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है ।

सच बात तो यह है कि इस बार दल बदलुओं में से ज्यादा लोग चुनकर संसद नहीं आये हैं । नागरिकों ने उनकी गतिविधियों को चिन्ता से देखा है और इसे काफी गम्भीरता से लिया है । ऐसा लगता है उन्होंने यह महसूस किया है कि यदि वे स्थिति में सुधार नहीं लाते तो राजनीतिज्ञ नहीं सुधरेंगे । इसलिये उन्होंने ऐसे लोगों को अस्वीकार कर दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : इज्जतमाब चेयरमैन, जहां तक इस बिल का ताल्लुक, है, नेशनल कांफ्रेंस ने इस मामले में अपनी राय बिल्कुल वाजेह कर दी थी, उसी दिन से जिस

दिन से इस बिल को मुअज्जिज ऐवान में लाया गया। नेशनल कान्फ्रेंस इस कानून को कबूल करती है और इसे पसन्द करती है तथा समझती है कि डिफैक्शन्स यानी दलबदली के कानून पर सख्ती से अमलदरामद होना चाहिये, ताकि मुल्क के अन्दर जो सियासीयात में बड़ी बदियानती और उसूलों की बेउकूनी हो रही है उसका इजाला किया जाय। मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर मजमूई तौर पर वे सारी बातें मौजूद हैं जिन्हें जम्मू काश्मीर लेजिसलेचर ने 1979 में शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला की रहनुमाई, में, जबकि वे वजीरे-आला थे और कायदे-अवाम थे एक तारीखसाज कानून बनाकर पास किया और एक बुनियाद डाल दी। बुनियाद इस बात की कि इस मुल्क के अन्दर भी इस किस्म का कानून बनना चाहिये। मुझे याद है, असम्बली के अन्दर शेरे-काश्मीर की तकरीर मैंने खुद सुनी। उन्होंने कहा था कि मैं आज एक बीज बो रहा हूं, पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है और जिस किस्म की करप्शन पर सियासी बेउसूली चल रही है, इसका अगर कोई इलाज, है तो दलबदली का कानून है। उस वक्त जो कानून उन्होंने पास किया, उसमें एक कमी रह गई थी उस वक्त स्पीकर या स्पीकर के ताबे बाकी को मुकम्मिल तौर पर अख्तियारात नहीं दिए गये थे और यह हक दिया गया था कि अगर वह समझे तो वह केस जुडिशियरी को दे सकता है और जुडिशियरी इस मामले में फैसला कर सकती है। मैं समझता हूं कि जो बात रह गई थी, वह अब पूरी हो गई है। इसके साथ, यह अर्ज करना चाहूंगा कि जब इस कानून को हम पढ़ते हैं और तजजिया करते हैं, तो इस बात का खदशाह भी होता है कि कहीं स्पीकर को अथोरिटेरियन अख्तियारात तो नहीं मिल रहे हैं, जबकि हमारे यहां लैजिसलेचर में हमेशा स्पीकर या चेयरमैन में बराहे-रास्त तंजीम से आता है, एक जमात से आता है। उसका इलैक्शन किसी खास पार्टी टिकट पर होता है और जब फिर से इलैक्शन लड़ता है तो उस वक्त फिर उसको उसी पार्टी की तरफ रूजू करना पड़ता है। इस पार्लियामेंट में यह कानून लाया जाए कि आईन्दा जो स्पीकर होगा, उसके मुकाबले पर कोई खड़ा नहीं होगा और एक बार जब उसका नान-पोलिटिकल करेक्टर हम कबूल करेंगे तो उसके बाद उसका तमाम ताल्लुक जो उसका अपनी सियासी जमात के साथ होगा, मुनकते होगा, ताकि आईन्दा जब कभी कोई स्पीकर के इलैक्शन के लिए उठे तो कोई सियासी जमात उसका मुकाबला नहीं करेगी, वह आजादाना तौर पर इलैक्शन लड़े और आजादी के साथ इस ऐवान में वापिस आए। बसुरतेदिगर अगर स्पीकर को यह मुराआत नहीं दिए गये तो उस पर हुकमरान पार्टी की तरफ से ज्यादा दबाव पड़ता रहेगा और हो सकता है, खदशाह इस बात का है कि कहीं अपोजीशन के हकूक उसमें तलफ न हो जायें और अपोजीशन के मैम्बर उसके शिकार न बन जायें।

जहां तक मैम्बरशिप के मनसूख होने का ताल्लुक है, कहीं स्पीकर बेजा इख्तियारात का मालिक न हो, मुझे इस बात का शदीद खतरा है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह मबजूल कराना चाहता हूं। मैं इस सिलसिले में इस बात को खुशामदीद कहता हूं कि अपोजीशन ने बाजेहतौर पर मुतालबा किया था कि क्लाज 2 (सी) को इस बिल का हिस्सा न बनने दिया जाए और इस बिना पर यह खुशी की बात है कि सरकार ने अपोजिशन की वह तजवीज कबूल की है और 2 (सी) को उन्होंने उसमें से निकाल दिया है। मैं आपकी वसातत से आनरेबिल मिनिस्टर को यह बताना चाहता हूं कि इस बिल का मुद्दा डिफेक्शन को रोकना है। जहां तक जम्मू-काश्मीर का ताल्लुक है, जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जह मबजूल कराई है, वहां की रियासत में यह कानून 1979 में पास हुआ, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 1979 में कानून बना और 1983 में एक आवामी सरकार वहां कायम हुई, डा० फारूक अब्दुल्ला की क्यादत में। रियासत जम्मू-काश्मीर के आवाम ने नेशनल कान्फ्रेंस को बहुमत दिया, मुकम्मल ताव्वुन दिया, जिसकी वजह से हुकूमत कायम हुई उस हुकूमत को गिराने के सिलसिले में बड़े-बड़े मनसूबे हुए। लेकिन बदकिस्मती से यह मनसूबा कारगर साबित हुआ कि हमारी तंजीम में से 11 मैम्बरान को दलबदलू बनाया गया और उनकी हिमायत में 26 कांग्रेस आई के मेम्बरान आए। अब मैं आप की जमीर से यह सवाल करना चाहता हूं आनरेबिल मिनिस्टर और हुकमरान पार्टी से यह जानना चाहूंगा कि जो सिलसिला 1984 में काश्मीर में

हुआ, उस के बारे में आप क्या करना चाहते हैं। 2 जुलाई के वाक्यात को अंजाम देने के लिए 11 मेम्बरान को दल-बदल कराया गया और हर एक आदमी को मिनिस्टर बनाया गया यहां तक कि एक आजाद मेम्बर को भी मिनिस्टर बनाया गया। .... (व्यवधान) ...

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : कराया गया से क्या मतलब है..... (व्यवधान).....

सभापति महोदय : अब आप बैठिये।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं यह बताना चाहता हूं कि 11 मेम्बरों की कांग्रेस (आई) के 26 मेम्बरों ने बिना शर्त हिमायत की और यह बड़ी दुखदायी बात है कि वहां पर कांग्रेस (आई) के 26 मेम्बरों ने उन की हिमायत की और खुद अपने लिए कोई कुर्सी कबूल नहीं की लेकिन इन 11 मेम्बरों को वहां की हुकुमत हवाले कर दी इन को कुर्सी पर बैठा दिया। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह हमारा जम्हूरी तारीख का सब से बड़ा अलमीया है और एक बहुत बड़ी वारदात इस मुल्क में हुई है। 2 जुलाई को जो हुकूमत लोगों पर जम्मू व काश्मीर में मुसल्लत की गई, उस के वजीरेआला श्री गुलाम मोहम्मद शाह हैं, जिन्होंने कभी एसेम्बली का इन्तिखाब नहीं लड़ा। कभी इन्तिखाब लड़ कर एसेम्बली में नहीं आए और कभी उन्होंने पचायत तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। ..... (व्यवधान) ..... आनरेबिल चैयरमैन साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जमीर को झंझोड़ने वाली बात है। यह दल-बदल कानून आप लाए हैं और कांग्रेस ने इस को कबूल किया है और हम ने तहे-दिल से इस को खुशामदीद कहा है यह आप की मोरल रेस्पोंसीबिलीटी है, यह आप की इखलाकान जिम्मेवारी है कि इस वक्त जो सरकार मुश्किल से 13 मेम्बरान एसेम्बली के बलबूते पर खड़ी है, जिस में कांग्रेस पार्टी कोई पार्टनर नहीं है सिवाय इसके कि उस का एक मेम्बर स्पीकर बना दिया गया है, उस को हटाया जाए। ..... (व्यवधान) .....

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बारे में उच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं बैठ नहीं रहा हू।

सभापति महोदय : वह बैठ नहीं रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जहां तक इस बिल की स्पिरिट का ताल्लुक हैं, यह कानून जो आप इस मुक्द्दस ऐवान में लाए हैं और जिस को आप पास करने जा रहे हैं, उसको अगर देखा जाए तो एक तिहाई मेम्बर अगर अलग हो जाते हैं, तो किसी पार्टी में स्पिलिट माना माना जाएगा। और अगर मैं दो मिनट के लिए इस बात को मान लूं कि नेशनल कान्फ्रेंस का एक हिस्सा उस पैरेन्ट आर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है तो तत्कालीन एसेम्बली में 16 मेम्बरों को स्पिटली के लिए अलग होना चाहिए लेकिन जो मेम्बर अलग हुए उनकी तादाद मुश्किल से इस वक्त 13 और हैं 13 मेम्बरान का स्पिलिट इस कानून में नहीं आता है, जिसको आप पास करने जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 जुलाई को जो वहां पर यह सियासी हादिसा हुआ, उसमें ऐसी कई वारदात हुई, जिसमें दर्जनों लोगों को गोलियों और लाठियों का निशाना बनाया गया और साढ़े तीन महीने रियासत के अन्दर श्रीनगर और दूसरे इलाकों में तसलसुल के साथ करफ्यू नाफिज रहा। सरकार को वहां पर लोगों को दबाने के लिए गोलियों और लाठियों का सहारा लेना पड़ा, जिसका तजकरा मैं इस मुकद्दस सदन में पहले भी

कर चुका हूं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जबकि यह बिल इस हाऊस में लाया गया है और हाऊस के तमाम मेम्बरान रुलिंग पार्टी की तरफ से और अपोजीशन की तरफ से एक आवाज में इस बिल को कबूल किया जा रहा है और हम श्री राजीव गांधी को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वक्त के तकाजे को कबूल किया हैं अगर में यह भी बताना चाहता हूं कि यह कानून कसौटी पर उस वक्त खरा उतरेगा जब इस कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए जम्मू व काश्मीर में जो दल-बदल सरकार है, उस को तोड़ दिया जाएगा। उस दल-बदलू सरकार को वहां पर अब रखने का कोई औचित्य नहीं है और इस कानून की जद में ला कर वहां के उन दल-बदलू मैम्बरों की मेम्बरशिप को खत्म किया जाए और एसेम्बली को तोड़ दिया जाए और नये सिरे से इंतिखाब अमल में लाए जाए।

3.00 म०प०

मैं इस संबंध में यह बताना जरूरी समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो कि इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई हैं, मेरी गुजारिश होगी कि इस कानून के पास करने के बाद हुकमराने जमायत उस नाइंसाफी को दूर करे।

नेशनल कांफ्रेंस इस बिल की मुकम्मिल तौर पर हिमायत करती है। इसलिए आपका, यानी हुकमराने पार्टी का और हामारा नेशनल कांफ्रेंस का यह फर्ज हो जाता हैं कि 1979 में शेख साहब ने जो पीपुल्स रिप्रेजेन्टशन एक्ट में एन्टी डिफेक्शन के लिए तरमीम की थी, अब इस कानून के पास हो जाने के बाद अप-टू-डेट किया जाए। यह हम सब लोगों की इखलाकी जिम्मेदारी हैं। नेशनल कांफ्रेंस की भी जिम्मेदारी हैं और कांग्रेस (आई) की भी जिम्मेदारी है कि वहां के कानून को इस कानून के मुताबिक ढाला जाए और उसमें अब जो कमियां हैं या उसकी जो लिमिटेशन्स हैं, उनको दूर किया जाए।

चेअरमैन साहब, जम्मू-कश्मीर का अपना एक आईन हैं और हमारे मुल्क के आइन में उस रियासत की एक खुसूसी और खास हैसियत है। रियासत का अपना आईन है हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के आइन में इस कानून के मुताबिक तबदीली लाई जाए। मैं हुकमराने पार्टी और श्री राजीव गांधी को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं कि वे ऐसा कानून यहां पर लाये हैं। जहां मैं उन्हें मुबारकवाद देता हूं वहां मैं उनसे यह भी दरखवास्त करता हुं कि जम्मू-काश्मीर के लोगों के साथ हुई नाइंसाफी को दूर करने के लिए वहां की सरकार को तोड़ा जाए और वहां की असेम्बली को डिजोल्व किया जाए। फौरन ऐसे कदम उठाये जाएं।

[شری عبدالرشید کابلی (سرینگر) : عزت مآب چیئرمین - جہاں تک اس بل کا تعلق ہے نیشنل کانفرنس نے اس معاملے میں اپنی رائے بالکل واضح کر دی تھی اسی دن جس دن سے اس بل کو معزز ایوان میں لایا گیا - نیشنل کانفرنس اس قانون کو قبول کرتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے تبھی سمجھوتہ ہے کہ ڈیفیکشلس یعنی دل بدلی کے قانون پر سختی سے عمل درامد ہونا چاہئے تاکہ ملک کے اندر جو سیاسیات میں برائی بد دیانتی اور اصولوں کی بیخ کنی ہو رہی ہے اسکا ازالہ کیا جائے - میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کے اندر مجموعی طور پر وہ ساری باتیں موجود ہیں جنہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ۱۹۷۹ع میں شیر کشمیر شیخ عبداللہ کی رہنمائی میں جب کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اور نیشنل عوام

تھے ایک تاریخی ساز قانون بنا کر پاس کیا اور ایک بنیاد ڈال دی - بنیاد اس بات کی کہ اس ملک کے اندر بھی اس قسم کا قانون بنایا جائیگا - مجھے یاد ہے اسمبلی کے اندر شیر کشمیر کی تقریر میں نے خود سنی - انہوں نے کہا تھا کہ میں آج ایک بیج بو رہا ہوں پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس قسم کی کرپشن پر سیاسی بے اصولی چل رہی ہے اسکا اگر کوئی علاج ہے تو دل بدلی کا قانون ہے - اس وقت جو قانون انہوں نے پاس کیا اس میں ایک کمی رہ گئی تھی اسوقت اسپیکر یا اسپیکر کے تابع کو مکمل طور پر اختیارات نہیں دیئے گئے تھے اور یہ حق دیا گیا تھا کہ اگر وہ سمجھے تو وہ کورٹ جوڈیشری کو دے سکتا ہے اور جوڈیشری اس معاملے میں فیصلہ کرسکتی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ جو بات رہ گئی تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے -

اسکے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس قانون کو ہم پڑھتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں تو اس بات کا خدشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اسپیکر کو اوتھوریٹیرین اختیارات تو نہیں مل رہے ہیں جب کہ ہمارے یہاں لیجسلیچر میں ہمیشہ اسپیکر یا چیئرمین میں براہ راست تعلق سے آتا ہے ایک جماعت سے آتا ہے - اس کا الیکشن کسی خاص پارٹی ٹکٹ پر ہوتا ہے اور جب پھر سے الیکشن لڑتا ہے تو اسوقت پھر اسکو اسی پارٹی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے - پارلیمنٹ میں یہ قانون لایا جائے کہ آئندہ جو اسپیکر ہوگا اسکے مقابلے پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور ایک بار جب اسکا نان پولیٹیکل کریکٹر ہم قبول کریں گے تو اسکے بعد اسکا تمام تعلق جو اسکا اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگا منقطع ہوگا تاکہ آئندہ جب کبھی کوئی اسپیکر کے الیکشن کے لئے اٹھے تو کوئی سیاسی جماعت اسکا مقابلہ نہیں کرے گی وہ آزادانہ طور پر الیکشن لڑے اور آزادی کے ساتھ اس ایوان میں واپس آئے - بصورت دیگر اگر اسپیکر کو یہ مراعات نہیں دیئے گئے تو اس پر حکمران پارٹیوں کی طرف سے زیادہ دباؤ پڑتا رہے گا اور ہو سکتا ہے - خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں اپوزیشن کے حقوق اسمیں تلف نہ ہو جائیں اور اپوزیشن کے ممبر اسکے شکار نہ بن جائیں -

جہاں تک ممبر شپ کے منسوخ ہونے کا تعلق ہے کہیں اسپیکر بیجا اختیارات کا مالک نہ ہو - مجھے اس بات کا شدید خطرہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں - میں اس سلسلے میں اس بات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے واضح طور پر مطالبہ

کیا تھا کہ کلاز ۲(سی) کو اس بل کا حصہ نہ بنایا جائے اور اس بنا پر یہ خوشی کی بات ہے کہ سرکار نے اپوزیشن کی وہ تجویز قبول کی ہے اور ۲(سی) کو انہوں نے اسمیں سے نکال دیا ہے - میں آپ کی وساطت سے آنریبل منسٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بل کا مدعا ڈیلیمیٹیشن کو روکنا ہے - جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے وہاں کی ریاست میں یہ قانون ۱۹۷۹ع میں پاس ہوا لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ۱۹۷۹ع میں قانون بنا اور ۱۹۸۳ع میں ایک عوامی سرکار وہاں قائم ہوئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں - ریاست جموں کشمیر کے عوام نے نیشنل کانفرنس کو بھومت دیا مکمل تعاون دیا جس کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہوئی اس حکومت کو گرانے کے سلسلے میں بڑے بڑے منصوبے ہوئے - لیکن بدقسمتی سے یہ منصوبہ کارگر ثابت ہوا کہ ہماری تنظیم میں سے گیارہ ممبران کو دل بدلو بنایا گیا اور ان کی حمایت میں ۲۶ کانگریس آئی کے ممبران آئے - اب میں آپ کے ذریعہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آنریبل منسٹر اور حکمران پارٹی سے یہ جاننا چاہونگا کہ جو سلسلہ ۱۹۸۴ع میں کشمیر میں ہوا اسکے بارے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دو جولائی کے واقعات کو انجام دینے کے لئے گیارہ ممبران کو دل بدل کرایا گیا اور ہر ایک آدمی کو منسٹر بنایا گیا یہاں تک کہ ایک آزاد ممبر کو بھی منسٹر بنایا گیا.... (انٹرپشن)....

شری رام پیارے پانیکا (رابرٹس گنج) : کرایا گیا سے کیا مطلب ہے ..... (انٹرپشنس)....

سبھاپتی مہودے (شری زین البشر) : اب آپ بیٹھئے -

شری عبد الرشید کابلی : میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گیارہ ممبروں کی کانگریس آئی کے ۲۶ ممبروں نے بنا شرط حمایت کی اور یہ بڑی دکھ دائی بات ہے کہ وہاں پر کانگریس آئی کے ۲۶ ممبروں نے ان کی حمایت کی اور خود اپنے لئے کوئی کرسی قبول نہیں کی لیکن ان گیارہ ممبروں کو وہاں کی حکومت حوالے کر دی انکو کرسی پر بٹھا دیا - میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جمہوری تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے اور ایک بہت بڑی واردات اس ملک میں ہوئی ہے - دو جولائی کو جو

حکومت لوگوں پر جموں و کشمیر میں مسلط کی گئی اسکے وزیر اعلیٰ کبھی انتخاب لڑ کر اسمبلی میں نہیں آئے اور کبھی انہوں نے پنچایت کا الیکشن نہیں لڑا... (انٹرپشنس)... آنریبل چیئرمین صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات ہے - یہ دل بدل قانون آپ لائے ہیں اور کانگریس نے اسکو قبول کیا ہے - اور ہم نے تہہ دل سے اسکو خوش آمدید کہا ہے - اب یہ آپ کی مورل ریسپونسیبلیٹی ہے یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو سرکار مشکل سے ۱۳ ممبران اسمبلی کے بل بوتے پر کھڑی ہے جس میں کانگریس پارٹی کوئی پارٹی نہیں ہے سوائے اسکے کہ اسکا ایک ممبر اسپیکر بنا دیا گیا ہے اسکو ہٹایا جائے.... (انٹرپشن)....

SHRI RAM PYARE PANIKA: Mr. Chairman, I want to clarify that a High Court verdict has been given.

SHRI ABDUL RASHID KABULI: I am not yielding.

MR. CHAIRMAN (SHRI ZAINUL BASHER): He is not yielding. Please take your seat.

شری عبد الرشید کابلی : جہاں تک اس بل کی اسپرٹ کا تعلق ہے یہ قانون جو آپ اس مقدس ایوان میں لائے ہیں اور جس کو آپ پاس کرنے جا رہے ہیں اسکو اگر دیکھا جائے تو ایک تہائی ممبر اگر الگ ہو جاتے ہیں تو کسی پارٹی میں اسپلٹ مانا جائے گا اور اگر میں دو منٹ کے لئے اسبات کو مان لوں کہ نیشنل کانفرنس کا ایک حصہ اسکے پیرینٹ آرگنائزیشن سے الگ ہو گیا تو تکنیکی ایسے اسمبلی میں سولہ ممبروں کو اسپلٹ کے لئے الگ ہونا چاہئے لیکن جو ممبر الگ ہوئے ان کی تعداد مشکل سے اسوقت تیرہ ہے اور تیرہ ممبران کا اسپلٹ اس قانون میں نہیں آتا ہے جس کو آپ پاس کرنے جا رہے ہیں - میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دو جولائی کو جو وہاں پر یہ سیاسی حادثہ ہوا اسمیں ایسی کئی وارداتیں ہوئی جسمیں درجنوں لوگوں کو گولیوں اور لاٹھیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ساڑھے تین مہینے ریاست کے اندر شرینگر اور دوسرے علاقوں میں تسلسل کے ساتھ کرفیو نافذ رہا - سرکار کو وہاں پر لوگوں کو دبانے کے لئے گولیوں اور لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑا جسکا تذکرہ میں آج اس مقدس سدن میں پہلے بھی کر چکا ہوں - اسلئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب کہ یہ بل اس ہاؤس میں لیا گیا ہے اور ہاؤس کے تمام ممبران رولنگ پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے ایک آواز اس بل کو قبول کیا جا رہا ہے ہم شری راجیو گاندھی کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے تقاضے کو قبول کیا ہے - مگر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون

کسوٹی پر اس وقت کھرا اترے گا جب اس قانون کو پوری طرح سے لاگو کرنے کے لئے جموں و کشمیر میں جو دل بدلو سرکار ہے اسکو توڑ دیا جائے گا - اس دل بدلو سرکار کو وہاں پر اب رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس قانون کی زد میں لا کر وہاں کے ان دل بدلو ممبروں کی ممبر شپ کو ختم کیا جائے اور اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور نئے سرے سے انتخاب عمل میں لائے جائیں -

میں اس سلسلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو کہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں حصہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو نا انصافی ہوئی ہے میری گزارش ہوگی کہ اس قانون کے پاس کرنے کے بعد حکمران جماعت اس نا انصافی کو دور کرے -

نیشنل کانفرنس اس بل کی مکمل طور پر حمایت کرتی ہے - اسلئے آپ کا پہلی حکمران پارٹی کا اور ہمارا نیشنل کانفرنس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ۱۹۷۹ء میں شیخ صاحب نے جو پیوپلس ریپریزینٹیشن ایکٹ میں اینٹی ڈیفیکشن کے لئے ترمیم کی تھی اب اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد اسے ایکویٹ کیا جائے - یہ ہم سب لوگوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے - نیشنل کانفرنس کی بھی ذمہ داری ہے اور کانگریس آئی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے قانون کو اس قانون کے مطابق ڈھالا جائے اور اس میں جو کمیاں ہیں یا اسکی جو امیچیورز ہیں ان کو دور کیا جائے -

چیئرمین صاحب جموں کشمیر کا اپنا ایک آئین ہے اور ہمارے ملک کے آئین میں اس ریاست کی ایک امتیازی اور خاص حیثیت ہے - ریاست کا اپنا آئین ہے - ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے آئین میں اس قانون کے مطابق تبدیلی لائی جائے - میں حکمران پارٹی اور شری راجیو گاندھی کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسا قانون یہاں پر لائے ہیں - جہاں میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں وہاں میں ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی نا انصافی کو دور کرنے کے لئے وہاں کی سرکار کو توڑا جائے اور وہاں کی اسمبلی کو ڈیزولو کیا جائے فوراً ایسے قدم اٹھائے جائیں -]

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति जी, यह जो दल-बदल विरोधी विधेयक यहां रखा गया है, प्रजातंत्र में इसका आना बहुत ही आवश्यक था । मैं मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को भी इसके लिए बधाई देती हूं कि वे इस प्रकार के बिल को इसी सत्र में लाये। वे दोनों ही बधाई के पात्र हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं ।

इसके पहले कि मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहूं, हमारे माननीय सदस्य जो कि कश्मीर से आये हैं, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ कुछ लफ्ज कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किये हैं जो कि उचित नहीं हैं। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि आदमी को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह से वहां चुनाव कराये गये थे, किस तरह से वहां बूथ केप्चर किये गये, थे और दूसरे काम किये गये थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठिये। जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं कभी भी किसी को बोलते समय डिस्टर्ब नहीं करती हूं। इसलिए मैं माननीय सदस्य से भी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करती हूं कि मेरे बोलते समय वे भी बीच में न बोलें।

समाज के अन्दर हमारी जो राजनैतिक और नैतिक जिम्मेदारी है उसी को सामने रख कर हमारी पार्टी ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है।

सभापति जी आपको विदित ही है कि जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं जो कि प्रजातंत्र का एक तकाजा है, तो हम अपनी अपनी पार्टी का सिम्बल ले कर जाते हैं। पार्टी के कुछ सिद्धांत, कुछ कार्यक्रम कुछ नीतियां होती हैं। उन्हीं को लेकर हम जनता के सामने जाते हैं। उन्हीं सिद्धांतों, नीतियों और सिम्बल पर हम जीत कर यहां आते हैं। जनता हम को व्यक्तिगत रूप से वोट नहीं देती बल्कि वह किसी पार्टी के सिद्धांत, उसकी नीतियों और उसके सिम्बल के लिए वोट देती है।

3.05 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

इस तरह से सारी जनता को अगर सदस्य धोखा देता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है तो यह सारी जनता के साथ विश्वासघात होगा। इस विश्वासघात को रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां हम भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं और हमारे युवा प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है, यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार है और इसको भी समाप्त किया जा रहा है। लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और "आया राम गया राम" कहलाते हैं राजनीतिक लोगों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि पैसों में बिकते हैं। इससे हमारी छबि धूमिल होती है, हमारी पार्टियों की छबि धूमिल होती है। इससे हम लोग नैतिकता से गिर जाते हैं। आज इसकी बहुत आवश्यकता थी। जैसा कि कहा गया है, इसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आयद, दुरुस्त आयद। वैसे इसके लिए प्रयास बहुत पहले से होते रहे हैं। 1966 से 1978 तक मैं राज्य सभा में मेंबर रही। उस वक्त स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कई बार विचार किया कि इस दल-बदल को रोका जाए। कई जगह गवर्नमेंट बदल कर संविद सरकार बनी, हम भी उसके भुक्तभोगी हैं। मध्य प्रदेश में भी यह हुआ था। आज यह सिर्फ राजनीति का ही नहीं बल्कि इंसानियत और नैतिकता का तकाजा है कि इस तरह की बात की जाए। इससे आने वाली पीढ़ी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कुछ लोग किसी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर वोट लेकर जाते हैं और फिर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उन सब को बलाएताक रखकर दूसरी तरफ मिल जाते हैं और उस जनता से पूछा भी नहीं जाता।

तो इसका स्वागत करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यहां जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने इस बिल में जो क्लाज दो (सी) में संशोधन करने की बात की है वह भी बड़ी उपयोगी व उचित है क्योंकि आज के जमाने में कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो हर दल में

इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं जो दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाना चाहते हैं या व्यक्तिगत द्वेष के कारण झूठे सच्चे इल्जाम लगाकर दल की प्रतिष्ठा को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए संशोधन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं। ऐसे मौके बड़े ही नाजुक होते हैं और सुन्दर मौके सदन में कम आते हैं जब नैतिकता की बात करने के लिए, राष्ट्र की बात करने के लिए या समाज में एक चरित्र बनाने के लिए एकमत से बात करते हैं। इससे हमारे जनप्रतिनिधियों का जनता के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदया, मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे सदन में कुछ इस तरह की परंपराएं स्थापित होनी चाहिए जिससे जनता में और यहां आने वाले दर्शकों में और आने वाली पीढ़ी के ऊपर एक ऐसी छाप बने कि हम लोग अनुशासन में रहकर प्रक्रियाओं के अनुसार काम करते रहें। किसी की आजादी में कोई दखल न हो और न उसकी आवाज को दबाया जाए। उसको किस तरह से हम अपने संसदीय और तरीकों के अन्दर अनुशासित ढंग से कहें जिससे सदन का गौरव बढ़े और आगे आने वाले लोगों का भी मार्ग दर्शन हो सके। इन शब्दों के साथ अपने प्रधान मंत्री जी, विधि मंत्री जी तथा जिन्होंने इसका समर्थन किया है, उनको धन्यवाद देती हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): सभापति महोदया, दो-तीन दिन और रह गए हैं। जिन-जिन लोगों को इधर-उधर जाना है, वे चले जायें। कल इस बिल को राज्य सभा पारित कर देगी तथा कल रात को प्रेजीडेंट एसेंट दे देगें। इसलिए एक-दो दिन में विचार कर लीजिए कि किधर जाना है। उसके बाद दरवाजे बंद हो जायेंगे। .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : (महबूबनगर) : वह अपनी व्यग्रता विपक्षी सदस्यों को बता रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं। आपको देश की एकता और अखण्डता कायम रखनी है। .... **(व्यवधान)** देश की भलाई के लिए आप से बात कर रहे हैं। जिन पार्टियों के एक-एक या दो-दो मैम्बर रह गए हैं, उन्हें अपनी एक पार्टी बना लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कर के बोलिए।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : आपके मत को भारी होने के कारण डूबने का डर है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मैं तो एक बड़ी अच्छी सलाह दे रहा हूं। .... **(व्यवधान)** भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो ही मैम्बर हैं जैसे कि "हम दो हमारे दो"। जनता की इच्छाओं का आपको आदर करना चाहिए। आप लोग देश के गौरव को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी-अपनी संकीर्णतावादी पार्टियों को छोड़कर एक मजबूत पार्टी में आ जायें। यह एक निमंत्रण है। यह दल-बदल अभिशाप हैं। 1967 से लेकर 1973 तक कम से कम 1832 मैम्बरों ने दल-बदल किया और उस में से 144 मिनिस्टर बने। पैसों का सौदा और मिनिस्टर बनने के तरीके जो हैं, वे सब बंद हो जायेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : 210 मिनिस्टर बन गए हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मेरा ख्याल है, आप उसमें नहीं थे। जो अमेंडमेंट्स सरकार की ओर से रखे गए हैं, उनसे सरकार की बात साफ हो जाती है। हम भी यही चाहते थे कि वे अमेंडमेंट आ जाने चाहिए। जो बात जचती है, उसे तो पार्टी अलाऊ करेगी। हर आदमी को विचार रखने की आजादी होनी चाहिए। एक बात जरुर होनी चाहिए कि मेम्बर पार्टी के अनुशासन को माने। यह नहीं होना चाहिए कि एक आदमी यदि अपना वक्तव्य देता है, अपने मन की बात कहता है तो उस आधार पर ही उसे पार्टी से निकाल दिया जाए और इस तरह उसकी सदस्यता खत्म हो जाए। हां, यदि पार्टी का व्हिप ईश्यू हो जाता है तो उसकी अनुपालना अवश्य होनी चाहिए। हर इंसान को स्वतंत्र रूप से रहने का, स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही उसे पार्टी के व्हिप को मानना चाहिए, पार्टी के अनुशासन को मानना चाहिए। यहां आपने जो अमेंडमेंट मंजूर किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैंने जो अमेंडमेंट दिया था, उसका भी आपने पूरा मान लिया है, उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं लेकिन मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)....यह तो उनकी इच्छा पर है कि वे मेरे सुझाव को मानते हैं या नहीं, लेकिन मैं अपना सुझाव आपके सामने रखता हूं, और वह यह है कि--

[अनुवाद]

"परन्तु यह कि सदन यदि महसूस करता है कि यदि संबंधित सदस्य को क्षमा न किया गया तो उसे वास्तव में कठिनाई होगी तो सदन उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर के एक संकल्प द्वारा इस अनसूची के उपबंधों से किसी सदस्य को छूट दे सकता है।

[हिन्दी]

क्योंकि कभी-कभी मर्सी पिटीशन होती है, कई बार खून के मुकदमे में जब कन्विक्शन हो जाती है तो....(व्यवधान)....मैं कोई रास्ता नहीं खोल रहा हू लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि कभी कभी ऐसा हार्ड केस होता है, जिस केस में हम जानते हैं कि अन्याय हो गया तो उस हालत में रिजोल्यूशन पूर्व कर के, हाउस में मजोरिटी आफ वोट्स के आधार पर, यदि हाउस मजोरिटी के आधार पर उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं ... (व्यवधान)..[अनुवाद] कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं। कृपया आप पढ़िये मैंने यह सुझाव दिया है कि "परन्तु यह कि सदन यदि महसूस करता है कि यदि संबंधित सदस्य को क्षमा किया गया तो उसे वास्तव में कठिनाई होगी तो सदन उपस्थिपत तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर के एक संकल्प द्वारा इस अनुसूची के उपबंधों से किसी सदस्य को छूट दे सकता है।

[हिन्दी]

मैंने यह बात हर एक के लिए नहीं कही है, हर एक को क्षमा नहीं किया जाएगा, लेकिन कभी कभी हार्ड केस सामने आ जाता है तो हमें अवश्य सोचना चाहिए। यह मेरी अपनी राय है, आप इसको मानें या न मानें, यह आप के ऊपर है, लेकिन मैंने यह सुझाव आपने सामने रखा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालिये। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि मैंने सौ दफा प्रिविलेज मोशन में देखा है । एक बार प्रिविलेज मोशन में किसी को 7 दिन की सजा दे दी गई, हाउस के अन्दर वह मामला आया, जब उस पर डिस्कशन हो रहा था तो हाउस में मैंने मिनिट आफ डिस्सेंट दिया था और सारी परिस्थितियों को देखते हुए उस सजा में कमी कर दी गई । इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी ऐसे मामले हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमें सोचने के लिये मजबूर करते हैं, जिन पर विचार होना चाहिए.....(व्यवधान).....मैं यह सभी मामलों के लिए नहीं कह रहा हूं, इन सम एक्ससेप्शनल केसेज..मैंने यह बात कही है।

आज का दिन हमारे भारत के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में और हमारी संसद के इतिहास में स्वर्णिम दिवस के रूप में याद किया जाएगा जब कि हम यहां दल-बदल रूपी राजनीतिक अभिशाप के कलंक को सदा-सदा के लिए मिटा रहे हैं । उसके बाद लोग कहेंगे कि अब दल बदल नहीं कर सकते अब उसके दरवाजे बंद हो गए हैं, इधर से उधर जाने के, कूदने फांदने के रास्ते बंद हो गए हैं। हमने 1968 में इस रिजोल्यूशन को पास किया था और आज उसको इतने साल के बाद पारित करने जा रहे हैं । आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है, महात्मा गांधी जी जिस दिन शहीद हुए थे, आज के दिन भारत की लोकसभा एक ऐसे विधेयक को पारित करने जा रही है जब लोग कहेंगे कि जिसमें राजनीतिज्ञों ने आदर्श, सिद्धांत और नियमों की अवहेलना नहीं की, उसको माना है और अब दल बदल नहीं हो पाएगा । मैं इस विधेयक का तहेदिल से स्वागत करता हूं। चूंकि मैंने जो अमेंडमेंट दी थी, वह पूरी तरह से मान ली गई है, इसलिए अब मैं उन पर कुछ और नहीं बोलना चाहता । धन्यवाद ।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूं । हमारी राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के समय उस ख्याल से बहुत सारी प्रस्तुतियां किया करती हैं। हमारे देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब तरफ से ही वोट के समय इसमें गति आ जाती है । जिस समय हम चुनाव लड़ते हैं, उस समय जाति, धर्म, कल्चर और बहुत सारे मुद्दे हमारे वोटों को इन्फ्लुएन्स करते हैं और उनमें बड़ी-बड़ी पार्टियां, विशेषकर रुलिंग पार्टी इसमें सहयोग उठाती है और ऐसे ही चलता आ रहा है । इस बिल के आने के बाद सरकार के पास बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ रहा है इसलिये कि हमारा देश बहु जातियों में बसा हुआ है ।

यदि किसी जाति या कम्युनिटी पर अन्याय हुआ और पार्टी में पोस्टर के डर से उस कम्युनिटी के आदमी उसका विरोध करने के लिये कामयाब नहीं हुए तो देश में और उस कम्युनिटी में भारी अशांति आ सकती है ।

इसी तरह क्षेत्रीय भावना भी लगी हुई है । हम उत्तर दक्षिण की तरफ रहने वाले कुछ सोचते हैं, पूर्व की और असम में जो आन्दोलन हुआ है वह इसीलिए कि क्षेत्रीय इम्बैलेन्स सब जगह है। शासक दल को इस विषय में देखना जरूरी हो जायेगा कि कहीं पर क्षेत्रीय इम्बैलेन्स तो नहीं हो रहे हैं और किसी रिलीजस माइनौरिटी या भाषाई माइनौरिटी पर अन्याय तो नहीं हो रहा है क्योंकि जिस कम्युनिटी पर अत्याचार होगा, उसके मेम्बर अगर पार्टी के डर से कुछ नहीं कह सकेंगे तो पार्टी के बदले सारे देश में जनसाधारण में उभार होगा जो किसी के बस में संभालना नहीं होगा और इससे बहुत ही खून खराबी हो सकती है।

अभी तक दक्षिण से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, 37 बरस से खाली उत्तर प्रदेश की मोनोपली रही है और एक ही घर से रही है ।

(व्यवधान)

यह सारी समस्याएं इतने बड़े देश के लिये हैं और हर जगह, क्षेत्र और कम्युनिटि के लोग इसी तरह सोचने के आदी हो चुके हैं, इन सारी चीजों को एक जगह लाकर शासक दल अगर रख सकेगा तब तो ठीक है, नहीं तो जैसा रखा गया है कि स्पिलिट और मर्जर एलाउड है, प्रधानतः यह बात है कि बकरी और सिंह एक जगह रखे जा सकेंगे या नहीं। इस पर कानून बनाया जा सकेगा। शोषक और शोषित एक जगह पार्टी में रह सकेंगे या नहीं यह भी विचार का विषय है। बहुत जगह मजदूर और मालिक भाई-भाई कभी नहीं हो सकते तो इस सारी चीज को संभालने के लिये रूलिंग पार्टी, कांग्रेस (आई) के पास क्या सारा सामान हैं जिससे वह सब को ठीक रख सकेगें ? इस एंटी डिफैक्शन बिल के बहाने जो गरीब, माइनौरिटी के और अल्प भाषा हैं, जिनकी आवाज नहीं पहुंच सकती है, उनके नाश करने की भावना न बन जाये, इसकी तरफ भी पूरा ख्याल रखना जरूरी है।

जैसे सब ने इस बिल का स्वागत किया है मैं भी करता हूं और इसी के साथ-साथ इस सभा में सरकार को वार्निंग देता हूं कि हर कौम के, हम लोगों के विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के आदमी कहीं कांग्रेस आई से लड़ पड़ते हैं, कहीं मेल कर लेते हैं, कहीं विचार होता है, इसी से मैजोरिटी हो जाती है, यह सारी की सारी चीज हर आदमी के सामने आ सके, समान रूप से विचार पा सके, इसकी तरफ पूरा ध्यान रखा जा सके तो यह बिल सोने में सुगन्ध होगा और इससे देश में एकता बढ़ेगी, उससे भाई-चारे का नाता रहेगा। इसके तुरन्त बाद ही जाति को राजनीति से उठाने का एक बिल लाना चाहिये जिससे जाति पर पूरा आघात लगाया जाये और विशेषकर धर्म भी जात के साथ लगा हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को मारने वाले केवल दो सिख ही दोषी थे। ऐसा होने से सारी सिख कम्युनिटी के बारे में ऐसी दुर्भावना फैल गई कि वे सब संदेह की दृष्टि से देखें जा रहे हैं। वे बेचारे बोल नहीं सकते हैं, हिचक रहे हैं। वे कहते हैं हम हिन्दुस्तान में नहीं रहेंगे। यह उनकी भीतर की भावना है।

अभी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आफिस में जो कुछ हो रहा है, उसमें तो सिख नहीं है। यह हिन्दु, जैन और दूसरे धर्मों के हैं। इसमें तो उसी कम्युनिटी को दोष नहीं दिया जा रहा है। क्या इन्दिरा गांधी को मरवाने के लिये इन लोगों ने ज्यादा कसूर किया था ? इस विषय में पूरी तस्वीर इस हाऊस में रखी जाये। होम मिनिस्टर और प्रधान मंत्री इसमें चुप क्यों हैं ? इसलिये मेरा कहना है कि हर आदमी, को, हर कौम को, हर भाषा भाषी को, सहायता देने के लिये एक अलाहदा विभाग बनें, वह उनकी देखभाल करे, तभी आपका बिल सोने में सुहागा लायेगा और देश में एकता कायम होगी।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लियें समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वह सदस्य हूं जो सन् 1967 में मध्य प्रदेश की विधान सभा में इस दलबदल का शिकार हुआ था। मैंने इस दुख को झेला है, इस पीड़ा को पहचाना है। हमारे दल के कुछ सदस्यों ने अपना दल बदला और कुछ मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, हमारे देश में वह कोढ़ की तरह फैला।

इस सदन के माध्यम से, जैसा डागा जी और विद्यापति जी ने कहा मैं आपको धन्यवाद देता हूं, विशेषकर युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने दिन भी ठीक चुना 30 जनवरी 1985, गांधी बलिदान दिवस। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ठीक काम करते निकलेगें।

मैं विधि मंत्री महोदय को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो तर्कसंगत और वाजिब संशोधन थे, वे स्वीकार कर लिये, उन्होंने उन संशोधन को इसके भीतर दाखिल कर दिया। अब यह बिल एक निष्कलंक रूप में बाहर जायेगा।

18 वर्ष हो गये, इस बिल के बारे में तरह-तरह से सोचा जा रहा था। इस पर कई महत्वपूर्ण लोग बोलते रहे। 18 वर्ष से इस गंगा जल का प्रवेश भीतर नहीं हो पाया। मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक शायर ने कहा था

"इरादे बांधता हूं, तोलता हूं, तोड़ देता हूं
कहीं ऐसा न हो जाए कहीं वैसा न हो जाये"

दृढ़ संकल्प हो, सही इच्छा हो तो इस देश में बड़ा से बड़ा कार्य भी हो सकता है, इसको श्री राजीव गांधी के एक महीने के नेतृत्व ने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग सिर उठा कर अपने घर को लौटेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी और श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देंगी कि उन्होंने यह बिल पास करवाया यह जनता की भावना का आदर है। मुझे पता है, इस सदन से बाहर बैठे हुए साधारण तरह-तरह के आदमी शंका करते हैं। हम लोग जब टैक्सियों या टैम्पोज में बैठकर घूमते हैं तो वे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप इस बिल को पास करके निकलेंगे।

यह पहला अवसर था जब हम सिर ऊंचा कर के कह सके थे कि जी, हम जरूर पास कर के निकलेंगे। जब हम यहां से आज शाम को निकलेंगे और रेडियो पर लोग सुनेंगे कि लोक सभा ने इसे पास कर दिया तो हम बहुत छोटे लोगों की नजरों में वाकई बहुत बड़े लोग हो जाएंगे। यह जो विशेष अधिकार हमें मिला है इस के लिए हमें इस सारे सदन को धन्यवाद देना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य की मनःस्थिति तीन हालात से गुजरती है– आलोचना, विरोध और विद्रोह। सेन साहब का इस बात के लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि उन्होंने आलोचना को जीवित रखा, विरोध को जीवित रखा किन्तु विद्रोह के ऊपर पूरा अंकुश लगाया। यहां सदन के भीतर बैठ कर लोग पता नहीं क्या क्या व्यवहार करते थे और समाज में आदर पाते थे। आज से समाज में आदर पाने की उनकी स्थिति समाप्त होती है। डागा जी ने जो विरोध किया था उस विरोध के पीछे भी प्रजातंत्र की भावना का आदर ही था और सही माने में इस देश के प्रजातंत्र में विचारधाराओं का ध्रुवीकरण आज से शुरू होगा। मैं ने प्रोफेसर दण्डवते जी की बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुना है। हम ने ध्रुवीकरण की दिशा में पहला कदम रखा है। जब लोग कहते थे कि ऐसा कानून आज तक पास क्यों नहीं हुआ, आया राम गया राम से अब तक क्यों नहीं निपटे तो मुझे आज याद आता है कि आया राम और गया राम से निपटने के लिए इस आसन पर कोई बलराम आवश्यक था और आज वह बलराम हमें मिले हैं। साथ में राजीव गांधी जी का नेतृत्व मिला है। इस संशोधन के माध्यम से सेन साहब ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी जीवित रखा है उस के लिए हम उन का एहसान मानते हैं। लेकिन हम यह विश्वास करते हैं कि पार्टियों के भीतर का विद्रोह जो कि प्रजातंत्र के ऊपर गन्दगी उछालता था, कीचड़ डालता था वह सारा विद्रोह अब जनादेश के आधार पर कभी जनादर नहीं पाएगा और जनता के बीच में वह लोग तिरस्कृत किए जाएंगे जो लोग ऐसा कुचक्र और षडयंत्र यहां पर करते थे।

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता; सन् 67 में मध्य प्रदेश के सदन के भीतर जिस व्यक्तित्व ने यह गन्दा खेल खेला था और इस को शिल्प दिया था, पास के बराबर के हाउस में आज वह व्यक्तित्व सादर बैठा हुआ है। कभी कभी हम उस निर्लज्जता पर सोचते हैं कि उस दिन वह वहां बैठ कर क्या करते थे और आज यहां बैठ कर क्या करते हैं। मुझे खुशी है कि तब के और आज के उन के दल ने इस का समर्थन किया है। मैं आप सब को और सदन को इस बात के लिए जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं तो कह चुका हूं कि श्री राजीव गांधी जी को हम ही नहीं, पूरा प्रजातंत्र का मन्दिर ही नहीं, इस देश की अन्तरात्मा और आत्मा ही नहीं, हमारी पीढ़ियां भी इस बात के लिए धन्यवाद देंगी और मुझे खुशी है कि इस समारोह जैसे अधिवेशन में मैं खुद भी शामिल हूं जो सन् 67 में मध्य प्रदेश की विधान सभा में दल-बदल का शिकार हुआ था। मुझे वह क्षण खूब याद है कि

जब एक क्षण के भीतर हम लोग इधर से उधर आ कर बैठ गए थे । हमारे विरोधी दल के मित्रों ने तरह तरह की चिन्ता की है । मैं उन को आश्वस्त करना चाहता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं रूलिंग पार्टी के एक मैम्बर के नाते कि हम ने अपनी सही नीयत का परिचय दिया है और हम सारे विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि सही नीयत की इस गंगा में वह भी सही माने में शामिल हो कर के इस देश के सामने हमारे साथ वह भी सिर ऊंचा कर सकें, ऐसा क्षण हमें देंगे । एक बार पुन: आप को धन्यवाद दे कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मगर जो अमेंडमेंट इस बिल के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से मूव हुआ है उस का मैं सख्त विरोध करता हूं क्यों कि मैं समझता हूं कि इस अमेंटमेंट के जरिए से जो पोर्शन निकाल दिया गया है उस से इस बिल के दांत उखड़ गए हैं और यह बिल बिलकुल बेजान हो गया है । हम यह समझते थे कि इस बिल के जरिए से डिफेक्शंस रुक जाएंगे, सिनिटस रुक जाएंगे और हिन्दुस्तान में एक पार्टियों के कंसालिडेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा । मगर ऐसा लगा इस बिल से कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया । इस बजान बिल से यह ठीक है कि कुछ शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है ।

[अनुवाद]

यह पहला कदम है और सही दिशा में है । हमें आशा करनी चाहिए कि यह अंतिम कदम नहीं होगा ।

[हिन्दी]

कई चीजें इस में कही गई हैं जिस में सुधार जरूरी है और आहिस्ता आहिस्ता सुधार होगा । मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं, हमारी पार्टी इस नीति पर इसलिए यह सोचती है कि हमारे जख्म बहुत ताजे हैं ।

[अनुवाद]

हम अभी अपने घावों को सहला रहे हैं ।

(हिन्दी)

हमारे माननीय दोस्त मधु मण्डवते जी और कुछ और लोग जो हैं उन के जख्म पुराने हो गए हैं और उन्हें याद नहीं है कि किस तरह से वह डिफेक्शंस के शिकार हो गए थे । मगर आन्ध्र प्रदेश में हमें याद है, हमें किस मुसीबत से गुजरना पड़ा । हम चाहते हैं कि क्लाज 2(सी) को रखा जाए । हमारी समझ में नहीं आता कि आप एक पार्टी की तरफ से इलैक्ट हो जाते हैं, यहां आ जाते हैं, बैठते हैं और पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, मगर पार्टी में बने रहते हैं । एक्सपैल होने के बावजूद भी लोगों को आजादी मिलती है कि एक दफा पार्टी की तरफ से इलैक्ट हो जाते हैं, लेकिन पार्टी की फिक्र नहीं होती है । पार्टी का कोई काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं मानेंगे और पार्टी का जब व्हिप जारी होगी है, उसके खिलाफ काम करेंगे लेकिन फिर भी वे मैम्बर बने रहेंगे । कुछ ऐसे मैम्बरर्स भी हैं जो यह मानते हैं कि यह डैमोक्रेसी के खिलाफ होगा । यह गलत रास्ते की ओर ले जाएगा आप कॉकस की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि कॉकस की बात करना गलत है । मैं समझता हूं कि अगर आपको पार्टी का प्रधान पार्टी से निकाल देता है, तो आप पार्टी में क्यों शरीक होते हैं । पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है, उसको मानना हर एक के लिए जरूरी होता है । मैं मानता हूं कि पार्टी के खिलाफ जाकर के फिर यहां मैम्बर बने रहना यह कोई उचित बात नहीं है। इसलिए मैं इस का विरोध करता हूं ।

इसी तरह से स्प्लिट की बात है । स्प्लिट में भी मैं समझता हूं कि स्प्लिट एक प्योरिफाइड डिफैक्शन है । जब एक आदमी निकलता है, तो उसको कहेंगे डिफैक्शन और जब 40 लोग इकट्ठे होकर निकलते हैं, तो उसको स्प्लिट कहेंगे । इसका मतलब है आप 40 लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि

[अनुवाद]

यह विभाजन और विलय का इतिहास है और इसमें विभाजन अधिक और विलय कम है ।

[हिन्दी]

मरजर तो थोड़ा हुआ लेकिन हर बार पार्टी टूटी । जिस पार्टी का मैं मैम्बर था, 35 साल पहले उस पार्टी के तीन टुकड़े हो गए । वह पार्टी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर गई, फिर उस पार्टी के चार टुकड़े हो गए । हर पार्टी के एक-एक, दो-दो टुकड़े हो गए । पार्टी बनी टूटी और फिर टूटी, फिर बनी और फिर टूटी । यह टूटने और मर्ज होने का सिलसिला काफी पेनफुल रहा और हम कुछ नहीं कर पाए ।

हम देश में दो पार्टी सिस्टम डवेलप नहीं कर पाए, तीन पार्टी सिस्टम डवेलप नही कर पाए, बल्कि पार्टियों बनती गई और बिगड़ती गई । पार्टी बनाना तो आसान है, हाजी मस्तान जैसे लोग भी पार्टी बना देते हैं । एक आदमी रहेगा और पार्टी बन जाएगी, पार्टी का मैनीफैस्टो रहेगा और वह बयान देता रहेगा । पार्टी बनाने के सिलसिले में कोई डिसिप्लिन नहीं है ।

[अनुवाद]

देश में पहली बार हम दल प्रणाली में अनुशासन कायम कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

और आप वह चाहते नहीं हैं । आप यह चाहते हैं कि इस वक्त जो कुछ मिल रहा है, उससे हमें खुश होना चाहिए ।

[अनुवाद]

किन्तु जैसा कि मैंने कहा यह एक सही दिशा में सही कदम है । मैं जानता हूं कि अलवर्ट आंइसटीन ने कहा था कि हम जो भी कदम उठाते हैं पिछले कदम का परिणाम होता है ।

[हिन्दी]

अब तक जितने स्टैप्स आपने लिए, वे सब गलत लिए । अब कम से कम एक स्टैप तो सही पड़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे कई स्टैप्स अब सही स्टैप्स आयेंगे । जैसा प्रेजीडेंट्स एड्रेस में भी कहा गया है कि इलैक्शन ला अमेंड होगा और उसमें गई चीजें आ जायेंगे । मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एक पार्टी करती है, सबको चांस मिलेगा । इलैक्शन के लिए फण्डिंग की बात कही गई है, ताकि मनी-पोलिटिक्स खत्म हो जाये ।

इस बिल का समर्थन करते हुए, जो दो बातें मैंने कही हैं, उनको दोहराना चाहता हूं—क्लाज 2(सी) के अमेंडमेंट की मैं मुखालिफत करता हूं और दूसरे स्प्लिट की क्लाज को निकाल देना चाहिए । यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदया, यह संविधान संशोधन विधेयक न केवल अभूतपूर्व है बल्कि ऐतिहासिक भी है सिद्ध होगा । मैं नहीं समझता कि विश्व के सम्पूर्ण इतिहास में ऐसी कोई संसद है जहां किसी प्रजातांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक ढंग से

चुने हुए किसी नेता ने सत्ता में आने के तीन सप्ताह के भीतर इतने ऐतिहासिक महत्व का विधेयक प्रस्तुत किया हो । मैं नहीं समझता कि यूरोप महाद्वीप या अमरीका में इस प्रकार का कोई समान कानून है । अतः न केवल पूरा देश बल्कि सम्पूर्ण विश्व इस विधेयक को लाने के लिए राजीव जी की सराहना करेगा । मेरे विचार में विपक्षी सदस्य भी इस विधेयक का समर्थन करने का दिखावा करके अंदर ही अंदर काफी आलोचना करते हुए भी राजीव जी द्वारा इस विधेयक को लाने के प्रयासों की प्रशंसा कर रहे होंगे । कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि हमारी सदस्य संख्या 400 है, इसलिए हमें इस प्रकार का विधेयक लाने में कोई एतराज नहीं किन्तु यह याद रखा जाना चाहिए कि शीघ्र ही विधान सभाओं के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से थोड़ा पहले ही हम यह विधेयक ला रहे हैं । इससे हमारे नेताओं और दल की सदाशयता का पता चलता है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दल-बदल की यह बीमारी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है । 1931 में सर मकडोनाल्ड ने प्रधान मंत्री बने रहने के लिए तीन संसद सदस्यों के साथ दल बदल किया । ऐसा यू० के० में हुआ जिसे प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है । बाद में विलियम ग्लैडस्टोन जैसे व्यक्ति ने जिन्हें लिबरल पार्टी का कर्णधार माना जाता था, व्यापार बोर्ड में पद पाने के लिए दल बदल किया । बाद में वह प्रधान मंत्री भी बने : मुझे बताया गया है कि श्री चर्चिल तक ने भी दल-बदल किया । मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि दल-बदल की बीमारी केवल हमारे देश में ही नहीं है बल्कि दूसरे देशों में भी है ।

श्री अशोक सेन : चर्चिल ने कभी दल-बदल नहीं किया । उन्होंने लिबरल पार्टी छोड़ने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव लड़ा था ।

श्री शांताराम नायक : हो सकता है उन्होंने कुछ सिद्धांतों के आधार पर ऐसा किया हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल भारत ही इस बीमारी से ग्रस्त नहीं है, अन्य देश भी इसमें लिप्त हैं ।

दूसरे, मैंने एक संशोधन पेश किया था जिसे माननीय विधि मंत्री ने स्वीकार कर लिया है । यह संशोधन इस मुद्दे से संबंधित है कि मान लीजिए मैं शनिवार को गोवा में हूं और वहां बीमार पड़ जाता हूं और मेरे लिए सचेतक का आदेश है कि मुझे सोमवार को संसद में उपस्थित होना है । पहले विधेयक के अनुसार यदि मैं इस आधार पर भी अनुपस्थित रहता तो मैं निरर्ह हो जाता । अतः मेरे मित्र श्री प्रिय रंजन दास मुंशी और मैंने संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसे माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है । तथापि एक पहलू है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रस्तावित संशोधन के अनुसार दल के प्रस्तावों या निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने को भी राजनीतिक दल द्वारा क्षमा किया जा सकता है । मैं व्यक्तिगत रूप से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि अनुपस्थिति को ही क्षमा किया जाना चाहिए न कि विरोध के मतदान को ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : वह आत्मा की आवाज के आधार पर मतदान के संबंध में है ।

श्री अशोक सेन : पंडित जी ने कई सदस्यों को अनुमति दी थी कि वे अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर मतदान करें और यह व्यवस्था इसी संदर्भ में है ।

श्री शांताराम नायक : एक अन्य बात यह है कि यह विधेयक अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय के प्रति इस अर्थ में पक्षपातपूर्ण है कि अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय को इसके अन्तर्गत इसके लिए प्राधिकृत किया गया है कि वे पदधारण करने पर अपने दल से त्यागपत्र दे सकते हैं । इसी प्रकार जब वह अध्यक्ष नहीं रहते तो उन्हें अपने दल में

शामिल होने की अनुमति है किन्तु मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद मान लीजिए एक वर्ष के अंदर अध्यक्ष नहीं रहता तो उसके पास यह सोचने के लिए चार वर्ष का समय होगा कि वह अपने पहले वाले दल में शामिल हो अथवा नहीं । यह विकल्प इस कानून की भावना के विरुद्ध है ।

इसके अलावा चुनाव चिन्ह (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के खण्ड 15 और इस विधेयक के बीच विरोध है क्योंकि किसी दल के विभाजन की स्थिति में चुनाव चिन्ह (आरक्षण तथा आवंटन आदेश) 1968 के खण्ड 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है लेकिन इस विधेयक के अर्थ में विभाजन होने पर अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है । दो प्रकार के विभाजनों के बारे में दो विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है । मेरा विधि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें ।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय इस बिल के लिए मैं प्रधान मंत्री जी और कानून मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं । इस के दो कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि ये इस बिल को लाए हैं और दूसरे जो इन्होंने एमेंडमेंट दिया है 2(1) (सी) में उस के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं । अभी कुछ साथियों ने कहा है कि इस एमेंडमेंट से जो इस बिल में दांत थे वे दांत टूट जाएंगे अलग हो जायेंगे मैं इस राय से बिलकुल सहमत नहीं हूं । अगर इस एमेंडमेंट की यहां इजाजत न दी जाती तो मैं यह समझता हूं कि जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं जिस जम्हुरियत की हम बात करते हैं और जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, वह न रहती । इस मुल्क में अगर राजनीतिक दलों के अन्दर अन्दरूनी जम्हुरियत नहीं रहेगी तो जम्हुरियत कभी जिन्दा नहीं रह सकती । डेमोक्रेसी को जिन्दा रहने के लिए यह जरूरी है कि पार्टी के अन्दर इन्टरनल डेमोक्रेसी हो । जो काम मेम्बर आफ पालियामेंट पालियामेंट के बाहर करते हैं उन कामों के लिए अगर उस को कोई अध्यक्ष या कोई दूसरी आथारिटी निकाल देती हैं, तो फिर इन्टर नल डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी । यह जो एतिहासिक कदम उठाया गया है, इस से यह साबित होता है कि हमारे नेता और हमारी पार्टी के जो लोग हैं, वे जम्हुरियत में यकीन रखते हैं प्रजातंत्र में यकीन रखते हैं और यह जो एमेंडमेंट आया है, यह एक एतिहासिक कदम है और इस के लिए मैं कानून मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं । मुझे दुःख इस बात का है कि हमारे विरोधी दल जो हैं वे इस बात के लिए सहमत नहीं हो पाए और उन की एक राय इस बारे में नहीं हो पाई । हमेशा यह इल्जाम लगाया जाता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के नेता जम्हुरियत में यकीन नहीं रखते हैं कांग्रेस पार्टी जम्हुरियत में यकीन नही रखती है लेकिन आज साबित हो गया है कि जितना बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी के नेता ने उठाया है और यह जो डिलीशन हुआ है और यहां जो 2(1) (सी) का एमेंडमेंट आया है वह इस बात का सब से बड़ा सबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी जम्हुरियत में यकीन रखती है कांग्रेस पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेसी में यकीन रखती है और इस से यह भी साबित हो गया हैं कि कुछ विरोधी पार्टियां खुद इन्टर-नल डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती ।

इस के अलावा मैं एक बात क्लाज नं० (2) की सब-क्लाज (2) के बारे में कहना चाहता हूं जिस के अन्दर जो इन्डिपेन्डेंट जीत कर आता है उस के बारे में यह कहा गया है कि अगर वे किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । यह जो बिल लाया गया है वह दल-बदल को रोकने के लिए लाया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस का कोई दल ही नहीं है, उस के दल बदलने का सवाल कहां पैदा होता है । जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है जब उस का कोई दल ही नहीं होता है तो उस की सदस्यता को खत्म करना मैं समझता हूं गैर-संगत है और गैर-कानूनी है । जो उम्मीदवार इन्डिपेंडेंटली जीत कर आता है और

उस के इलाके की जनता उस को चुनाव में जितवा कर भेजती है तो वह उस को किसी आइडियोलोजी या किसी विचारधारा के आधार पर जीत कर नहीं भेजती है। इसलिए उस को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वह किसी भी पार्टी में अगर शामिल होना चाहे तो शामिल हो सके । उसका किसी पार्टी में शामिल होना डिफेक्शन नहीं कहा जाए या दल बदल कहा जाए । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस बिल में ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी दल से चुन कर नहीं आता है वह किसी दल में नहीं होता है, वह अगर किसी दल में शामिल होता है तो उसके दल बदलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है । जो इण्डीपेण्डेंट केण्डीटेड है वह चुनाव जीतने के बाद जिस किसी पार्टी से शामिल होना चाहे तो उसके शामिल होने को दल-बदल न कहा जाए ।

इसके बाद मैं क्लाज 8 की (बी) और (सी) सब-क्लाजिज पर कानून मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । क्लाज 8 की सब-क्लाज (बी) और (सी) में अमेंडमेन्ट होना बहुत जरूरी है । जब क्लाज 2 का (सी) को डिलीट कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सदन के बाहर पार्टी से निकाल दिये जाने पर सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती तो क्लाज 8 की सब क्लाजिज (बी) और (सी) में जो यह कहा गया हैं कि पार्टी के कानून और रेगुलेशंस अनुवाद देने होंगे, इन क्लाजिस की क्या जरूरत है । आप फिर कैसे इस सदस्य को निकाल सकते हैं जबकि आपने पार्टी से निकाले जाने पर निकालने का प्रावधान ही खत्म कर दिया है तो फिर क्लाज 8 की सब-क्लाजिज (बी) और (सी) बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट हो जाती हैं । इसलिए इन दोनों सब-क्लाजिज को हटा देना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है ।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदया, मैं अपने गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को देश की जनता को एक स्वच्छ सरकार का वचन देने पर बधाई देती हूं । यह तभी सम्भव है जब हम अपने लोगों से आवश्यक सहयोग या सहायता प्राप्त कर सकें । जनता के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हमारा पवित्र संविधान है । सरकार ने इस सदन में अब यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

3.54 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं । यह संशोधन इस सम्मानित सदन के सदस्यों के आचरण में बड़ा सुधार लाने की दिशा में पहला कदम है ।

दल बदल हमेशा अवांछनीय है । मैं माननीय सदस्यों को कोई शिक्षा नहीं देना चाहती हूं किन्तु इतना जरूर बताऊंगी कि इसका क्या अर्थ है। इडिफेक्शन शब्द डिफेक्ट' से बना है डिफेक्ट' का अर्थ "छोड़ देना, दोषपूर्ण बनाना, चूक जाना, कसर," अपूर्ण... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़ देना' कई अर्थों में प्रयुक्त होता है । महोदया, इसके कई लक्ष्यार्थ होते हैं ।

श्रीमती वैजयंती माला बाली : मैंने इन्हें लिख लिया है। महोदय, मैंने काफी मेहनत की है । 'डिफेक्शन' का अर्थ है "चूक जाने की क्रिया या आशा के अनुरूप न उतरना अथवा नेता, दल या उद्देश्य से परे हटना।" महोदय, यह सभी नकारात्मक और अनादरसूचक गुण हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि यह संशोधन प्रत्यक राजनीतिक दल के सदस्यों को अपने दल तथा मतदाताओं के लिए अधिक विश्वसनीय बनायेगा । दल बदलना कोई अधिक वांछनीय नहीं है क्योंकि विगत में इसने कई राजनीतिज्ञ को बरबाद किया है । ऐसे भी राजनीतिज्ञ हुए हैं जो सौदबाजी के सोने के समय तो एक दल के सदस्य थे किन्तु जब उठे तो दूसरे दल के सदस्य थे जो दल-बदल के कारण हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं । उन्होंने न केवल हमारे दलों को तबाह किया है बल्कि राजनीतिक ढांचे को भी बरबाद किया है ।

श्रीमती वैजयंतीमाला बाली : सुबह, दोपहर और शाम को उन्होंने तीन दल बदल लिए थे । यह एक तमाशा बन गया हैं ।

सब लोग जानते हैं कि दल-बदल का यह संक्रामक रोग जनता पार्टी में 'एशियन फ्लू' की तरह फैला था और जनता दल-बदल के इस तमाशे से इतनी तंग आ चुकी थी कि 1980 में उन्होंने इन दल-बदलुओं को उठा फेंका और असली नेता, हमारी प्रिय श्रीमती इन्दिरा गांधी को भारी बहुमत से पुनः चुन लिया ।

अतः इन अवसरवादियों की क्या विश्वसनीयता है ? लोगों की नजरों में इनकी क्या इज्जत है ?

एक माननीय सदस्य : श्री चरण सिंह को किसने समर्थन दिया था . . .

श्रीमती वैजयंतीमाला बाली : यह बुरी बात है . . .मैं नहीं चाहती कि मेरे भाषण में व्यवधान डाला जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ये माननीय सदस्य पहली बार आए हैं । और उन्होंने व्यवधान भी पहली बार डाला है ।

श्री अशोक सेन : वह एक महिला है । यह कोई शूरवीरता नहीं है ।

श्रीमती वैजयंती माला बाली : इससे दल पर प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार यह संशोधन स्वागत योग्य है और इससे सबको लाभ होगा । मैं इस समय इन विपक्षी सदस्य--वह अब उपस्थित नहीं हैं--के कथन का उल्लेख करना चाहती हूं जिन्होंने यह कहा था कि सरकार यह विधेयक ला रही है क्योंकि अधिकांश मछलियां जाल में फंस चुकी हैं । मैं सभी सदस्यों को, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों को बता देना चाहती हूं कि मछलियां जाल में फंसी नहीं अपितु स्वतंत्रता पूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक और अच्छे तरीके से कांग्रेस (आई) रूपी समुद्र में तैर रही हैं । वास्तव में मैं समझती हूं कि विपक्ष को एक जाल की आवश्यकता है क्योंकि वे बहत बिखरे हुए हैं, और उनकी संख्या इतनी कम है कि उन सबको इकट्ठे होना चाहिये और एक ही दल बना लेना चाहिये ताकि दल-बदल न करें ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि यह एक संक्रामक रोग है । अब वह उसके इलाज का टीका है । इससे समाज का संक्रामक रोग नष्ट हो जाएगा ।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली: इस विधेयक के सम्बन्ध में दो तरह के मत है : कुछ लोग इसे सुदृढ़ बनाना चाहते है और दूसरे इसे नरम ही रहने देना चाहते हैं । मेरा विश्वास है कि विधेयक इस तरह होना चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि या खामी न रहने दी जाय ताकि सदस्य या दल अपने निजी स्वार्थ अथवा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर इसका अपनी इच्छानुसार प्रयोग न कर सके । जब तक हम कठोर कानून और निश्चित नियम नहीं बनाते, तब तक उनके कार्यान्वयन में कठिनाई होगी और इसलिए मैं इस संशोधन का स्वागत करती हूं ताकि इससे सभी को सहायता मिल सके । तथा निजी स्वार्थी तत्व एवं अवसरवादी इसका लाभ न उठा सकें तथा अपने पक्ष में बहस न कर सकें तथा कानून निर्माताओं को धोखा न दे सकें । अतः मैं पुनः इस संशोधन का समर्थन करती हूं तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को तथा उन सदस्यों को जो इससे सहमत नहीं हैं, धन्यवाद देती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे सर्वसम्मति से इसे पारित करें। धन्यवाद ।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्रीमती वैजयन्ती माला बाली के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं ?

श्री अमर राय प्रधान : सभी सदस्यों के स्वागत के लिए ।

4.00 प० प०

मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं । मैं अपने युवा प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छ राजनीति बनाने तथा स्वस्थ लोकतन्त्र का विकास करने के लिए इस सदन में यह विधेयक लाने की पहल की । हम सब, जो वास्तव में राजनीति में हैं जो राजनीति के लिए समर्पित हैं, स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, हमें "आया राम गया राम" का खेल पसन्द नहीं है । हमें 'आया राम गया राम' जैसे राम पसन्द नहीं । हमें इस देश में दल-बदल पसंद नहीं है, जैसा कि श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली ने उल्लेख किया । हमें यह पसन्द नहीं कि एक सदस्य सुबह एक दल में है, दोपहर में वह किसी दूसरे का सदस्य है, शाम को तीसरे दल का और रात में किसी अन्य दल का सदस्य है (**व्यवधान**)

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : वह सच है (**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान : क्या मंत्री महोदय और उनके युवा नेता प्रधान मंत्री जी वास्तव में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वच्छ राजनीति लाने के लिए तैयार हैं ? यदि ऐसा है तो मैं कहूंगा कि यह ठीक नहीं है क्योंकि देश के कुछ भागों में विशेषकर जम्मू तथा काश्मीर में—दलबदलुओं की सरकार गठित करके दल-बदल हो रहे हैं (**व्यवधान**) ऐसे उदाहरण भी है जब कि सभी सदस्यों ने दल-बदल किया (**व्यवधान**) हरियाणा में क्या हुआ (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टस गंज) : यह विभाजन है। उच्च न्यायालय द्वारा यह घोषणा की गई थी (**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान : अत: मैं आपको पुन: चेतावनी देता हूं कि आपको इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । आपको सरकारों के गिराने को हतोत्साह करना चाहिये । आप मात्र यह संशोधन पारित करके सरकारों के गिरने पर नियंत्रण नहीं कर सकते । प्रो० दंडवते ने हमें 1967 और 1968 की याद दिलायी । छठी लोक सभा के सभी सदस्यों को इसकी भली भांति जानकारी है यहां तक कि इस पुनीत सदन में क्या हुआ—एक सदस्य दल-बदल कर दूसरे दल में आये और दूसरे दल के सदस्य दल-बदल कर इस दल में आ गए ।

अध्यक्ष महोदय : यह संक्रामक रोग था और यह उसके इलाज का टीका है ।

श्री अमर राय प्रधान : मैं समझता हूं अच्छा होता यदि आपने निर्वाचन सुधार सम्बन्धी तारकुंडे समिति के प्रतिवेदन में दिए गए कुछ सुझावों पर विचार किया होता । इस विधेयक में वापिस बुलाने के अधिकार की लम्बे अर्से से की गई मांग का उल्लेख नहीं है । इसमें वापिस बुलाने के अधिकार तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, कोई गुंजाइश नहीं है ।

ऐसी संभावनायें हैं कि दल का आंतरिक लोकतंत्र कम हो जाएगा । लोकतंत्र के उचित विकास के लिए ऐसा नहीं होना चाहिये । मुझे आशा है कि विधि मंत्री महोदय सभी

सुझावों पर अच्छी तरह विचार करेंगे । मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र ही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और संविधान संशोधन लाएगी और हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिये कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र किसी भी तरह कम न हो ।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्राय: आप हमें दिखाई नहीं पड़ते । मुझे आशा है कि आप हमसे नहीं उकतायेंगे । हम आपसे नहीं उकता रहे हैं । कई दिन तक हमने आपको इस अध्यक्ष पीठ पर नहीं देखा है । और इसलिए जब आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हों तो मुझे बोलने पर प्रसन्नता होती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुबह कहां थे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, संविधान (52वां) संशोधन विधेयक, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और जिसमें मांग की गई . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा कि मैंने वैजयन्ती-माला के साथ किया ।

श्री कमल नाथ : मुझे सम्मान दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे ।

श्री कमल नाथ : महोदय, वह व्यवस्था के प्रश्न के लिए कह सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभा भेदभाव नहीं बरतती । यह सभी को समान अवसर प्रदान करती है ।

श्री कमल नाथ : महोदय, संविधान (52वां) संशोधन विधेयक, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें राजनैतिक दलों में दल-बदल के कारण पैदा हो रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, एक ऐसा मामला है, जिस ओर राजनैतिक दलों तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का ध्यान पिछले 20 वर्षों से लगा हुआ है । अधिकांश राजनैतिक दल तथा राजनीतिक कार्यकर्ता जो दल-बदल रोकने के लिए चर्चा में मूल रूप से शामिल हुए थे, वे अब जीवित नहीं है । हमारे यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी आदि थी ।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी ।

श्री कमल नाथ : कुछ पार्टियां अब नहीं है और किसी तरह . . . (व्यवधान)

महोदय, जब कभी मैं बोलना आरम्भ करता हूं, वे हमेशा बीच में बोलते हैं ।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस (आई) पार्टी भी ।

श्री कमल नाथ : केवल वे राजनैतिक दल ही नहीं अपितु अधिकांश राजनैतिक कार्यकर्त्ता सार्वजनिक जीवन से हट गये हैं, अथवा उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है और अब किसी भी विधान सभा के सदस्य नहीं रहे । यह व्यंग्यात्मक है किन्तु सच है कि दल बदल पर रोक लगाने की बात जो लोग अधिक कहते रहे हैं, वे दल-बदल से लाभ उठाकर ही सम्पन्न हुये हैं तथा उनका राजनैतिक जीवन दल बदल पर ही निर्भर है ।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस ने भी ऐसा किया है ।

श्री कमल नाथ : मुझे बीच में मत टोकें ।

1968 में स्वर्गीय श्री वाई. बी. चव्हाण की अध्यक्षता में दल-बदल सम्बन्धी एक समिति बनायी गयी थी और इसमें श्री मधु लिमये और स्वर्गीय श्री जय प्रकाश नारायण जैसे कुशल सदस्य थे। विगत में हमने इस सभा में दल-बदल को रोकने सम्बन्धी कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, लेकिन उन सभी को किसी न किसी कारण से रोक दिया गया। निर्वाचन प्रक्रिया हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक आधारशिला है। सभी उप महाद्वीपों तथा तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र के असफल होने पर भी हमारे देश में लोकतंत्र के बने रहने का श्रेय हमारे दल को जाता है, जो कि पिछले 35 वर्षों से इस देश में लोकतंत्र बनाए रखने तथा लाखों अशिक्षित व्यक्तियों को निर्वाचन तथा राजनैतिक दृष्टि से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाने वाला एक प्रमुख राजनैतिक दल है।

मैं समझता हूं कि यही उपयुक्त समय है जब हमें अपने अनुभव को, लोकतंत्र में 35 वर्षों के व्यापक अनुभव का परीक्षण करना चाहिये। हमें अपने अनुभव को बढ़ाना होगा, हमें पिछले 35 वर्षों के इस अनुभव से सबक लेना चाहिये। और हमें केवल अपने संविधान में ही परिवर्तन और संशोधन नहीं करना चाहिये—क्योंकि संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया के एक पहलू का जिक्र है—अपितु हमें राजनैतिक प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य सभी कानूनों में भी परिवर्तन तथा संशोधन करने होंगे।

महोदय आज हम जिस सांवैधानिक संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं वह राजनैतिक नैतिकता कायम करने और राजनीति में गिरते हुए मूल्यों को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इसीलिए मैं सामान्य रूप से अथवा सत्तारूढ़ दल का सदस्यमात्र होने के नाते नहीं अपितु समाज का जागरूक सदस्य होने के नाते इसका समर्थन कर रहा हूं।

महोदय सातवीं लोक सभा में जिसका मैं ढाई वर्ष तक सदस्य रहा हूं (व्यवधान) उन्होंने वैसा करने का प्रयत्न किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : प्रमाणपत्र देने के लिए धन्यवाद।

श्री कमल नाथ: सातवीं लोक सभा में जिसका मैं सदस्य रहा हूं मैंने निर्वाचन सुधार सम्बन्धी कई मामले उठाये। मैंने स्वच्छ सार्वजनिक जीवन सम्बन्धी मामले उठाये ताकि संसद सदस्यों तथा राज्य विधान सभा के सदस्यों—सातवीं लोक सभा के मेरे पक्ष एवं विपक्ष के बहुत से सदस्यों को संभवतः यह सम्मरण होगा—ने सार्वजनिक जीवन में ऐसी ईमानदार पूर्ण छवि बनाई है जिससे जनता कोई आलोचना न कर सके। 23 फरवरी, 1983 को मैंने कहा कि एक ऐसी योजना शुरू की जाये कि सभी संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य प्रति वर्ष अपनी तथा अपने निकट सम्बन्धियों की आय तथा परिसम्पत्ति को दर्शाने वाला विवरण अपने अपने अध्यक्ष को भेजें तथा सम्बन्धित सभा के अध्यक्ष को वे विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने चाहिये। महोदय, मैं अपना ऐसा विवरण देने के लिए आपके कक्ष में आया था। लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया और मुझे यह कह कर वापिस भेज दिया कि मैं किन नियमों के अनुसार वैसा कर रहा हूं। समाचार पत्रों में तथा अन्य प्रचार माध्यमों से यह आलोचना की गई है कि देश के विधायक ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते हैं। मैं समझता हूं कि अब हमने सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की ओर पहला कदम उठाया है। हमें ऐसे और कानून भी बनाने चाहिये।

17 नवम्बर, 1983 को इस सभा में मैंने पुनः निर्वाचन सुधार के विषय पर तथा उस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में कहा। श्री राजीव गांधी के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के कुछ दिन के भीतर ही, हम आज सांवैधानिक संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें दल बदल सम्बन्धी समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ विपक्षी दल अप्रसन्न हैं लेकिन कई बार अप्रसन्नता बिलम्ब का कारण बन जाती है। 20 वर्ष तक वाद-विवाद होता रहा, संवाद होते रहे, चर्चा होती रही, समितियां

बनाई गई और प्रतिवेदन दिए गये । वे प्रतिवेदन विभिन्न ग्रंथालयों में पड़ी हैं जिन्हें कीड़े खा रहे हैं और आज भी विपक्ष के कुछ सदस्यों ने एक संशोधन प्रस्तुत किया कि यह विधेयक संयुक्त समिति के पास भेज दिया जाये । मैं इसके भाग्य के बारे में नहीं जानता । लेकिन इसका अर्थ यही है कि दल बदल के संपूर्ण पहलू को दबाया जा रहा है । अब हम उसे दबाना नहीं चाहते अपितु हमें उसे प्रोत्साहन देना होगा ताकि हम 20 वर्ष के अनुभव से चर्चा कर सकें, वाद-विवाद कर सकें, समिति रिपोर्ट दे सकें । अतः मैं समझता हूं कि यह समय काम करने का है । जब कभी हम यह सुनते हैं कि हमारे सहयोगी इसमें विलम्ब करने की युक्तियां अपना रहे हैं, तो दल बदल की प्रवृत्ति की ओर उनका अत्यधिक झुकाव है । प्रस्तावित अधिनियम तथा आज के विधेयक पर यह कदम उठाये जा रहे हैं कि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी टिकट पर चुने जाने के बाद यदि सदन में पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बदलता है तो वह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रहेगा ।

यह इस अनुरूपता पर आधारित है कि चुनाव की इस विशेष प्रक्रिया से मतदाताओं के मानस में प्रतिनिधि एवं उसके द्वारा निर्वाचन लड़ने के उद्देश्य के बीच दायित्व अथवा निष्ठा का अविर्भाव होता है और हमें इसे वैचारिक परिवर्तन अथवा वैचारिक ध्रुवीकरण और स्पष्टता के साथ गड़बड़ नहीं कर देना चाहिए । क्योंकि, जो भी राजनैतिक व्यक्ति, जो किसी पद के निर्वाचित होने का इच्छुक होता है, उसकी राजनैतिक विचारधारा होती है जो उसमें पहले से स्पष्ट रूप से विद्यमान होते हैं और उसने उन्हें आत्मघात कर लिया होता है । दल बदल की समस्या का मुख्य कारण सुसंगत सिद्धातों और पार्टियों का न होना है। गत 15 वर्षों के दौरान यही प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है ।

एक मुद्दा यह उठाया जा सकता है कि भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है, उसमें केवल निर्वाचित प्रतिनिधि का ही उल्लेख किया गया है, उसकी किसी राजनैतिक दल के प्रति निष्ठा का भी कहीं वर्णन नहीं है । वह भी कहा जा सकता है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह चुना जाता है, कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है प्रत्यायुक्त नहीं और हमें एक प्रतिनिधि और प्रत्यायुक्त में अन्तर को जानना होगा । यह केवल तकनीकी अथवा शब्दाणिक दृष्टिकोण से सही है क्योंकि निर्वाचन के निर्वाचन संबंधी नियमों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा उसके अधीन जारी कि गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत उम्मीदवार नामांकन पत्र में विशेष रूप से यह घोषणा करता है कि किस दल ने उसका समर्थन किया है । वास्तव में, उसे दल के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। यह पत्र उम्मीदवार और उसके दल के बीच सम्बन्ध के लिए प्रमाण होता है। सभा में जब यह सम्बन्ध सूत्र समाप्त हो जाता है तो उस पत्र में जो भी अनुबंध होता है वह स्वत: समाप्त हो जाता है। इसलिए, इस मामले में मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा था कि जब वह बंध पत्र जिस के आधार पर उस उम्मीदवार का नामांकन पत्र भरा गया है और जिसके आधार पर उसका निर्वाचन हुआ था ही समाप्त हो जाता है तो बंध पत्र में जो भी अन्य अनुबंध था वह भी स्वत: समाप्त हो जाता है।

देश में राजनैतिक जीवन में दोष दर्शन की प्रवृत्त बढ़ती जा रही है। इसलिए, यह उचित है कि हम लोग इस समस्या का साहस के साथ मुकाबला करें और दल-बदल को समाप्त करने के लिए सीधे ही एक कानून बनाये ।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा और एक कमी बताउगां । मेरा सुझाव है कि यह संशोधन नगरपालिका सहित दल के चिन्ह पर लड़े गये सभी निर्वाचित पदों पर लागू होना चाहिए । यह संशोधन सभी प्रकार के निर्वाचित पदों के संबंध में लाग होना चाहिय । तभी हम इस बुराई को समूल समाप्त कर सकेंगे । यह बात महत्वपूर्ण है । यह प्रयास केवल एक दल अथवा किसी दल विशेष ही लाभ के लिए नहीं है । यह राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह हम सभी के लिए है । इस विधेयक को पारित करना एक नैतिक प्रयास होगा । वह वित्तीय, आर्थिक अथवा सामाजिक प्रयास नहीं नैतिक प्रयास है ।

इस कमी पर विचार करते हुए इस विधेयक में दल-बदल के कारण निर्हता केवल आंशिक होती है । पद के लालच में दल बदलने वाला व्यक्ति, चुनाव लड़ बिना ही, छः महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यह सच है कि छः महीने के भीतर उसे चनाव लड़ना पड़ेगा । लेकिन सत्तारूढ़ दल द्वारा, जिसके लिए उसने दल-बदला है, उसे छ : महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है । इस विधेयक में वह एक अन्तर्निहित कमी है। हम जिस बुराई को समूल नष्ट करना चाहते हैं, हम उसका पूर्णतया प्रतिरोध नहीं कर पाये हैं। थोड़े समय के लिए कोई भी इस अवसर का लाभ उठा सकता है। मेरा सुझाव है कि कोई ऐसा कठोर उपाय होना चाहिये कि वह कोई सरकारी पद न पा सके अथवा वह कुछ वर्ष अर्थात् छ : या आठ वर्ष तक पुन : निर्वाचित न हो सके ।

राजनैतिक जीवन में उस अनैतिक समस्या पर चारों ओर से, राजनैतिक, वैज्ञानिक और नैतिक आधार पर प्रहार किया जाना चाहिये ।

छोटे-छोटे दलों तथा राज्य-स्तर के दलों के प्रसार को भी रोकना चाहिये । इस सभा में, जब 17 नवम्बर, 1983 को वाद-विवाद हो रहा था तब मैंन यह सुझाव दिया था कि केवल उन दलों को लोक-सभा के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिये जिन्हें कम से कम तीन राज्यों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो क्योंकि हम लोक सभा को एक जिला बोर्ड नहीं बना सकते हैं।

मैं आपका संकेत देख रहा हूं । मैं अभी थोड़ी ही देर में ही अपना भाषण समाप्त करूंगा ।

श्री नारायण चौबे : मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि उन्होंने 1981, 1982, और 1983 के पूर्ववर्ती समय का उल्लेख क्यों किया ।

सभाध्यक्ष महोदय : क्या आपने श्री चौबे की बात पर ध्यान नहीं दिया, उनका कथन कितना उचित है ।

श्री कमल नाथ: महोदय वे थोड़ा देर से समझते हैं । यदि ये लोग इस बात को पहले ही समझ गये होते तो समस्या सुलझ गई होती।

समस्या यह है कि उनका केवल एक ही राज्य में अस्तित्व ह । इसलिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका प्रभाव उन पर भी पड़ रहा है।

मेरा यह सुझाव है कि जिन दलों को कम से कम तीन राज्यों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, केवल उनको ही लोक सभा के चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाये और मेरा यह भी सुझाव है कि लोक सभा के चुनाव लड़ने के लिए इन राज्यों में से प्रत्येक में कम से कम उनके पांच प्रतिशत स्थान अवश्य प्राप्त होने चाहियें ।

श्री नारायण चौबे : इस संबंध में उन्होंने जो कहा है अथवा कहेंगे , वह सुसंगत होना चाहिए ।

श्री कमल नाथ: हम लोगों को अपनी दलीय प्रणाली को विखंडित नहीं होने देना चाहिए । यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में राजनैतिक घटकों पर घटनाओं और दलों के खंडित होने का प्रभाव पड़ता है ।

हर एक ने दल-बदल की निंदा की है । प्रेस ने इसकी निंदा की है, राजनैतिक दलों ने इसकी निंदा की है, राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने उसकी निंदा की है और राजनैतिक महानुभावों ने इसकी निंदा की है किन्तु इस कैंसर को रोकने के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किया गया । यह हमारी सरकार है जिसने श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की दिशा में यह पहला कदम उठाया है । इसलिए, इस बात को भूल कर कि सभा में हम जिस दल से संबंधित है, हम सभी को एक मत हो जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सम्बोधित करें ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं और वे भूतकाल के बारे में ।

अनेक वर्षों बाद जब हमारी संतति लोक सभा के पुस्तकालय और अभिलेखागार में प्रवेश करेगी तो उसे ऐसा अहसास न हो कि हमारे लम्बे-लम्बे कार्यकृत थोथी गालियों और खाली मस्तिष्क के भावोद्गारों के अतिरिक्त कुछ नहीं । उन्हें यह पता चले कि आठवीं लोक सभा ने अपने आरम्भिक काल में राजनैतिक, अनैतिकता और विकृति की बुराई को रोकने और ठीक करने की दिशा में पहला कदम उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते समय पीछे न देखें, मेरी ओर देखें । पीछे न देखें । आप का कहना है कि आप बीते हुए समय की बात नहीं करते । अत : आगे ही देखिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाद-विवाद के लगभग अंतिम समय में बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : विदाई का भाषण ?

श्री जगन्नाथ कौशल : जैसा कि सभा के दोनों पक्ष क सदस्यों ने कहा है यह समस्या प्रमुख रूप से 1967 से हमारे देश के समक्ष है । विधि बनाने की चेष्टा भी की गई थी और वस्तुत : दो विधेयक पुर:स्थापित भी किये गये थे । एक विधेयक तो इस लिये कानून नहीं बन सका क्योंकि लोक सभा भंग कर दी गई थी और दूसरा विधेयक भी, जो जनता पार्टी के शासन काल में पुर:स्थापित किया गया था, कानून न बन सका क्योंकि जनता पार्टी में ही इसका विरोध था ।

इसके बाद निर्वाचन संबंधी अन्य सुधारों के साथ इस मामले की पुन: जांच की गई । तब विधि और न्याय मंत्रालय मेरे प्रभार में था तब मैंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि जहां तक दल-बदल को रोकने के इस विशेष मामले का संबंध है, मंत्रिमंडल की उप-समिति ने अपनी अंतरित राय निश्चित कर ली थी और यह निर्वाचन संबंधी अन्य सुधारों के साथ-साथ जिनकी जांच मंत्रीमंडल की उप समिति द्वारा की जा रही थी, हम इस मामले के बारे में विरोधी दलों से विचार-विमर्श करेंगे । महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वह आश्वासन पूरा हुआ है । वर्तमान विधि मंत्री श्री ए० के० सेन को मैं बधाई देता हूं । किन्तु इसका अधिक श्रेय माननीय प्रधान मंत्री को है। वह इसके बारे में बहुत उत्सुक थे वस्तुत : यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक अंश बन गया है और यद्यपि हम सभी जानते थे कि वर्तमान सत्र का कार्यकाल थोड़े समय का है, तथापि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही यह बात विशेष रूप से कह दी गई थी कि वर्तमान सत्र में इसे कानून का रूप दे दिया जायेगा और, महोदय, गत 20 वर्षों के दौरान हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप आज यह विधेयक पारित हो सका है ।

महोदय, जैसा कि सभा के दोनों पक्षों ने कहा है, यह अत्यंत श्रेयकर विधान है। सम्पूर्ण देश इसकी प्रशंसा करेगा और एक सरकारी संशोधन द्वारा, जो अभी प्रस्तावित किया जाना है, विवादास्पद धारा को निकाल दिया गया है। वह धारा यह थी कि यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दल से निकाल दिया जाता है तो उस दल के सदस्य के रूप में उसने जो स्थान जीता है, वह उससे वंचित हो जायेगा। यह थी विवादास्पद धारा तथापि कानून बनाने वालों ने इसे रखा था। इस मामले पर विरोधी दल के सदस्य भी एकमत नहीं हैं। यहां तक कि विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने आज ही कहा है कि विधेयक में इस धारा को रखा जाना चाहिए था। वह ऐसा महसूस करते हैं, कि इस धारा के बिना विधेयक पूर्ण नहीं है। किन्तु जैसाकि मैंने कहा है, यह विवादास्पद मामला है। माननीय प्रधान मंत्री ने विरोधी दल के नेताओं को यह आश्वासन दिया कि या तो इस धारा पर मतैक्य होना चाहिये अन्यथा वे इस के बारे में विचार करेंगे और माननीय प्रधान मंत्री ने कांग्रेस (इ) पार्टी के नेता के रूप में इस मामले को अपनी पार्टी के सम्मुख रखा। जैसा कि मैं कह चुका हूं, इसके बारे में हमारी पार्टी में भी मतभेद है। उनका ऐसा अनुमान है कि अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं कि इस धारा को निकाल दिया जाना चाहिए। इसलिए एक सच्चे लोक तांत्रिक के नाते, उन्होंने स्वीकार किया कि इस धारा को वापस लिया जाना चाहिये क्योंकि विरोधी दलों के कुछ सदस्य और हमारे दल के कुछ सदस्य इसे नहीं चाहते हैं। इसलिए, उन्होंने सोचा कि इस के संबंध में मतैक्य नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : दलगत आधार पर भी मतभेद होते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जी हां, लोकतंत्र है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो लोकतंत्र है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उन्हें बधाई देता हूं। श्री रंगा, नाराज न हों।

श्री जगन्नाथ कौशल : महोदय, वर्तमान विधेयक का मूल तत्व, जिसकी प्रशंसा की गई है और जो उसका मूलभूत आधार है, वह यह है कि प्रथम बार स्वयं संविधान में राजनैतिक दलों को मान्यता दी जा रही है। अन्यथा संविधान में केवल संसद सदस्यों की अथवा विधान सभा सदस्यों की ही चर्चा हुई है। संविधान यह नहीं बताता कि वह सदस्य किस दल से सम्बद्ध है। किन्तु, अब, प्रथम बार, अनुसूची में वही बात कही गई है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में अन्तर्निहित थी।

अब मैं आपका ध्यान पृष्ठ 2 की ओर दिलाता हूं। धारा 2 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उसका पाठ निम्नलिखित है :—

> "कोई भी चुना गया सभा का सदस्य, यदि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध है, तो वह उसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध समझा जायेगा जिस दल से एक उम्मीदवार के रूप में ऐसे सदस्य के निर्वाचन के लिए खड़ा हुआ है।"

सभा में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि नामांकन पत्र जमा करते समय सदस्य को यह घोषणा-पत्र दाखिल करना पड़ता है कि क्या वह किसी राजनैतिक दल से चुनाव लड़ रहा है और यदि हां, तो उस दल के नाम का भी उल्लेख करना पड़ता है। उस दल को एक प्रमाणपत्र देना होता है कि वह व्यक्ति उस दल का प्राधिकृत प्रत्याशी है। उसके बाद, एक चिह्न भी आवंटित किया जाता है जो उस दल के लिए आरक्षित होता है। अतः यह माना जाता है कि वे व्यक्ति उन राजनैतिक दलों से सम्बद्ध हैं।

सभापक्ष महोदय : यदि 10 या 11 स्वतन्त्र प्रत्याशी एक ग्रुप अथवा एक दल बनाना स्थिति क्या होगी ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं नामांकन पत्र दाखिल किये जाने की प्रथम स्थिति का उल्लेख कर रहा हूं ।

श्री० मधु दंडवते : महोदय, क्या आपका विचार एक स्वतन्त्र उम्मीदवार बनाने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करें ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप कार्य करने में स्वतन्त्र हैं ।

मैं नामांकन पत्र भरते समय का उल्लेख कर रहा हूं । नामांकन पत्र दाखिल किये जाने के बाद चिह्न दिया जाता है और तत्पश्चात् जैसा कि सभी को पता है, उन चिह्नों पर चुनाव लड़े जाते हैं ।

किसी के लिए यह कहना व्यर्थ है कि लाखों व्यक्ति, व्यक्तिविशेष को वोट देते हैं । वे लोग दल के नाम पर वोट देते हैं वे दल के चिह्नों पर वोट देते हैं और वे दल के कार्यक्रम पर और दल के घोषणापत्र पर वोट देते हैं । हम सभी जानते हैं कि इसी देश में ही नहीं, बल्कि, ब्रिटेन, आदि देश जहां से हमने संविधान सम्बन्धी अधिकांश बातें अपनाई हैं में भी दल के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं ।

मैं प्रख्यात लेखक सर आईवर जेनिंग की पुस्तक पढ़ रहा था, जिसमें राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान क्या भूमिका अपनाई जानी चाहिये इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है । श्रीमन्, मैं उनकी इस सम्बन्ध में लिखी गई कुछ पंक्तियों को हुबहू उद्धृत करना चाहता हूं । एक उम्मीदवार के चुनाव के दौरान दल की क्या प्रमुख भूमिका होगी उसके बारे में सर आईवर जेनिंग ने लिखा है :—

> "एक सफल उम्मीदवार प्रायः संसद में अपने व्यक्तित्व, अपने मूल्यांकन या अपनी क्षमता के बल पर नहीं बल्कि दल के चुनाव-चिह्न पर निर्वाचित होता हैं । उसके निर्वाचन-क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता उसके व्यक्तित्व या क्षमता से अनभिज्ञ होती है । एक अच्छे उम्मीदवार को उसकी अच्छाई के लिए कई एक वोट मिल सकते हैं और एक बुरे उम्मीदवार को अपने बुरेपन के लिए कुछ कम वोट मिल सकते हैं । इसलिए दल का स्थानीय संगठन एक चरित्रवान और ताकतवर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए भरसक प्रयत्न करता है । लेकिन उसकी अपील दल की नीति के समर्थन में अपील होती है । वे अपने निर्वाचक मंडल से उसके दल द्वारा अपनाई गई नीतियों का समर्थन करने को कहता है । मतदाताओं के मन में उम्मीदवार का प्रचार उसके दल द्वारा किये गये प्रचार से कम महत्व रखता है । मतदाता सरकार या दल जिसका कि उम्मीदवार सदस्य होता है के पक्ष या विपक्ष में वोट देते हैं । एक 'राष्ट्रीय' नेता को जोकि उसके समर्थन में भाषण देने हेतु उसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के पास आता है, शायद उसे उसे उम्मीदवार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है । वह उम्मीदवार की इसलिए सराहना करता है क्योंकि वह उसके दल का सदस्य है । अगर वह उसके दल का सदस्य न होता तो वह उतने ही जोरदार शब्दों में उसकी निन्दा भी करता । दल-मुख्यालय द्वारा ही अधिकतर

पोस्टर बनाए और परिचालित किये जाते हैं । उम्मीदवार के अपने पोस्टरों में भी उसके दल की नीतियों का ही प्रचार होता है । उसकी अपनी स्थिति अच्छी होने के कारण, दल का संगठन और दल कार्यकर्ता उसके लिए और तेजी से कार्य करते हैं और उसके लिए समय निकालते हैं ।"

हमारे देश में यह बातें बिल्कुल लागू होती हैं क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहां एक निर्वाचन-क्षेत्र में 7 से 10 लाख मतदाता होते हैं । वास्तव में दल ही चुनाव लड़ता है । इसलिए इस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि जो सदस्य जिस दल की ओर से संसद या राज्य विधान मण्डलों में चुनाव जीत कर आते हैं, उसी दल के सदस्य बने रहें ।

वास्तव में वर्तमान दशा में, यह एक साधारण विधेयक है । विवादास्पद खण्ड वापिस ले लिया गया है । अब विधेयक काफी सरल है । जिस चुनाव चिह्न से वह चुनाव जीता है, अगर वह उसी दल को छोड़ देता है तो उसके लिए कम से कम यह तो होना ही चाहिये कि उसकी सीट जब्त कर ली जाये । कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सलाह दी है कि न केवल उसको सीट ही छोड़नी चाहिये, बल्कि कुछ वर्षों के लिए उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य भी ठहरा दिया जाना चाहिये । कुछ सदस्यों ने यहां तक भी कहा है । मात्र सीट से हाथ धो लेना ही काफी सजा नहीं है, बल्कि उसे कुछ वर्षों के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया जाना चाहिये । लेकिन हमने यह प्रावधान नहीं किया है । अभी हमने इतना ही किया है कि उसे अपनी सीट छोड़नी होगी और पुनः मतदाताओं से कहना होगा, "मैंने वह दल छोड़ दिया है। अब मैं दूसरे दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं ।" या "मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, क्या आप मुझे पुनः निर्वाचित करेंगे ?"

दूसरा खण्ड जो कि हमारे अनुसार, काफी सरल है और जो कुछ प्रो० मधु दंडवते ने कहा उसका ध्यान रखता है, अर्थात् कि "विरोध को पूरी तरह समाप्त न कीजिए, लोकतंत्र में विरोध आवश्यक तत्व है ।" हम ने इस बात का इसी खण्ड में ध्यान रखा है । खण्ड (ख) में कहा गया है कि अगर आप दल के आदेश के विरुद्ध मत देते हैं तो निश्चय ही आप दल के अनुशासन का उल्लंघन करते हैं और आप दल के आदेश के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं । लेकिन निश्चय ही कुछ लोग जो कहते हैं, "ठीक है, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वह दल की विचारधारा के ही बिल्कुल विरुद्ध हैं । क्या आप मुझे दल के विरुद्ध मतदान करने की अनुमति देंगे लेकिन मैं देखूंगा कि सरकार पराजित न हो ?" दल शायद उसे अनुमति दे दे । मैं कहता हूं दल शायद ऐसी अनुमति दे दे । या अगर वह मत दे भी दे और बाद में दल को सन्तुष्ट कर दे कि "मैंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया लेकिन मेरी अन्तरात्मा संसद् में इसका समर्थन देने को बिल्कुल नहीं करती ।" और अगर वह ऐसा कर पाता है तो दल शायद उसकी इस भूल को क्षमा कर दे ।

यह एक सरल उपाय है इसलिए सभा के सभी पक्षों ने प्रायः सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया है । अन्य सभी उपबंध पार्टी के विभाजन या उनके विलय आदि से संबंधित हैं । मैं नहीं समझता कि उनके बारे में ज्यादा आलोचना की गई है । वास्तव में, उन पर कोई आलोचना नहीं की गई है क्योंकि विभाजन और विलय दो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं जिनका कि हमें सामना करना होगा और हमने विधेयक में प्रावधान किया है कि विभाजन के समय कम से कम एक तिहाई सदस्यों का ऐसा मत होना चाहिए और विलय के लिए कम से कम दो तिहाई सदस्यों का ऐसा मत होना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि ये उपयुक्त उपाय हैं, जहां तक व्यावहारिकता का प्रश्न है इससे पूर्व जनता सरकार ने भी इस पर विचार किया था । उन्होंने कहा था कि 25 %, काफी हैं । हमने कहा था । "नहीं, 25% नहीं एक-तिहाई" होना चाहिए । कोई कह सकता है कि एक तिहाई भी काफी नहीं है । यह अधिक होना चाहिए यह सब तो नीति और व्यावहारिक संबंधी मामले हैं । हमें इन

पर कार्य करना है और अगर हम यह पायेंगे कि जो परिणाम हम चाहते थे वे हमें प्राप्त नहीं हुए हैं तो संसद सर्वोच्च है। संसद पुनः इस बारे में किसी अन्य उपाय की सिफारिश कर सकती है।

एक या दो मुद्दे और उठाए गये थे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अशोक सेन उनका उत्तर देंगे।

एक मुद्दा यह उठाया गया था कि संविधान के अन्तर्गत दो प्राधिकारियों अर्थात् चुनाव आयोग और सदन के पीठासीन अधिकारी सभापति या अध्यक्ष को किसी सदस्य को आयोग्य ठहराने के अधिकार क्यों दिये जा रहे हैं। यह एक सरल उपाय है। मांग इसी का निर्णय करना है कि क्या उसने दल के विरुद्ध मतदान किया है। यह फैसला करना है कि क्या उसने दल से त्यागपत्र दे दिया है या नहीं। मैं नहीं समझता कि इसका निर्णय न्यायालयों या चुनाव आयोग को करना चाहिए जिनके निर्णयों को पुनः अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह एक काफी सरल उपाय है और जब श्री सेन यह कहते हैं कि "इस मामले को लम्बा मत खींचिए। इस मामले को जितनी जल्द हो सके समाप्त किया जाना चाहिए," तो ठीक ही है। मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष महोदय पर यह और भार लादना असंगत रूप से गलत होगा। सभी दृष्टिकोणों से अध्यक्ष एक उच्च पदाधिकारी होता है। वह बिल्कुल निष्पक्ष होता है। उसका किसी राजनैतिक दल से संबंध हो सकता है। लेकिन ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय वह निष्पक्ष है। और हम चाहते हैं कि ऐसा उच्चपदाधिकारी निष्पक्षता से इस मामले पर निर्णय दे।

मेरे एक माननीय मित्र ने अभी एक प्रश्न उठाया है कि आप इसके घेरे में निर्दलीय सदस्य को क्यों लाते हैं? निर्दलीय तो निर्दलीय है। वह किसी से सम्बद्ध नहीं होता। मूल विचार यह है। जब वह मतदाताओं के पास जाता है तो सबको कहता है कि "मैं इनमें से किसी भी दल को पसन्द नही करता, ये राजनीतिक दल इतने घमण्डी हैं कि वह मेरे जैसे व्यक्ति को भी दल का टिकट नहीं देते और इसलिए मैं निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहा हूं।" अब उसे जो कुछ उसने कहा है इस पर ही कायम रहना चाहिए। उसने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा है उसे निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से मतदाताओं ने निर्वाचित किया है। इसलिए उसे निर्दलीय सदस्य ही रहना चाहिए। जैसे वह निर्दलीय नहीं रहता, वह इस कानून के घेरे में आ जायेगा क्योंकि चुनावों में उसने मतदाताओं से जो वायदा किया था, आधार तो वही है; मतदाता ही अन्तिम सत्ता है जिन्होंने फैसला करना है कि क्या वह चुने जाने के लिये सही व्यक्ति है क्योंकि वह निर्दलीय था.....

अध्यक्ष महोदय : मेरे उस प्रश्न का क्या हुआ जिसमें मैंने पूछा था कि अगर 15 निर्दलीय सदस्य इकट्ठे हो जाएं तो ....

श्री जगन्नाथ कौशल : यह अननुज्ञेय है।

अध्यक्ष महोदय : वह विनिर्णय दे रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर वे ऐसा करते हैं, तो वे निर्दलियों की संसद बना देंगे।

श्री जगन्नाथ कौशल : अब यह अननुज्ञेय है। इसलिए मैं सहमत हूं.....

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : क्या मैं एक स्पष्टीकरण पूछ सकता हूं?

श्री जगन्नाथ कौशल : जी नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते ने जो कुछ कहा, उसे दोहराते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आज के पुण्य दिन हमने यह उपाय किया है, और इस उपाय से निश्चय ही संसद को इस बात का श्रेय मिलेगा कि सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के काफी निर्भीक कदम उठाये जोकि पिछले 20 वर्षों से नहीं उठाये गये।

(अनुवाद)

श्री कोलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हम इस विधेयक की भावना, लक्ष्य और इसके उद्देश्य का स्वागत करते हैं।

प्रारम्भ में, मैं कहूंगा कि इस विधेयक को जितनी जल्दी इस सम्मानित सदन में पुरःस्थापित किया गया था उतनी जल्दी ही सत्तारूढ़ दल ने विजय प्राप्त की, मध्य प्रदेश में दमकिपा की राज्य शाखा ने कांग्रेस (इ) में बिना शर्त विलय का निर्णय कर लिया है। अतः सत्तारूढ़ दल ने पहली विजय प्राप्त कर ली है। भारत में, सत्ता और पैसे के लालच में राजनीति का पैंतरेबाजी, धोखे-बाजी दल-विभाजन और दल-बदल के रूप में पतन हो चुका है।

मैं प्रधान मंत्री को अपना वायदा पूरा करने के लिए बधाई देता हूं और इसकी सराहना करता हूं। प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद पहले दिन ही उन्होंने जनता से कहा था कि वह स्वच्छ सरकार देंगे। मैं यहां राबर्ट फ्रॉस्ट की कविता की पंक्तियां उधृत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय तथा अन्य माननीय सदस्यों को भी मैं याद कराना चाहता हूं कि जब पंडित जी प्रधान मंत्री थे तब जब भी वह अपने कार्यालय जाते सर्वप्रथम वह राबर्ट फ्रॉस्ट की कविता की पंक्तियां पढ़ते और उसके बाद ही अपना काम आरम्भ करते। रांबर्ट फ्रॉस्ट की कविता की पंक्तियां पढ़ता हूं :

> "द वुड्स आर लवली, डार्क एण्ड डीप, बट आई हैव प्रामिजेस टू कीप एण्ड माइल्स टू गो बिफोर आइ स्लीप, एण्ड माइल्स टू गो बिफोर आइ स्लीप"।

अतः युवा प्रधान मंत्री द्वारा वायदा पूरा किया जा रहा है, वायदा निभाया जा रहा है।

मैं यह भी कहूंगा कि प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों को इस विधेयक पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया।

सभी सदस्यों को अवसर देने के लिए मैं एक बार फिर प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मुझे एक पुरानी कहावत याद दिलानी है जो यह है कि पूर्व चेतावनी देना पहले से शस्त्र सज्जित करना ही है। अतः इस समय यह कथन अत्यन्त उपयुक्त है क्योंकि आज ही नहीं अपितु पिछले बीस वर्षों से चेतावनी विद्यमान है। अतः चेतावनी के अनुसार यह विधेयक पहले ही शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस विधेयक को लाने के लिये यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है परन्तु इस विधेयक को बहुत वर्ष पहले इस पुनीत सदन में पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ था। वास्तव मे यह विधेयक 1985 के युवा वर्ष में पारित किया गया है। अतः युवा प्रधान मंत्री द्वारा इस विधेयक का लाया जाना अत्यन्त समुचित है और यह विधेयक पारित हो जायेगा।

इससे भी अधिक बात यह है कि यह वर्ष कांग्रेस पार्टी का शताब्दी वर्ष है। पिछले 100 वर्षों में दोनों ओर की राजनीति में गंदगी फैली हुई है तथा इस विधेयक द्वारा उस गंदगी को साफ किया जा रहा है कि स्वच्छ सरकार प्रदान की जा सके। मैं एक बार पुनः ....

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : अन्ना द्रमुक को कांग्रेस (आई) में मिला दिया जाये।

श्री पी० कोलनदईवेलु : जी नहीं। ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारे युवा प्रधान मंत्री ने अपना जीवन पायलट के रूप में शुरू किया। शायद इस घटना से भारतीय राजनीति में व्यवसायवाद का प्रवेश हुआ है। अतः मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पार्टी बदलने से कोई लाभ नहीं जब तक कि इसके लिए कोई निश्चित आधार न हो। अतः दल-बदल से

निश्चय ही किसी को लाभ नहीं होगा और मैं विधि मंत्री को सुझाव देता हूं कि विधेयक में निर्वाचक मंडल का कोई उल्लेख नहीं है। निर्वाचक मंडल ही इसका सही निर्णय कर सकता है और उसी का उसमें उल्लेख होना चाहिये। मैं समझता हूं कि विधि मंत्रालय द्वारा इस बारे में उचित और उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अब मतदाताओं ने दल-बदल किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा है? क्या हमें उसके लिए भी विधेयक पारित करना होगा? प्रो० सोज, इससे आपको भी लाभ पहुंचेगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इस विधेयक पर कुछ बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

राजनीतिक दल-बदल ने हमारे संसदीय लोकतंत्र को दूषित किया। अतः हमने जम्मू काश्मीर में सबसे पहले राजनीतिक दल बदल पर कानून बनाया तथा जब मैं 7 वीं लोक सभा में आया तो मैंने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में दल-बदल निवारक विधेयक पुरः स्थापित किया जिसकी कि वही नियति हुई जोकि सभी गैर-सरकारी विधेयकों की होती है..

अध्यक्ष महोदय : परन्तु अब आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब जब कि केन्द्रीय सरकार ने विधेयक पुरःस्थापित किया है मैं इसका स्वागत करता हूं तथा प्रधान मंत्री द्वारा विपक्षी दलों के साथ लम्बी वार्ता के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। चूंकि मतैक्य लाने के लिए विधेयक को आज के लिए स्थगित किया गया तथा जब सुविज्ञ विधि मंत्री ने इससे पूर्व इस शुभ समाचार की घोषणा की कि उप-खण्ड 2(1) (ग) को तो निकाल दिया जाएगा तो मुझे अतीव प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह उपबन्ध विधेयक में क्यों रखा गया है क्योंकि इससे राजनीतिक पार्टी की परिसीमा में समूचे लोकतंत्र का अन्त हो जाता। परन्तु चूंकि प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की अतः इससे उनका इरादा प्रकट हो जाता है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जब मैं वर्तमान विधेयक की जम्मू तथा काश्मीर में पारित कानून के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता हूं तो मैं इस विधेयक को विशेषतः तीन तरह से व्यापक पाता हूं। प्रथम, इस विधेयक की परिधि में मनोनीत सदस्यों को भी रखा गया है। दूसरे इसमें विभाजन की व्यवस्था है। तीसरे, इसमें निदलीय सदस्यों को भी लिया गया है। ये तीनों उपाय अत्यन्त स्वागत योग्य हैं तथा जम्मू-काश्मीर राज्य में विद्यमान कानून इन बातों में उपेक्षित है और अब हम इसमें सुधार ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तथा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह स्पष्टीकरण दें। प्रथम, क्या हम सदस्यता के लिए अनर्हतायें इसमें नहीं जोड़ सकते जबकि संसद् अनुच्छेद 102(1)(ङ) और अनुच्छेद 191 (1)(ङ) के अन्तर्गत अनर्हताएं जोड़ने के लिए सक्षम हैं? यह मेरे लिए तथा अन्य व्यक्तियों के लिए भी हो सकती हैं। अतः यह आवश्यक था कि आपके द्वारा सुझाये गये ढंग से संविधान में संशोधन किया जाये। दूसरे, जम्मू तथा काश्मीर में एक दल-बदल विरोधी कानून हैं जिसका याचिका के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। हमारे द्वारा यह कानून उच्चतम न्यायालय की राय व्यक्त न किये जाने के लिए पड़ा हुआ है। उस कानून का क्या होगा? मैं स्वीकार करता हूं कि

जो कानून हम बना रहे हैं वह पहले से बने दल-बदल सम्बन्धी कानून की तुलना में व्यापक है । उस कानून का क्या बना यह आपने अपने भाषण में नहीं बताया है । जम्मू तथा काश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है । इसका अपना संविधान है तथा विधान सभा कानून बनाने में सक्षम है । दूसरे यह हमारे विधायकों द्वारा पुनः पारित किया गया तथा यह कानून बन गया । उसे उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए भेजा गया । क्योंकि हमने पाया कि जम्मू तथा काश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा दल-बदल के बारे में जो निर्णय दिया गया था वह सही नहीं था । मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें ।

तीसरे, अब जबकि हम सरकार की राय जानते हैं—विशेष रूप से प्रधान मंत्री की राय जानते हैं । मैं चाहता हूं कि कांग्रेसी सदस्य अपने प्रधान मंत्री को नीचा नहीं दिखायेंगे तथा जम्मू और काश्मीर में दल-बदल सरकार के बारे में अपनी राय व्यक्त करेंगे । (... (**व्यवधान**) । मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक के अनुसार जम्मू और काश्मीर के सभी बद-बदल भी हमारे दल में विभाजन नहीं होता । इस कानून के अन्तर्गत भी वे दल-बदल हैं तथा वे अनर्ह हो गये हैं ..... (**व्यवधान**) ।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : उच्च न्यायालय का विनिर्णय विद्यमान है।

श्री० सैफुद्दीन सोज : हमने मामला उच्चतम न्यायालय के पास भेजा है । इसीलिए मैंने मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगा है । कानूनी प्रश्न के अलावा यहां पर एक नैतिक मामला भी सम्बद्ध है । इन दल-बदल करने वालों में कई मंत्री भी हैं परन्तु अपनी अर्हताओं के अनुसार वे नहीं बन सकते** ..... (**व्यवधान**)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (इन्दौर) : यह अपमानजनक टिप्पणी है । और इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री० सैफुद्दीन सोज : उनकी ऐसी अर्हता हैं । उनमें से कुछ अनपढ़ लोग हैं । उन सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। और मैं कहता हूं कि यह विभाजन नहीं है, बल्कि वे दल-बदलू हैं । क्या सरकार उनसे अपना समर्थन वापस लेगी। सरकार को शाह मंत्रिमंडल से समर्थन वापस लेना होगा । (**व्यवधान**) ***

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मैंने अगले वक्ता को पुकारा है ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (उधमपुर) : जनाबे-आली, मैं आपका मशकूर हूं कि आप ने मुझे इस बहस में भाग लेने और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया । यह एक निहायत अहम बिल है जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया मुबारकबाद की मुस्तहक है । सब लोगों ने इस बात को माना और सारा हाउस इत्तफाक रखता है कि यह पास हो । यहां पर सोज साहब ने जो कुछ कहा, अब मैं उस की तरफ आता हूं ।

जहां तक उनकी बात का ताल्लुक है, उनको पता है कि इस बिल को जम्मू काश्मीर पर तभी लागू किया जा सकता है, जब राज्य सरकार चाहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो पुरानी बात हो गई, यदि कोई नई बात हो तो

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

***कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं जरूरी बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कल की बात हो गई, आने वाले कल की बात कीजिए कुछ ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : यह बिल जम्मू और काश्मीर राज्य पर एप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रैजीडूएरी पावर्स जम्मू और काश्मीर पर लिमिटेड हद तक एप्लाई करती हैं । इसके अलावा यह कान्स्टीटयूशनल अमैंडमैंट भी है कि जब तक वहां की सरकार न चाहे, यह जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होगा । बाकी उन्होंने सारे बिल को पढ़ा होगा, स्प्लिट की डैफिनीशन लॉ के मुताबिक होगी । वहां स्प्लिट हुई आपकी पार्टी में, तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग अपनी पार्टी के आदमियों को कन्ट्रोल में नहीं रख सकते वह और किसी को कैसे दोषी करार दे सकते हैं । यदि वह यहां आकर कांग्रेस को दोष देते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं तो उसका क्या फायदा होने वाला है ? यदि आप वहां अपने आदमियों को कन्ट्रोल में नहीं रख सके, आपसे टूट कर वे अलग हो गए, स्प्लिट हो गई, इनकी पार्टी के दो टुकड़े हो गये तो उसमें हमारा क्या दोष है..... (**व्यवधान**).....वे आपके ही लोग हैं । आपसे परेशान हो कर ही उन्होंने स्प्लिट किया और आपकी पार्टी के दो फाड़ हो गये ..... (**व्यवधान**).....वे भी तो आपके ही लोग हैं । वे आपकी कारगदगी की वजह से दुखी थे जिसके कारण वहां स्प्लिट हुई और उसमें से जो हमको अच्छा नजर आया, हमने उसकी मदद कर दी । हम वहां सरकार में शामिल नहीं हुये। इसलिए हम वहां कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं ।

जनाबे-आली, इस कानून के एक पहलू की तरफ शायद किसी ने तवज्जह नहीं दी। जब यह बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद सारी दुनियां के लोग और हिन्दुस्तान के अवाम यह समझेंगे कि ये हमारे लेजिस्लेटर्स कैसे अखलाक के मालिक हैं, जो आज के लेजिस्लेटर्स हैं या आगे होंगे, मेंढकों की तरह तब वे टोकरी के अन्दर हैं तब तक तो ठीक हैं, लेकिन जैसे ही टोकरी को उठाया तो ये भाग गये । इनको बांधने के लिए रस्से की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय : आज तो हम उनको बांध रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : इसलिए इस आस्पैक्ट को देखकर हमको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिये क्योंकि हममें कोई सैल्फ-कन्ट्रोल्ड नहीं हैं, सैल्फ रैस्पैक्ट का हमको ख्याल नहीं है, हम अपनी पोलिटिकल इंटैग्रिटी को नहीं रखते और न हमें पार्टी फेथफुलनेस और वफादारी का ख्याल है । वैसे जनता ने तो समय समय पर अपना फैसला ले लिया और हमारा वोटर आज ज्यादा होशियार हो गया है—एक दफा उसने कांग्रेस को हटाया, दूसरी बार जनता पार्टी को हटाया और इस बार उसने जितने डिफैक्टर्स के लीडर थे, उन सबको खत्म कर दिया, इस तरह से हम लोग तो पीछे हैं और हमारा वोटर आगे है । इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया है कि यदि कोई आदमी पांच साल से पहले डिफैक्ट कर जाता है तो उसके खिलाफ स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब या जो भी हैड ऑफ दी लैजिस्लेचर होंगे, एक्शन लेंगे और यह स्वागत योग्य कदम है ।

इसके बाद इरीटैन्ट्स के बारे में तो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया है कि हम उनको हटा रहे हैं और हाउस के बाहर जो एक्सपल्शन होगा, उसका नोटिस नहीं लेंगे । वोटिंग के समय किसी मजबूरी की वजह से यदि कोई नहीं आ सकता है तो उसके बचाव के लिए भी अमैंडमेंट लाया गया है । इस तरीके से यह ऐसा बिल है जिसकी कोई भी बाहोश इंसान मुखालफत नहीं कर सकता और हमेशा इसकी ताईद ही करेगा, मगर जो बात दुख की है वह यह है कि हमको ख्याल होना चाहिये कि हम अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें, हम जिस पब्लिक के ऑफिस को होल्ड करते हैं, उसकी कद्र करें, अपने अखलाक को उभारें

और अपनी जमीर को जगायें ताकि हम कोई गलत बात न कर पायें और लोग समझें कि ये हमारे नुमाइन्दे हैं और ये वाकया हीं आइडियल हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप गुलाम मोहम्मद शाह से सपोर्ट विद्-ड्रा कीजिए ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : किसको करेंगे ? आपको करेंगे ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप वेल्यूज की बात कर रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : हमको न आप अच्छे लगते हैं, न वह अच्छे लगते हैं, पर दोनों में से जो कम बुरा हो, उसकी मदद करते हैं । इसके अलावा हमारे लिए चारा कोई नहीं है । .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आप मेरी मार्फत सिफारिश करवाइये ।

प्रो० सफुद्दीन सोज : वह वेल्यूज की बात कर रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : वेल्यूज हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कोई वेल्यूज नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : जहां हर कदम पर चोरी होती हो, लोगों को खतरा ही खतरा है, हमें कोई एतराज नहीं है, उसमें एक आदमी अगर आवाज देता हो तो आप उसको अच्छा कहते हैं .... (व्यवधान) कितना रुपया यहां से गया, कहां गायब हुआ ? आप मुझे क्यों मजबूर करते हैं ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आप इसलिए करते हैं कि आपकी जमानत जब्त होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : काबुली साहब ऐसा नहीं करते, आप गलत कर रहे हैं । अच्छा नहीं लगेगा, क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं उसका जिक्र नहीं करता, मगर यह ख्वामाख्वाह मुझे मजबूर कर रहे हैं कि तमाम बातों को मैं सामने रखूं ।

स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, मैं इसमें कोई तलखी पैदा नहीं करना चाहता, मगर मजबूर कर रहे हैं तो इनकी बातों का जवाब देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : बाद में समझौता करा देंगे आपका ।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद. . . .

[हिन्दी] **अध्यक्ष महोदय** : ऊंचा बोलिये..... जवान आदमी हो, जोर से बोलो ।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : महोदय यह मेरा प्रथम भाषण है ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपको सुनना चाहता हूं ।

श्री सुरेश कुरुप : मैं उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसका जन्म एवं पालन-पोषण स्वतन्त्रता के पश्चात् हुआ । इन सभी वर्षों में, हम अपने राजनीतिक जीवन में दूषित उथल-पुथल को देखते आ रहे है । श्रीमान, दलबदल बीमारी का केवल एक भाग है जो हमारे राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालती है । आप कानून पास करके दलबदल को कुछ सीमा तक ही रोक सकते हैं । किन्तु आप केवल कानून बनाकर ही दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते । आज हमें आवश्यकता है कि इसके लिए जनता का सामान्य राजनीतिक जागरण हो । हम, भारत के लोगों ने केवल स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान और आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष के दौरान ऐसे जागरण को अनुभव किया है ।

श्रीमान, मेरे मित्रों में से एक ने यहां बताया है कि भारतीय राजनीति में दलबदल का प्रश्न केवल छठे दशक में आया है । मैं उसमें सुधार करना चाहूंगा । दलबदल का प्रश्न भारतीय राजनीति में तब आया जब सत्तारूढ़ कांग्रेस निर्वाचन में हारने लगी । 1952 में पहले आम चुनाव के बाद भी एक अनुभवी राष्ट्रीय नेता श्री राजगोपालाचारी ने पहले मद्रास राज्य में दल-बदल का उपयोग करके अपने मंत्री मंडल का गठन किया । और मैं 1957 की घटना के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं ।

श्रीमान, मुझे गौरव है कि मैं भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) का प्रतिनिधि हूं जिसने इन सभी वर्षों में भारतीय राजनीति में सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अपनाया है । 1957 में, केरल में जब पहले साम्यवादी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें वास्तव में केवल एक सदस्य के बहुमत के साथ, केन्द्र में सत्तारुढ़ कांग्रेस ने हमारी तरफ के विधान सभा के सदस्यों को प्रलोभित करने के सभी प्रकार के प्रयत्न किए, किन्तु असफल रहे । तभी उन्होंने गैर-संवैधानिक उपायों का उपयोग करते हुए तथा राज्य के साम्प्रदायिक एंव जातीय राजनीति के साथ मिलकर उन्होंने राज्य सरकार को पदच्युत करने के लिए कुख्यात मुक्ति संघर्ष संगठित किया जोकि अंत में चरम सीमा तक पहुंच गया और राज्य सरकार को पदच्युत कर दिया गया ।

हमें प्रसन्नता है कि यह विधेयक उन्हीं शक्तियों द्वारा लाया गया है जिन्होंने इन पिछले वर्षों में दलबदल का कार्य किया है । इस विशिष्ट विधेयक को सदन में लाए जाने का एक दिन पूर्व ही बड़ौदा परिषद् जो जनता पार्टी के नियंत्रण में थी को कांग्रेस द्वारा दल-बदल का प्रयोग करके हटाया गया । सिक्किम, जम्मू-काश्मीर तथा आंध्र प्रदेश की घटनाओं का यहां पहले ही उल्लेख किया गया है । मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से कहूंगा : 'अब आप हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को हमारी राजनीति में स्वच्छ व्यति के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं ।' परन्तु सभी जानते हैं कि उन सभी सरकारों को पद्च्युत करने में उनका दिमाग ही काम कर रहा था ।

(व्यवधान)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि सत्तारूढ दल इस विधेयक को लाने में ईमानदार है, तो इसको श्री जी० एम० शाह, जोकि हमारे देश का मुख्य दलबदलू है, की सरकार को अपना समर्थन समाप्त करना चाहिए, जम्मू और काश्मीर सरकार को कांग्रेस (इ) द्वारा

दिया गया निरन्तर समर्थन हमारे प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ईमानदारी पर उपहास है ।

इस विधेयक के खंडों के संबंध में, हमारे माननीय विधि मंत्री ने पहले ही वायदा किया है कि विवादास्पद खण्ड 2 (1) (ग) को निकाल दिया जाएगा। मैं इस सदन में यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि कोई दल लोकतंत्रीय ढंग से कार्य नहीं करता, तो यह हमारे देश के लिए हानिकर होगा । मुझे एक दल में विधायक के मत के बारे में हैरानी है, जहां निर्वाचन लोकतंत्रीय ढंग से नहीं होता है, और जहां सभी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में रहती है।

इस संबंध में, मैं कुछ दुहराना चाहता हूं जिसका कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने पहले ही उल्लेख कर दिया है। वह संविधान के अनुच्छेद 356 के बारे में है जो केन्द्र में ऐसी राज्य सरकार को हटा देने का समर्थन करता है जो इसकी राजनीतिक विचारधारा का अनुसरण नहीं करता है। यदि हमें अपनी राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करना है तो इस अलोकतंत्रीय उपबंध को अपने संविधान से निकाल दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारी प्रणाली को पूर्णतः लोकतंत्रीय होना है, यदि हमारी निर्वाचन प्रणाली को पूर्णतः लोकतंत्रीय होना है, तो हमारे देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली चालू की जानी चाहिए। इन सभी वर्षों के दौरान इन सभी निर्वाचनों में, केवल एक निर्वाचन को छोड़कर, वर्तमान प्रणाली ने सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की मतों की कुछ प्रतिशतता के साथ निर्वाचनों को जीतने में सहायता की है, और सीटों का बहुमत प्राप्त कराया है। इस निर्वाचन में भी, 50 प्रतिशत मतों से, कांग्रेस (आई) दल ने 80% सीटें प्राप्त की हैं। इसलिए, मैं प्रधानमन्त्री और उनके सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी निर्वाचन प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चालू करें, और हमारी लोकतंत्रीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करें।

धन्यवाद ।

श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक का सशर्त समर्थन करते हैं । यद्यपि दल-बदल पर रोक लगाने का विचार कांग्रेस पार्टी में 1967 में एक गैर-सरकारी विधेयक से शुरू हुआ; श्री चव्हाण की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट 1969 में पेश की गई। 1969 से लेकर 15 वर्ष के इस लम्बे समय में कांग्रेस पार्टी यह विधेयक पारित नहीं करवा पाई । यद्यपि अब बहुत देर हो चुकी है तो भी कांग्रेस (ई) ने पहली बार नाम कमाया ।

एक अधिवक्ता होने के नाते, मुझे इस विधेयक के बारे में कुछ शकाएं हैं। क्या इससे अनुच्छेद 19 तथा 13 का उल्लंघन नहीं होता ? अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों की सुरक्षा के बारे में है । अनुच्छेद 103 सदस्यों की अनर्हता के प्रश्नों पर निर्णय लेने के संदर्भ में हैं । अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह चुनाव आयुक्त के साथ विचार-विमर्श करके इस मामले पर निर्णय ले ।

अब, इस विधेयक में अध्यक्ष तथा सभापति, जो भी हो, को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। क्या अनुच्छेद 103 तथा इस विधेयक के उपबंध परस्पर विरोधी नहीं है । माननीय विधि मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें । संविधान में संशोधन करने संबंधी यह कठिन कार्य करने के बजाय, क्या सरकार के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अन्तर्गत किसी भी सदस्य को भ्रष्ट आचरण के लिये अनर्ह घोषित किया जा सकता है ? इससे अधिक भ्रष्ट तरीके क्या हो सकते हैं कि लोगों के साथ वायदे कुछ किये जाते हैं और किया कुछ और जाता है, एक पार्टी से चुना जाता है और दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं । कृपया आप

धारा 6, धारा 7, धारा 8 (क) और धारा 11(क) देखिये । इसलिये मैं विधि मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं कर सकते। संविधान तो पिछले विधायकों ने स्वीकार किया है इसलिये सरकार इसमें संशोधन करने से बच सकती है ।

इस बारे में निर्णय लेने का प्राधिकार सभापति तथा अध्यक्ष महोदय को दिया गया है । मैं इसका स्वागत करता हूं । दल के नेता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम पार्टी को अनुशासित करेंगे सभा को नहीं और अध्यक्ष महोदय इसकी जांच करेंगे । पुनः अनुच्छेद 103 के उपबन्ध लागू होंगे । अतः मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें ।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, आज यह बिल जो सदन में पेश हुआ है इसका मैं समर्थन करता हूं और अपने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यह एक अच्छा बिल जो दल-बदलू वाला था, वह हाउस में आया । आज सुबह से, काफी देर से इस पर बहस हो रही है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने सदस्य चुन कर आते थे और आकर अपने दल को बदल लेते थे, वोटरों को बहुत महसूस होता था, और अपने मन में वह कहते थे कि यह किस तरह के सदस्य को हम ने भेजा कि जो हम को छोड़कर दूसरे से जा मिला । लेकिन चुने हुए नुमाइन्दे अपनी लालच से, किसी तरह का अपना फायदा देखकर अपने फायदे की वजह से वह पब्लिक की तरफ नहीं देखते थे । वह चाहते थे कि किसी तरह हमारा फायदा हो । अपने फायदे के लिए वह दल-बदल लेते थे । दल-बदल को रोकने के लिए यहां बहस हो रही है, मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से बड़ी मजबूती के साथ इस बिल को पास किया जाए और कायदे-कानून के हिसाब से भी इसको बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाया जाए ।

मेरे सामने अभी जम्मू-काश्मीर का जिक्र आया । हम जानते हैं कि उनकी पार्टी में आपस में झगड़ा था और झगड़े में जिसका कम कसूर था, उसको सपोर्ट कर दिया। इसलिए वे दोषी हैं, जिनका आपस में झगड़ा था। उनको अपनी पार्टी संभालनी चाहिए थी । अपनी पार्टी को उनको ठीक तरह से चलाना चाहिए था । इसमें कोई और दोषी नहीं हैं ।

दूसरी बात यह है कि यह कानून पास होने से पहले जो लोग दल-बदल लिया करते थे, उन पर अब रोक लगेगी और सारा करप्शन खत्म होगा और एक मजबूती आएगी । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक पार्टी कभी लोकदल बनती है, कभी डी०एम०के०पी० बनती है, कभी बी०के०डी० बनती है कभी जनता पार्टी बनती है, कभी भारतीय जनता पार्टी बनती है, इस पर भी रोक लगाई जाए । इसमें भी ऐसी पार्टियां जो एक पार्टी रखें, एक निशान पर लड़ें, उनका भी समाधान किया जाए ।

आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे देश को फायदा होगा । इस बिल के लिए मैं अपने युवक प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया । महोदय, मुझे खुशी है और मैं इस विधेयक का समर्थन तथा स्वागत करता हूं जिसे आठवीं लोक सभा के पहले सत्र में इस सभा में पुरःस्थापित किया गया है।

मुझे एक महान कवि, रावर्ट फ्रास्ट की कविता याद आ रही है: टू वज लोड इन्टू वुड्स आइ टेक टू द रोड लोस्ट ट्रेवल्ड एण्ड दट मेक्स आल द डिफरेंस

महोदय, विश्व के कई देश है जिन्होने लोकतन्त्र को स्वीकार किया है लेकिन उन्होंने समाजवाद को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। केवल भारत ही ऐसा देश है जिसने लोकतन्त्र तथा समाजवाद दोनों को स्वीकार किया है। यह एक अनुपम रास्ता है जिसे भारत ने चुना है और हम लोकतांत्रिक समाज तथा समाजवादी ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में यह बहुत आवश्यक है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओ को बनाये रखें। इस प्रकार यह मूल्य इतने प्रतिष्ठित एवं स्थापित हो चुके और हमारे राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में इतने आत्मसात हो गये हैं कि लोकतन्त्र सतत हो गया है। यह आवश्यक था कि इस दल-बदल को रोका जाना चाहिये था। लेकिन इन सब वर्षों के दौरान यद्यपि, इस बारे में प्रयास किये गये, परन्तु आज तक वे इस विधान को पेश करने में सफल नही हुए थे।

हमें बहुत खुशी है कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने एक तरह से सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया है और उन्होंने इस विधेयक के संबंध में एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने विरोधी दलों के साथ बार-बार विचार विमर्श किया है और उन्होंने अपने दल में भी सहमति प्राप्त कर ली हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सर्वदा लोकतांत्रिक जीवन दृष्टि की प्रतीक रही है विशाल जनादेश प्राप्त करने के बाद इस विधेयक को प्रस्तुत करने में एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति ने इसका स्वागत किया है। मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष की सहमति का सदुपयोग किया जायेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसा कि माननीय विधि मंत्री जी ने अभी-अभी सभा को बताया है। खण्ड 2 (ग) हटा दिया गया है, लोप कर दिया गया है, अतः यह अविवादास्पद विधेयक है और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक सदस्य इसे स्वीकार करेगा तथा इसे बिना किसी आलोचना अथवा संशोधन के ही पारित किया जायेगा। परन्तु यहां में निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का दल-बदल 1967 के बाद ही अधिक बढ़ा है यद्यपि कछ सदस्यों का यह कहना है कि यह उससे पहले ही शरु हो गया था किन्तु दल-बदल की यह अनियंत्रित रूप से क्यों फैली; 1967 तक संसद तथा राज्य विधान मंडलों दोनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुमत रहा। केवल 1967 में जब दक्षिण पंथी प्रतिपक्ष तथा वामपंथी प्रतिपक्ष परस्पर विभिन्न विचारधाराओं के होते हुए भी एक सांझा कार्यक्रम अर्थात कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ फैंकने के बारे में मिल गया तो उस समय यह व्याधि अत्यन्त विकट हो गई। मुझे खुशी है कि कम-से-कम सभी प्रतिपक्षी दल आज सहमत हो गये है कि हमें यह विधेयक पारित करना होगा। यह विधेयक सभा के समक्ष है और यह सभा द्वारा पारित किया जायेगा। अतः मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं इस एतिहासिक विधेयक का दिल से स्वागत करता हूं यद्यपि इस विधेयक के कुछ खण्डों पर मेरी कुछ आपत्तियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : सहमति के बाद भी कुछ आपत्तियां हैं।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : जी हां, महोदय। मेरे नेता, प्रो० मधु दण्डवते ने सुबह ठीक ही कहा था कि महात्मा गांधी तथा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की याद में यह एक सही श्रद्धांजलि होगी। मैं यह कहूंगा कि यह आचार्य नरेन्द्र देव की याद के प्रति भी सही श्रद्धांजलि होगी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद स्वेच्छा से विधान सभा में अपने पद से भी त्याग पत्र दे दिया था।

जैसा कि हमारे विधि मंत्री जी ने सही बताया है, दल-बदल का यह रोग विशेष रूप से पिछले दो दशकों से भारतीय लोकतन्त्र को दूषित कर रहा है। 1983 में चुनाव आयुक्त द्वारा किये गये एक महत्वपूर्ण भाषण के अनुसार 1967 और 1983 के बीच 2700 दल बदल हुये और 212 दलबदलु मंत्री बने तथा 15 मुख्य मंत्री बने। सुबह से ही हम आया राम और गया राम वाक्यांश सुन रहे हैं। अब यह वाक्यांश पुराना हो गया है। अब यह आयालाल तथा गयालाल बन गया है। लाल तथा राम दोनों का जन्म स्थान हरियाणा में ही है।

सौभाग्य से, हमारे देश के एक अग्रणी न्यायविद श्री अशोक सेन हमारे विधि मंत्री हैं। इसलिये, मैं जानना चाहूंगा कि क्या खण्ड 6 हमारी संसद की विधायी शक्ति के क्षेत्राधिकार में है। यदि आप खण्ड 6 पढ़ें तो उसमें सुझाई गई प्रक्रिया संक्षिप्त है। यह लगभग निवारक नजरबंदी अधिनियम जैसी है। यदि आप खण्ड 6 (2) को लें तो अध्यक्ष के निर्णय को सभा की कार्यवाही माना जायेगा। मैं खण्ड 7 के अन्तर्गत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को निकालने का स्वागत करता हूं। जब खण्ड 7 इसमें है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या खण्ड 6 (2) भी अपेक्षित है। मेरे विचार से, खण्ड 6(2) से संविधान, संविधान के उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन होगा जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती तथा मिनर्वा मिल्ज दोनों मामलों में प्रतिपादित तथा प्रतिज्ञापित किया गया है। अतः मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री जी इस पहलू पर कुछ प्रकाश डालें।

खण्ड 2 (1) (ग) पर आते हुये मुझे वास्तव में खुशी है कि सदन के नेता तथा सत्ताधारी दल इसका लोप करने के लिये राजी हो गये हैं। इसलिये, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूं।

जहां तक खण्ड 2(1) (ग) का संबंध है इसमें इस तरह से संशोधन किया जाये ताकि यह धन विधेयक तक ही सीमित रहे ; इसमें सभी प्रकार के विधेयक शामिल न किये जाये। इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वे इसे एक बार फिर देख लें।

मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें दल विभाजन के बारे में उपबंध किया गया है। लेकिन दल से अलग हुये सदस्यों के निजी लाभ के लिये दल विभाजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। बहुत से सदस्यों ने वाई० बी० चव्हाण समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है। उस समिति ने एक सिफारिश की थी कि अपने मूल दल को छोड़ने वाले सदस्य को कम से कम एक वर्ष तक मंत्री पद ग्रहण करने की अनुमति न दी जाए। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस का विभाजन हुआ। उसका क्या परिणाम निकला ? सभी 14 सदस्य जिन्होंने नेशनल कान्फ्रेंस छोड़ी उन्हें मंत्री बना दिया गया है। यह कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जायेगा। इसलिये इसके अंतर्गत ऐसे मामले नहीं आयेंगे... (व्यवधान) अतः इस विधेयक में ऐसा उपबंध अवश्य अंतःस्थापित किया जाये ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि दल से अलग हुये सदस्यों को कम से कम एक वर्ष तक मंत्री पद प्राप्त करने की अनुमति न हो।

दल विभाजन के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। तर्क की दृष्टि से विचारधारा के आधार पर हुआ विभाजन एक ही सदन तक सीमित नहीं रह सकता है। ऐसा विभाजन क्षेतिज विभाजन नहीं हो सकता है ; यह उदग्र विभाजन भी है। इसमें संसद के दोनों सदन तथा कई राज्य विधानमंडल आ जाते हैं। मैं हाल ही में हुये दल-विभाजन का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह विभाजन बहुत ही विवादास्पद है मैं छठे दशक के मध्य तथा सातवें दशक के मध्य कम्युनिस्ट पार्टी में ये दल विभाजन का जिक्र कर रहा हूं जो विचारधारा के आधार पर हुये थे। उन

दोनों विभाजनों में, विधान मंडल में अलग हुए समूह में सदस्यों की संख्या उस समूह का एक तिहाई नहीं थी । अपनी ही संसद को ले लो । जब लोक सभा में, दल से अलग हुये समूह में सदस्यों की संख्या एक तिहाई हो सकती है किन्तु हो सकता है कि राज्य सभा में यह संख्या एक तिहाई न हो । ऐसे मामलों में, क्या वे उनकी सदस्यता खो देंगे ? अतः दल-विभाजन की धारणा को इस तरह से परिभाषित किया जाये ताकि देश के सभी विधानमंडल उसमें आ जाएं । मैं विधि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात की ओर ध्यान दें ।

प्राधिकार विषय में मेरा यह सुविचारित मत है कि अनुच्छेद 103 में निर्धारित की गई प्रक्रिया ही पर्याप्त होगी । मैं नहीं चाहता कि इस विधेयक में अध्यक्ष के पद को भी शामिल किया जाये महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं । मुझे विश्वास है कि आप इतनी बड़ी जिम्मदारी नहीं लेना चाहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए बिल्कुल लालायित नहीं हूं ।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : हमारे देश में बहुत से अध्यक्ष हैं । आंध्र प्रदेश में भी ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने स्वयं ही पार्टी बदल ली उन्होंने नियम बनाया कि उसके द्वारा जारी किये गये पहचानपत्र ही वैध होंगे । अतः हमारे यहां तरह-तरह के अध्यक्ष हैं इन अध्यक्षों को इस कार्य में शामिल करना बहुत खतरनाक होगा । दूसरे सभा की किसी भी समिति द्वारा अध्यक्ष की मदद नहीं की जानी चाहिये । ऐसे मामले को अध्यक्ष के स्वविवेक पर छोड़ना खतरनाक होगा । अध्यक्ष के व्यक्तित्व के अतिरिक्त उनकी हैसियत क्या है? अध्यक्ष हमेशा सभा में बहुमत प्राप्त दल के इशारों पर चलता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : यह कैसे गलत है । मैं अपनी बात को स्पष्ट करूंगा । मेरा आशय कोई आक्षेप लगाने का नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल के हाथ में हो क्योंकि उन्हें बहुमत प्राप्त होता है ।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : पर उसे पद से हटाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उसे पद से हटाया जा सकता है पर जब तक वह उस पद पर है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छी परम्परायें बनाए रखे ।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : जब अध्यक्ष की स्थिति डांवा-डोल है तब ऐसे नाजुक मामले को हम अध्यक्ष पर कैसे छोड़ सकते हैं ? सत्तारूढ़ दल का सभा में बहुमत है । सत्तारूढ़ दल का बहुमत उसके एक सत्तारूढ़ गुट में निहित है । अन्ततः अध्यक्ष को सत्तारूढ़ दल के इस सत्तारूढ़ गुट के इशारे पर चलना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी आप अध्यक्ष पद पर आक्षेप लगा रहे हैं ।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : जी नहीं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): वह अध्यक्ष पद के बारे में बात कर रहे हैं ।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : महोदय, आप तो नियम का अपवाद हैं और अपवाद-स्वरूप होने के नाते आप नियम का आकर्षण हैं । हम यह कह सकते हैं कि हमारे केवल

एक बलराम हैं। सभी राज्य विधानमण्डलों में इतने बलराम नहीं हैं। वे तो 'आया राम गया राम हैं' बलराम नहीं। आपको इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरा निवेदन है .....

सभापति महोदय : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस रूप में चित्रित किया है लेकिन देश में अन्य ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। यह उन पर आक्षेप हो सकता है। आप उन्हें अपनी ख्याति के अनुरूप बना रहने दें।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : लेकिन मैं अध्यक्ष पद की भूमिका के बारे में तो उल्लेख कर सकता हूं। मेरे नेशनल कांफ्रेंस के मित्रों को इस पर आपत्ति न होगी। वे जानते हैं कि वहां क्या हुआ। अतः हमें इसे विधान बनाते समय ऐसे अध्यक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अध्यक्षों के इस वर्ग को भी ध्यान में रखना चाहिए। अतः मेरा विचार है कि जब प्रक्रिया में इस बात की व्यवस्था है तो विधि मंत्री को अर्हताओं के संबंध में न्यायिक समिति के गठन संबंधी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिससे कि अध्यक्ष को इस मामले में सहायता प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है इसका पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ऐतिहासिक विधेयक कहा जा रहा है। लेकिन इस विधेयक का मेरे जैसे व्यक्ति पर काई असर नहीं पड़ता है क्योंकि यह विधेयक तब लाया गया है जबकि सिर से पानी उतरने लगा है। इस विधेयक को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि दल बदल होने लगा तथा राजनीति के क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो गई।

सन् 1967 में मैं बिहार विधान सभा का सदस्य था। उस समय संविद् की सरकार को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसे के बल पर, पद के लोभ के बल पर काफी प्रयास किया। मुझे भी लालच और लोभ दिया गया था लेकिन मैं उस लालच और लोभ में नहीं आया। यह बिल उन लोगों के लिये लाया गया है जो कि लालच में आकर अपने दल को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यह बहुत ही साहसिक कदम है। इसके अलावा हमारे युवा प्रधानमंत्री जी ने एक और साहसिक कदम भी उठाया है कि जनता ने जिसको लोक सभा के लिए अस्वीकृत कर दिया है, अर्थात् जो चुनाव में हार गए हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर राज्यसभा में आने की अनुमति दी है। यह भी बड़ा एतिहासिक तथा साहसिक कदम है और इससे भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति क्षेत्र नहीं बनेगा। क्या यह साहसिक कदम नहीं है? इसलिए मैं इसके लिए अपने युवा प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वे ऐसे लोगों को बाहर नहीं रहने देंगे जिनको जनता ने अस्वीकृत कर दिया है।

धन्यवाद।

5.36 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा) : सभापति महोदय, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर इस सार्वभौम सत्ता के केन्द्र में इस नए संकल्प का प्रयास हुआ है, यह संपूर्ण रूप से सराहनीय है। आज इस सदन में जो चर्चा हुई है, उसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने, दोनों ने इसका समर्थन किया है। चाहिए तो यह था कि विरोध पक्ष की तरफ से ही इस बिल को लाया जाता, जिसका यह अवसर था और इससे उनको काफी बड़ा श्रेय मिलता।

आज इस चर्चा के दरमियान इस बिल को विरोध पक्ष का समर्थन तो अवश्य मिला, लेकिन कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने से उनके मन से विरोध का स्वर भी प्रकट हुआ लेकिन आज उनके विरोध से स्पष्ट हो रहा है कि उनके विरोध की शक्ति क्षीण हो रही है।

सभापति महोदय, जनप्रतिनिधियों को बड़ी ऊंची नजर से देखा जाता है और उनका पद बड़ा ही सम्माननीय माना जाता है, लेकिन आज सार्वजनिक जीवन में जन-प्रतिनिधियों का नाम मखौल बनकर रह गया था। जनप्रतिनिधियों के चरित्र में गिरावट आती जा रही थी, जिसको रोकना जरूरी था।

भारतवर्ष की राजनीति में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ऊंचे चरित्र की स्थापना की और इस बात की ताईद की कि जो जनप्रतिनिधि बने, उसका चरित्र इतना ऊंचा हो कि लोग उनका अनुसरण करें। आज इस चीज की कमी थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभिनव प्रयास किया है जिसके एक नवशक्ति का लोगों में अहसास हुआ है और आम जनता में इसकी बड़ी सराहना हुई है। हम लोग जब कभी चुनावों के मौके पर जनता में जाते हैं तो लोगों के मन में यह संदेह पैदा होता है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं, वह जिन आदर्शों का बखान कर रहा है, जिस चुनाव घोषणापत्र को लेकर वह आया है, उसको वह पूरा करेगा या नहीं। इस बिल के आने से जनता को बड़ी खुशी हुई है और एक बड़ी शक्ति का अहसास उनको हो रहा है। हम लोग धीरे-धीरे राष्ट्र को अहसास कराते जा रहे हैं कि हम देश में एक स्वच्छ वातावरण पैदा करने जा रहे हैं। इस कार्य को सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। और इसका भी सभी के द्वारा स्वागत होना चाहिए। मुझे उस वक्त दुख हुआ जब नेशनल कान्फ्रेंस के कुछ साथियों ने इस तरह के आरोप लगाए, जिससे लगता है कि वे खुद ही शक्तिशाली नहीं हैं, तो क्या उनकी सत्ता को चलाने के लिए कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। एक जमाना था जब वे कांग्रेस सरकार की बदौलत ही शासन में आए थे। लेकिन अपने ही कारनामों के कारण उनकी यह हालत हो गई है। इसमें किसका दोष हो सकता है। तेलगु देशम के साथियों ने दूसरे रूप में आलोचना करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कोशिश की कि हमारे नेता की किसी न किसी प्रकार से आलोचना की जाए। जो संशोधन पेश किया गया है, इस बात को लेकर उन्होंने कहा है। यह संशोधन पार्टी के अन्दर और बाहर सही बात कहने की ताकत देता है। महात्मा गांधी ने कहा था:

[अनुवाद]

यदि विश्व सत्य के विरुद्ध जाता है तो मैं विश्व के विरुद्ध जाऊंगा।

[हिन्दी]

वे इतनी बड़ी सत्ता के हिमायती थे। सही बात कहने की छूट पार्टी में होनी चाहिए। इस बात से सभी सदस्यों को ताकत मिली है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागता करता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० नारायण स्वामी (अनन्तपुर): सभापति महोदय, इस विधेयक के पुरःस्थापन पर विपक्षी सदस्यों के उत्साह को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। पिछले 35 वर्षों से सरकारों को गिराने का खेल चल रहा है जिससे दल-बदल को प्रोत्साहन मिलता रहा। इस कारण जैसाकि सभी जानते हैं समाज के हर कार्यक्षेत्र में लोगों का कितना नैतिक पतन हुआ है। आज पुत्र पिता के प्रति विद्रोह कर रहा है, पत्नि पति से शालीनता का व्यवहार नहीं कर रही, भाई भाई से लड़ रहा है साला बहनोई से, दामाद ससुर के प्रति विद्रोह कर रहा है।

मैं कहूंगा कि यह सब सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकतन्त्र के स्वस्थ मूल्यों पर अमल न करने के कारण हुआ है। तेलगु में एक कहावत है "यथा राजा तथा प्रजा" अर्थात्

यदि राजा जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करता है, गरिमा बनाए रखता है, विशुद्धता और प्रत्येक अन्य गुणों का पालन करता है तो जनता भी उसका अनुसरण करेगी। लेकिन यदि इसके विरुद्ध यदि राजा विपरीत दिशा में कार्य करता है तो जनता भी उसी ढंग को अपनाएगी।

अतः इस विधेयक के पुरःस्थापन पर उन्हें इतना उत्साह दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय राजनीति को इतने अरसे तक क्षति पहुंचाने के बाद शायद उन्होंने सोचा कि अब यदि इस दिशा में कोई सही कदम न उठाया गया तो इससे स्थिति और भी अधिक बदतर होगी और इसलिए अब वे सतर्क हो गये हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि यह विधेयक तेलगु देशम को संतुष्ट नहीं करता क्योंकि सरकारों को गिराने का खेल अब भी आसानी से जारी रखा जा सकता है उस पर यह विधेयक कोई रोक नहीं लगाता। यह केवल बेमन से किया गया प्रयास है क्योंकि यदि एक व्यक्ति अयोग्य ठहराया जाता है तो बाद में वह दूसरे सदन, विधान परिषद, राज्य सभा अथवा किसी ऐसी ही संस्था का सदस्य निर्वाचित हो जाता है अथवा उस व्यक्ति को कोई अन्य पद सौंप दिया जाता है। यह केवल बेमन से किया गया प्रयास है जो वास्तव में भारतीय राजनीति के क्षेत्र में स्वच्छता लाने, उसे स्वस्थ बनाने तथा दल बदल रोकने में अधिक सहायक नहीं होगा।

दूसरा मुद्दा 30% मतदाताओं के विभाजित होने का है। यह दल-बदल को प्रोत्साहन देने का एक ढंग है; आप उन्हें विभाजित होने की अनुमति देते ही क्यों हैं। यदि वह विभाजित हो जाते हैं, तो यह बहुमत से होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति दल बदलता है, तो वह अनैतिकता तथा अनैतिक व्यवहार के आधार पर अयोग्य हो जाता है। इस तरह यदि 30 प्रतिशत मतदाता विभाजित हो जाते हैं तो क्या यह अनैतिक नहीं होगा? हम किन नैतिक आधारों पर, किस सिद्धान्त के आधार पर यह कह सकते हैं कि विघटन की अनुमति दी जा सकती है? तेलगु देशम के सदस्यों के रूप में हमें इस विघटन का भी विरोध करना चाहिए।

इस देश में विघटन के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो भी दल बदलता है उसे अयोग्य करार दिया जाना चाहिए।

अतएव, मेरे विचार में यह कदम अधूरा है। इसे दल-बदल पर पूर्ण रोक नहीं लगेगी। हम उस उपाय का हार्दिक स्वागत करेंगे जिससे दल-बदल पूरी तरह बन्द हो जाए। चाहे यह कोई उपाय हो, इस समय हम ऐसे उपाय का स्वागत करते हैं।

श्री ब्रजमोहन महंती (पुरी): महोदय, माननीय विधि मंत्री द्वारा पेश किया यह विधेयक प्रशंसनीय है और मैं सरकार तथा नए प्रधानमंत्री को इस साहसिक कदम के लिए बधाई देता हूं।

सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में स्वच्छता बहुत आवश्यक है। लेकिन समस्या यह है कि यह इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। केवल संविधान में संशोधन कर देने तथा अयोग्यताएं लगा देने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसके लिए जनमत तैयार किया जाए और लोकप्रिय आन्दोलन चलाया जाए ताकि हम सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बना सकें।

सच्चाई तो यह है कि राजनीति को कभी भी सम्मानजनक पेशा नहीं माना गया। जैसे कि कहावत है यह बदमाशों का आखिरी साधन है। लेकिन, भारत में हमने एक भिन्न परम्परा कायम की है, राजनीति में कष्ट सहने तथा त्याग करने की सम्माननीय परम्परा। इस देश में राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व साधुवादी लोगों तथा महानतम व्यक्तियों ने

किया। इन महानतम व्यक्तियों ने हमारे देश में राजनीतिक आन्दोलन का सूत्रपात किया और हमने यहां राजनीति की एक नई परिभाषा कायम की। उन्होंने विगत में गौरवमय परम्परा कायम की और आज हम देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थिर करने के प्रयास में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री के प्रयास न केवल सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए हैं बल्कि इनका उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थिर बनाना भी है। लोकतांत्रिक प्रणाली स्वयं में परिपूर्ण प्रणाली नहीं है। लेकिन प्रचलित प्रणालियों में यह सर्वोत्तम है। न केवल हमारे देश को, बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा यू० के० सहित संसार के सभी लोकतांत्रिक देशों को भी आज समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे भी अपने अस्तित्व तथा अपनी प्रणाली के स्थिरीकरण के लिए संघर्षरत हैं। अतएव, सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कभी भी परिपूर्ण प्रणाली नहीं माना जाता। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है, यह मौजूदा प्रणालियों में सरकार की सर्वोत्तम प्रणाली है। इसको सफल बनाने में मानवीय अवयव आवश्यक है।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि यह हमारी सरकार की प्रणाली को सुस्थिर करने तथा हमारे सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

हमें यह याद रखना होगा कि पिछले आम चुनाव में राजनीतिक जागरूकता तथा लोकप्रिय जनादेश प्रतिबिम्बित हुआ था और यदि यह जारी रहता है तो राजनीति साफ-सुथरी रहेगी। यह विधेयक पहले क्यों नहीं पारित हो सका? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार तथा विपक्ष और सभी आज ही क्यों सहमत हुए? ऐसा इसलिए हुआ कि लोकप्रिय जागरूकता आज स्पष्ट रूप से इसके पक्ष में है।

मैं विपक्षी सदस्यों की टिप्पणियां सुन रहा था। मुझे ये पसन्द नहीं आईं। मुझे इस सम्बन्ध में बेचैनी महसूस हो रही थी।

हमने अब यह विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया है। आओ, हम सभी इस लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थिर बनाने में सहयोग दें।

संयुक्त राज्य अमरीका में क्या हो रहा है? प्रत्येक चुनाव के दौरान रिपब्लिकन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी जनता से यह वायदा करती है कि वे ह्वाइट हाउस को स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन इसे कहां तक स्वच्छ किया गया है? यह अभी भी अस्वच्छ स्थिति में है।

इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एक महान कार्य है। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र की बधाई के पात्र हैं। इस प्रक्रिया द्वारा वह प्रणाली का स्थिर बनाने में प्रयत्नशील हैं और हम सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इस विधेयक की एक या दो कमियों का उल्लेख करना चाहता हूं, जिनकी ओर माननीय विधि मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

विलय के बारे में मेरा कहना यह है कि आप ऐसे राजनीतिक दलों के विलय की अनुमति ही क्यों देते हैं जिनके चुनाव घोषणा पत्रों में मोटे तौर पर भी समानता नहीं है? विलय की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जानी चाहिए जहां अलग-अलग दलों की मुख्य विशेषताएं एक जैसी हों और मतदाताओं के प्रति उनके वायदे भी एक जैसे हों। अन्यथा यह जनता के साथ विश्वासघात होगा, यह एक ऐसा सौदा होगा जिसे हमें सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए, मेरा कहना यह है कि जब तक विलय करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में मोटे रूप से समानता न हो, विलय की अनुमति नहीं दी जानी

चाहिए, ऐसी स्थिति में विलय को अयोग्यता माना जाना चाहिए और उन्हें दोबारा जनता के समक्ष जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए । मेरा यह अनुरोध है कि विधि मंत्री इस पर विचार करें । यह अपनी किस्म का पहला विधेयक है, और इसकी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए ।

मेरी दूसरी आशंका इस कानून के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा अध्यक्ष के कार्यों में हस्तक्षेप करने के संबंध में है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभा के विशेषाधिकारों, सभा की आंतरिक प्रभुसत्ता में न्यायालयों द्वारा प्रायः हस्तक्षेप किया जा रहा है उस स्थिति में क्या होगा जब अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय को न्यायालय चुनौती देता है?

मेरी एक अन्य आशंका यह है कि क्या यह संविधान की कसौटी पर खरा उतरेगा । संविधान में संशोधन करने की इस सामान्य सदन की सीमाओं को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही गिना चुका है। मैं चाहूंगा कि विधि मंत्री सदन को प्रबुद्ध करें कि विधेयक संविधान की कसौटी पर खरा उतरेगा और इस कानून के अंतर्गत न्यायालय अध्यक्ष के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो वर्षों की चर्चा तथा बातचीत के पश्चात इस सदन में लाया गया है । हम इस विधेयक का विशेषकर इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि यह ऐसे समय में लाया गया है जब हम पिछले कुछ सालों में दल-बदल तथा अवसरवाद की राजनीति की घटनाएं देख चुके हैं ।

सबसे पहले में विधि मंत्री तथा प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि वे इस विधेयक से खण्ड 6, उप खंड 2(1) (ग) का लोप करने या इन्हें हटाने के लिए राजी हो गए । जैसा कि मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य दल बदल को रोकना था न कि किसी राजनीतिक दल की आंतरिक गतिविधियों पर रोक लगाना । यदि इस खंड विशेष का समावेश कर लिया जाता तो यह सर्वाधिक क्रूर कदम होता। मैं सत्ताधारी दल तथा प्रधानमंत्री को इस खंड को निकाल देने के लिए बधाई देता हूं ।

यह विधेयक कई वर्षों की बातचीत के बाद लाया गया है, विशेषकर ऐसे समय में जब प्रत्यक्ष घटनाएं हमारी राजनीति की जड़ों को ही खोखला कर रही थी और इसे विनाश की ओर ले जा रही थीं । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है उससे हमारी राजनीति को स्वच्छ करने के लिए केवल यही विधेयक पर्याप्त नहीं है । यदि कोई व्यक्ति एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है या यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल होता है, तो उसे सदन की सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा । लेकिन यहां यह प्रावधान रखा गया है यदि किसी राजनीतिक दल के एक तिहाई सदस्य दल को छोड़ने का निर्णय करते हैं, चाहे इसके कारण अवसरवादिता वाले हों, तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा । अब इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य ऐसी सिद्धान्तहीन राजनीति या अवसरवादी राजनीति को रोकना है जिसमें कोई सदस्य अपने उस दल को छोड़कर, जिससे वह निर्वाचित हुआ है, दूसरे दल में शामिल हो जाता है । यदि एक व्यक्ति उचित कारणों से या सैद्धान्तिक कारणों से भी ऐसा करता है, तो वह सदन की सदस्यता खो देगा।

कई कारणों से हो सकता है। हमने देखा है कि हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम और अन्य बहुत से स्थानों में क्या हुआ है। इनमें से कुछ को विभाजन कहा जा सकता है क्योंकि इनमें काफी संख्या में सदस्य अंतर्ग्रस्त हैं। परन्तु जब हम इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह ज्ञात होता है कि यह मात्र सत्ता या पद हथियाने, कारण कोई हो, के लिए एक बड़े पैमाने पर किया गया दल-बदल था।

धारा 6 जो सदस्य को सदन से निष्कासन से संबंधित है अध्यक्ष को सीधे रूप से अन्तर्ग्रस्त करती है मैं व्यक्तिगत रूप में यह महसूस करता हूं कि इस तरह के मामले जो कि विवादस्पद हैं, में अध्यक्ष को अन्तर्ग्रस्त करने की बजाय विधि मंत्री यह सुझाव स्वीकार कर सकते हैं कि इसके लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए, सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित समिति जिसमें दल के सचेतक का होना अनिवार्य नहीं, एक स्वंतत्र चुनाव हो सकता है तथा चुने हुए सदस्यों की एक समिति अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बनाई जानी चाहिये जो इस मामले पर निर्णय कर सकती है। ऐसे बहुत से मामले हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता–जिनमें 'हाउस आफ कामन्स' जो 'मदर पालियामेंट' के नाम से जानी जाती है, के सदस्यों ने अनुमति लेकर दल के सचेतक के खिलाफ मत दिया है। यद्यपि जहां तक निन्दा प्रस्तावों या धन विधेयकों का संबंध है उन पर यह रोक लगाई जा सकती है। मेरे विचार में अपवादस्वरूप मामलों में ऐसा उपबन्ध बनाना चाहिए जिसमें सदस्य को अपनी पार्टी की अनुमति से अपने अन्तःकरण के अनुसार मत देने की इजाजत दी जा सकती है, मैं विधि मंत्री तथा प्रधान मंत्री, क्योंकि वे सदन में मौजूद हैं, से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस पर विचार करें तथा इस उपबंध को इस विधेयक के अंग के रूप में शामिल करें ताकि विरोध प्रकट करने वाले सदस्य को दल-बदलू समझकर परेशान न किया जा सके।

मैं सिर्फ ये कुछ बातें कहना चाहता था। मैं एक बार फिर इस विधेयक को, चाहे यह सीमित रूप में है, लाने के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यह जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ शुरुआत हो सकती है, और जिस प्रकार की राजनीति चल रही थी उस पर आंशिक रूप में केवल कुछ नियंत्रण कर सकेगी। लेकिन समय के साथ नैतिक मानदंड बनाने होंगे। इन अपवादों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह एक ऐसी कार्यवाही है जो बहुत पहले की जानी चाहिए थी। फिर भी देर आए दुरस्त आए। मैं इस कार्यवाही के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं।

हालांकि मैं इस कार्यवाही की भावना से सहमत हूं लेकिन विधेयक के स्वरूप और विषय पर मुझे शक है। जब हम इस तरह का विधेयक लाते हैं तो इसकी न्यायालय में चुनौती की सम्भावना है और इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विचार करने के बाद मुझे संदेह है कि न्यायालय इसे संविधान के विपरीत घोषित करेगी।

राजनीतिक दल से दल-बदल के लिए कहीं भी यह परिभाषा नहीं दी गई है कि 'राजनीतिक दल' क्या है। अतः यह पता लगाना आसान नहीं होगा कि कौन दल-बदलू है अथवा कौन दल-बदलू नहीं।

इस विधेयक द्वारा वाक् स्वातन्त्रय, अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय और संघ बनाने के स्वातन्त्रय पर रोक लगाई गई है। जब ऐसी बात विधेयक में होगी तो यह वाक् स्वातन्त्रय जैसे संविधान के अनुच्छेद 19 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। धारा 19 वाक् स्वातन्त्रय, अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय और संघ बनाने के स्वातन्त्रय की गारंटी देता है लेकिन ये स्वातन्त्रय धारा 19 (2) (क) द्वारा सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस विधेयक में अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। इन सभी बातों का ध्यान न रखकर कानून पारित करने का क्या उपयोग है?

6.00 म०प० ✓

दूसरे, इस विधेयक में वास्तविक विरोध और दल-बदल के बीच अंतर के स्पष्ट नहीं किया गया है। वस्तुतः एक दल-बदलू को तो सजा मिलनी ही चाहिए परन्तु वास्तविक विरोध प्रकट करने वाले व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए।

तीसरे, इस विधेयक में अध्यक्ष की भूमिका से मैं सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष को एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो दल और विवाद से ऊपर होता है। इस विधेयक में अध्यक्ष की भूमिका को विवादग्रस्त बनाया गया है और अध्यक्ष से यह अपेक्षा की गयी है कि वह फैसला करे कि कौन दल-बदलू है और कौन नहीं तथा दल-बदलुओं के बारे में अपना निर्णय दें।

संविधान में हम इस तथ्य पर जोर देते रहे हैं कि हमारे यहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका और स्वतंत्र विधायिका है लेकिन अब विधायिका से न्यायपालिका के कार्य करने को कहा जा रहा है। इसी तरह से अध्यक्ष की भूमिका का मामला है जो विवादग्रस्त बनाया जा रहा है। यह एक अच्छा उपबन्ध नहीं है। क्या किसी व्यक्ति ने वास्तव में दल-बदल की है या नहीं इस पर निर्णय करने के लिए कोई अन्य अभिकरण (एजेंसी) होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय से अब स्वयं कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है। इसको अध्यक्ष के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह दल का नेता होना चाहिए जो अध्यक्ष को यह रिपोर्ट दे कि उसकी पार्टी के व्यक्ति ने दल-बदल की है और तब अध्यक्ष उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं।

अन्त में, अध्यक्ष को दिए गए विशेषाधिकार उपाध्यक्ष को नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि उपाध्यक्ष सभा का सदस्य होता है और वह सभा की कार्यवाही में भाग लेता है। वह मतदान में भाग लेता है और उससे दल की सदस्यता से इस्तीफा देने की आशा नहीं की जाती है। परिपाटी के अनुसार अध्यक्ष की दल को सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए दोनों को एक स्तर पर नहीं लाना चाहिए। इसी प्रकार के उपबन्ध जो अध्यक्ष के लिए बनाये गए हैं वे उपाध्यक्ष के लिए नहीं होने चाहिए।

जहां तक धारा 6 और 7 का संबंध है न्यायालय इन उपबन्धों को संविधान के उल्लंघन करने वाले में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगी। अतः मैं विधि मंत्री से धारा 6 और 7 पर विचार करने तथा कानून की दृष्टि से ठीक करने के लिए अनुरोध करता हूं। अगर ये उपबन्ध कानून की दृष्टि से ठीक नहीं पाये जाते हैं तो अधिनियम स्वयं ही निष्फल हो जाएगा।

मैं पुनः इस विधेयक पर विचार प्रकट करने के लिए मुझे अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज): सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने का अवसर दिया। मैं सवेरे से बैठा हूं। और जितने भी सदस्य चाहे इधर के या उधर के बोले हैं, मैंने उन सब को सुना है। यह ऐतिहासिक बिल इस माने में है कि जब दण्डवते जी बोल रहे थे तो इतने भावुक थे कि उन्होंने यह कहा कि आज गांधी जी की पुण्य तिथि है और इस पुण्य तिथि पर यह विधेयक आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास के लिए भी यह एक बहुत ही याद दिलाने वाली चीज होगी क्योंकि यह कांग्रेस का

शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस वर्ष में यह बिल आ रहा है। इस बिल की चर्चा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में थी और यह ठीक ही हुआ कि इसी सत्र में यह बिल आ गया। इसके लिए मैं सरकार को, अपने नये प्रधान मंत्री को और कानून मंत्री को बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी कन्ट्रोवर्सी थी, जो अब रिमूव हो गई है। यह हमारी कांग्रेस की तमाम परम्पराओं के अनुकूल हैं, जो पहले भी पंडित नेहरू जी के समय में हुआ करती थीं।

मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक मरजर और स्प्लिट की बात है, मरजर में नम्बर तो ज्यादा रख दिया है, लेकिन स्प्लिट में, आपने कहा है कि एक-तिहाई होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि स्प्लिट में भी आधे से ज्यादा नम्बर होना चाहिए। मंत्री जी इस बात से ऐग्री करते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज की आइडियोलाजी यदि मेल खाती हो, मैनिफेस्टो में यदि समान रूप से उनके विचार हों तो मरजर और स्प्लिट की बात होनी चाहिए। यदि चुनाव में अलग मुद्दे रखे हैं, उनके कार्यक्रम अलग हैं और मरजर और स्प्लिट को आप एलाउ करते हैं तो जनता के साथ विश्वासघात होगा, जिन्होंने उनको चुना है।

आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिद्धांत की एक हवा बनी है, जो हमारी तमाम बातों के अनुकूल है। खासकर मैं अपने विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को यह डिसाइड करना है कि जिस जम्मू-काश्मीर के बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसको वापिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बारे में निर्णय दे दिया है कि यह दल-बदल नहीं है, बल्कि स्प्लिट है। चौधरी चरण सिंह आज सदन में मौजूद नहीं हैं, मुझे वह काला दिन 18 मार्च, 1967 का याद है। मैं भारतवर्ष की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने दल-बदल की बात कही है और आइडियोलाजिकल परिवर्तन करने की बात की है और उनको मीनिमाइज कर दिया है। अब सदन में दो-तीन ही रह गए हैं। दो जनसंघ वाले हैं और तीन दूसरे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 338 जो दल-बदल हुए, उनमें से 210 केवल मिनिस्टरशिप के लिए हुए। आज हिन्दुस्तान के वे लोग जो नैतिकता में विश्वास करते हैं, अवसरवादिता में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए यह कठिन परिस्थिति आ गई थी कि क्या भारतीय राजनीति केवल कुर्सी के लिए चलेगी अथवा कुछ बुनियादी सिद्धान्तों के लिए चलेगी। मुझे खुशी है कि उन तमाम अवसरवादिता की राजनीति को दूर करने के लिए हमारी सरकार यह महत्वपूर्ण संशोधन लाई है। आज दुनिया के वे देश जो डमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और भारतवर्ष में किस तरह से डेमोक्रेसी कायम हुई, उसको ध्यान में रखकर आज सदन को एक मत से इस बिल को पास करना है।

मैं पुनः सरकार को बधाई देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

16.06 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

*श्री पी० अप्पालानरसिंहम (अनाकापल्ली): अध्यक्ष महोदय आज हम दल-बदल विरोधी विधेयक पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। वस्तुतः यह एक ऐतिहासिक घटना है। 1969 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जनता के आदेश की पूर्णतः अवहेलना करके किस प्रकार असंतुष्ट सदस्यों ने दल-बदल किया है जिसके परिणामस्वरूप अनेक राज्य सरकारों का पतन हुआ है। ये असंतुष्ट सदस्य इस बात को भूल जाते हैं कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और यह कि राज्य विधान मंडलों के लिये उन्हें पांच वर्ष तक सरकार चलाने के लिये चुना गया है और उन्होंने शक्ति तथा धन के लिये अपनी निष्ठा बदल ली है। भारत के इतिहास में अब यह एक दुःखद अध्याय है। महोदय, इसीलिये असंतुष्ट सदस्यों के

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दल-बदलने के कारण हम लोग अनेक राज्य सरकारों का पतन देखते रहे हैं । इसलिये दल-बदल की बुराई को रोकने के लिये केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार ने 1978 और 1979 में दल-बदल विरोधी विधेयक लाने का एक साहसपूर्ण कदम उठाया था । दुर्भाग्यवश वे असफल रहे । इसी प्रकार हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में श्री एन० टी० रामाराव के नेतृत्व में हमारे दल ने दल-बदल को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही करने हेतु एक संकल्प पारित किया था और उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजा था । हमारे युवा और गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी अब इस विधेयक को लाये हैं । मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूं । इस वैधानिक उपाय को प्रस्तुत करने के लिये यह साहसपूर्ण कदम उठाने के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । महोदय, इसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । हमारे प्रिय नेता श्री एन० टी० रामाराव ने हम लोगों से केन्द्र सरकार और श्री राजीव गांधी द्वारा किये गये सभी अच्छे उपायों के लिये अपना सच्चा सहयोग देने और अन्याय का जोरदार विरोध करने को कहा है । तेलुगु देशम् पार्टी की यही मूलभूत नीति रही है ।

महोदय, अच्छा तो यह होता कि सम्पूर्ण विधेयक यथावत स्वीकृत कर लिया जाता जैसा कि वह सभा में प्रस्तुत किया गया था । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधेयक के खंड 2(1)(ग) को निकाला जा रहा है । यह ठीक नहीं है । जनता खंड 2(1)(ग) सहित इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करती । लेकिन इस विधेयक के खंड 2(1)(ग) को निकाल कर मुझे संदेह है कि स्थिति पुनः पहले जैसे ही हो सकती है जब विधायक बेशर्मी से दल बदल सकते हैं । महोदय, उस पुनीत सदन को उन परेशानियों के बारे में अच्छी तरह से पता है कि जो परेशानियां बड़े पैमने पर दल-बदल किये जाने के कारण हमारे राज्य को हाल ही में उठानी पड़ी थी । यह बात न केवल हमारे दल के बहुत से माननीय सदस्यों को ही पता है बल्कि अन्य दलों यथा जनता पार्टी के सदस्यों को भी पता है कि राज्य में हमारी सरकार को किस प्रकार गिराया गया था । अतः महोदय, मैं आपसे तथा इस संसद से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के खंड 2(1)(ग) को छोड़े जाने पर पुनः विचार किया जाय । कृपया इस बात को भी ध्यान में रखा जाय जो घटना गत अगस्त में हमारे राज्य में और इससे पूर्व जम्मू और काश्मीर में घटी थी । कितनी जानें गईं और चालीस करोड़ रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई थी । लगभग 30 व्यक्ति मारे गए इसका कारण बड़े पैमाने पर दल बदल होना है जो इन राज्यों में हुआ था । इसलिये मेरा एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि खंड 2(1)(ग) को छोड़े बिना ही इस विधेयक को मूल रूप में स्वीकृत किया जाय । क्या यह न्यायोचित है कि यदि एक व्यक्ति दल बदलता है तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाय और यदि 30 व्यक्ति अपनी निष्ठा का परित्याग करें तो उन्हें सदन से निष्कासित न किया जाए ? दल बदल, तो दल बदल है चाहे एक व्यक्ति ऐसा करे अथवा 30 व्यक्ति । ऐसी स्थितियों में तो बहुमत के निर्णय का पालन करना उचित है जब दल में किसी बात पर मतभेद हो इसलिये 30 प्रतिशत सदस्यों द्वारा अपनी सत्य निष्ठा से गिर जाने की स्थिति में कोई कार्यवाही नहीं करना अथवा उन्हें महत्व दिया जाना अच्छा नहीं है । अन्यथा, मुझे संदेह है कि इस खंड 2 (1) (ग) का परित्याग किये जाने से हमारे विधानमंडलों में कुछ अप्रिय घटनायें घटित हो सकती हैं । मतभेद होने की स्थिति में संसद अथवा विधान मंडलों के बाहर कार्यक्रम आदि तैयार किये जा सकते हैं और लागू किये जा सकते हैं । इसलिये मैं पुनः इस बात की वकालत करता हूं कि मूल विधेयक में यथा उल्लिखित खंड 2 (1) (ग) को यथावत रखा जाय । तभी हम इस दल-बदल विरोधी विधेयक के साथ न्याय कर सकेंगे और तभी राज्य सरकारें दल बदल के कारण गिराये जाने के भय के बिना पूरी अवधि तक कार्य कर सकेंगी और जनता की खुशहाली के लिये कार्य कर सकेंगी

इस युग परिवर्तक विधेयक पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद ।

श्री० कामसन मिजिनलंग (बायहू मणिपुर) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां। हम सदा नये सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है कि वह आपकी टांग खींच रहे हों।

प्रो० कामसन मिजिनलंग: आपने सत्र के अंतिम दिन के अंतिम घंटे में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि पिछले आम चुनावों में घोषित 508 लोक सभा स्थानों के परिणामों में, मेरा परिणाम अंत में घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त मुझे चैम्बर के अन्त में स्थान ही आवंटित किया गया है क्योंकि शायद इस देश के पूर्वी छोर के अंतिम राज्य से निर्वाचित हुआ हूं। फिर भी मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे अवसर प्रदान किया गया है। मैं संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1985 जोकि अब दल-बदल विधेयक के रूप में प्रचलित इसका समर्थन करता हूं। मैं बहुत सदस्यों के विचारों से सहमत हूं जिन्होंने विधेयक को एक ऐतिहासिक विधेयक बताया है। मेरा यह भी विश्वास है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह विधेयक एक युगान्तारी घटना है क्योंकि इस विधेयक से लोकतंत्र का सच्चा आत्मा जीवित रहेगी और दल बदल के कारण लोकतन्त्र के मूल्यों में जो गिरावट तथा बुराइयां आई हैं वह समाप्त हो जायेगी। इस समय हम लोग दल बदल की बुराई को प्रथा को समाप्त करने जा रहे हैं और ऐसी प्रबल संभावना है कि हमारे देश में स्वच्छ राजनैतिक वातावरण पैदा होगा।

यह भी एक सुखद संयोग है कि यह वर्ष कांग्रेस पार्टी का शताब्दी वर्ष है। इस वर्ष, हमारे प्रधान मंत्री कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में इस दल बदल विधेयक के माध्यम से स्वच्छता लाने वाले हैं।

इस विधेयक से लोकतन्त्र के अनेक सिद्धांत कायम रह सकेंगे। प्रत्येक निर्वाचन के समय, जब हम लोग मतदाताओं के पास जाते हैं तो हम लोग अपने आदर्शों और अपने राजनैतिक दल की निष्ठा का वायदा करते हैं। चुनाव हो जाने के बाद कुछ लोग इसे भूल जाते है और दल बदल करने लग जाते हैं यह मतदाताओं के साथ धोखा है। इसीलिये इससे उस लोकतन्त्र की जड़ें कटती हैं जिसपर जनता का विश्वास टिका हुआ है। मैं कहता हूं कि इस विधेयक से सही अर्थों में लोकतन्त्र की रक्षा होगी।

इससे पूर्व कुछ सदस्यों ने कहा है कि दल-बदल का आरम्भ 1967 में जब कांग्रेस हार गई थी, हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सच नहीं है। दल-बदल सभी लोकतांत्रिक देशों का आपराधिक लक्षण है, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते है जिसमें कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में भी, चाहे वे यूनाइटेड किंगडम हो या संयुक्त राज्य अमरीका, 18वीं या 19वीं शताब्दी में दल-बदल की प्रथा रही है। किन्तु कालांतर में, मतदाता और विधायक परिपक्व हो गए और उन्होंने दल बदल के इस खेल को देखा। हम लोग भी उस समय तक की प्रतीक्षा कर सकते हैं जब हम परिपक्व हो जायेंगे तथा इस अपराध वृति से मुक्त हो जायेंगे। कुछ भी सही, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधान मंत्री ने इस आपराधिक वृति को समाप्त कर दिया है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक से दल-बदल की आशंका के कारण होने वाली सरकार की अस्थिरता पर रोक लगेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में यह आशंका और भी वास्तविक है जहां विधायक कम संख्या में होते हैं यथा छोटे राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश में है। जहां केवल 60 सदस्य हैं, यदि उनसे ये 5 सदस्य विरोधी दल के साथ मिल जाते हैं और

वे उस सरकार के लिये खतरा पैदा करते हैं तथा निश्चय ही वह सरकार अस्थिर हो जाती है। जब ऐसी अस्थिरता होती है, तब सदस्यों का ध्यान सरकार के अनुरक्षण की ओर आकर्षित हो जाता है। राज्य के विकास की ओर से ध्यान से हटकर सरकार को चलाने की ओर ध्यान चला जाता है। इसलिये, इस विधेयक से विकास की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाना अधिक सुनिश्चित हो जायेगा।

तीसरे, मैं वापस बुलाने की परम्परा का उल्लेख करना चाहता हू। यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1975 से, हमारे वरिष्ठ राजनयज्ञों और राजनीतिज्ञों ने इसके बारे में अर्थात् वे चाहते हैं कि व्यक्तियों को अर्थात् विधायकों को वापस बलाये जाने की परम्परा के बारे में बात करते रहे हैं। किन्तु मेरे विचार से वापस बुलाना इस प्रयोजन से और आज के इस विधेयक से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि जब किसी सदस्य पर मतदाताओं द्वारा दबाव डाला जाता है तो वह स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि उसे वापस बुलाये जाने का भय रहता है और विधायक मतदाओं की नित्य परिवर्तित इच्छानुसार कार्य करने लगता है। इसलिये, प्रतिनिधित्व का स्तर गिर जायेगा और वे प्रतिनिधि न रह कर शिष्ट-मंडल के प्रतिनिधि बन कर रह जायेंगे। यह सभा शिष्टमंडलों की सभा नहीं है बल्कि यह प्रतिनिधियों की सभा प्रतीत होती है। प्रत्येक मामले पर हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपना निर्णय लेना होता है। इसलिये, वापस बुलाने की इस परपम्परा के कारण, हम लोग मतदाताओं के दबाव में रहेंगे और मतदाताओं का विचार हर मामले में हर समय परिवर्तित होता रहता है और ऐसी स्थिति में सदस्यों का निश्चित रूप से अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं रह जायेगा। मेरा तात्पर्य यह है कि प्रतिनिधित्व का स्तर गिर जायेगा। इसलिये, वापस बुलाने के विधेयक से, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, यह विधेयक बेहतर है।

अब जिस विधयक पर चर्चा हो रही है उसकी धारा 2, खंड –1 उप – खंड –3 का उल्लेख करूंगा। मेरे विचार से प्रधान मंत्री जी ने समय का लाभ उठाया है। इस विशेष धारा को इस प्रभार प्रारूपित किया गया है कि इसे विधेयक से निकाला ही जाना चाहिये, मैं लोक-तांत्रिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोच रहा हूं क्योंकि इस सभा के माननीय सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनसार उनकी शक्ति का मूल स्त्रोत और संविधान का आधार है। जिन व्यक्तियों ने हमें चुना है। किन्तु हम लोगों द्वारा निर्वाचित दल के किसी एक सभापति या अध्यक्ष द्वारा निकाले जाने का शिकार क्यों बने? यदि ऐसा होता है, तो दल किसी भी सबसे अच्छे प्रतिनिधि को व्यक्ति-गत शत्रुता या अन्य कारणों से निष्कासित कर सकती है। इसीलिए, इस खतरे से दूर रहना चाहिये और मेरे विचार से प्रधान मंत्री ने खंड 2 (1) (ग) को त्यागने का मुद्दा उठाया है।

उन निर्वाचित सदस्यों की क्या स्थिति होगी, यदि उनका दल सर्वसम्मति से स्वंय विघटित हो जाता है? क्या सभा में उसके दल के इस प्रकार विघटन होने की स्थिति में विधायक अपनी सदस्यता बनाये रख सकता है? (व्यवधान) दूसरे, चुनाव के बाद अगर किसी दल में उसकी गैर कानूनी गतिविधियों के कारण उस दल को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उस समय विधायकों की क्या स्थिति होगी? तब सदस्य की क्या स्थिति होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में सदस्य की कोई गलती नहीं है जो कि दल की इस प्रकार की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके दल को गैरकानूनी घोषित किये जाने के बाद भी क्या ऐसे विधायक सभा के सदस्य रह सकते हैं?

अन्त में, मैं भारतीय लोकतंत्र में वैकल्पिक दल के प्रश्न पर चर्चा करूंगा। सभी को पता है कि एक अच्छे वैकल्पिक दल के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है।

तथापि, यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 35 वर्ष बीत जाने पर भी भारत में कांग्रेस (इ) पार्टी का मुकाबला करने वाला कोई बड़ा दल नहीं बन सका है। पहली बार, उनकी स्थिति में परिवर्तन होगा और उन्हें अवसर मिलेगा जिसमें वे एक दल के रूप में उभर सकते है और यदि ऐसा होता है तो हम लोग यूनाइटेड किंगडम अथवा अमरीका में व्याप्त संसदीय प्रणाली और दो-दलीय प्रणाली अथवा लोकतांत्रिक प्रणाली के और नजदीक आ जायेंगे। हम लोग समाजवादी देशों की एकाश्म और सत्तावादी प्रणाली के अनरूप नहीं चल सकते क्योंकि हमारे संविधान का मूल ढांचे में इस प्रकार की दल प्रणाली की स्वीकृति नहीं है। हमारी शासन प्रणाली बहुत कुछ यूनाइटेड किंगडम की शासन प्रणाली से मिलती जुलती है। अतः इस विधेयक से एक ऐसा प्रोत्साहन मिलता है और एक ऐसी स्थिति सृजित होती है जिसमें विरोधी दल एक हो सकते है और मिल सकते हैं और एक वैकल्पिक दल गठित कर सकते हैं।

और इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि देश के लिए और प्रजातंत्र के हित में जोखिम उठाने में हमारे प्रधान मंत्री बहुत बहादुर है हांलाकि वह जानते हैं कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है अथवा यह अधिनियम प्रस्तुत होता है तो विपक्ष की एकजूट होने की सम्भावना है। इतने पर भी, प्रजातंत्र के लिए उन्होंने ऐसा किया है। वे इस विधेयक को लाने में सफल हुए हैं। उन्होंने हमारी पार्टी को भी प्रजातंत्र की सर्वोत्तम परम्परा में ऐसा करने के लिए राजी किया है ताकि इस देश के भविष्य का सही दिशा निश्चित हो सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० एम० पटेल

श्री एच० एम० पटेल : (साबरकंठा) : अध्यक्ष महोदय, इस आखीरी वक्त पर बुलाए जाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : वक्त कभी आखिरी नहीं होता, श्रीमन्।

श्री एच० एम० पटेल : मैं केवल दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली मैं नहीं समझता कि जब किसी पार्टी का विभाजन हों, उसे इस विधेयक के प्रावधानों से क्यों मुक्त रखा गया है? जब एक व्यक्ति दल-बदल करे तो उसे अयोग्य माना जाए परन्तु जब अधिक संख्या में व्यक्ति मिलकर दल से बाहर जाएं तो ऐसा करना दल-बदल नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने राजनीति शस्त्र में लोगों को यह कहते सूना है, सत्ता भ्रष्ट करती है, तथा सम्पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है?

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह सब समझता हूं। यह पूरी तरह से सच है कि अवसरवाद हमेशा से रहा है। परन्तु मुझे बहुत खुशी है कि प्रधान मंत्री विधेयक को लाये हैं। वे हमारी बधाई के पात्र हैं, साथ ही सरकार भी हमारी बधाई की पात्र है। परन्तु जब किसी अच्छे कार्यों को करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उसे व्यापक रूप से अच्छी तरह से पूरा भी किया जाना चाहिए, और इस दृष्टि से यदि व्यक्तियों का कोई समूह भी दल-बदल करे तो उन्हें भी दल-बदल ही माना जाए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जी नहीं।

श्री एस० एम० पटेल : आखिर दल-बदल की विचार धारा के पीछे सिद्धान्त क्या है। इसका अर्थ यह है कि आप उस वचन को तोड़ रहे हैं जो आपने मतदाताओं को दी है। आप मतदाताओं के पास कतिपय नीतियों, कतिपय कार्यक्रमों को लेकर जाते हैं और जब और आप दल-बदल करते हैं तो इसी आधार पर दल बदल होता है। यदि बहुत से लोग भी एक साथ अपना वचन तोड़ते हैं तो इसे भी बद-बदल ही माना जाए।

मेरा विचार है कि मेरे इस सुझाव पर चाहे आज इस वक्त विचार नहीं किया जाए परन्तु मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री इस बात को अपने दिमाग में रखें। किसी दिन वह ऐसा सोच सकते हैं, कि जिससे कि इस सुझाव से कुछ वान्छित फल मिल सकता है।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि सामान्यतया पिछले दिनों ऐसी परम्परा रही है कि व्हिप केवल वास्तव में ही महत्वपूर्ण मामलो में ज़ारी किया जाए। साधारणतया इसका अर्थ है कि यदि ऐसे प्रस्तावों पर सरकार हार जाए तो उसे पद-त्याग करना पड़ेगा। व्यवहार में महत्वपूर्ण मामले का तात्पर्य है-धन विधेयक, अथवा अविश्वास प्रस्ताव अथवा स्थगन-प्रस्ताव अथवा और कोई अन्य विशेष महत्वपूर्ण मामले। प्रश्न उत्पन्न होता है कि कब कोई सदस्य अपनी पार्टी की इच्छाओं का पालन करने में असफल हो जाता है। मेरे विचार से अविश्वास प्रस्ताव अथवा धन विधेयक आदि और कुछ ऐसे ही मामलों, जिनकी वजह से सरकार गिर सकती हो, पर जारी किए गए व्हिप की अवहेलना करने परने पर ही ऐसा होता है मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इन दोनों बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए।

बल्कि मैं दलों के विलय के बारेमें भी कुछ कहना चाहूंगा। विलय भी उतना ही निन्दनीय है जितना विघटन। वह भी दल-बदल ही है। इस देश की परिस्थितियों के अनुसार दलों के विलय सामायिक ही हैं, इसलिए इसे दल-बदल नहीं माना जाना चाहिए।

इस विधेयक को सदन में लाने का निर्णय लेने के लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि प्रशासन को स्वच्छ बनाने में इससे निश्चय ही बहुत मदद मिलेगी। मैं उन अन्य मामलों के बारे में आज हवाला नही करूंगा जिनका प्रस्ताव प्रधान मंत्री ने स्वच्छ-प्रशासन में किया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, यह दल-बदल विरोधी विधेयक काफी अर्से से लंबित पड़ा है। मैं समझता हूं इसका जिक्र करीब सात वर्ष पूर्व किया गया था। हमने इसे प्रथम मुख्य कार्य के रूप में लिया है क्योंकि हमने महसूस किया कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। जैसाकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद के दौरान वायदा किया गया कि हमारी सरकार जो वायदा करती है, उसे पूरा करने की राजनीतिक इच्छा भी रखती है। हमने यह वायदा भी किया है कि हम विपक्ष को सदा साथ रखेंगे। महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने करीब-करीब समूचे विपक्ष को अपने साथ रखा केवल एक अथवा दो अपवाद हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमने यह वायदा किया है कि हम सरकार को अपने साथ रखेंगे।

श्री राजीव गांधी : हम खंड. 2(1) (ग) को समाप्त करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। खड 2(1)(ग) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उसे सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। यह तर्क संगत है कि यह खंड होना चाहिए था क्योंकि विपक्ष के एक सदस्य ने अभी कहा है कि यदि हम नैतिकता पर ध्यान दें और यह निर्णय करें कि दल एक मूलभूत यूनिट है जो किसी को निर्वाचित करती है, और यदि वह उस दल का सदस्य नहीं रहता तो वह उस चुनाव का अधिकार समाप्त हो जायेगा एक

अन्य सदस्य ने कहा कि दल-बदल में एक तिहाई सदस्यों के विभाजन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए यह बहुत कम है और इस विधेयक में ऐसी कई बातें हैं जो निराशाजनक हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे है जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है। और हमें देखना है कि हम यह रास्ता कितनी अच्छी तरह तय कर सकते हैं। अच्छा होगा यदि हम गंभीर त्रुटियां करने और बाद में उन पर पछतावा करने की बजाय उस रास्ते पर सावधानीपूर्वक चलें। अतः इस विधेयक में कई त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही हमें उन त्रुटियों का पता चलेगा हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। खंड 2(1) (ग) को समाप्त करने पर एक कमी सामने आती है और वह यह है कि यदि सदन—यह सदन अथवा विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है और दल बदल अथवा विभाजन होता है, अथवा उसे कैसे भी परिभाषित किया जाये, लेकिन सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है, तो अगला सत्र बुलाने से पहले काफी समय मिल जाता है और इसमें पर्याप्त दल-बदल हो सकता है। इसलिए खंड 2(1)(ग) रखा गया था। मुझे विश्वास है कि यही कारण था कि एक विपक्षी दल बहुत उत्सुक था और एक से अधिक दल अत्यन्त उत्सुक थे कि इस खंड को बने रहने दिया जाये। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि यह कमी किस तरह समाप्त हो। हम इसी विधेयक में ऐसा नहीं कर पाये हैं। लेकिन विपक्ष के साथ मेरी जो चर्चा हुई है उनमें हमने एक तरीका निकाला है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और आशा है हम सरकार का बहुमत समाप्त होने के बाद उसके हटने और सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के बीच संभवतया न्यूनतम समय-सीमा निश्चित कर पायेंगे। हम देखेंगे कि क्या इसे इसी विधेयक में, भले ही अगले सत्र में, रखा जा सकता है अथवा इसे कहीं और प्रस्तुत करना होगा, हम इसे कहीं और भी रखा सकते हैं।

मैं सदन का अधिक समय नही लेना चाहता क्योंकि इस विधेयक पर न्यूनाधिक रुप से सभी का एकमत है और वाद-विवाद करने के लिए कुछ अधिक नहीं है।

एक मुद्दा यह उठाया गया कि इस विधेयक को लाने की जल्दी क्या है? हम यह विधेयक लाने के लिए 7 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं और काफी नुकसान हो चुका है। यह विधेयक कल ही, पिछले वर्ष ही अथवा 7 वर्ष पूर्व ही लाया जाना चाहिए था। हम जितनी जल्दी ऐसा कर सकते है, कर रहें हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति यह विधेयक नहीं आने देना चाहते उन्हें अपनी निष्ठा की स्वयं परख करनी चाहिए।

महोदय, यह कहा गया है कि यह विधेयक कांग्रेस दल को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे सुदृढ बनाने के लिए लाया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि दल बदल प्रायः कांग्रेस पार्टी में आने के लिए होते हैं। उसे जाने के लिए नहीं। हमारी पार्टी में लोगों द्वारा पार्टी छोड़ दिये जाने की समस्या नहीं है। अपितु समस्या यह है कि लोग हमारे दल में आना चाहते हैं। हम पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए यह विधेयक लाना नहीं चाहते। आप हमारी पार्टी की शक्ति स्वयं देख सकते हैं।

श्री एच०एम० पटेल: आगे देखते हुए।

श्री राजीव गांधी: मैं आगे ही देख रहा हूं। विपक्ष की अधिकांश सीटों पर हमारे सदस्य हैं। 1990 में आप देखेंगे कि विपक्ष की इस कतार पर भी ज्यादातर हमारे ही सदस्य होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते: इसका कारण यह है कि कुछ वर्षों के बाद हम "राज्य सभा" में चले जायेंगे।

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमें उन्हें "राज्य सभा" में भेजने की जल्दी नहीं है । लेकिन हमें खुशी है कि वह यह मानते है कि उनके छोड़ने के बाद विपक्षी नेताओं की सीटों पर कांग्रेस के सदस्य होंगे ।

एक माननीय सदस्य : आप विपक्ष में होंगे ।

श्री राजीव गांधी : यह विधेयक हमारे सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की ओर हमारा पहला कदम है । हम चुनाव सुधार और अन्य प्रकार के सुधार करने के बारे में भी कदम उठायेंगे और महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता रहूं कि हमें जो निर्णय आगे लेने होंगे उसमें समूचे विपक्ष को अपने साथ रखेंगे ।

महोदय, मैं इस विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं । मैं विपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत करने में हमें सहयोग दिया तथा इसका समर्थन किया ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं सभा का, प्रधान मंत्री का और अपने दल के सदस्यों के प्रति आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को वास्तविक बनाने के लिए हमें भारी समर्थन दिया । इससे एक बार फिर हमारे लोकतन्त्र की परिपक्वता और स्थिरता सिद्ध हो गई है। शस्त्रों की होड़ और दलों की कलह के बीच जब राष्ट्र ने आह्वान किया, लोग अपने दलों की परवाह किए बिना तथा अपने मतभेदों को भुलाकर आगे आए और देश के आह्वान का समर्थन किया । मुझे याद है जब चीन ने हमला किया इसी सभा में हमारे स्वर्गीय नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकाल की घोषणा करते हुए जो शब्द कहे वह आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं : "यह हमारा सबसे अच्छा समय है । हम सब को मजबूत शिला की तरह स्थिर रहना है और इस घुसपैठ को रोकना है ।" और देश एक मजबूत शिला की तरह अटल रहा। विपक्ष यहां और हर जगह भारतीय झंडे के आसपास एकत्र हुए उस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर विजय चौक पर जो परेड निकाली गई वह मुझे आज भी याद है। जब समूचे विपक्षी दल ने हमारे महान नेताओं के साथ विजय चौक पर परेड में नंगे पांव मार्च किया । मुझे याद है जब 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया और इंदिरा गांधी नें राष्ट्र को पुनः एकजुट होने के लिए आह्वान किया इस राष्ट्र ने मिलकर शस्त्रों की लड़ाई के बीच राष्ट्र के आह्वान का उत्तर दिया ।

अतः हमारी लोकतांत्रिक चेतना और राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व ने हम सभी को एक बार फिर एकजुट होकर अपने प्रधानमंत्री के आह्वान का, जिसका, अनुरोध उन्होंने इस महान देश के प्रशासन का भार संभालने के तुरंत बाद किया, कि यह विधेयक अंततः वास्तविकता होगी, समर्थन करने के लिए एकत्र कर दिया है । और यह वास्तविकता बन गई है ।

स्पष्टीकरण के लिए मैं केवल कुछ शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक के संबंध में कुछ गलतफहमियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं ।

कश्मीर से हमारे सहयोगी ने कश्मीर विधेयक के संबंध में पूछा है ।

कश्मीर का अपना संविधान है और उस संविधान में हमारे उदाहरण का अनुसरण किया गया है और वह भी बड़ी शीघ्रतापूर्वक, क्योंकि आपका वियधेक पूर्ण रूपेण नहीं है । न्यायालयों में जो आपके विवाद उठाये गये थे उनसे पता चलता है कि वहां जो विभाजन स्वीकार किया गया था, वह विभाजन एक तिहाई नहीं था अतः इस कानून का अनुसरण करने का प्रयास करें और इसे एक अच्छा कानून बनायें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हम उसे ठीक कर सकेंगे इसके लिये आप जम्मू-कश्मीर की सरकार को अपना समर्थन देना बंद कर दें ।

श्री अशोक सेन : ऐसा प्रधान मंत्री कर सकते हैं ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : राज्य के संविधान में संशोधन करने के लिये हम आपका सहयोग चाहते हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम चाहते हैं कि राज्य सरकार से आप अपना समर्थन वापस ले लें ।

श्री अशोक सेन : यदि आपने दीवारों पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ न देखा होता, तो इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, प्रो० सोज । हो सकता है कि आपका दृष्टिकोण अब भी संकुचित हो ।

चुनाव आयुक्त के प्राधिकार और अध्यक्ष के प्राधिकार के टकराव की भी कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं । चिन्ह आदेश के अन्तर्गत चुनाव आयुक्त प्राधिकारी यह निर्णय करता है कि किस विशेष दल को दल के रूप में जिसमें विभाजन हुआ है मान्यता दी जाये, और किस विशेष दल को वह चिन्ह दिया जाये ।

कुछ सीमित प्रश्नों के संबंध में हमने अध्यक्ष को प्राधिकार दिया है अर्थात् क्या विशेष सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है अथवा क्या उसने बिना माफी मांगे किसी दल के आदेशों का उल्लंघन किया है अथवा नहीं ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यदि अध्यक्ष दल-बदलते हैं, तब क्या होगा ?

श्री अशोक सेन : उसमें इसकी भी व्यवस्था है । कृपया विधेयक पढ़िये हमने इसका भी प्रावधान कर रखा है । श्री चौबे आप की यही परेशानी है । आप स्वयं में इतने खोये रहते हैं कि आपने इस विधेयक को भी कभी नहीं पढ़ा ।

दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय के प्राधिकार के बारे में है । प्रारम्भ से ही हमारा यह सुस्पष्ट इरादा रहा है कि इस मामले को हम न्यायालयों अथवा चुनाव आयुक्त के कार्यालय में लटके रहने देना अथवा भटके रहने देना नहीं चाहते हैं । मैं स्वयं भी श्री इन्दिरा लाल मिश्र के साथ अपने चिन्ह को प्राप्त करने के लिये न्यायालयों में उपस्थित हुआ था । बाबू जी यहां हैं । वह हमारे दल के अध्यक्ष थे । हम लोग नियमित रूप से वहां जाते रहे और श्री सिद्धार्थ शंकर राय उस समय मेरी मदद कर रहे थे । जब वह हमें हमारा चिन्ह वापिस मिला तब तक वह हमारे लिये बेकार हो चुका था क्योंकि हम लोग बैलों की जोड़ी पर नहीं अपितु गाय और बछड़ा चिन्ह पर चुनाव जीत चुके थे । इसलिये इस प्रकार की देरी की और अधिक सहन नहीं किया जा सकता है । हम लोग शीघ्र निर्णय चाहते हैं । यदि इस विधेयक को प्रभावकारी बनाना है और यदि दल-बदल को प्रभावी ढंग से गैर-कानूनी बनाना है तो हमें एक मंच का चुनाव करना होगा जो मामले का निर्भीकता तथा शीघ्रता से निर्णय कर सके । यही एकमात्र सम्भव मंच है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने इस तरह एक बार एक बात पूछनी आरम्भ कर दी तो इसका कोई अन्त नहीं होगा ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : श्रीमान् मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विचारार्थ प्रस्ताव को एक सभा के मतदान के लिए रखूंगा। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, मतदान मत विभाजन द्वारा ही होगा । दीर्घाएं खाली कर दी जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह अपनी नियत सीट पर बैठा है । प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना मत ठीक से 'पक्ष में' या 'विपक्ष में' या 'भाग नहीं लिया', जैसे भी हो दर्ज करने में विशेष सावधानी बरतें ताकि भूल-सुधार की नौबत न आए । मैं संक्षेप में याद दिला दूं कि अध्यक्षपीठ की घोषणा अब मत विभाजन, मैं यही कहूंगा, पर ज्यों हीं मत रिकार्ड करने वाला स्वचालित यंत्र सक्रिय होगा और घंटी की आवाज आएगी, जो कि सदस्यों को अपना मत डालने की सूचक है, प्रत्येक सदस्य को पुशबटन स्विच को दबाना होगा और तत्पश्चात् 'पक्ष में' 'विपक्ष में', या 'भाग नहीं लिया' के तीन पुश बटनों में से एक को संचालित करना होगा । इन बटनों के रंग भी हैं, यथा ('पक्ष में' के लिए हरा या पीला यहां पीला है 'विपक्ष में' के लिए लाल रंग तथा 'भाग नहीं लिया' के लिए काला, जिसे भी वह अपनी इच्छानुसार दबाना चाहें ।

जब तक 10 सैकंड के बाद घंटी दुबारा न बजे तब तक पुश स्विच तथा पुश बटन को साथ दबाये रखा जाये । इसे ठीक तरह से समझ लिया जाये ।

मशीन द्वारा वोट दर्ज होने तथा उन्हें इंडीकेटर पर दर्शाने के तत्काल बाद, जिस सदस्य ने किसी गलत स्थान से मतदान किया है अथवा जिस सदस्य का वोट मशीन द्वारा दर्ज नहीं किया गया अथवा जिस सदस्य ने गलती से गलत मतदान किया है और फील्ड इंडीकेटर बोर्ड में दर्शाये गये परिणाम में शुद्धी करना चाहता है वह सदस्य अपने स्थान पर खड़ा हो जाये जहां एक डिविजन क्लर्क चार पर्चियों में से एक पर्ची जिसकी सदस्य मांग करेगा, देगा । जो सदस्य शुद्धि करना चाहता है वह शुद्धि पर्ची को साफ-साफ तथा पूरी तरह से भरे और तब बिना किसी विलम्ब के उसे डिविजन क्लर्क को देगा । शुद्धि पर्ची भरते समय शुद्धि पर्ची का वह हिस्सा जो लागू न हो उसे अच्छी तरह से काट दिया जाये । यह अनुदेश है ।

[हिन्दी]

एक और बढ़िया-बढ़िया एनाउन्समेंट कमरा नं० 70 और 73 में आपके लिये खाना आठ बजे सर्व किया जाएगा । यह जो आप बटन दबाने का श्रीगणेश है, इसलिये हो रहा है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : इस बात पर भी विपक्ष अपना पूरा सहयोग देगा ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो यूनेरीमिटी और को-आपरेशन का पूरा बोलबाला है ।

[अनुवाद]

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं ।

प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

6.53 म० प०

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या 1

अ

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अदाएकनाराज, श्री एल
आदियोडी, डा० के० जी०
अन्नानाम्बी, श्री आर०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अरुणाचलम, श्री० एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री सरफराज

आ

आचार्या, श्री वसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भगवत झा,
आनन्द सिंह, श्री

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

ए

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार
ओडेयर, श्री चनैया

क

कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, श्रीमती
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर, लाल श्री
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृष्प, श्री सुरेश
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोलनदाईवेल, श्री पी०
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

ख

खली, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री जुल्फिकार अली

खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ

ग

गंगा, राम श्री
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहब
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावित, श्री मानिकराव होडल्य
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती
गुहा, श्रीमती फूलरेणू
गोपेश्वर, श्री
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
गोहिल, श्री जी०बी०
गोडर, श्री० ए० सेनापति
गौडा. श्री एच० एन नन्जे

घ

घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, प्रो० विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी

च

चर्तुवेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, सिंह, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगाथम
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री० ए०
चिंगवांग कोनयक, श्री
चिदाम्बरम, श्री पी०
चोक्का राव, श्री जे०
चौधरी, श्रीमती ऊषाताई प्रकाश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौबे, श्री नारायण

जगजीवन राम, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जयदीप सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जाफर शरीफ, सी० के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डालचन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झांसीलक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश
टोम्बीसिंह, श्री एन

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषाबेन
ठाकुर, श्री सी०पी०

ड

डागा, श्री मूल चन्द
डामोर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल

त

तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्दा

थ

थंगाराजू, श्री० एस०
थामस, प्रो० के० नी०
थाम्बी दुराई, श्री एम०
थुंगन, श्री पी०के०
थोटा, गोपाल कृष्ण, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दंडवते, प्रो० मधु
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री (शहडौल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेणुपद
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्र नगर)
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दुबे, श्री भीष्मदेव
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री वी०
देवी, श्रीमती चन्द्र भान
देसाई, श्री बी०बी०

ध

धर्मपाल सिंह, श्री
धारीवाल, श्री शांति कुमार

न

नटराजन, श्री के० आर०
नटवर सिंह, श्री
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
निर्मला कुमारी, प्रो०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरु, श्री अरुण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री के० सी०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद

पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पटेल, श्री एच० एम०
पटेल, श्री० जी०आई०
पटेल, श्री मोहन लाल
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी०डी०
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी
पनिका, श्री राम प्यारे
रेड्डी श्री बेजावाड़ा पापी
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री प्रकाश वीर
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणि गृही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूरन चन्द, श्री
पेरूमन, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शान्ताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधानी, श्री के०
प्रभ, श्री०, श्रीमती

क

फकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम०
फर्नान्डीस, श्री ग्रोस्कर
फैलीरो श्री एडुवार्डो

ब

बंसी लाल, श्री
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, श्रीमती ममता
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एन०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बागुन, सुम्बरुई, श्री
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाली, श्रीमती वैजयन्ती माला
बीरबल, श्री
वीरेन्द्र सिंह, राव
बूटा सिंह, श्री
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
बैरो, श्री ए० ई०टी०
ब्रह्मदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी०आर०
भरत सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोये, श्री आर० एम०
भोये, श्री सीताराम सायाजी
भोसले, श्री प्रतापराव बाबराव

म

मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मल्लिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महाता, श्री चितरंजन
महेन्द्र सिंह, श्री
माकन, श्री ललित
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०
माने, श्री मुरलीधर
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार
मीजिनलंग, श्री कामसन
मुंशी, श्री प्रियरंजन दास
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरुम, श्री सिद्धलाल
मुरूगाई, श्री ए०आर०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णुकुमार
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के०
मोहन लाल, श्री

य

यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी०पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश्वर प्रसाद, श्री

र

रंगनाथ, श्री के०एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रघुराज सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, श्री गौरी शंकर
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
राम कुंवर, श्री
राम समुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, श्री
राममूर्ति, श्री के०
रामरतन, श्री कालीचरण
रामुलू, श्री एच०जी०
राय, श्री आई० रामा
रांय, श्री रामदेव
राय, श्री सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ऐचावधुला जोगेश्वर वेंकटा बुटची महेश्वर

राव, श्री के० एस०
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री जे वेंगल
राव, श्री पी०वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री सी० एच० श्रीहरी
रावणी, श्री नवीन
राव, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश
रियान, श्री बाजूबन

ल

लाहा, श्री आशुतोष
लावांग, श्री कंगफा

व

वन, श्री दीप नरायन
वनकर, श्री पूरनचन्द मीठा भाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वाडियर, श्री श्रीकंठ दत्त नरसिंहराज
वासनिक, श्री बालकृष्ण
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विश्वास, श्री अजय
वीरसेन, श्री
वेंकटेरत्नम, श्री निस्संकारा राव
वेंकटेसन श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधु सूदन
व्यास, श्री गिरधारी लाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री ए०सी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूप चन्द
शिगड़ा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
शेरवानी, श्री सलीम आई०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

स

संकटा प्रसाद, डा०
संगमा, श्री पी० ए०
सतेन्द्रचन्द्र, श्री
साठे, श्री बसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री शिव प्रसाद
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिंदनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिंन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र
सिन्हा, श्रीमती किशोरी
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
सुंदरलाल, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इंदुबाला
सुनीलदत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बुरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री राम प्यारे

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोडी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
सोलंकी, श्री नटवर सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वेल, श्री जी० जी०

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री
हरद्वारी लाल, श्री
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, श्री मनोरंजन
हेमब्रम, श्री सेत

विपक्ष में

†तुलसी राम, श्री वी०
†सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—398 ; विपक्ष में —2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते: आप आंकड़े सही कर सकते हैं यह घोषणा कर दीजिए कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । आप सबको बधाई हो ।

---

†गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्री टी० अंजैया, श्री आर० जीवारतिनम, श्री ए० जयमोहन, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री ललितेश्वर शाही, श्री शंकर दयाल सिंह, श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य, श्री मोहर सिंह, श्री अजीज सेट, श्रीमती सुन्दरबती नवल प्रभाकर, श्रीमती रमाबन, आर० मावणि, श्री जी० एस० बसवराज, डा० एस० जगत रक्षकन, श्री बापूलाल मालवीय, श्री एस० के० सिंह, श्री एम० आर० जनार्दनन, श्री सी० माधव रेड्डी, श्री आनन्द गणपति राजु, श्री वी० सोमनाद्रीसवरा, श्री एस० एम० भट्टम, श्री जयपाल रेड्डी, श्री डी० नारायण स्वामी, श्री के० रामचन्द्र रेड्डी, श्री विजय कुमार राजू, श्री पी० पेंचालैया, श्री एम० रबुमा रेड्डी, श्री के० एन० स्वामी, श्री मानिक रेड्डी, डा० चित्ता मोहन, श्री अनिल बसु, श्री पी० ए० नरसिम्हम, श्री सी० सम्बु, श्रीमती गीता दीक्षित, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह तथा श्री वी० तुलसीराम ।

6.55 म०प०

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल)

6.56 म०प०

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 30 जनवरी, 1985 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 जनवरी, 1985 को पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 1985 को इस सिफारिश के साथ लौटा दिया है कि विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :-

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में पैंतालिसवें **के स्थान पर** "छत्तीसवें" शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 30 जनवरी, 1985 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 24 जनवरी, 1985 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1985 को इस सिफारिश के साथ लौटा दिया है कि विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :-

"अधिनियमन सूत्र"

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "पैंतीसवें" शब्द **के स्थान पर** "छत्तीसवें" शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

सभा-पटल पर रखे गये

राज्य सभा द्वारा सिफारिशों सहित लौटाये गये विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य-सभा द्वारा सिफारिशों सहित लौटाये गए निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

1. विनियोग (रेल) विधेयक, 1985
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 2, विधेयक, 1985

7.00 म०प०

[अनुवाद]

संविधान (52वां संशोधन) विधेयक जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

इससे पहले कि मैं खण्ड दो को सभा में मतदान के लिए रखूं संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते इस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा किया जाएगा । दीर्घाएं खाली कर दी जाएं ।

दीर्घाएं अब खाली हो गई हैं । खण्ड 2, 3, 4 और 5 के संबंध में कोई संशोधन नहीं है । यदि सभा सहमत हो तो मैं इन सभी खण्डों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं । परिणाम प्रत्येक खण्ड पर लागू होगा ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2, 3, 4 और 5 को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

7.04 म.प.

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 2

अ

अंजैया, श्री टी०
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अदाएकलाराज, श्री एल
अदियोडी, डा० के० जी०
अन्नानाम्बी, श्री आर०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री सरफराज

आ

आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के०पी०

ए

एन्टनी, श्री पी०ए०

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार
ओडेयर, श्री चनैया

क

कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, श्रीमती
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पना देवी, डा० टी०

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कांबले, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरूदास
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोलनदाईवेलु, श्री पी०
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ

ग

गंगा राम, श्री
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहब
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती
गुहा, श्रीमती फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
गोहिल, श्री जी०बी०
गोडर, श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री एच०एन० नन्जे

घ

घोलप, श्री एस०जी०
घोष, श्री तरुणकांति
घोष, प्रो० विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी

च

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगाथम
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री एस०बी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिंगवांग कोनयक, श्री
चिदाम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, श्री
चोक्का राव, श्री जे०
चौधरी, श्रीमती कृषाताई प्रकाश
चौधरी, श्री ए० बी०ए० गनीखान
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल

चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौबे, श्री नारायण

ज

जगतरावशकन, श्री एस०
जगजीवन राम, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी०पी०
जनार्दनन, श्री एम०आर०
जयदीप सिंह, श्री
जयामोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जाफर शरीफ, श्री सी०के०
जायनल अबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डालचन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झांसीलक्ष्मी, श्रीमती एन०पी०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश
टोम्बीसिंह, श्री एन०

ठ

ठक्कर, श्रीमती उषाबेन
ठाकुर, श्री सी०पी०

ड

डागा, श्री मूल चन्द
डामोर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल

त

तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी०के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलव तुलसीराम, श्री वी०
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्दा

थ

थंगाराजू, श्री एस०
थामस, प्रो० के०वी०
थाम्बी, दुराई, श्री एम०
थुंगन, श्री पी०के०
थोटा, गोपाल कृष्ण, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दंडवते, प्रो० मधु
दलवाई, श्री हुसेन
दलबीर सिंह, श्री (शहडौल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेणुपद

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्मदेव
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती चन्द्र भानू
देसाई, श्री बी०वी०

ध

धर्मपाल सिंह, श्री
धारीवाल, श्री शांति कुमार

न

नटराजन, श्री के० आर०
नरसिंहन, श्री पी०ए०
नायक, श्री जे०देवराय
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी०के०
नारायणन, श्री के०आर०
निर्मला कुमारी, प्रो०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरू, श्री अरूण कुमार

प

पंजा, श्री ए०के०
पंत, श्री के० सी०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पटेल, श्री एच०एम०
पटेल, श्री जी०भाई०
पटेल, श्री मोहन लाल
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी०डी०
पदायाची, श्री एस०एस० रामास्वामी
पनिका, श्री राम प्यारे
पपीरेड्डी, श्री बेजावाड़ा
पराशर, प्रो० नारायण चंन्द
पवार, श्री बालासाहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखें
पाटिल, श्री यशवंतराव गडास
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पूरन चन्द्र, श्री
पेसमन, डा० पी० वल्लभ
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फ

फकीर मोहम्मद, श्री ई०एस०एम०
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसी लाल, श्री
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, श्रीमती ममता
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी श्रीमति
बसवाराजू, श्री जी० एस०
बसु, श्री अनिल
बागुन, सुम्बरूई, श्री
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
बूटा सिंह, श्री
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
बैरो, श्री ए०ई०टी०
ब्रह्मदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भरत, श्री एच०के०एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरत सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
भोये, श्री आर० एम०
भोये, श्री सीताराम सायाजी
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव

म

मंडल, श्री सनत कुमार
मकवान, श्री नरसिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई, ० एस०
महाता, श्री चित्तरंजन
महेन्द्र सिंह, श्री
माकन, श्री ललित
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०
माने, श्री मुरली धर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार
मोजिनलंग, श्री कामसन
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुरूगई, श्री ए०आर०
मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरूभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णुकुमार
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के०
मोहनलाल, श्री

य

यशपाल सिंह, श्री
याज्ञदानी, डा० गुलाम

यादव, आर० एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महावीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश्वर, प्रसाद श्री

र

रंगनाथ श्री के०एच०
रंगा, प्रो० एन०जी०
रघुराज सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, श्री गौरी शंकर
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राठौड़, श्री मोहर सिंह
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामकुंवर, श्री
रामसमुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, श्री
राममूर्ति, श्री०के०
रामरतन, श्री कालीचरण
रामुलू, श्री एच०जी०
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री रामदेव
राय, श्री सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री के० एस०
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वड्डे सोभानद्रीसवारा
राव, श्री सी०एच० श्रीहरि
रावणी, श्री नर्वान
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री एस० रघुमा
रेड्डी, श्री सुदिनी जयपाल

ल

लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री कंगफा

व

वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वाडियर, श्री श्रीकंठ दत्त नरसिंहराज
वासनिक, श्री बालकृष्ण
वासनिक, श्री गुकुल
विजयराघवन, श्री वी०एस०
विश्वास, श्री अजय
वीरसेन, श्री
वेंकटरत्नम, श्री निस्संकारा राव
वेंकटसेन, श्री पी०आर०एस०
वैराले, श्री मधु सूदन
व्यास, श्री गिरधारी लाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री ए० सी०
शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शिंगड़ा, श्री डी०बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेरवानी, श्री सलीम आई०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
श्री रामामूर्ति, श्रीभट्टम

स

संकटा प्रसाद, डा०
संगमा, श्री पी०ए०
संतोष, श्री
सतेन्द्रचन्द्र, श्री
सम्बु, श्री चिमाता
साठे, श्री बसंत
साहा, श्री अजीत कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री शिव प्रसाद
सिंगरावडोवेल, श्री एस०
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी०जी०
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री शंकर दयाल
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के०पी०
सिदनाल, श्री एस०बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र
सिन्हा, श्रीमती किशोरी
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
सुन्दरलाल, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इंदुबाला
सुनीलदत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बुमन, श्री ए०जी०
सुमन, श्री राम प्यारे
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोडी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
स्वराज, श्री के०एन०
स्वेल, श्री जी०जी०

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री
हरद्वारी लाल, श्री
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, श्री मनोरंजन
हेमब्रम, श्री सेत

विपक्ष में
कोई नहीं

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभूतपूर्व उपलब्धि हमारे शिक्षार्थी पूरे नम्बरों में पास हो गये।

[अनुवाद]

अध्यापक को भी बधाई दी जानी चाहिये। शद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम**† इस प्रकार है :

पक्ष में : 417

विपक्ष में : कोई नहीं।

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, 3 4, और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए :

खण्ड 6

(दशम् अनसूची में और उपबन्ध जोड़ा जाना)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, (i) पंक्ति 4 और 5,—

"यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"दोनों सदनों की संयुक्त समिति को, जिसमें कम से कम चार सदस्य लोक सभा से और तीन सदस्य राज्य सभा से चुने जायेंगे और उन सदस्यों में कम से कम दो सदस्य लोक सभा के प्रतिपक्ष के और एक सदस्य राज्य सभा के प्रतिपक्ष का होगा ; तथा अध्यक्ष द्वारा उस समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को सभापति नियुक्त किया जायेगा, और उस समिति के सभी सदस्यों को, उनके संबंधित सदनों के सदस्यों द्वारा बिना कोई विशिष्ट निदश दिये चुना जायेगा और उस समिति को "निरहर्ताओं सम्बन्धी न्यायिक समिति" कहा जायेगा, विनिश्चय के लिये भेजा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।" (4)

(ii) पंक्ति 6 से 14 तक का लोप किया जाये।

**इस मतविभाजन का परिणाम खण्ड 2, 3, 4 और 5 पर अलग-अलग लागू होगा।

†निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्री राम रतन राम, श्री ललितेश्वर शाही, श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य, श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर, श्री स्वामी प्रसाद सिंह, श्री श्रीपति मिश्र, श्री नटवर सिंह सोलंकी, श्री वी० कृष्ण राव, श्री अजय नारायण मुशरान, श्री डी० नारायण स्वामी, श्री के० रामचन्द्र रेड्डी, श्री विजय कुमार राजू, श्री पी० पेन्चालै, श्री मानिक रेड्डी, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव, तथा श्री के० एन० प्रधान।

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 15 से 18 तक का लोप किया जाये (5)

पृष्ठ 5, पंक्ति 20,—

"सदन का सभापति या अध्यक्ष" के स्थान पर
"निरर्हताओं संबंधी न्यायिक समिति" प्रतिस्थापित किया जाये। (6)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 26 से 34 तक का लोप किया जाये। (7)

पृष्ठ 5, पंक्ति 37 और 38,—

"सदन के सभापति या अध्यक्ष" के स्थान पर
"निरर्हताओं संबंधी न्यायिक समिति" प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

पृष्ठ 6, पंक्ति 7,—

"सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति" के स्थान पर
"निरर्हताओं संबंधी न्यायिक समिति" प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 40 से 43 तक के स्थान पर "रहता है" प्रतिस्थापित किया आए। (62)

पृष्ठ 2, पंक्ति 44,—

"एक तिहाई" के स्थान पर
"एक चौथाई" प्रतिस्थापित किया आए। (64)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 और 5—

"ऐसे सदन के यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा:" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया आए—

"दोनों सदनों को संयुक्त समिति को जिसके लिए कम से कम चार सदस्य लोक सभा से और तीन सदस्य राज्य सभा से चुने जायेंगे और उन सदस्यों में कम से कम दो सदस्य लोक सभा के प्रतिपक्ष के और एक सदस्य राज्य सभा के प्रतिपक्ष का होगा; तथा अध्यक्ष द्वारा उस समिति के सदस्यों में से एक सभापति नियुक्त किया जाएगा, और उस समिति के सभी सदस्यों को, उनके संबंधित सदनों के सदस्यों द्वारा कोई विशिष्ट निदेश दिए बिना ही चुना जाएगा और उस समिति को 'निरर्हताओं संबंधी न्यायिक समिति" कहा जाएगा, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा"। (65)

पृष्ठ 5,

(एक) पंक्ति 26 से 34 तक का लोप किया आए।

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 35,—

"घ" के स्थान पर "ख" प्रतिस्थापित किया जाए। (67)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 44,—

"सदस्य हैं" के पश्चात् निम्नलिखित स्थापित किया जाये—

"और उपरोक्त गुट का कोई भी सदस्य विभाजन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक मंत्री के रूप में कोई पद धारण नहीं करता है" (73)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 और 5,—

"ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा," के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"ऐसे सदन की दस से अन्यून सदस्यों की एक समिति को, जिसे सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित किया जायेगा और जो सभा की दलवार स्थिति का प्रतिनिधित्व करेगी और उस समिति में वह स्वयं सभापित होगा, विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।" (74)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 से 9,—

"सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चिय के लिए निर्देशित किया जायेगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"सदन की एक समिति को, जिसे, सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, के द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित किया जायेगा, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि समिति के विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष अथवा सभापति उसमें उपस्थित नहीं रहेगा।" (75)

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 44,—

"एक तिहाई" के स्थान पर "एक पंचम" प्रतिस्थापित किया जाए। (91)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"ऐसे सदन के यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"ऐसे सदन की एक समिति, जिसमें उस सदन का नेता और उस सदन के सभी दलों और ग्रुपों के नेता हों, तथा अध्यक्ष या सभापति, यथास्थिति उस समिति के सभापति हो,"। (93)

श्री प्रसेनजित सेन (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 40 से 43 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए** ।

"रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकरण ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है" । (111)

पृष्ठ 3 और 4,—

क्रमश: पंक्ति 45 और 1 से 7 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"(क) वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा—

(i) कि उसने अपने मूल राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से **छोड़ दी है** ; **या**

(ii) कि उसने ऐसे दल द्वारा अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या वह मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ; और" । (112)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 26 से 30 का **लोप किया जाए** । (113)

पृष्ठ 5, पंक्ति 31,—

"(ग)" **के स्थान पर**

"(ख)" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (114)

पृष्ठ 5, पंक्ति 32—

"से निष्कासित करने या उसमें" **के स्थान पर**

"में" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (115)

पृष्ठ 5, पंक्ति 35,—

"(घ)" **के स्थान पर**

"(ग)" **प्रतिस्थापित किया जाए** । (116)

श्री जी० जी० स्वेल : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस विधेयक पर हमारा एकमत है और हमने इस पर काफी वाद-विवाद कर लिया है। यदि आप सहमत हैं तो हम सरकारी संशोधनों के अलावा सभी संशोधन इकट्ठे रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा ही करूंगा। श्री उन्नीकृष्णन अपने संशोधन पर बोल सकते हैं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस खण्ड 6(2) के बारे में मेरा दृढ़ मत है। जैसा कि मने पहले कहा कि संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली में सभापति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद के साथ जहां अनेक शक्तियां अक जुड़ी हुई हैं वहां स्वविवेक के अतिरिक्त शक्तियों का गंभीर उत्तरदायित्व भी जुड़े हुए है। वर्तमान संदर्भ में अध्यक्ष के पद को और जिम्मेदारियां देना, अर्थात् कि वह इस बात पर ध्यान दे कि किसी सदस्य ने सदस्यता के लिए अनर्हता अर्जित की है, उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस पद की पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वाह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए, अध्यक्ष सदन के अधिकारों के प्रतीक होते हुए भी अकेलेपन का भी अनुभव होगा जिसमें कि आपको कार्य करना पड़ता है।

अतः इस प्रकार के कानून में जो कि एक नया प्रयत्न है—अत्यन्त स्वागत योग्य प्रयत्न है—मैं अध्यक्ष के पद पर और अधिक बोझ नहीं डालना चाहता।

श्रीमान, इस सदन के कार्य संचालन की विस्तृत जिम्मेवारियों को निभाने के लिए आपको मक्त रखा जाना चाहिए; जोकि अपने आप में एक बहुत भारी संवधानिक जिम्मेवारी है और उन व्यक्तियों, के प्रति न्याय करते हुए जो इस पद को सम्भालते हैं, मैं जहां पर विधान सभाओं के उन अध्यक्षों की निन्दा नहीं करना चाहता जोकि पथ विचलित हो गये पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि अध्यक्ष का पद केन्द्रीय विधान सभा के समय से केन्द्र में तथा विधान सभाओं में भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारण जोकि महान् गरिमा युक्त प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि यह कार्य दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए जिसके आप स्वयं सभापति हो सकते हैं अथवा उसका सभापति नामांकित करना आप पर छोड़ा जा सकता है।

मैं उन सभी संशोधनों पर कुछ कहना चाहता हूं जिन पर मैं आग्रह करता हूं।

दूसरे मैं चाहता हूं कि पृष्ठ 5 से पंक्ति 10 से 14 का लोप कर दिया जाये। जहां तक सभा के विशेषाधिकारों का संबंध है, मैं किसी से हार नहीं मानता मेरा कहना है कि एक सदस्य के व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिकार हैं। इस सभा में "सभा की कार्यवाही" शब्दों के भाव भली प्रकार विदित हैं।

उच्चतम न्यायालय के अनेक विनिर्णयों में इस बात को उचित ठहराया गया हैं और कहा गया है कि वह सदन की कार्यवाही के औचित्य अथवा अनुपयुक्तता के बारे में नहीं पड़ना चाहता। सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 32 अथवा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत प्रतिकार का अधिकार नहीं है इसलिये इसे विधेयक में से निकाल दिया जाना चाहिये और इसका निर्णय सभा के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जैसा कि प्रधान मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है कि इसमें कुछ कमियां हैं तथा इसके अन्दर ही कतिपय प्रतिबंध होने चाहिए। यदि हम इस उपबन्ध को निकाल दें तो बेहतर होगा क्योंकि इससे स्वस्थ परम्पराओं का विकास हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं सभा से अपने संशोधनों को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं

श्री सुद्दिनी जयपाल रेड्डी (महबूब नगर): महोदय, मैंने भी कतिपय संशोधनों का नोटिस दिया है।

श्री उन्नीकृष्णन ने सही कहा है और मेरा भी यही निश्चित मत है कि अध्यक्ष महोदय के गरिमामय पद को सदस्य के निरर्हता सम्बन्धी वाद-विवाद के शोर शराबे से दूर रखा जाना चाहिए।

खंड 7 के बारे में मैं सरकार से सहमत हूं तथा मेरा यह विचार है कि इसे विशेष रूप से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिये वरन् लम्बे अरसे तक मुकदमेबाजी एवं जटिल प्रक्रिया का कारण बनेगा। जब खंड 7 है तो खंड 6(2) को रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। बात बड़ी सीधी-सी है। हमारे विधि मंत्री महोदय बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और वे जानते हैं कि जब न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्यवस्था नहीं की जाती, प्रभावित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 32 का सहारा ले सकता है। अतः किसी प्रभावित व्यक्ति को संविधान के अनच्छेद 226 अथवा 32 का सहारा लेने से रोकना नितान्त अराजनैतिक, असंवैधानिक एवं अनावश्यक होगा। अतः इस सम्बन्ध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। या तो सरकार मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर ले कि इस सम्बन्ध में एक निरर्हता सम्बन्धी समिति को अधिकार दिया जाना चाहिए अथवा यदि अध्यक्ष पद को यह दायित्व सौंपना ही है तो उनके निर्णय को सभा की कार्यवाही न समझा जाये। यह बहुत ही अनुचित बात होगी क्योंकि अध्यक्ष महोदय सभा में हुई चर्चा को ध्यान में रखे बिना एक व्यक्तिगत निर्णय करेंगे। अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर अध्यक्ष महोदय, द्वारा लिये गये निर्णय को सभा की कार्यवाही कैसे माना जा सकता है। इसलिय महोदय, या तो सरकार को अध्यक्ष के पद को इस गुरुतर दायित्व से मुक्त रखने के लिये सहमत होना चाहिए अथवा जब खंड 7 रखा जा रहा है तो खंड 6(2) को नहीं रखा जाना चाहिये।

श्री अशोक सेन : दोनों सदनों की समिति के हाथों में यह मामला छोड़ देना खतरनाक सिद्ध होगा। माननीय सदस्य ने राज्यों के विधान मंडलों के लिए व्यवस्था नहीं की है क्योंकि खण्ड 6, उप खण्ड (2) संसद एवं राज्य विधान मंडलों के लिये व्यवस्था करता है। यदि आप यह निर्णय समिति पर छोड़ देंगे तो फिर यह दल की विचारधारा के आधार पर मतदान करने के समान होगा और जिसके कारण अन्तहीन मुकदमेबाजी हो सकती है। अतः यह निर्णय अध्यक्ष अथवा सभापति के ऊपर छोड़ना सबसे सही रहेगा। और अध्यक्ष महोदय को तो यह पता लगाना होगा कि क्या उस व्यक्ति ने सचमुच त्यागपत्र दे दिया है अथवा उन्हें यह पता लगाना होगा कि क्या उसने दल के जनादेश के अनुसार मतदान किया है अथवा मतदान करने से विरत रहा है।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी: विधि मन्त्री महोदय ने हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि जब खंड 7 रखा जा रहा है तो खंड 6(2) की क्या आवश्यकता है।

श्री अशोक सेन : क्योंकि खंड 7 के अन्तर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। हमें पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिकार की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने.....

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने पहले कहा होता तो मैं आपको समय दे देता। अब आप अवसर चूक गये हैं। गाड़ी छूट गई है और आप प्लेटफार्म पर ही खड़े रह गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 6 के लिये सरकारी संशोधनों को छोड़कर शेष सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 से 9 62,64,65,67, 73 से 75, 91 और 93) सभा के मतदान के लिये रखे गये एवं अस्वीकृत हुए

श्री अशोक सेन: मैं संशोधन संख्या 114 एवं 116 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं अब एक नया संशोधन संख्या 113 प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे मैं नियम बनाने वाले खंड के अन्तर्गत रखूंगा और मैं आपको इसकी प्रतियां दूंगा। मैं उसे पढ़ देता हूं। मैं आपको

अभी एक क्षण में बताऊंगा कि यह क्या है । महोदय, बात यह है कि हमने देखा कि क्षमा सम्बन्धी खंड निरर्हता को अप्रभावी बनाती हैं। हमने इस बारे में उपबन्ध नहीं किया कि अध्यक्ष महोदय को क्षमा सम्बन्धी साक्ष्य कैसे भेजा जायेगा और इन नियमों के अन्तर्गत हमने पृष्ठ 5 पर इसका उपबन्ध किया है ।

श्री अशोक सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—पंक्ति 25 से 29, **के स्थान पर** निम्नलिखित—**प्रतिस्थापित किया जाए** :—

(ख) "रिपोर्ट जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान-दल का नेता, सदस्य की बाबत पैरा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, समय जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्ट दी जायेगी ।"

(113, संशोधित रूप में)

प्रो० मधु दण्डवते : बशर्ते कि नेता ने दल बदल न किया हो ।

श्री अशोक सेन : संशोधन संख्या 114 एवं 116 को वापस ले लिया जाए तथा संशोधन संख्या 113 के स्थान पर इसे रखा जाए ।

श्री जी० जी० स्वैल : यदि कोई प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और उसे वापस लिया जाना है तो उसे सभा की अनुमति से ही वापस लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, यही नियम है ।

श्री जी०जी० स्वैल : दूसरी बात यह है कि सरकार के प्रत्येक संशोधन मत-विभाजन द्वारा पारित करना होता है क्योंकि वह विधेयक का अंग बनता है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, संशोधनों के लिए यह आवश्यक नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह नियम खंडों पर लागू होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पहले संशोधन संख्या 111 एवं 112 को लूंगा । अन्य संशोधन बाद में लिए जाएंगे ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2—

पंक्ति 40 से 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है"। (111)

पृष्ठ 3 और 4—

क्रमशः पंक्ति 45 और 1 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) वह पैरा 2 से उप-पैरा (1) के अधीन इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा—

(1) कि उसने अपने मूल राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है ; या

(II) कि उसने ऐसे दल द्वारा अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या वह मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ; और"। (112)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम संशोधन संख्या 113, जो संशोधित रूप में है, लेंगे। मंत्री महोदय ने अभी इसे पढ़कर सुनाया था। मैं उन्हें इसे पुनः पढ़ कर सुनाने के लिए कह सकता हूं।

श्री अशोक सेन : क्या मैं इसे पढ़ कर सुना दूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह कुछ और है। इसे बाद में लिया जाएगा।

श्री अशोक सेन : यदि माननीय सदस्य देखने का कष्ट करें तो उन्हें पता चलगा कि माफी से या निरर्हता से बचाव होता है। निरर्हता का तरीका इस संबंध में निर्णय कैसे किया जाएगा इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसका नियम बनाने वाली शक्तियों के अन्तर्गत उपबंध किया जा रहा है। अतः संशोधन संख्या 113 के स्थान पर नया संशोधन रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 113 श्री सेन द्वारा संशोधित रूप में रखी जाएगी। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5,—पंक्ति 26 से 29 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए :—

"(ख) रिपोर्ट जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 की उपधारा (1) के खंड में (ख) में निदिष्ट प्रवृति की माफी के संबंध में देगा समय जिसके भीतर और प्राधिकारी जिस को ऐसी रिपोर्ट दी जायेगी;" 113, संशोधित रूप में

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : श्री सेन, क्या आप संशोधन संख्या 114 तथा 116 वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अशोक सेन : जी हां, मैं इन संशोधनों को वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री सेन द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 114 एवं 116 को वापस लेने की अनुमति देती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 114 और 116 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 115 को लिया जायेगा जिसे पहले पेश किया जा चुका है ।

प्रश्न यह है :—

पष्ठ 5, पंक्ति 32,—

"से निष्कासित करने या उसमें" **के स्थान पर 'में' प्रतिस्थापित** किया जाए (115)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : खंड 6 को संशोधित रूप में सभा में मतदान के लिये रखने से पहले मैं यह बता दूं कि चूंकि यह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है, इसे मत विभाजन द्वारा पारित किया जाना होगा । दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अब, दीर्घाएं खाली कर दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

7.35 म० प०

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 3

अ

अंजैया, श्री टी०
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अदाएकलाराज, श्री एल०
अदियोडी, डा० के० जी०
अन्नानाम्बी, श्री आर०
अब्दुल गफूर, श्री
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखा राम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री सरफराज

आ

आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

ए

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओ

ओडदरा, श्री भरत कुमार
ओडेयर, श्री चनैया

क

कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, श्रीमती
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोलनदाईवेल, श्री पी०
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशर बाई

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ

ग

गंगाराम, श्री
गद्दाफी, श्री भेरावदन के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्रीउ दयसिंहराव नानासाहब
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावित, श्री मानिकराव होडल्य
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती
गुहा, श्रीमती फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
गोहिल, श्री जी० बी०
गोडर, श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

घ

घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, प्रो० विमल कान्ति
घोशाल, श्री देवी

च

चतुवदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिंगवांग कोनयक, श्री
चिदाम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, श्री
चोक्का राव, श्री जे०
चौधरी, श्रीमती ऊषाताई प्रकाश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान

चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री फूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौबे, श्री नारायण

ज

जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जनार्दनन, श्री एम० आर०
जयदीप सिंह, श्री
जयामोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जाफर, शरीफ, श्री सी० के०
जायनल आबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डालचन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश
टोम्बीसिंह, श्री एन०

ठ

ठक्कर, श्रीमती उषाबेन
ठाकुर, श्री सी० पी०

ड

डागा, श्री मूल चन्द
डामोर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकान्त
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल

त

तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलसीराम, श्री वी०
तोमर, श्रीमती उषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्दा

थ

थंगाराजू, श्री एस०
थामस, प्रो० के० वी०
थाम्बी दुराई, श्री एम०
थुंगन, श्री पी० के०
थोटा, गोपाल कृष्ण, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दंडवते, प्रो० मधु
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री (शहडौल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेणुपद

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्मदेव
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती चन्द्र भानू
देसाई; श्री बी० वी०

ध

धर्मपाल सिंह, श्री
धारीवाल, श्री शांति कुमार

न

नटराजन, श्री के० आर०
नटवर सिंह, श्री
नरसिंहन, श्री पी० ए०
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी०के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायण स्वामी, श्री देवीनैनी
निर्मला कुमारी, प्रो०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरू, श्री अरुण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री के० सी०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पटेल, श्री एच० एम०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री मोहन लाल
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पपीरेड्डी, श्री बेजावाड़ा
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र
पवार, श्री बालासाहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणी
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूरन चन्द्र, श्री
पेंचालैया, श्री पुचालापल्ली
पेसमन, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शान्ताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फ

फकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसी लाल, श्री
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, श्रीमती ममता
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बसवाराजू, श्री जी० एस०
बसु, श्री अनिल
बागुन, सुम्बरूई, श्री
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरो, श्री ए० ई० टी०
ब्रह्मदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरत सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोये, श्री आर० एम०
भोंसले, श्री प्रतापराव बाबूराव

म

मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मलिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महाता, श्री चित्तरंजन
महेन्द्र सिंह, श्री
माकन, श्री ललित
माधुरी सिंह, श्री मती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार
मोजिनलंग, श्री कामसन
मुंशी, श्री प्रियरंजन दास
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुरूगई, श्री ए० आर०
मुशरान, श्री अजय नारायण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरूभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णुकुमार
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के०
मोहनलाल, श्री

य

यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री कैलाश

यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश्वर प्रसाद, श्री

र

रंगनाथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रघुराज, सिंह श्री
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
रावत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, श्री गौरी शंकर
राजश्वेरन, डा० वी०
राजू, श्री आनन्द गजपत्ति
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राठौड़, श्री मोहर सिंह
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामसमुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, श्री
राममूर्ति, श्री के०
रामरतन, श्री कालीचरण
रामुलू, श्री एच० जी०
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री रामदेव
राय, श्री सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ऐथाबथुला जोगेश्वर वेंकटा बुटची महेश्वर
राव, श्री के० एस०
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वड्डे सोभानेद्रेसवारा
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री सी० एच० श्रीहरि
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री एस० रघुमा
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री पी० मानिक
रेड्डी, श्री सुदिनी जयपाल

ल

लाहा, श्री अशुतोष
लोवांग, श्री कंगफा

व

वन, श्री दीप नरायन
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वाडियर, श्री श्रीकंठ दत्त नरसिंहराज
वासनिक, श्री बालकृष्ण
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विश्वास, श्री अजय
वेंकटेसन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधु सूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री ए० सी०
शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेरवानी, श्री सलीम आई०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
श्री रामामूर्ति, श्री भट्टम

स

संकटा प्रसाद, डा०
संगमा, श्री पी० ए०
संतोष, श्री
सतेन्द्रचन्द्र, श्री
सम्बु, श्री चिमाता
साठे, श्री वसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री शिव प्रसाद
सिंगरावडोवेल, श्री एस०
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री शंकर दयाल
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र
सिन्हा, श्रीमती किशोरी
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
सुंदरलाल, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इंदुबाला
सुनीलदत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बुरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री राम प्यारे
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेठी, श्री अनंत प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
सोडी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
सोलंकी, श्री नटवर सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वामी, श्री के० एन०
स्वेल, श्री जी० जी०

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री
हरद्वारी लाल, श्री
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, श्री मनोरंजन
हेमब्रम, श्री सेत

विपक्ष में
कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* निम्न प्रकार है :—

पक्ष में: 412

विपक्ष में : कोई नहीं

"प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री० मधु दण्डवते : मेरे विचार में गलती से श्री जयपाल रेड्डी का सशोधन भी पारित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 2(1) (ग) के बारे में पूछ रहा था ।

श्री अशोक सेन : उप खण्ड 2 (1) (ग) खण्ड 6 को संशोधन संख्या 111 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है। मैं अपनी गलती सुधारता हूं। इसे प्रस्तुत किया गया था। श्री जयपाल रेड्डी को यह आश्वासन दिया गया था कि इसे बाद में रखा जाएगा ।

श्री सुधिनी जयपाल रेड्डी : मेरा एक मुद्दा है। पहले खण्ड 2 से 5 स्वीकृत किए जाते हैं। बाद में खण्ड 6 स्वीकृत किया जाता है। संशोधन खण्ड 2(1) (ग) के बाद लिया जाता है। इस प्रक्रिया को किस प्रकार अनुकुल बनाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : हमने सभी संशोधन स्वीकृत किए हैं। धन्यवाद, श्री रेड्डी जी। मैं अपनी गलती सुधारता हूं।

श्री० मधु दण्डवते : उन्होंने जब संशोधन रखा और यह स्वतः ही पारित हो गया तो यह स्वीकृत हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 1 को लेते ह । खण्ड 1 के लिए संशोधन रखे गए हैं। श्री डी० वी० पाटिल—उपस्थित नहीं; श्री नारायण चोबे—उपस्थित नहीं; श्री विजय कुमार यादव—उपस्थित नहीं। दीर्घाएं पहले ही खाली हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्री० वी०एन० गाडगिल, श्री बोरसेन, श्रीमती एमी चन्द्रशेखर, श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य, श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर, श्री महावीर प्रसाद यादव, श्री रहीम खां, श्री डी०बी० शोगड़ा, डा० एस० जगतरक्षकन, श्री काजी जलील अब्बासी, श्री बालकवि बैरागी, श्री एन० वी० रत्नम, श्री विजयकुमार राजु, प्रो० सैफुद्दीन सोज तथा श्री के० एन० प्रधान

7.44 म० प०

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या :—4

अ

अंजैया, श्री टी०
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अदाएकलाराज, श्री एल०
अदियोडी, डा० के० जी०
अन्नानाम्बी, श्री आर०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अरूणाचलम, श्री एम०
अलखराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री सरफराज

आ

आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

ए

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार
ओडेयर, श्री चनैया

क

कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, श्रीमती
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोलनदाईवेलु, श्री पी०
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री मोहम्मद अयूब
खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ

ग

गंगा राम, श्री
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलौत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव नानासाहब
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावित, श्री मानिकराव होडल्य
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती
गुहा, श्रीमती फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
गोहिल, श्री जी० बी०
गोडर, श्री ए० सेनापति
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

घ

घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरूण कान्ति
घोष, प्रो० विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी

च

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगाथम
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिंगवांग कोनयक, श्री
चिदाम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, श्री
चोक्का राव, श्री जे०
चौधरी, श्रीमती उषाताई प्रकाश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री शैफुद्दिन
चौबे, श्री नारायण

ज

जगतरक्षकन, श्री एस०
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जनार्दनन, श्री एम० आर०
जयदीप सिंह, श्री
जयामोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदी लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डालचन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झांसीलक्ष्मी, श्रीमती एन०पी०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश
टोम्बीसिंह, श्री एन०

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषाबेन राघवजी
ठाकुर, श्री सी० पी०

ड

डागा श्री मूल चन्द
डामोर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल

त

तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलसीराम , श्री वी0
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, श्रीमती चन्दा

थ

थंगाराजू, श्री एस०
थामस, प्रो० के० वी०
थाम्बी, दुराई, श्री एम०
थुंगन, श्री पी० के०
थोटा, श्री गोपाल कृष्ण
थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दंडवते, प्रो० मधु
दलवाई, श्री हुसेन
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेणुपद
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्मदेव
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती चन्द्र भानू
देसाई, श्री बी० वी०

ध

धर्मपाल सिंह, श्री
धारीवाल, श्री शांति कुमार

न

नटराजन, श्री के० आर०
नटवर सिंह, श्री
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरयती
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायण स्वामी, श्री देवीनैनी
निर्मला कुमारी, प्रो०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरू, श्री अरूण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री के० सी०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पटेल, श्री एच० एम०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री मोहन लाल
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पपीरेड्डी, श्री बेजावाड़ा
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री बालासाहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्री वल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूरन चन्द्र, श्री
पेसमन, डा० पी०वल्लल
पोतदुखे, श्री शान्ताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फ

फकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसी लाल, श्री
बघल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, श्रीमता ममता
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एल०
बसवाराजेश्वरी, श्रीमती
बसवाराजू, श्री जी० एस०
बसु, श्री अनिल
बागुन, सुम्बरुई, श्री
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
बैरो, श्री ए० ई० टी०
ब्रह्मदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरत सिंह, श्री
भानु प्रतापसिंह, श्री
भारद्वाज, श्री परसरा
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोये, श्री आर० एम०

भोये, श्री सीताराम सायाजी
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव

म

मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मलिक, श्री लक्षमण
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महाता, श्री चित्तरंजन
महेन्द्र सिंह, श्री
माकन, श्री ललित
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बाबूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गीशंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार
मीजिनलंग, श्री कामसन
मुंशी, श्री प्रियरंजन दास
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुरूगई, श्री ए० आर०
मुशरान, श्री अजय नारायण
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरूभाई
मोतिलाल सिंह श्री
मोदी, श्री विष्णुकुमार
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के0
मोहनलाल, श्री

य

यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री महाबीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश्वर प्रसाद, श्री

र

रंगनाथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रघुराज सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, श्री गौरी शंकर
राजू, श्री वी० के०
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राठौड़, श्री मोहर सिंह
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामसमुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्रकाश, श्री

रामामूर्ति, श्री के०
रामुलू, श्री एच० जी०
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री रामदेव
राय, श्री सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ऐथाबथुला जोगेश्वर वेंकटा बुटची महेश्वर
राव, श्री के० एस०
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री जे० वेंगल
राव, पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री सी० एच० श्रीहरि
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री एस० रघुमा
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री पी० मानिक
रेड्डी, श्री सी० माधव
रेड्डी, श्री सुदीनी जयपाल

ल

लोवांग, श्री कंगफा

व

वन, श्री दीप नरायन
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वाडियर, श्री श्रीकंठ दत्त नरसिंहराज
वासनिक, श्री बालकृष्ण
वासनिक, श्री मकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विश्वास, श्री अजय
वीरसेना, श्री
वेंकटरत्नम, श्री निस्संकारा राव
वेंकटेसन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधु सूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री ए० सी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगड़ा, श्री डी० बी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेरवानी, श्री सलीम आई०
श्री निवास प्रसाद, श्री वी०
श्री रामामूर्ति, श्री भट्टम

स

संकटा प्रसाद, डा०
संगमा, श्री पी० ए०
संतोष, श्री
सतेन्द्रचन्द्र, श्री
साठे, श्री वसंत
साह, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री शिव प्रसाद
सिंगरावडोबेल, श्री एस०
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी० जी०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री शंकर दयाल
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र
सिन्हा, श्री मती किशोरी
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
सुंदरलाल, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इंदुबाला
सुनीलदत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बुरमन, श्री ए० जी०
सुमन, श्री राम प्यारे
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेट, श्री अजीज
सेठी, श्री अनंत प्रसाद,
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेलवेन्द्रन, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोडी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
सोलंकी, श्री नटवर सिंह
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वेल, श्री जी० जी०

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री
हरद्वारी लाल, श्री
हरपाल सिंह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
हाल्दर, श्री मनोरंजन
हेमब्रम, श्री सेत

विपक्ष में

कोई नहीं

सभाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* निम्नलिखित है :—

पक्ष में : 417

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

श्री अशोक सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 ,—

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली, श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य, डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी, श्री रणवीर सिंह, श्री प्राशुतोष लाहा, श्री कालीचरण राम रतन, श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव, श्री पी० पेंचालैया, श्री जी० भूपति, श्री के० एन० स्वामी, श्री पी० ए० नरसिंहम्, श्री सी० सम्बु तथा श्री के० एन० प्रधान।

"पैंतीसवें" के स्थान पर "छत्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए (37)

यह केवल लिपिकीय संशोधन है हम इस विधेयक को 26 जनवरी के बाद अधिनियमित कर रहे हैं इसी कारण गणतन्त्र के 36वें वर्ष वाला यह संशोधन लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"पैंतीसवें" के स्थान पर "छत्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (37)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री अशोक सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

मैं कुछ शब्द ही कहना चाहता हूं। मुझे जो कहना था मैं पहले कह चुका हूं और माननीय प्रधान मंत्री विधेयक के पूरे उद्देश्य को स्पष्ट कर चुके हैं।

यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब यह सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर रही है। इससे राष्ट्र के राजनीतिक जीवन को शुद्ध करने की मांग की पूर्ति होगी। हम सब के लिए यह ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अब यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा जाएगा कि हमारे राजनीतिक जीवन में दूषण, अस्वच्छता और अशिष्टता नहीं है और हमारा लोक तान्त्रिक ढ़ांचा ठोस आधार पर खड़ा है। एक स्तम्भ दल की स्वच्छता है और दूसरा स्तम्भ मतदाता की आस्था और विश्वास है। ये दो आधार हैं जिन पर हमारा सम्पूर्ण ढ़ांचा खड़ा है। हमें दल के उन सिद्धांतों के प्रति ईमानदार होना चाहिए जिनको आधार बना कर हम निर्वाचित हुए हैं। दूसरे हमें मतदाता को धोखा नहीं देना है जिसने हमें कुछ सिद्धांतों पर चुना है।

मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभा द्वारा सर्वसम्मति से विधेयक पारित किए जाने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इस वजह से नहीं है कि हमने इस सभा में इस ऐतिहासिक विधेयक को स्वीकृत किया है बल्कि इसलिए है कि भारत इस विधेयक को स्वीकृत करके एक नए क्षितिज में प्रवेश कर रहा है। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने, जो न केवल राष्ट्र के नेता हैं बल्कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रतीक हैं, राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ की है..... **(व्यवधान)** यह ऐतिहासिक प्रक्रिया काफी लम्बे समय तक चलेगी।

जब हम दल-बदल उल्लंघन और असहमति की बात करते हैं तो देखते हैं कि इनमें स्पष्ट और गुणात्मक अन्तर है। भारत में हमारे समाज का बुनियादी पाठ यह है कि हम 'अनेकता में एकता' में विश्वास करते हैं। यह अनेकता विभिन्न रूपों में सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों से जुड़ी हुई है।

जब कोई लोगों के भले के लिए उल्लंघन करता है, लोगों द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों के लिए उल्लंघन करता है तब लोग यह फैसला करते हैं कि यह दल-बदल नहीं विद्रोह है। जब लोग यह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु दल बदल करने का प्रयास कर रहा है तो लोग इसका विरोध करते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह दल-बदल है। मैं रामायण के इतिहास को उद्धृत करता हूं। जब विभीषण ने रामचन्द्र जी का पक्ष लिया तो लोग उसे कह सकते हैं कि उसने दल बदल किया परन्तु नहीं उसने उचित काम के लिए विद्रोह किया। यही बाद में सच साबित हुआ। परन्तु आधुनिक विश्व में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। मैं कर्ण का उदाहरण दे सकता हूं जो कौरवों के विरुद्ध नहीं, पाण्डवों के विरुद्ध लड़ा। धर्म ने जिसे हम शक्तिशाली ताकत कहते हैं हमारे समाज पर प्रभाव डाला है। हमारी भाषा तथा संस्कृति पर प्रभाव डाला है। शक्तिशाली धर्म में जिसे हम हिन्दु धर्म कहते हैं, दो दल हैं जिनमें निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। एक दल शाक्तास है और दूसरा वैष्णु है। मैंने इसे कई भागों में देखा है। यीशु मसीह एक है परन्तु एक रोमन कथौलिक है और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स हैं। इस्लाम अत्यन्त शुद्ध धर्म है परन्तु इसमें भ एक शिया है और दूसरा सुन्नी। एक लेनिन है और एक कार्ल मार्क्स है। इसी प्रकार न केवल भारत में बल्कि विश्व में कई राजनीतिक दल है, जिनमें सदस्यों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। एक महात्मा गांधी थे जिनसे कांग्रेस को विरासत में परम्पराएं मिली। परन्तु कभी कभी मैं यह देखता हूं कि प्रो० दण्डवते और अन्य विपक्षी सदस्य महात्मा गांधी की परम्पराओं का अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार इन विभिन्नताओं का दल-बदल के मामले में याचन रखा जाए। ये वास्तविक अन्तर और असहमति हैं। असहमति अवज्ञा होगी और अवज्ञा निजी स्वार्थ के लिए होगी, यहां लोगों के प्रति उसकी जिम्मेवारी समाप्त हो जाएगी।

अब मैं इस विषय को लेता हूं क्योंकि हम भारतीय लोकतंत्र में है हम यूरोप में नहीं है, हम संयुक्त राज्य अमरीका में नहीं है। गंगा को स्वच्छ करना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि गंगा को स्वच्छ नहीं किया जा सकता वह पहले ही स्वच्छ है

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : अध्यक्ष महोदय, मुझे समाप्त करने दीजिए। मेरे विचार में जब हमारे प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा तो उनका अर्थ गंगा को पवित्र करना नहीं था बल्कि गंगा के प्रदूषण को स्वच्छ करना था। उन्होंने गंगा के प्रदूषण को स्वच्छ करने के लिए कहा तो उनका अर्थ था गंगा के पास भारतीय सभ्यता की विरासत सुरक्षित है। मेरे कहने का यह अर्थ है कि भारतीय सभ्यता को इस विधेयक जो हमारे समक्ष है, पारित करके सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे स्वीकृत करने के बाद गंगा अति प्रसन्न होगी क्योंकि गंगा जानती है कि हमारा लोकतंत्र कितना प्रदूषित हो चुका था।

हमारे नेताओं द्वारा सभा में आश्वासन दिए जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता है कि इस सत्र के बाद कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान दिया जाएगा और हम इस विधेयक में और परिवर्तन कर सकेंगे। और अब किसी सदस्य से सम्बधित विवाद पीठासीन अधिकारी को भेजा जाएगा, परन्तु इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैं अनुरोध करूंगा कि अगले सत्र में ऐसी कोई समय-सीमा निश्चित की जाए जिसके

अन्दर अध्यक्ष को अपना फैसला सुनाना हो। यदि वह इसे तीन से चार महीने तक के लिए लंबित रखें तो इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

*श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। भारतीय संसद के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है। इस विधेयक को स्वीकार करके हम अपने 70 करोड़ लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दल-बदल विरोधी विधेयक को संसद में लाकर हमारे युवा प्रधान मंत्री ने वास्तव में साहस का परिचय दिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनकी निष्ठा की सराहना करता हूं। परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि वे विधेयक से खंड 2 (1) (ग) को निकाल देने की बात क्यों सोच रहे हैं। हमारी मंशा इस धारा को बरकरार रखने की है। हम इसे निकाल देने के पक्ष में नहीं है। हमने आज इस महान सदन को विभूषित करने वाले कई दिग्गज सदस्यों को देखा है। बहुत ही मामूली बात पर सदस्य एक पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इस कारण से ही मैं एक पक्की व्यवस्था की वकालत कर रहा हूं। हमारी राय है कि पार्टी और उसके नेता को दल-बदलुओं के खिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और लोग यही चाहते हैं। इसी से उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। लोग पार्टी और उसके नेता को वोट देते हैं न कि किसी व्यक्ति विशेष को। मुझ से पहले बोल चुके वक्ताओं ने भी इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए जब ऐसे व्यक्ति अपनी वफादारी बदल लेते हैं तो दल के नेता को ऐसा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यही हमारी पार्टी का सर्वसम्मत दृष्टिकोण है। हम उस खण्ड विशेष को निकालने का भी विरोध करते हैं जिसके तहत पार्टी सदस्यों द्वारा दल-बदल करने पर पार्टी नेता द्वारा उन्हें दण्ड देने का अधिकार समाप्त किया गया है।

महोदय, इस विधेयक के वर्तमान उपबंध के अधीन किसी एक सदस्य को दल-बदल करने पर दण्डित किया जा सकता है। परन्तु यदि पार्टी के एक-तिहाई सदस्य दल-बदल करते हैं तो विभाजन के नाम पर आप उन्हें बगैर कोई सजा दिए छोड़ देते हैं। यह अन्याय है ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सदस्यों का बहुमत दल-बदल करता है तभी इसे विभाजन माना जाना चाहिए। यदि 49% सदस्य भी मूल दल से अलग हो जाएं तो भी पार्टी-अध्यक्ष को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें 4,000,00 मत-दाता है, उसमें 2,00,001 मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाता है तथा 1,99,999 मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार हार जाता है। विजेता और पराजित उम्मीदवार में मात्र एक मत का अन्तर है। इसी तरह वही पार्टी जो बहुमत में हो सत्ता में रहनी चाहिए। दलबदलुओं को, जबकि उनके पास 49% मदस्य ही है, सरकार बनाने का और शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। विभाजन को तभी मान्यता मिलनी चाहिए जबकि यह 50% अथवा इससे अधिक सदस्यों का हो यदि 33% अथवा 40% सदस्य दल-बदल करते हैं तो इसे विभाजन नहीं कहा जाना चाहिए तथा अल्प मत ग्रुप की इस कार्यवाही को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। यदि वे पार्टी का 49% भी है तब भी दल-बदलू ही है और इसलिए दण्ड के पात्र है। यदि वे बहुमत की संख्या से एक सदस्य कम हों तो भी उन्हें अल्पमत में माना जाना चाहिए तथा उन्हें दल-बदलू ही गिना जाए ताकि निष्कासन सम्बन्धी प्रावधान उन पर लागू हो सके।

यह अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यबाद देते हुए मैं भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृप्या अभी जाएं नहीं। हमारे पास एक अत्यन्त महत्व पूर्ण प्रस्ताव है। परन्तु इससे पहले मुझे तीन या चार और सदस्यों को बोलने के लिये कहना पड़ेगा। श्री उत्तम राठौड़।

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार किये जाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद यह पहला मौका है जबकि संविधान संशोधन विधेयक सदन के सामने लाया गया है तथा सत्ता-पक्ष और विरोधी-पक्ष दोनों ने ही सर्वसम्मति से इसे पूरी गम्भीरता से स्वीकार किया है। महोदय, इस अवसर पर मुझे यह कहना है कि आप राजनैतिक व्यक्तियों के भाग्य का निर्णय करने के अप्रियकार्य को करेंगे। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि बेहतर हो यदि आप एक उपसमिति बनाएं जो इन मामलों में आपको सलाह दे सके। बस, मैं यही कहना चाहता था। आखिर कार संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली नियंत्रण और संतुलन से ही कायम है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप एक उप-समिति बनाएं। बस, मैं यही कहना चाहता था। धन्यवाद।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, धन्यवाद। मैं बोलने का सुबह से इंतजार कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय। आप अब उन लोगों की खुशी का ध्यान रखिये जो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में हैं।

श्री पी० के० थुंगन : मैं इंतजार का मजा ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बोलने का आनन्द लीजिये।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने के लिये माननीय प्रधान मंत्री तथा विधि मंत्री को बधाई देता हूं। निसंदेह यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। वास्तव में, समाज में दो तरह के नियंत्रण हैं। एक बाहरी नियंत्रण है तथा दूसरा आंतरिक नियंत्रण है। जब कोई व्यक्ति नैतिक रुप से अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसके लिये बाहरी नियंत्रण अपेक्षित है। हमारे राजनैतिक जीवन में, हमारे सार्वजनिक जीवन में, यह देखा गया है कि दिन-प्रतिदिन नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है। इसे उपयुक्त समय महसूस करते हुये, हमारे युवा तथा गतिशील प्रधान मंत्री यह विधेयक लाये हैं तथा उन लोगों पर बाहरी नियंत्रण रखने का उपाय किया है जो अपने आप नैतिक नियंत्रण नहीं रख सकते।

8.00 म० प०

महोदय, मैं उस पूर्वोत्तर क्षेत्र का हूं जहां बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी हैं मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं केवल एक बात पूछूंगा। कुछ मामलों में जब ऐसे अवसरवादी क्षेत्रीय दल भंग हो जाते हैं तो उन क्षेत्रीय दलों के सदस्यों की स्थिति क्या होगी? इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पुनीत सदन में निर्दलीय उम्मीदवारों या निर्दलीय सदस्यों को जिस दल में वे शामिल होना चाहें, उन्हें इसकी अनुमति देने की बात कही है। हमारे भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री जगन्नाथ कौशल द्वारा यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की गई है कि चुनावों के दौरान जब निर्दलीय उम्मीदवार राजनैतिक दलों के संबंध में बोलते हैं तो वे ऐसी तरह से बोलते हैं जैसे केवल वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को स्वच्छ बना सकते हैं। मेरे क्षेत्र के कुछ ऐसे निर्दलीय सदस्य हैं, यहां तक कि विधान मंडल में भी ऐसे सदस्य हैं जो इस समय जब हम सभा में इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, वे किसी भी दल में शामिल होने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सही सुझाव दिया है कि दल-बदल आमतौर पर चुनावों के समय होता है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया यह सुझाव भी सही है कि ऐसी कोई नियंत्रण प्रणाली, कोई समय-सीमा अथवा निर्धारित अवधि होनी चाहिये कि कितने समय

तक अथवा कितनी अवधि तक वे किसी अन्य दल के उम्मीदवारों के रूप में खड़े हो सकते हैं । यदि चुनावों के समय, चुनावों की घोषणा होने पर कोई सदस्य, त्यागपत्र दे देता है, यदि यह समय-सीमा नहीं रखी जाती तो वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप वह सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने की राह में रुकावट बनेगा ।

अंत में, मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि मंत्री जी अपने पद का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों और विधान मंडलों को कहेंगे कि वे इस प्रकार से कानून बनाएं कि जिला परिषदों, अंचल समितियों और नगर पालिकाओं के स्तर पर भी ऐसा दल-बदल न हो, इस तरह का कोई कार्य न हो । मेरा यह अनुभव है कि जिला परिषद स्तर पर और यहां तक अंचल समिति स्तर पर भी सदस्य दल-बदल करते हैं और जिससे निचले स्तर पर ही अस्थिरता पैदा होती है और इस तरह से लोगों में नैतिकता नहीं रहती अतः, मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विभिन्न राज्य सरकारों तथा राज्य विधान मंडलों से यह कानून जल्दी बनाने के लिये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें ताकि इस प्रकार के दल-बदल पर नियंत्रण किया जा सके ।

अन्तमें, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करना भारत के लोगों को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का प्रतिरक्षण करना है कि वे एक स्वच्छ तथा कुशल प्रशासन तथा साफ-सुथरा सार्वजनिक जीवन प्रदान करेंगे ।

हमें इस विधेयक को इस दिशा में बड़े कदम के रूप में स्वीकार करना चाहिये जो कांग्रेस की शताब्दी समारोह पर इस पुनीत सदन द्वारा माननीय प्रधान मंत्री के जरिए राष्ट्र को दिया गया उपहार है ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं केवल अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर सकता हूं और ऐसा करते हुये, मुझे संदेह नहीं कि मैं समस्त सभा तथा देश की ओर से प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह सबसे उपयुक्त दिन चुना जब हम यह स्मरणीय विधेयक पारित कर रहे हैं । आज हम महात्मा गांधी तथा उन हजारों महान वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण इसलिये न्यौछावर कर दिये ताकि हम तथा हमारे बच्चे आजाद हो सकें । आज के इस पवित्र दिन, हम यह महान विधेयक पारित कर रहे हैं यह हमेशा हमारे लोकतंत्र के भाग्य का मार्गदर्शन करता रहेगा । यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो निश्चित रूप से इस देश में भविष्य में केवल स्वच्छ राजनैतिक जीवन पनपेगा । यह बहुत अच्छी बात है कि इस विधेयक पर पूर्णतया मतैक्य हो गया है । इससे हमारे देश की शक्ति तथा हमारी एकता का पता चलता है तथा हमारे देशवासियों के इस निर्णय का भी पता चलता है कि जब भी देश को जरूरत पड़ी है, हम सब ने मिलकर प्रयास किया, हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं, हम अपने झगड़े भूल जाते हैं, हम अपने दलगत बंधनों को तोड़ देते हैं तथा सम्पूर्ण राष्ट्र को एक ही सुनहरी धागे में पिरो दिया जाता है, अर्थात् यह देश तथा हमारा लोकतंत्र नष्ट नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं यह विधेयक संशोधित रूप में पारित करने के लिए सभा में मतदान के लिये रखूं, चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिये इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा । दीर्घाएं खाली कर दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं । प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या : 5 8.08 म०ए०

अ

अंजैया, श्री टी०
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अदाएकलाराज, श्री एल०
अदियोडी, डा० के० जी०
अन्नानाम्बी, श्री आर०
अब्दुल गफूर, श्री
अब्बासी, श्री के० जे०
अरुणाचलम, श्री एम०
अलखाराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, बेगम आबिदा

आ

आचार्य, श्री बसुदेव
आजाद, श्री गुलाम नबी
आजाद, श्री भागवत झा
आनन्द सिंह, श्री

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

ए

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार
ओडेयर, श्री चनैया

क

कमलनाथ, श्री
कमला कुमारी, श्रीमती
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पना देवी, डा० टी०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुजूर, श्री मारिस
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुरेशी, श्री अजीज
केन, श्री लाला राम
केयूर भूषण, श्री
कोलनदाईवेलु, श्री पी०
कौशल, श्री जगन्नाथ
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

ख

खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री जुल्फिकार अयूब
खां, श्री मोहम्मद अयूब

खां, श्री रहीम
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ

ग

गंगा राम, श्री
गधावी, श्री भेरावदन के०
गहलोत, श्री अशोक
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री सी० डी०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव नानासाहब
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह
गावित, श्री मानिकराव होडल्य
गुप्ता, श्रीमती प्रभावती
गुहा, श्रीमती फूलरेणु
गोपेश्वर, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
गोहिल, श्री जी० बी०
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे
गौडा, श्री के० वी० शंकर

घ

घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, प्रो० विमल कान्ति
घोषाल, श्री देवी

च

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगाथम
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिंगवांग कोनयक, श्री
चिदाम्बरम, श्री पी०
चोक्का राव, श्री जे०
चौधरी, श्रीमती ऊषाताई प्रकाश
चौधरी, श्रीमती ए०बी०ए० गनीखान
चौधरी, श्री जगन्नाथ
चौधरी, श्री नन्दलाल
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौबे, श्री नारायण

ज

जमतराकशकन, श्री एस०
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जदेजा, श्री डी० पी०
जयदीप सिंह, श्री
जयामोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मौदी लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवारथिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री डालचन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री

झ

झांसीलक्ष्मी, श्रीमती एन० पी०
झिकराम, श्री एम०एस०

ट

टाइटलर, श्री जगदीश
टोम्बीसिंह, श्री एन०

ठक्कर, श्रीमती उषाबेन राघवजी
ठाकुर, श्री सी० पी०

ड

डागा, श्री मूल चन्द
डामोर, श्री सोमजी भाई
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल

त

तपेश्वर सिंह, श्री
तारादेवी, कुमारी डी० के०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
तिरकी, श्री पीयूष
तिलकधारी सिंह, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
तुलसीराम, श्री वी०
तोमर, श्रीमती शर्मा रानी
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह
त्रिपाठी, डा० चन्द्रशेखर
त्रिपाठी, श्रीमती चन्दा

थ

थंगाराजू, श्री एस०
थामस, प्रो० के० वी०
थाम्बी दुराई, श्री एम०
थुंगन, श्री पी० के०
थोटा, गोपाल कृष्ण, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहिब

द

दंडवते, प्रो० मधु
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दाभी, श्री अजीत सिंह,
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेणुपद
दिग्विजय सिंह, श्री (रायजढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दुबे, श्री भीष्मदेव
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती चन्द्र भानू
देसाई, श्री बी० वी०

ध

धर्मपाल सिंह, श्री
धारीवाल, श्री शांति कुमार

न

नटराजन, श्री के० आर०
नटवर सिंह, श्री
नरसिंहन, श्री बी० ए०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नारायन, श्री के० आर०
नारायण स्वामी, श्री देवीनैनी
निर्मला कुमारी, प्रो०
नीखरा, श्री रामेश्वर
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरु, श्री अरुण कुमार

प

पंजा, श्री ए० के०
पंत, श्री के० सी०
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री उत्तम भाई एच०
पटेल, श्री एच० एम०
पटेल, श्री जी० आई०
पटेल, श्री मोहन लाल
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सी० डी०
पनिका, श्री राम प्यारे
पपीरेड्डी, श्री बेजावाड़ा
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पवार, श्री बालासाहिब
पवार, श्री सत्यनारायण
पांडे, श्री दामोदर
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पांडे, श्री राज मंगल
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पासवान, श्री राम भगत
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पूरन चन्द्र, श्री
पेंचालैया, श्री पुचालापल्ली
पेरुमन, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शान्ताराम
प्रकाश चन्द्र, श्री
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०

फ

फकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो

ब

बंसी लाल, श्री
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बनर्जी, श्रीमती ममता
बर्मन, श्री पलास
बलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बसवाराजु, श्री जी० एस०
बसु, श्री अनिल
बागुन, सुम्बरुई, श्री
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बीरबल श्री,
बूटा सिंह, श्री
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बैरागी, श्री बालकवि
बैरो, श्री ए० ई० टी०
ब्रह्मदत्त, श्री

भ

भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरत, सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री

भारद्वाज, श्री परसराम
भूपति, श्री जी०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोये, श्री आर० एम०
भोये, श्री सीताराम सायाजी
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव

म

मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिक, श्री लक्ष्मण
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महाता, श्री चित्तरंजन
महेन्द्र सिंह, श्री
माकन, श्री ललित
माधुरी सिंह, श्रीमती
मानवेन्द्र सिंह, श्री
माने, श्री आर० एस०
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्रीपति
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मिश्रा, डा० प्रभात कुमार
मीजिनलंग, श्री कामसन
मुंशी, श्री प्रियरंजन दास
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुल्गई, श्री ए० आर०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेहता, श्री हरुभाई
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णुकुमार
मोरे, प्रो० रामकृष्ण
मोहनदास, श्री के०
मोहनलाल, श्री

य

यशपाल सिंह, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री महाबीर प्रसाद
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
यादव, श्री सुभाष
योगेश्वर प्रसाद, श्री

र

रंगनाथ, श्री के० एच०
रंगा, प्रो० एन० जी०
रघुराज सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, श्री गौरी शंकर
राजू, श्री वी० के०
राजू, श्री आनन्द गजपति
राजेश्वरन, डा० वी०
राठवा, श्री अमर सिंह
राठौड़, श्री उत्तम
राठौड़, श्री मोहर सिंह
राम, श्री राम रतन
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री

रामसमुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री के०
रामरतन, श्री कालीचरण
रामुलू, श्री एच० जी०
राय, श्री आई० रामा
राय, श्री रामदेव
राय, श्री सुधीर
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री के० एस०
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री बड्डे सोभानेद्रेसवारा
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री सो० एच० श्रीहरी
रावणी, श्री नवीन
रावत, श्री कमला प्रसाद
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री हरीश
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री एस० रघुमा
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री सी० माधव
रेड्डी, श्री सुदिनी जयपाल

ल

लाहा, श्री आशुतोष
लोवांग, श्री कंगफा

व

वन, श्री दीप नरायन
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, डा० सी० एस०
वाडियर, श्री श्रीकंठ दत्त नरसिंहराज
वासनिक, श्री बालकृष्ण
वासनिक, श्री मुकुल
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विश्वास, श्री अजय
वीरसेना, श्री
वेंकटरत्नम, श्री निस्संकारा राव
वेंकटसेन, श्री पी० आर० एस०
वैराले, श्री मधु सूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल

श

शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री ए० सी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शांति देवी, श्रीमती
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शिगड़ा श्री डी० बी०
शिवेन्द्री बहादूर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेरवानी, श्री सलीम आई०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
श्री रामामूर्ति, श्री भट्टम

स

संकटा प्रसाद डा०
संगमा, श्री पी० ए०
संतोष, श्री
सतेन्द्रचन्द्र, श्री
सम्बु, श्री चिमाता
साठे, श्री वसंत
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री शिव प्रसाद

सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री के० एन०
सिंह, श्री डी० जी०
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप
सिंह, श्री शंकर दयाल
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिदनाल, श्री एस० वी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सिन्धिया, श्री माधवराव
सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र
सिन्हा, श्रीमती किशोरी
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
सुंदरलाल, श्री
सुखाड़िया, श्रीमती इंदुबाला
सुनीलदत्त, श्री
सुन्दरराज, श्री
सुन्दरराजन, श्री एन०
सुब्बुरमन श्री ए० जी०
सुमन, श्री राम प्यारे
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेट, श्री अजीज
सेठी, श्री अनंत प्रसाद
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र
सेन, श्री भोला नाथ
सेन, श्री ए० के०
सेल्वेन्द्रन, श्री पी०
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोडी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री हरिहर
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह
सोलंकी, श्री नचवर सिंह
स्वामी, श्री के० एन०
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वेल, श्री जी० जी०

ह

इम्तान मोल्लाह, श्री
हरद्वारी लाल, श्री
हरपाल सिंह, श्री
हाल्दर, श्री मनोरंजन
हेमब्रम, श्री सेन

विपक्ष में कोई नहीं

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 418

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

यह विधेयक संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्रीमती शीला कौल, श्री ए० एस० गौडर, श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य, श्री सरफराज अहमद, श्री एम० आर० जनार्दन, श्री मानिक रेड्डी, डा० चिंतामोहन, श्री के० एन० प्रधान तथा श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, दल-बदलुओं के बारे में निधन संबंधी उल्लेख की स्थिति क्या है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब तो फतिहा पढ़ दिया है ।

—

8.11 म० प०

राज्य सभा सें संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है ।

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, विनियोग विधेयक, 1985, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 जनवरी, 1985 की बैठक में पारित किया गया था तथा राज्य सभा को उसी दिन उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 30 जनवरी, 1985 की अपनी बैठक में सिफारिश की है कि उक्त विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "**पैंतीसवें**" के स्थान पर "छतीसवां" प्रतिस्थापित किया जाये"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम 6 के अनुसरण में विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1985 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 जनवरी, 1985 की बैठक में पारित किया गया था तथा राज्य सभा को उसी दिन उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 30 जनवरी, 1985, की अपनी बैठक में सिफारिश की है कि उक्त विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "**पैंतीसवें**" के स्थान पर "छतीसवां" प्रतिस्थापित किया जाये ।"

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम 6 के अनुसरण में पंजाब विनियोग विधेयक 1985, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 जनवरी, 1985 की बैठक में पारित किया गया था तथा राज्य सभा को उसी दिन उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 30 जनवरी, 1985 की अपनी बैठक में सिफारिश की है कि उक्त विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "**पैंतीसवें**" स्थान पर "छतीसवां" प्रतिस्थापित किया जाये ।"

———

सभा-पटल पर रखे गये

राज्य-सभा द्वारा सिफारिशों सहित लौटाये गये विधेयक

महासचिव : महोदय मैं राज्य सभा द्वारा सिफारिशों सहित लौटाये गये निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग विधेयक, 1985

(2) विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1985

(3) पंजाब विनियोग विधेयक, 1985

8.13 अ० प०

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) विधेयक, 1985

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विनियोग (रेल) विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये" :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "पैंतीसवें" शब्द के स्थान पर "छत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रशन यह है :

"कि विनियोग (रेल) विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये" :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "पैंतीसवें" शब्द के स्थान पर "छत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों को लेंगे। प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में "पैंतीसवें" शब्द के स्थान पर "छत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन स्वीकार किया जाये।'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन स्वीकार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20.14 म० प०

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1985

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गया संशोधन

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधयक, 1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किय गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक 1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गय निम्नलिखित सशोधन पर विचार किया जाए :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों को लेंगे । प्रश्न यह है :

अधिनियम सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में 'पैंतीसव' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बंसी लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग विधेयक 1985

8.15½ म० प०

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(i) कि राज्य विनियोग विधेयक, 1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्न लिखित संशोधन पर विचार किया जाए :"—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवे "शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"(i) कि विनियोग विधेयक ,1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्न-लिखित संशोधन पर विचार किया जाए" :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में 'पैंत्तीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों को लेंगे। प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र"

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार की जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.17 म०प०

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(i) कि विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए" :—

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1. पंक्ति 1, में 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"(i) कि विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए"।

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश को लेंगे :—
प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार कर ली जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार कर ली जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

8.18 म० प०
[अनुवाद]

पंजाब विनियोग विधेयक, 1985

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(i) कि पंजाब विनियोग विधेयक, 1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए :—"

अधिनियम सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"(ii) कि पंजाब विनियोग विधेयक, 1985 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए :—"

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में 'पैंतीसवें' शब्द के स्थान पर 'छत्तीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा सिफारिश किय गय संशोधन को लेंगे।

प्रश्न यह है कि:

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, शब्द 'पैंतीसवें' के स्थान पर शब्द 'छत्तीसवें' प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

8.19 म०प०

[अनुवाद]

आणविक निरस्त्रीकरण संबंधी छः राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं :—

"इस सभा को इस बात पर संतोष और गर्व है कि अणु-निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में छः राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श 28 जनवरी, 1985 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की

गयी दिल्ली घोषणा अणु-शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए विश्वव्यापी आन्दोलन की दिशा में और उस अणु-युद्ध की शुरुआत को रोकने हेतु एक ठोस कदम है जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर मानव सभ्यता और जीवन का पूर्ण विनाश हो सकता है।

यह सभा अणु-शस्त्रों के परीक्षण, उनके उत्पादन और उनके इस्तेमाल तथा उनकी प्रेषण-प्रणाली पर रोक लगाने की दिल्ली घोषणा का स्वागत करती है और इस बात का भी स्वागत करती है कि सम्मेलन ने इन शस्त्रों में काफी कमी करने और अंततः इनको पूरी तरह से खत्म करने की मांग को दोहराया है। यह सभा घोषणा में की गयी इस मांग और कदम का स्वागत करती है कि बाह्य अंतरिक्ष में शस्त्रों की होड़ रोकी जाये और अणु-शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक संधि की जाये।

यह बहुत आवश्यक है कि जो बहुमूल्य संसाधन सैनिक जरूरतों पर खर्च किये जाते हैं उनको इसके बजाय सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए और खास तौर से विकासोन्मुख देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए खर्च किया जाये। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ मजबूत किये जायें जिससे यह कारगर तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सके। सभा इस घोषणा में किये गये इस आह्वान की जोरदार पुष्टि करती है कि सारी दुनिया के लोग, संसदें और सरकारें इस अपील को जोरदार समर्थन प्रदान करें।

यह सभा भारत सरकार से प्रार्थना करती है कि वह उन राज्याध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों को सभा का धन्यवाद प्रेषित करे जिनकी उपस्थिति और ठोस योगदान से शिखर सम्मेलन सफल हो सका। यह सभा भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा किये गये कार्य और भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किये गये नेतृत्व की भी सराहना करती है।"

मुझे आशा है कि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा और इसकी सिफारिश करेगा।

माननीय सदस्य : जी हां

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.21 म०प०

[अनुवाद]

समापन टिप्पणियां

अध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से पहले मैं सभी नये और पुराने सदस्यों—जिन्होंने यहां बहुत उत्साह से भाग लिया—को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अत्यधिक सहयोग दिया और मैं समझता हूं कि हमने काफी कुछ सीखा है और नये सदस्यों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वे पुराने सदस्यों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

इस नये विधेयक के साथ, जिसे हमने अभी पारित किया है, मैं समझता हूं कि हम भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय खोलने जा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

8.22 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।